लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 38 में अंक 11 से 16 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 56
Dated 24/8/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 38, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 13, गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2003/27 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 243 और 246	6–37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244, 245 और 247 से 260	37–85
अतारांकित प्रश्न संख्या 2391 से 2620	85–408
सभा पटल पर रखे गए पत्र	409–422
याचिका समिति	
छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन	422
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
की-गई कार्यवाही संबंधी विवरण	422
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवां से छब्बीसवां प्रतिवेदन	423
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—*पुरःस्थापित*	429
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों और कतिपय अन्य पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने और उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता	430
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	430, 434–437
डा. सत्यनारायण जटिया	431–434, 447–450
श्री रामविलास पासवान	437–439
श्री हन्नान मोल्लाह	439–441
श्री रामचन्द्र पासवान	441–443

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कोलकाता में बीएसएनएल के नाम के कथित दुरुपयोग के बारे में 450–454

(दो) हज यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में 455–457

(तीन) देश में सीमेंट की कीमतों में कथित वृद्धि के बारे में 457–459

नियम 377 के अधीन मामले 459–464

(एक) जबलपुर से विमान सेवा पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्री बैनर्जी 459–460

(दो) गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 460

(तीन) गुजरात में और देश के अन्य भागों में लघु इंजीनियरिंग फाउंड्री एककों के हितों की रक्षा की दृष्टि से कोयला और कास्ट ऑयरन की बढ़ती कीमतों को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी 460–461

(चार) केरल के कोल्लम जिले के पठानपुरम में एक रबड़ पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश 461

(पांच) पश्चिमी घाट क्षेत्र में नेत्रावती नदी की धारा को बदलने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को छोड़ किए जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन 461–462

(छह) आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में कार्यान्वित किए जा रहे सेक्टर रिफार्म्स पायलट प्रोजेक्ट के परिव्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव 462

(सात) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय क्षेत्र के सभी ताल्लुकों में मोबाइल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 462–463

(आठ) प्रत्येक वर्ष 17 सितम्बर को राष्ट्रीय मजदूर/शिल्पकार दिवस मनाए जाने और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान 463

(नौ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 463

(दस) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कारवी में भूमिगत रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 464

विषय	कॉलम
विद्युत (संशोधन) विधेयक—*पारित*	465–509
विचार करने के लिए प्रस्ताव	465
श्री अनंत गंगाराम गीते	465–467, 501–509
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	467–470
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	470–474
श्री बसुदेव आचार्य	474–478
श्री उत्तमराव ढिकले	478–480
श्री अधीर चौधरी	480–483
डा. मन्दा जगन्नाथ	483–484
श्री ए. कृष्णास्वामी	484–486
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	486–489
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	489–494
डा. वी. सरोजा	494–496
श्री रतन लाल कटारिया	496–498
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	498–499
श्री लाल बिहारी तिवारी	500–509
खंड 2 से 7 और 1	509
पारित करने के लिए प्रस्ताव	509
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक—विचाराधीन	510–536
विचार करने के लिए प्रस्ताव	510
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	510–513
श्री रमेश चेन्नितला	513–517
श्री अनादि साहू	517–520
श्री टी. गोविन्दन	520–522
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	523–527
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	527–530
श्री पी.एस. गढ़वी	530–531
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	531–533
श्री वरकला राधाकृष्णन	533–535
श्री मधुसूदन मिस्त्री	536

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2003/27 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से नोटिस दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, सद्दाम हुसैन के मामले में इस सरकार का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरकार का क्या रुख है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, एक लड़के की बलि चढ़ाई गयी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि क्वैश्चन ऑवर ठीक समय पर शुरू होना चाहिए। क्वैश्चन ऑवर समाप्त होने के बाद जीरो ऑवर में मैं आपको बोलने का मौका देने के लिए तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैंने जब कल आपसे आग्रह किया था तो आपने कहा था ...*(व्यवधान)* मैं दो मिनट दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, सद्दाम हुसैन के मामले में इस सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राम विलास जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से इस मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता रहा हूं। आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। झारखंड के हजारीबाग के गोलकुंडा में श्री विजय पासवान सरकारी कर्मचारी है जो कि सीसीएल में काम करता है। उसका छ: साल का बेटा मुन्ना पासवान 6 दिसम्बर, 2003 से गायब था। मैं उस समय रांची गया हुआ था। उसके बाद मैं आठ तारीख को धनबाद गया था। 9 दिसम्बर, 2003 को उस लड़के की लाश मिली। जब अभियुक्त पकड़ा गया तो यह मालूम हुआ कि एक साधु, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सारे अखबारों में उसके बारे में आया है, मैं नाम यहां लेकर उसका प्रचार नहीं करना चाहता, उसने बच्चे की मंदिर में बलि चढ़ाने का काम किया। उस लड़के का पिता सीसीएल में काम करता है। जब इसके खिलाफ 11 तारीख को वहां के सभी नौजवानों ने प्रदर्शन और धरने देने का काम किया तो पुलिस के डी.एस.पी., रामगढ़ द्वारा उन पर गोली चलाई गयी। इस घटना के बाद कहते हैं कि वहां एक स्टूडैंट की मृत्यु हो गयी। हमारा कहना है कि वहां स्थिति भयावह है। उस लड़के का पूरा परिवार हमारी पार्टी का है। वहां सब लोग धरने पर बैठे हैं। हर पोलिटिकल पार्टी के लोग वहां बैठे हैं। इस तरह का अंधविश्वास ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जीरो ऑवर में यह प्रश्न उठाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं जीरो ऑवर में भी इसे उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप कालिंग अटैंशन लीजिए जिससे इस पर चर्चा करने का मौका मिल जाये। इस तरह से बलि चढ़ाने के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, बलि चढ़ाने वाली सरकार की बलि चढ़नी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना दोबारा न हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनको बोलने की इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या विषय है?

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, आज देश में जब न्यायपालिका को सम्मान की निगाह से देखा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका विषय सदन में आया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उसके बारे में आप सरकार से पूछिए। इससे क्या होगा?

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी: इस परिस्थिति में बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देबी ने बिहार के हाई कोर्ट के उप न्यायाधीश को मुख्य सचिव के मामले में धमकी दी है क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका जब नोटिस आयेगा, उस समय मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अभी मैं आपको समय नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रश्नकाल को लेता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने इस विषय पर नोटिस दिया था और मैंने आपको बोलने का भी मौका दिया था। सरकार ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। एक ही विषय पर बार-बार नोटिस आप नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रश्नकाल को लेता हूं। श्री पी.डी. एलानगोवन।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन ऑवर के बाद, जीरो ऑवर में आप इस प्रश्न को उठाइए। मैं आपको इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे क्वैश्चन ऑवर शुरू करना है। कृपया बैठिए। आपका विषय कल सदन में आया था। बार-बार उसी विषय को उठाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर नोटिस डिसएलॉउ किया है। एम.पी. लैड का प्रश्न महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव जी, मैं आपको जीरो ऑवर में प्रश्न उठाने की इजाजत दूंगा। अभी जरूरत नहीं है। कल भी आपने यह प्रश्न उठाया था। हर दिन मैं एक ही प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। जीरो ऑवर में आपको मैं इस प्रश्न को उठाने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक बार कहा, मैं बार-बार वही बात नहीं कहूंगा। कृपया बैठिए। कृपया चेयर से कोआपरेट करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही प्रश्नकाल को ले चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कहा कि आप नोटिस दे सकते हैं। नोटिस यदि एडमिट हो जाएगा तो आपका प्रश्न चर्चा के लिए आ जाएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, जज वाले मामले का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* चीफ जस्टिस को बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा धमकी दी गई है। यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कहा कि जीरो ऑवर में आप इस विषय को उठाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: बिहार में जब चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है तो दूसरा आदमी सुरक्षित क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरे मैम्बर्स का भी सदन में कुछ अधिकार है। जिन्होंने नोटिस दिया है, उनको ही मैं यहां बोलने की इजाजत दूंगा। हरेक को इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैंने कहा कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या कोई नियम है? आप बोल रहे हैं। आप इस प्रश्न को जीरो ऑवर में उठाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आपको कुछ बोलने का अभी अधिकार नहीं है। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आप प्रश्न पूछने के लिए आखिरी सभासद होते हैं।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आपका कौन सा प्रश्न है?

श्री रामदास आठवले: प्र.सं. 250 है।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखकर आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, वह पॉवर का प्रश्न है। उसका इससे कोई संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम स्वीकृत करना

[अनुवाद]

***241. +श्री पी.डी. एलानगोवन:**
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने दूरदर्शन के अन्य चैनलों के साथ-साथ डी.डी. भारती में समय (टाइम स्लॉट) के आवंटन हेतु आवेदन मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आवेदकों को समय (टाइम स्लॉट) अथवा प्रायोजित कार्यक्रमों के आवंटन के लिए किसी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों में प्रत्येक समय (टाइम स्लॉट) अथवा कार्यक्रम हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और उन निर्माताओं की चैनल-वार सूची क्या है जिन्हें निधियां आवंटित की गईं;

(ङ) क्या कुछ निर्माताओं के साथ दूरदर्शन के चैनलों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु पक्षपात किया जा रहा है और उन्हें अनुचित सहायता दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (च) डीडी भारती के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जहां तक दूरदर्शन के अन्य चैनलों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चैनल संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार, डीडी भारती चैनल के लिए कार्यक्रमों

की कमीशनिंग हेतु निजी निर्माताओं से विभिन्न समाचारपत्रों और दूरदर्शन चैनलों में दिए गए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मंगाए गए थे। इसके प्रत्युत्तर में 560 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई की गयी और मूल्यांकन समिति ने 185 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। 33 निर्माताओं को स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और वर्ष 2002-03 के दौरान उनको 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में, 1.46 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर दी गयी है। उन निर्माताओं की सूची (संख्या 27) अनुलग्नक में दी गयी है जिन्हें वर्ष 2002-03 के दौरान अग्रिम भुगतान किया गया है।

मौखिक प्रस्तुतीकरण हेतु केवल ऐसे निर्माताओं को बुलाया गया जिनके प्रस्तावों का अनुमोदन 31 मार्च, 2003 के पहले कर दिया गया था। डीडी भारती पर कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसी निर्माता को अनुचित लाभ का कोई मामला नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुलग्नक

मार्च, 2003 में संस्वीकृत प्रस्ताव:

क्र.सं.	निर्माता का नाम	कम्पनी का नाम	शीर्षक	वर्ष 2002-03 के दौरान आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	श्री अनिल कुमार जैन	मैसर्स जय मा टेलीफिल्म्स	जिन्नी और जूता	6,33,000
2.	श्री विमल शंकर	मैसर्स बायोस्कोपवाला	करत अभ्यास के	4,29,000
3.	श्री प्रीतपाल सिंह कोहली	मैसर्स रंजीत स्टूडियो	खिलखिलाती जिंदगी	4,74,000
4.	श्री प्रवीण अरोड़ा	मैसर्स कबीर कम्यु.	परसा	8,58,000
5.	श्री एस.पी. असीम	मैसर्स कलर फीचर्स ऑफ इंडिया	ये किसी से कम नहीं	3,88,500
6.	श्री नवीन सम्होत्रा	मैसर्स न्यूज नेटवर्क	क्रॉस रोड्स	4,76,400
7.	श्री अमरजीत	मैसर्स सिने इंडिया इंटरनेशनल	चांदनी चौक	5,91,000
8.	श्री संजेश आहुजा	मैसर्स अम्बिका कम्यु.	मासूम मानसिकताएं	5,90,700
9.	श्री पी.एल. आहुजा	मैसर्स अम्बिका चित्रा	सिनेमा एक सफर	5,19,000
10.	श्री मनोज रघुवंशी	मैसर्स फिल्म एंड मीडिया स्कूल (आईआईएलएम)	डेथ वारंट/चेतावनी	3,21,000
11.	श्री राजन कुमार आहुजा	मसैर्स विजुअल पैसेज	देख तमाशा देख	5,07,000
12.	श्री लव चावला	मैसर्स कृष्णा विजन	जादुई चिराग	7,17,000
13.	श्रीमती राखी वर्मा	मैसर्स के.के. कम्बाइंस	लाइट हाउस फॉर चिल्ड्रन	3,79,500

1	2	3	4	5
14.	सुश्री कौशल्या राय	मैसर्स कुनाल फिल्म्स	ग्रेट संस्कृत वर्क्स ऑफ कालीदास एंड शूद्राका	10,26,000
15.	श्री किशोर डांग	मैसर्स छाया ध्वनि	लिविंग ट्रेडीशन	5,82,000
16.	श्री राजीव खानपुरी	मैसर्स निर्मल आर्ट्स क्रिएशंस	आई बाल बसंत बहार	5,18,700
17.	सुश्री सीमा मुरलीधरा	मैसर्स बैकॉनन टेलीविजन	सांझी सेहत	4,47,000
18.	सुश्री गायत्री जोशी	मैसर्स गायत्री कम्यु.	कहानी रंगमंच की	4,44,000
19.	सुश्री कला अय्यर	मैसर्स जेनेसिस मीडिया प्रा.लि.	स्केलिंग न्यू हाइट्स	3,24,000
20.	श्री विवेक वर्मा	मैसर्स मैस्ट्रो प्रोडक्शंस	आकार	5,97,000
21.	श्री अजय जय सिंघानी	मैसर्स दि ड्रमर्स टीवी नेटवर्क	कैक्टस फ्लावर	7,20,000
22.	श्री वेणु गोपाल के. ठक्कर	मैसर्स प्रो वीडियो	माटी के रंग	7,14,000
23.	श्री श्रीधर और नागेन्द्र	मसैर्स साईं प्रोडक्शंस	रंगमंच	3,51,000
24.	श्री दीपक भाट	मैसर्स परशूट कम्युनिक.	देवभूमि कुमाऊं	4,33,800
25.	डा. राजू आर. कनाकिया	मैसर्स मीडियाविजन इन्फोमीडिया प्रा.लि.	मधुर मुस्कान-द हेल्दी बेबी शो	3,17,700
26.	श्रीमती दिव्या आर. जैन	मैसर्स डी आर प्रोडक्शन	क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे	8,04,000
27.	श्री सरोज मेहता	मैसर्स एक्सोटिक न्यूज एंड फिल्म्स प्रा.लि.	बेबीज बाइट्स	4,78,800
			कुल	1,46,42,100

श्री पी.डी. एलानगोवन: माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार दिया गया है जैसे क्रिकेट के खेल में ऊंची आती गेंद को सिर झुकाकर (डकिंग) ऊपर से जाने देना। जब 560 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 185 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया था तो केवल 33 निर्माताओं को ही मौखिक प्रस्तुतीकरण हेतु क्यों बुलाया गया और वह भी उनके प्रस्तावों को अनुमोदित करने के बाद। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं। अन्य संभावित निर्माताओं को मौखिक प्रस्तुतीकरण का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: किसी भी प्रस्ताव में सदैव एक तारीख होती है। इस मामले में, 31 मार्च, 2003 की तारीख निर्धारित की गई थी ...*(व्यवधान)* अखिल भारतीय विज्ञापन दिया गया था। इसके बाद, प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 185 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। राशि भी अग्रिम तौर पर दे दी गई है। मैंने पहले ही यह बता दिया है। मुझे आशा है कि इन निर्माताओं में से अनेक निर्माता अपने कार्यक्रम पूरा करने वाले हैं। अगले वर्ष से उनके कार्यक्रम डीडी-एक पर आएंगे।

श्री पी.डी. एलानगोवन: यदि आप उत्तर के अनुबंध पर सरसरी तौर पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है कि वहां मेट्रो और राष्ट्रीय जैसे अन्य चैनल की सूचना नहीं है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैंने अपने उत्तर में पहले ही यह बताया है कि माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न काफी व्यापक नहीं है। यह केवल डीडी-भारती ही नहीं बल्कि अन्य सभी चैनलों से भी संबंधित है। यदि माननीय सदस्य मेरे उत्तर के पहले भाग को ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें यह बताया हुआ है कि जहां तक अन्य चैनलों से जानकारी प्राप्त करने का संबंध है, हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं। वर्तमान जानकारी डीडी-भारती से संबंधित है। यदि आप चार्ट देखें तो एक व्यापक सूची दी गई है। इसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व है। जब हमें अन्य चैनलों का ब्यौरा मिलेगा तो आप यह देखेंगे कि दूरदर्शन पर सारे भारत के रचनात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को उचित मौका दिया जा रहा है। यह सब स्पष्ट हो जायेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि मुझ पर कुछ कृपादृष्टि रखें क्योंकि गत पांच वर्षों से मैं मंडी हाउस और दूरदर्शन में कदाचार और रैकेट चलने के बारे में प्रश्न उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)* यह समय आवंटित करने के मामले में काला बाजार बन गया है। तीन मंत्री बदल गए हैं। मैंने हर जगह बार-बार यह प्रश्न उठाया है। इसका कोई हल नहीं है।

माननीय मंत्री ने यह बताया है कि अन्य डीडी-चैनलों से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसमें और कितना समय लगेगा? गत पांच वर्षों से हम यह मुद्दा उठा रहे हैं। क्या पांच वर्षों में वे जानकारी एकत्र नहीं कर सकते? यह स्पष्ट तौर पर उन लोगों को बचाने और आश्रय देने का प्रयास है जो भारतीय राजकोष और दूरदर्शन को धोखा दे रहे हैं।

मैं उन्हें विशेष जानकारी देना चाहता हूं। कोलकाता के संबंध में तो यह केवल एक झलक मात्र है। कोलकाता में डीडी केन्द्र है। 6 वर्ष के बाद एक निर्माता पर 10,13,00,000 रु. का बकाया है। किंतु उसे विस्तार दे दिया गया। एक सरकारी चैनल डीडी-7 है। एक निजी समाचार निर्माता को समाचार का प्रसारण करने की अनुमति दी गई ...*(व्यवधान)* हालांकि वे एनडीटीवी जैसे विभिन्न चैनल चला सकते हैं। एक निजी चैनल द्वारा सारी झूठी जानकारी देने के लिए समाचार का प्रसारण करने हेतु सरकारी चैनल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? उनके ऊपर साढ़े तीन करोड़ रुपये बकाया हैं। सीईओ और सारे अधिकारी उन पर कृपादृष्टि रख रहे हैं।

फिर एक और बात भी है। एक कंपनी के 4-5 नाम हैं। उन पर 21 करोड़ रुपये बकाया है। किन्तु उन्हें डीडी केन्द्र कोलकाता पर अधिकतम समय मिल रहा है। ऐसा क्यों किया गया है? हम बार-बार इसके बारे में बता रहे हैं। काला बाजारियों की मंत्रालय के अधिकारियों, और प्रसार भारती के सीईओ से मिली-भगत है। उनके बीच सांठगांठ है। वे देश को लूट रहे हैं। क्या एक व्यक्ति देश को 21 करोड़ रुपये का चूना लगा सकता है? देश भर में ऐसे धोखेबाज निर्माताओं द्वारा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में हजारों करोड़ रुपये लूटे जा रहे हैं। वे मीडिया माफिया हैं। मीडिया माफिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार चुप है। मैं नहीं जानता कि वह चुप क्यों बैठी है? इसका क्या कारण है? मंत्रीजी भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 21 करोड़ रुपये देय हैं। वह इस धन को कैसे वसूल करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कोयला माफिया मीडिया माफिया बन गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप केवल श्री हन्नान मोल्लाह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देता हूं। इन्होंने दो तरह के मुद्दे उठाये हैं। एक कोलकाता के बारे में विशिष्ट प्रश्न हैं जिसका मैंने अभी उत्तर दिया है। परन्तु मैं नहीं समझता कि दूरदर्शन तथा सभी अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य रूप से गंभीर आरोप लगाना ठीक होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को सूचित करना जरूरी समझता हूं कि दूरदर्शन के इन्हीं लोगों ने डीडी न्यूज पर शानदार कार्य किया है। यह शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही सबसे अनेक चैनलों में आ गया है ...*(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि डीडी न्यूज राजस्व के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जहां तक विशेष प्रश्न का संबंध है तो माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। वह मेरी परामर्शदात्री समिति में भी हैं। उन्होंने मुझे यह बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रसार-भारती के तीन वरिष्ठ सदस्य पूरे मामले के बारे में पता लगाने स्वयं कोलकाता गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रसार भारती को सौंप दी है। प्रसार भारती उनकी रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

जहां तक कार्यक्रम के बारे में विशेष प्रश्न का संबंध है तो संबंधित निर्माता निश्चित मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय में गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था। मैंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है कि वे उस स्थगन को हटवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाएं। मैं सभा को भरोसा दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी: गत दो वर्षों से वह न्यायालय नहीं गए ...*(व्यवधान)* केवल एक ही कंपनी को अधिकांश समय दिया जा रहा है। अधिकारी स्थगन को समाप्त करवाने हेतु न्यायालय क्यों नहीं गए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं इस सम्माननीय सभा को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सभी प्रस्ताव और रिपोर्टों पर ईमानदारी से कार्यवाही की जाएगी। मैंने उसके अनुसार ही अधिकारियों को निर्देश दिया है। यदि न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिये जाते हैं तो हम उनसे बंधे हुए हैं। इसलिए, कानूनी कदम भी उठाये जा रहे हें। ...*(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी: आप स्थगन समाप्त कराने के लिए न्यायालय क्यों नहीं गए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं मांग करता हूं कि समिति की रिपोर्ट की सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद: हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं सभा को एक बात बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिए। मैं समझ सकता हूं कि सदस्य नाराज हो रहे हैं। परन्तु, माननीय मंत्री उत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहे है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं कोलकाता के विशेष निर्माता के बारे में उनकी चिंता को समझ सकता हूं। यह मेरे ध्यान में लाई गई है। सभी उचित कदम उठाये गये हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट, जिस पर इस समय प्रसार भारती बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है, के आलोक में समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, वह सभी दूरदर्शन केन्द्रों में देयराशियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कितना समय लेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वेत्रिसेलवन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वेत्रिसेलवन के प्रश्न के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा में अनुशासन होना चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, आपके अपने साथी उन्हें उत्तर पूरा नहीं करने दे रहे हैं।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। विभिन्न विषयों यथा—मनोरंजन, समाचार, खेल, खोज, भूगोल, एडवेंचर्स, पशुओं आदि के बारे में अलग-अलग चैनल हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। परन्तु शिक्षा हेतु 24 घंटे का कोई अलग चैनल नहीं है। कुछ चैनलों पर विभिन्न विषयों पर प्रसारित किये जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों को केवल आधे घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शिक्षा के लिए 24 घंटे का अलग चैनल शुरू करने जा रही है। यदि नहीं तो मैं उसके कारण जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन निजी कंपनियों को जो कि शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए 24 घंटे का अलग चैनल शुरू करने की इच्छुक हैं, कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, हमारे पास अब देश में लगभग 100 चैनल हैं। उनमें से अधिकांश निजी हाथों में हैं। दूरदर्शन एक सार्वजनिक प्रसारणकर्त्ता है जिसे एक अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है। जहां तक शैक्षिक कार्यक्रमों की मात्रा का संबंध है तो ज्ञानदर्शन जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। किंतु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए विशिष्ट चैनल चलाने में बहुत पैसा लगता है। इसलिए, सरकार को इसे समग्र रूप में देखना चाहिए। यह कहकर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कम से कम अन्य निजी चैनलों को भी अपने चैनलों के माध्यम से अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम दिखाए जाने की आवश्यकता को समझना चाहिए। हमें इस परामर्शदात्री प्रक्रिया में शामिल होने की जरूरत है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि दूरदर्शन पर चलाया जा रहा सर्वशिक्षा अभियान बहुत सफल हो गया है। अतः यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का पूरी तरह उत्तर नहीं दिया है। मैं मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूं। अन्य निर्माताओं के देय क्या हैं और सरकार उनसे पैसा एकत्र करने में कितना समय लेगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मैंने अपने अधिकारियों को इसे शीघ्र एकत्र करने के निर्देश दिए हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसी निर्माता को अनुचित सहायता का कोई मामला नहीं है। परन्तु इस संबंध में बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि कतिपय निर्माताओं को अनुचित सहायता दी जा रही है। मैं यहां निर्माताओं का नाम नहीं लेना चाहता किंतु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शिकायतों की जांच करेगी और उपचारात्मक उपाय करेगी ताकि सभी निर्माताओं पर योग्यता के आधार पर समान रूप से विचार किया जाए क्योंकि आज ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नितला के प्रश्न का दो तरह से उत्तर देना चाहता हूं। हमारे पास मूल्यांकन समिति हैं जिसमें तीन वरिष्ठ अधिकारी और तीन बाहर के व्यक्ति, पत्रकार और रचनात्मक क्षेत्र के लोग हैं जो सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि हमारे पास बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। परन्तु उनकी प्रस्तुति, गुणवत्ता और सामग्री के आधार पर उनके द्वारा निर्णय लिये जाते हैं जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती। यदि हमारे ध्यान में कोई विशिष्ट शिकायत लाई जाती है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

किंतु यह कहकर हम इसके लिए बहुत उत्सुक हैं कि दूरदर्शन को व्यावसायिक तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा और हमें इस पूरे मानदंड से आगे जाना होगा। उदाहरणार्थ, हमने श्री गुलजार से मुंशी प्रेमचन्द्र की महान रचनात्मक कहानियों पर एक धारावाहिक बनाने के लिए अनुरोध किया है। वह ऐसा कर रहे हैं। परन्तु श्री गुलजार के स्तर के लोग निश्चय ही आकर कतार में खड़े नहीं होंगे। इसलिए, यदि हमें व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनना है तो कुछ सहायता देनी पड़ेगी और वह एक अच्छा विकास होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 242—श्री सुरेश रामराव जाधव।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.20 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, कल आपके सामने प्रिवलैज मोशन रखा गया था। उस प्रिवलैज मोशन पर आपने कहा था कि कंसीडर करेंगे।

[अनुवाद]

क्या सभा के विशेषाधिकार का इससे भी गम्भीर कोई मामला हो सकता है?

[हिन्दी]

इस बारे में आप जल्दी फैसला करें, क्योंकि यह हाउस की प्रिवलैज का सवाल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में कल दोपहर विषय आया था। उस समय डिप्टी-स्पीकर साहब ने कहा कि प्रिवलैज मोशन आर्डर में नहीं है, ऐसी रूलिंग दी है।

...(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने जो कुछ कहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सब एक्सपंज किया है।

...(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हम प्रिवलैज मोशन फिर से रखना चाहते हैं। क्या यह प्रिवलैज का मामला नहीं बनता है? *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: विपक्ष के माननीय सदस्य, जब भी मंत्री जी आते हैं, तो हंगामा करते हैं। यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह प्रिवलैज का सवाल है। आप फैसला करें। यह इस सदन के विशेषाधिकार के हनन का गंभीर मामला है *...(व्यवधान)* यह कृत्य हर तरह से निन्दनीय है। आखिर कब तक इस तरह से चलेगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही विपक्षी दलों से माननीय मंत्री की बात सुनने का अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। आप इस बारे में कुछ करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: इस मामले में कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आखिरकार, उन्हें सभा में सही व्यवहार करना पड़ेगा। वह इस सभा के सदस्य हैं। वह ऐसे नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री जाधव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि तकनीकी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। माननीय सदस्य द्वारा एक विशेषाधिकार की सूचना दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: इस समय विशेषाधिकार की सूचना हमारे सामने चर्चा के लिए नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: हमने जो अनुरोध किया था वह यह था कि प्रक्रिया पूरी की जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस प्रश्न पर आने से पहले यह तय करिए कि इस तरह से हाउस कैसे चलेगा। इस मुद्दे पर अध्यक्षपीठ से कोई निर्णय आना चाहिए। वह कब तक इस तरह लोकतंत्र की हत्या करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: फिर, मुझे पूरी कहानी दोहरानी पड़ेगी। मैं जहां तक संभव हो इसे टालना चाहता था। बात केवल यह है कि वह कुछ मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते थे। सत्ताधारी दल विशेषकर भाजपा से संबंधित लोगों ने कहा था कि उन्हें चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है प्रारूप विपक्ष द्वारा दिया गया था जो भाजपा के सामने हैं। यदि सत्ताधारी दल द्वारा प्रारूप को अनुमोदित अथवा उसमें संशोधन किया जाता है तो प्रारूप को सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: वह पूरी सभा का समय बर्बाद नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

यदि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो इसी तरह से हाउस से वाक-आउट करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं। मैंने यह बात बार-बार कही है, यदि अपोजीशन मंत्री जी को सुने, तो मुझे ज्यादा संतोष होगा। आज की पोजीशन यह है कि ड्राफ्ट आपकी पार्टी के पास है। आप उनको ड्राफ्ट दे दें, चर्चा हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, ड्राफ्ट का क्या सवाल है ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन इनका समर्थन भी नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: हम एक प्रश्न सूचना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: महोदय, मूर्तियां चोरी करके विदेश भेजी जा रही हैं। इस मामले को भी उठाने की इजाजत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

खरीद प्रक्रिया

***242. श्री सुरेश रामराव जाधवः**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडाः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुराने लड़ाकू विमानों के स्थान पर नए विमान खरीदने की प्रक्रिया धीमी होने की वजह से भारतीय वायु सेना की युद्ध संबंधी तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हथियारों की खरीद हेतु कोई नयी खरीद प्रक्रिया बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और अनिवार्य घटकों के संदर्भ में नयी प्रणाली पुरानी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से भिन्न है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों की शक्ति को गुणवत्ता और संख्या के रूप में बढ़ाने के लिए एक आधुनिकीकरण योजना बनाई है। मौजूदा बेड़े के स्तरोन्नयन तथा पुराने पड़ते जा रहे लड़ाकू विमानों के प्रतिस्थापन द्वारा स्क्वाड्रन-बल-स्तर में वृद्धि की योजनाएं हाथ में ली गई हैं। सरकार सदैव पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।

सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए मांगी गई क्षमता और निर्धारित समय-सीमा के रूप में अनुमोदित आवश्यकताओं के वास्ते आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा शीघ्र अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को लागू किया है। अधिप्राप्ति की इस कार्य प्रणाली का उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक जवाबदेही, कार्यकलापों में पारदर्शिता, मुक्त प्रतियोगिता और निष्पक्षता है।

सरकार ने ऐसे रक्षा उपस्करों, जो संबंधित सेनाध्यक्ष की राय में अत्यावश्यक संक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित हैं, की अधिप्राप्ति के लिए एक फास्ट ट्रेक प्रक्रिया भी अनुमोदित की है।

पुरानी प्रक्रिया की तुलना में नई प्रक्रिया में उपस्करों और व्यय के अन्तर सेवा/अन्त:सेवा प्रामिथकताकरण के लिए सांझी आयोजना की व्यवस्था है। इससे उपस्करों की सामान्यतया सुनिश्चित होगी, जिससे रक्षा मंत्रालय में इस प्रयोजनार्थ प्रतिबद्ध एक नये सृजित अधिप्राप्ति स्कंध के माध्यम से केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की जा सकेगी। क्रय अथवा क्रय एवं निर्माण दोनों ही विकल्पों के जरिये उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए नई प्रक्रिया के अंतर्गत, विस्तृत प्रक्रियात्मक कार्रवाई के अलावा प्रस्ताव हेतु एक व्यापक मानकीकृत अनुरोध भी तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधवः अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू सुखोई विमान खरीदे गए हैं, उनके परिचालन में कुछ समस्या आ रही है।

इस कारण भारतीय वायुसेना ने ऐसे विमानों की खरीद पर रोक लगा दी जिससे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे मद्देनजर रखते हुए रूस की एक कमेटी भारत आई थी। हमें तत्काल पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को धीरे-धीरे कम करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि इसकी तत्काल आवश्यकता को देखते हुए क्या भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए कोई रणनीति बनायी है या नहीं? अभी तक रूस को इन विमानों की खरीद के लिए कितना पैसा दिया गया है, इन विमानों की कितनी सप्लाई हुई है और विमानों का जो बाकी पैसा उनके पास है, उसकी रिकवरी के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री जार्ज फर्नान्डीजः अध्यक्ष महोदय, यहां सुखोई विमानों की खरीद की बात कही गई है। सुखोई विमान दो किश्तों में आए थे—पहली किश्त में जो सुखोई विमान आए थे, उनके इंजन को लेकर कुछ समस्या जरूर निर्माण हुई थीं लेकिन उस समस्या का निदान किया गया है। दूसरी किश्त में आए विमानों में भी कुछ नुक्स दिखायी दिया था। उसे दुरुस्त करने के लिए रूस की संबंधित कम्पनी के लोग, जिन का यहां आना आवश्यक था, वे यहां आए। हम अब अपने देश में ये विमान बनाने जा रहे हैं। 140 विमान यहां बनने वाले हैं। हमारी यह मान्यता है कि एअरफोर्स के अभी तक जो मिग विमान, जिन्हें मेन स्टे करके मानते थे, आने वाले दिनों में ये विमान सबसे मजबूत विमान के रूप में देखने को मिलेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधवः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि अभी तक रूस से ये विमान खरीदने के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, कितनी सप्लाई हुई है और जो बाकी पैसा उनके पास बचा है, उसकी रिकवरी के लिए सरकार क्या करने वाली है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा नहीं है इसलिए इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विमान खरीद की वर्तमान प्रक्रिया असफल हुई है? इसमें सुधार लाने के लिए क्या रक्षा मंत्री भविष्य में कोई कारगर कदम उठाने वाले हैं या नहीं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, इसके पहले प्रोक्योरमैंट की जो व्यवस्था थी, वह 1992 में तय हुई थी। उसे दुरुस्त करना आवश्यक था। पिछले साल उसे दुरुस्त करने का कार्य हो गया है। अभी नई प्रोक्योरमैंट पॉलिसी है और उसी के मुताबिक अब सारा प्रोक्योरमैंट हो रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि वह प्रश्न पूछना चाहें तो उन्हें पूछने की इजाजत है।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): वे इशारों-इशारों में कुछ बात कह रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आपने परसों दासमुंशी जी को एक प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी और उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि पाकिस्तान जाने से पूर्व यहां केन्द्रीय रक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री यह बताएं कि इस समय देश की सुरक्षा की स्थिति क्या है? उन्होंने यह प्रश्न पूछा और आपने बोलने की अनुमति दी। प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने हाउस में काफी देर तक भाषण दिया जो समाचार पत्रों में छपा। परन्तु बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यह प्रश्न यहां आया और रक्षा मंत्री जब इसका जवाब देने वाले थे तो वे यहां से वाकआउट कर गए। उन्होंने ऐसा करके देश और सदन का समय बरबाद किया। फिर भी मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जी सदन को यह बतायें कि हमारी सुरक्षा, खासकर प्रोक्योरमेंट के मामले में, देश की कितनी तैयारी है। क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तुलना में देश सक्षम और समर्थ है या नहीं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन हम लोग सामरिक क्षेत्र में जितने मजबूत खड़े हैं, उतना पहले कभी नही थे। हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में जो भी अत्याधुनिक शस्त्रों की खरीद की है, और सेना को जो चीजें अभी तक मिलना बहुत कठिन होता था, वे चीजें आज के दिन उन्हें उपलब्ध हैं। मैं सदन से पूरे विश्वास के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, हमारी सेना हर मुकाबले का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं विपक्ष से हूं। किन्तु मैं नहीं जानता कि जब कांग्रेस सभा से वाक आउट करती है तब सत्ता पक्ष इतना चिन्तित क्यों हो जाता है। कांग्रेस द्वारा सदन को जितना नुकसान पहुंचाया जाता है उससे अधिक समय का नुकसान वे अध्यक्षपीठ पर चिल्लाने और कांग्रेस के वाकआउट पर बोलने में करते हैं।

अब मेरा प्रश्न यह है कि चीन और इस्राइल उसी समय आजाद हुए जब भारत आजाद हुआ था। जर्मनी और जापान का रक्षा उद्योग द्वितीय विश्वयुद्ध से पूरी तरह तबाह हो गया था। किन्तु ये चारों देश अपने हथियार, अपने विमान, अपने टैंक अपना गोलाबारूद, अपनी पनडुब्बी, अपने विमानवाहक पोत बना रहे हैं और हम अब तक रूस से घटिया विमानवाहक खरीद रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत क्यों पिछड़ रहा है। क्या यह राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है कि हम अब भी अपने हथियार विदेश से आयात कर रहे हैं? मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह पता लगाने के लिए एक जांच आयोग का गठन करेगी कि भारत 1947 से हथियार उद्योग में क्यों पिछड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह देखने के लिए भविष्य में क्या किया जाएगा कि हमें अपने नौसेना तोपखाने के लिए तोप और टी-72 तोप, जिसमें रात में देखने के उपकरण नहीं लगे हैं, आयात नहीं करना पड़े। यह मुख्य टैंक है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: मैं सोचता हूं कि हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर है और पाकिस्तान से होने वाले किसी भी खतरे से निपट सकता है, किन्तु भारतीय सेना के मुख्य टैंकों में विजन ग्लासेस नहीं हैं और हमारे पास पर्याप्त टैंक नहीं हैं। क्या वह हमें इस राष्ट्रीय शर्म के बारे में बताएंगे जो अपने टैंक, अपनी पनडुब्बी, अपने विमानवाहक और अपने विमान नहीं बनाने के कारण भारत को झेलनी पड़ी है? आप हमें यह मत बताइए कि आपने अर्जुन का निर्माण किया क्योंकि इसे आप्रेशन में नहीं लाया जा रहा है और हम किसी काम के लड़ाकू विमान नहीं बना रहे हैं। अत: हमें सीधा जवाब दीजिए कि क्या आप एक राष्ट्रीय जांच आयोग नियुक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें काफी दम है। हम मानते हैं कि हमारे यहां जो सामग्री हमें बनानी चाहिए, उसे बनाने में हम अभी हिचक रहे हैं। उसका कारण यह है कि सुरक्षा से जुड़ी हुई जो सामग्री है, अगर केवल एक ही राष्ट्र अपने लिए बनाकर अपनी सुरक्षा करने की दिशा में जाना चाहे तो बहुत ही कठिन होता है। चूंकि हर चीज का शुरू से निर्माण करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, उसका प्रश्न सामने आ जाता है।

अन्य देशों में, जिनका नाम अभी आपने लिया, उनमें पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, उन्हें बनाने के साथ-साथ विश्व के सारे देशों को उसे बेचकर अपने को मजबूत करने का काम उनकी तरफ से होता था। हमारे यहां शुरू से यह भूमिका रही कि सुरक्षा की जो भी चीजें हैं, वे केवल सरकारी कारखानों में ही बनेंगी, उनके बाहर कुछ नहीं होगा तथा जो भी हम अपने सरकारी कारखानों में बनायेंगे, उसके निर्यात का कार्य हम लोग तुरंत नही करेंगे। इस स्थिति में हमारे यहां सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, उन्हें केवल अपनी जरूरत के अनुसार हम लोग बनायेंगे और उसे लेकर हम लोग कोई बहुत बड़ी चीज कर पायेंगे, वह कभी संभव नहीं था। आज हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। आज निर्यात की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। माननीय सदस्य ने जो बात कही कि हमारे यहां कुछ नहीं बनता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी-अभी जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारे और रूस के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाई है, ऐसी क्रूज मिसाइल विश्व में और कहीं नहीं है। यह सारी दुनिया ने माना है और हर राष्ट्र जो इसके बारे में जानकारी रखता है, वह इसे देखना चाहता है और इसे खरीदने वाले लोग भी आज हमारे पास आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का माला है। एक इंजिन को छोड़कर शुरू से अंत तक उसमें जो कुछ लगा हुआ है, वह हमारा है। इसका कावेरी इंजिन बनाने में कुछ देरी हो रही है और उसके कुछ कारण हैं। इसे बनाने की चाह रखने वाले और इसका निर्माण करने वाले लोग इसका कारण नहीं हैं। जब हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर टैस्ट किया था तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अमरीका से कुछ पुर्जे चाहिए थे। पहले हमें इस विमान में लगाने के लिए इंजिन की जरूरत थी। लेकिन टैस्ट के बाद अमरीका ने हमारे ऊपर सैक्शंस लगा दी, जिसके कारण हमें वह टैक्नोलोजी नहीं मिल पाई और उसके कारण देरी हो गई। लेकिन बहुत जल्दी इसे भी हल करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां हम लोगों ने बहुत कामयाबी पाई है और जैसे ही निर्यात का काम शुरू हो जायेगा, हम लोग इसमें और गति देने का काम करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि अपने देश में हमें जो चीज चाहिए, उसे स्वयं बनाकर या उसे निर्यात करके, वह चीज हमें सस्ते में मिले, इसका इंतजाम हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री शरद पवार।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मान साहब, आपका प्रश्न रिकार्ड पर नहीं गया, प्लीज आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: मैं जानना चाहूंगा कि अगले पांच वर्षों में भारत में कितने सुखोई विमान विनिर्मित किए जाएंगे। क्या नासिक इकाई को कोई विनिर्माण कार्यक्रम दिया गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस विनिर्माण कार्यक्रम में हमारे देश के निजी उद्योग को संबद्ध करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, अपने देश में 140 विमान बनने हैं। इसके लिए 14 साल का समय तय किया गया है, यानी जिस तरह से हमें आवश्यकता पड़ेगी, वैसे ही हम बनाते जायेंगे। इसके इंजिन आदि के लिए अलग से इंतजाम किया गया है और वह काम यहां पर होगा और समय पर सारा काम ठीक हो जायेगा। जहां तक पब्लिक सैक्टर को इस कार्य में जोड़ने की बात है, हमने सी.आई.आई. के साथ सबसे पहले इस मामले में बातचीत चलाई, उसका कारण यह था कि हमारे यहां जो भी फैसेलिटीज हैं, सामरिक सामग्री बनाने के लिए जो पूंजी और टैक्नोलोजी की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार के पास जितनी ताकत है, उसके अलावा बाहर की शक्ति को भी हम इसमें जोड़ना चाहते हैं।

आज के दिन यह बात तय हो चुकी है और यह निर्णय हुआ है जो सार्वजनिक है कि अपने देश में जो भी इस क्षेत्र में आना चाहेगा, उसको हम सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं चाहिए, वह देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदयः नासिक के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीजः हमारे रिसर्च के काम में डीआरडीओ लगा हुआ है, उसे भी प्राइवेट सैक्टर अगर इस्तेमाल करना चाहता है, और उससे कोई निर्माण करना चाहता है, तो उसकी भी इजाजत दी जाती है।

अध्यक्ष महोदयः नासिक के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीजः इन दोनों को जोड़कर, सरकारी और निजी क्षेत्र जोड़कर हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ही सफलता पाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैयाः महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से इस सदस्य को संरक्षण देना चाहूंगा क्योंकि श्री पुट्टा स्वामी गौड़ा ने यह प्रश्न पूछा है। उन्होंने औपचारिक रूप से प्रश्न दिया है। वह सदन में स्वयं उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को प्रोटैक्ट किया जाए। पिछले सत्र में कांग्रेस ने एक सदस्य को इस प्रकार से डिफैन्स की चर्चा में पार्टिसिपेट करने पर एक्शन लिया था। यदि सदन में प्रश्न पूछेंगे तो श्री पुट्टास्वामी गौड़ा को आपको प्रोटैक्शन देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस व्हिप ने उनको हाउस में पार्टिसिपेट करने से मना किया। *...(व्यवधान)* इसके साथ ही मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर उनको प्रश्न नहीं पूछना था तो उन्होंने सबमिट क्यों किया? उनको प्रोटैक्ट करना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक्शन न ले सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप इसी प्रश्न पर सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराजः उन्हें सदस्य की निष्ठा पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाना चाहिए *...(व्यवधान)* यह आप तय नहीं करते हैं यह अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। सदस्य की निष्ठा पर प्रश्न नहीं करें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः दूसरा प्रश्न नहीं, यही प्रश्न जारी है। आप इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बासवराजः मैं समझ नहीं पाया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे सदस्य को स्पष्ट करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, सदन में प्रश्न सं. 242 पर चर्चा चल रही है। क्या आप प्रश्न सं. 242 से प्रश्न पूछना चाहेंगे?

श्री जी.एस. बसवराजः नहीं, मैं प्रश्न सं. 243 की बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब, आप प्रश्न संख्या 243 रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरेः यह सरासर गलत बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः हम यहां सदस्य के संरक्षण के लिए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः वह मैम्बर सदन में नहीं आए हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री पुट्टास्वामी गौड़ा सदन में उपस्थित नहीं हैं। जब एक सदस्य अपना नाम देता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सदन में उपस्थित रहेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह सदन में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, जब तक सदस्य अध्यक्ष के पास शिकायत नहीं करता तब तक यह पार्टी का विशेषाधिकार है कि वह जो चाहे कार्यवाही करे। यदि सदस्य मुझसे शिकायत करता है, तो मैं उसकी जांच करूंगा किन्तु कोई शिकायत नहीं की गयी है। अतएव, व्यवस्था के प्रश्न में कोई दम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री जी.एस. बसवराज, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्हें अपने आचरण को स्पष्ट करना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार कुछ कहना चाहते हैं।

श्री शरद पवार: महोदय, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था। नासिक इकाई को किस प्रकार का कार्यादेश दिया गया है? क्योंकि वहां कोई क्षमता उपयोग नहीं है। कर्मचारी बिना काम के बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदए, आपने स्वयं यह प्रश्न दो बार उठाया है किंतु माननीय रक्षा मंत्री ने उत्तर नहीं दिया है। हम उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.45 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय कांग्रेस के सदस्यों पर यह कहावत चरितार्थ हो गई है कि—''बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले'' ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, आपके होते हुए, आपकी अध्यक्षता में, माननीय कांग्रेस के सदस्यों ने पार्लियामेंट को मजाक बना दिया है। यह हिस्ट्री में लिखा जाएगा। महोदय, यदि यह परम्परा बन गई, तो बहुत खतरनाक परम्परा होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, यदि यह परम्परा बन गई, तो ठीक नहीं होगा। यह अच्छी परम्परा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, श्री मदन लाल खुराना को दिल्ली विधान सभा में भेजा जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे नासिक इकाई की स्थिति के बारे में मुझे बताने को दो बार कहा था।

...*(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: महोदय, नासिक में सुविधाओं का सुखोई विमान के विनिर्माण में उपयोग किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री अपना उत्तर दे रहे हैं।

मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं या नासिक के संबंध में आप उत्तर देना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैंने उत्तर दे दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह मुद्दा उठाना बंद कीजिए। जब उन्होंने बहिर्गमन किया था तब इस विषय पर चर्चा हुई थी।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह दुर्व्यवहार है। यह बहिर्गमन नहीं है ...*(व्यवधान)*

तेल निकासी हेतु जीवाणुओं की खोज

***243. +श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा और संसाधन संस्थान तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम में वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणुओं की खोज की है अथवा ऐसे जीवाणु विकसित किए हैं जो रुग्ण तेल कुओं से तेल की निकासी में मदद करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई तकनीक रुग्ण तेल कुओं के पुनरुद्धार हेतु कितनी सहायक रही है;

(ङ) वर्तमान में रुग्ण तेल कुओं की कुल संख्या कितनी है; और

(च) इनमें से कितने कुओं को इस नयी तकनीक से मदद मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टी ई आर आई) और आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने संयुक्त रूप से जीवाणु संबंधी वर्धित तेल निकासी (एम ई ओ आर) तकनीक विकसित की है, जो क्षेत्रीय परीक्षण चरण पर है। यह प्रौद्योगिकी गुजरात राज्य में कैम्बे जमीनी बेसिन में ओ एन जी सी के कम उत्पादकतता वाले 15 कूपों में लागू की गई है जिनमें से 9 कूप कलोल में हैं, लिम्बोदरा और उत्तर कादी में एक-एक कूप है और सोभासन क्षेत्रों में 4 कूप हैं।

एम ई ओ आर तकनीक तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कतिपय विशेष रिजर्वायर परिस्थितियों और तेल प्रकार परिस्थितियों पर लागू है और यह सामान्य रूप से रुग्ण कूपों का पुनरुद्धार करने के लिए लागू नहीं होती।

1.10.2003 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी में रुग्ण तेल कूपों की कुल संख्या जमीनी क्षेत्रों में लगभग 475 और अपतटीय क्षेत्रों में 35 है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसवराजजी, अपना प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज: महोदय, यह कहा गया है कि टी.ई.आर.आई. और भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सूक्ष्म जैव उन्नत तेल निष्कर्षण तकनीक की खोज तथा विकास कार्य संयुक्त रूप से किया है जिससे रुग्ण तेल कुओं से तेल निकालने में मदद मिलेगी। इससे हमारे देश को भी लाभ होगा और तेल उद्योग को भी सहायता मिलेगी। तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस प्रणाली को तत्काल लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से घाटे की वसूली की जा सके ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, देश के सामरिक महत्व के मामले पर अगला प्रश्न लगा है। हम उस पर महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री बसवराज जी बीच में कहां से आ गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। मैं एक ही प्रश्न को बार-बार पूछने के लिए आपको अधिक समय नहीं दे सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अनेक प्रश्न हैं। अनेक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। समय की उपलब्धता के अनुसार जितना संभव है, उतना समय दिया जाता है। अब वह प्रश्न नहीं आ सकता है। मैंने अगला प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी है। कृपया आप बैठिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। आप हमें ही डांट रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अध्यक्षपीठ सम्बोधित कर रहे हैं। कृपया इसका ध्यान रखें।

[हिन्दी]

इस विषय में जो मेरा मत है, वह मैंने बता दिया है। मैं दूसरा कोई भी प्रश्न रिकॉर्ड पर नहीं लूंगा। मैंने रास्ता भी बता दिया है कि आपको क्या करना है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: महोदय, सूक्ष्मजैव उन्नत तेल निष्कर्षण तकनीक एक अच्छी तकनीक है। हमारे पूर्व के प्रयोगशाला प्रयोग सफल साबित हुए हैं। अब हम इस तकनीक को क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। पन्द्रह कुओं का चयन किया गया है और उन पंद्रह कुओं पर प्रस्तावित व्यय 1.46 करोड़ रुपये का है। ज्यों ही ये क्षेत्र परीक्षण सफल साबित होंगे हम इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि टी.ई.आर.आई. और ओ.एन.जी.सी. के हमारे वैज्ञानिक जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं

सफलता मिलेगी। यदि सफलता मिलती है तो इसका व्यावसायिक उपयोग में उपयोग किया जाएगा।

श्री जी.एस. बसवराज: यदि यह सत्य है कि सूक्ष्म जैवीय प्रणाली जिस पर प्रति कुआं केवल दो लाख रुपये का व्यय आता है। जिससे 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये लाभ के बराबर तेल की आमदनी होगी, इस लाभ को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस तकनीक को उन सभी रुग्ण तेल कुओं में तेल निष्कर्षण के लिए तत्काल शुरू करने के लिए ओ.एन.जी.सी. को निर्देश दिए हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस संबंध में वैज्ञानिकों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन-सा कदम उठाने का प्रस्ताव किया है और सभी रुग्ण कुओं के पुनरुद्धार पर लगभग कितनी लागत आएगी।

श्री राम नाईक: महोदय, मैंने यह कहा था और पुन: दोहराता हूं कि क्षेत्र परीक्षण जारी है और ज्यों ही क्षेत्र परीक्षण पूरा हो जाता है तब पूरे क्षेत्र में इसके उपयोग की बात आती है। टी.ई.आर.आई. तथा ओ.एन.जी.सी. के लिए निधि की कमी का सवाल ही नहीं है। इस विशेष परीक्षण के लिए जितनी भी निधि की आवश्यकता है उनकी स्वीकृति मिल गई है। निधियों की कोई कमी नहीं होगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि ये क्षेत्र परीक्षण सफल रहेंगे और ज्यों ही इन्हें सफल घोषित किया जाता है हम व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देंगे।

श्री जी.एस. बसवराज: महोदय, मेरा प्रश्न है कि यह लाभकारी है अथवा अलाभकारी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसवराज जी कृपया आप बैठिए।

श्री इकबाल अहमद सरडगी अब अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एम.ई.ओ.आर. प्रौद्योगिकी का उपयोग कुछ विशेष भंडारों के लिए ही हो सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस नई तकनीक का भारतीय समुद्र से तेल निकालने के लिए उपयोग करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा किसी संभावना के बारे में भारत में कोई परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए परीक्षण का ब्यौरा क्या है और क्या इस क्षेत्र में तेल निकालने के लिए कोई परीक्षण शुरू किया गया है तथा यदि हां, तो कितने मामलों में भारतीय खोजी विशेषज्ञों को सफलता मिली।

श्री राम नाईक: महोदय, यह थोड़ा तकनीकी विषय है। सभा को भी पता होना चाहिए कि क्या तकनीकी बात है और उसको ध्यान में रखकर मैं पढ़कर सुना रहा हूं ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस नई तकनीक के महत्व को समझ सके जिसका उपयोग किया जा रहा है। पूरे विश्व में केवल तीन देश—चीन, हमारा देश और मलेशिया, इसका उपयोग कर रहे हैं। यही तीन देश हैं जो कर रहे हैं। यह तकनीक क्या है मैं पढ़ रहा हूं।

सूक्ष्म उन्नत तेल निष्कर्षण (एम.ई.ओ.आर.) अधिक तेल निकालने की तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों (बैक्टीरिया) का इस्तेमाल किया जाता है जो सीरा या तेल जैसे भरे गए खाद्य स्रोतों पर जीवित रहते हैं। इसमें सीरे का भी उपयोग किया जाएगा। बैक्टीरिया और सीरे का एक मिश्रण भंडार के सतह में डाली जाती है। बैक्टीरिया सीरे को अपघटित करते हैं जिससे गैस बनती है हाइड्रोजन कार्बन डाईआक्साइड तथा अन्य रसायन बनते हैं जिसके कारण भंडार में तेल की गति बढ़ जाती है जिससे तेल की बाहर निकलने की गति में तेजी आ जाती है।

[हिन्दी]

ऑयल स्टक हो जाता है और जब ऑय स्टक होता है तो उसे बाहर निकालने के लिए यह एक नयी टैक्नीक है। यह नयी टैक्नीक फील्ड ट्रायल्स में सफल होती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि जब यह 15 वैल्स में काम में आएगी, तभी बात सफल होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह टैक्नीक सब के समझने के लिए कठिन है।

श्री राम नाईक: सब को तेल चाहिए और उसके लिए ऐसी पद्धति अपनाएंगे, तभी तेल मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 244—श्री पी.आर. किन्डिया—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न सं. 245, श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

रेल दावा मामले

***246. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा अक्तूबर, 2003 तक रेल यात्रियों द्वारा रेल दावा अधिकरणों, उपभोक्ता

न्यायालयों और रेलवे की अन्य एजेंसियों में कुल कितने दावे किए गए तथा इन दावों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) इनमें से कितने दावों का निपटान कर दिया गया है और इस संबंध में रेलवे द्वारा कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों में रेलवे के विरुद्ध मामलों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए सभी मंडल मुख्यालयों को आवश्यक अनुदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों और अधिकरणों में रेल यात्रियों के दावों की संख्या को बढ़ने से रोकने अथवा उन्हें कम करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में रेल दावा अधिकरण और उपभोक्ता न्यायालयों में रेल यात्रियों द्वारा दायर किए गए मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है:

रेल दावा अधिकरण

वर्ष	दायर किए गए दावों की संख्या
2001-2002	2646
2002-2003	3952
2003-2004 (अक्तूबर तक)	2589

उपभोक्ता न्यायालय

वर्ष	दायर किए गए दावों की संख्या
01.01.2001 से 31.12.2001	833
01.01.2002 से 31.12.2002	685
01.01.2003 से 1.10.2003	729

दायर किए गए दावा मामलों में संबंधित राशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

अन्य एजेंसियां

वर्ष	किराए की वापसी के संबंध में रेलवे प्रशासन को दिए गए आवेदनों की संख्या
2001-2002	259849
2002-2003	301572
2003-2004	217946

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रेल दावा अधिकरण और उपभोक्ता न्यायालयों में कुल 7305 मामले (पूर्व वर्षों के बकाया मामलों सहित) निपटाए गए और 64.77 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2003 तक गत तीन वर्षों के दौरान धन वापसी के 757748 आवेदन (पूर्व वर्षों के बकाया आवेदनों सहित) रेलों द्वारा निपटाए गए थे और रेल यात्रियों को किराए की वापसी के रूप में 22.74 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया था।

(ग) जी हां।

(घ) यात्रियों से संबंधित रेल दावा अधिकरण में दायर दावे यात्रियों के किराए की वापसी और दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों से संबधित होते हैं। उपभोक्ता न्यायालयों में दायर किए गए मामले रेलों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं में कमी से संबंधित होते हैं। क्षेत्रीय रेलों को विभिन्न दावा कार्यालयों में दायर होने वाले दावों के मुख्य कारणों का विश्लेषण करने और प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

उपर्युक्त आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाना और मानव संसाधनों का उन्नयन और उनको अधिक प्रभावी बनाना तथा उनका कुशल पर्यवेक्षण करना, छः वर्ष की अवधि में गतायु परिसम्पत्तियों के बदलाव के बकाया को समाप्त करना, धन वापसी के नियमों को उदार और सरल बनाना, गाड़ी चालन के साथ-साथ आरक्षण स्थिति बताते हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इंटरएक्टिव वायस रेस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) की स्थापना करना, ग्राहकों से सीधे संपर्क में आने वाले फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और उन्हें परामर्श देना, उन्नत और व्यावसायीकृत खान-पान सेवाएं मुहैया कराना और सफाई अभियान आयोजित करना, जिनमें स्टेशन एवं रेलगाड़ियां इत्यादि शामिल होती हैं।

अध्यक्ष महोदय: पाण्डेय जी, समय कम है, इसलिए आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें थोड़ी उलझन वाली बात है और आपने कम समय में प्रश्न पूछने के लिए कहा है। मेरा प्रश्न यह था कि उपभोक्ता न्यायालयों और रेलवे की अन्य एजेंसियों में कुल कितने दावे दायर किए गए तथा कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया, इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि उसमें कितने मामले इन्वाल्वड हैं? मेरे प्रश्न का जो जवाब मिला है वह आपके सामने है, यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न का उत्तर मंत्री जी देंगे।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पार्ट 'बी' में इस बात का उल्लेख किया गया है कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल और कन्ज्यूमर्स कोर्ट के माध्यम से, उन्होंने जिस समय का उल्लेख किया है, 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 अक्तूबर, 2003 के बीच में, 64 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। यह प्रश्न क्लेम के सिलसिले में है, जिसका उत्तर दिया हुआ है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, किस-किस केस का कितना अमाउंट है और उस भुगतान को लेने के लिए लोगों को कितनी परेशानी हुई, इसका पूरा विवरण नहीं है।

श्री नीतीश कुमार: इसमें यह कहां पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया था कि कितने दिन में भुगतान हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने अभी पूछा है इसलिए आप अभी बता दें।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में जब कोई दावा दायर करता है या कन्ज्यूमर्स कोर्ट में जाता है, वहां क्लेम दायर करता है, तो कोर्ट द्वारा उस मामले का निष्पादन होता है। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल भी क्वासी-ज्यूडीशियल बॉडी है और कन्ज्यूमर्स कोर्ट भी अलग से बनी हुई है। अलग-अलग मालमों में या किसी खास मामले में दोनों कभी-कभी एक साथ आ जाते हैं। मुख्य रूप से कन्ज्यूमर्स कोर्ट किसी डेफीसैंसी को, यानी सर्विसेस में किसी तरह की कोई कमी है, ऐसे मामलों की सुनवाई करती है और उसके बाद अपने फैसले देती है। इसलिए इसमें जो भी समय लगता है, वह उसकी प्रौसैस में लगता है। *...(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, जो क्लेम दिया गया है, उसकी कापी मेरे पास है। वर्ष 2004 आने वाला है लेकिन अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे आप मंत्री जी को बाद में दिखा देना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जहां तक दावों के निपटान का प्रश्न है—गम्भीर रेल दुर्घटनाओं, विशेषकर रफीगंज में राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना तथा तत्पश्चात् गोधरा में हुई काफी भयावह घटना के मद्देनजर—मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने रफीगंज में राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना के शिकार लोगों तथा गोधरा नरसंहार में मारे गए लोगों के दावों का कम से कम शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु किसी विशिष्ट प्रकोष्ठ अथवा कार्यबल का गठन किया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पहले जितना समय एक्सीडैंट क्लेम के निपटारे में लगता था, अब उतना समय नहीं लगता। इसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं। अब एक्सीडैंट जहां हुआ है, उस इलाके में जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है, वहां भी दावा दायर करें या जहां के पैसेंजर रहने वाले हैं या जहां से ट्रेन चली है, आदि किसी भी जगह यह दावा दायर कर सकते हैं। इसकी छूट दी गयी है। जहां तक राजधानी एक्सीडैंट का मामला है, उसके अधिकाशत: दावों का निपटारा कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन की तरफ से इसमें पूरी चुस्ती दिखायी गयी है। जो भी दावा फाइल करने वाले थे, उनसे सम्पर्क करके मामले के निपटाने की कोशिश की गई है। इसमें रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा निष्पादित दावों में से दो-तीन केसेज को छोड़कर बाकी सबका भुगतान भी कर दिया गया है। दो-तीन केसेज में भुगतान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे लोग डालर्स में भुगतान चाह रहे हैं। यह मामला रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल को वापिस कर दिया गया है।

गोधरा के मामले में अनटूवर्ड इंसीडैंट रेलवे एक्ट के सैक्शन 124ए में कवर्ड है। उन सबके दावों पर विचार करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गयी है।

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप एक ही प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर आपको मिल जायेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारा अनुभव यह रहा है कि रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों के निपटान में काफी समय लगता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे ने दावों के शीघ्र निपटान हेतु कतिपय कदम उठाए हैं। मैंने

रफीगंज में हुई राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना के मामलों के बारे में जिक्र किया था, जहां शिकार व्यक्तियों के रिश्तेदारों से शुरू में पटना में अपने दावे दायर करने के लिए कहा गया था। हमारे हस्तक्षेप के बाद इसे कोलकाता स्थानांतरित किया गया। मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या कोई सामान्य आदेश जारी किया गया है कि जब कभी भी कोई दुर्घटना घटती है तो दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के संबंधी उस किसी भी जगह पर दावा दायर कर सकते हैं जहां रेल दावा अधिकरण का कार्यालय हो।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों और शराब के सेवन में कमी लाना

***244. श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना दस्तावेज में प्रभावी रणनीति के माध्यम से अपराध की रोकथाम हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव शामिल था जिसमें महिलाओं, लड़कियों, बच्चों और बेसहारा बच्चों के हितों की रक्षा के कई सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणियों के हितों की रक्षा के लिए उक्त दस्तावेज के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) शराब तथा नशीले पदार्थों के सेवन में राष्ट्रव्यापी कमी लाने के लिए तथा देश में नशीले पदार्थ के प्रवेश को रोकने तथा नशीले पदार्थों के प्रसार में संलिप्त लोगों के लिए अधिक सख्त सजा का प्रावधान करने हेतु सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) दसवीं योजना अवधि दस्तावेज में महिलाओं, लड़कियों, बच्चों और बेसहारा बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए ''अपराध की रोकथाम'' की विशिष्ट कार्यनीति नहीं है लेकिन उसमें कहा गया है कि ''व्यसन के अत्यंत खतरनाक प्रभावों के बारे में विद्यालयों, कालेजों, यौन कार्यकर्ताओं, बेसहारा बच्चों, व्यवसायिक समूहों आदि जैसे संभावित जोखिम समूहों/केन्द्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए जागरूकता निर्माण और निवारक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।'' इसमें यह भी कहा गया कि ''अपराध और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बीच बढ़ते हुए सह-संबंध को महसूस करते हुए, सुधार संस्थाओं और जेलों में उपचार और पुनर्वास सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी।'' अत: दसवीं योजना में, मौजूदा कार्यविधि यथा—बेसहारा बच्चों, परिवहन वर्करों, सैक्स वर्करों आदि जैसे सुभेद्य और अति-जोखिम वाले समूहों का पता लगाने और वे नशीले पदार्थों के व्यसनी न हों यह सुनिश्चित करने के लिए, विद्यमान संस्थागत तंत्र अर्थात् परामर्श केन्द्रों की विशेषज्ञता के उपयोग की परिकल्पना है।

तदनुसार निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

* व्यसनियों और उनके परिवार के सदस्यों में एच आई वी/एड्स की रोकथाम के लिए नशीले पदार्थों के उपचार और पुनर्वास के 100 केन्द्रों में प्रायोगिक कार्यक्रम;
* नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और सुरक्षित यौन संबंधी जोखिम और संरक्षण घटकों पर यौन कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाना;
* किसी व्यसन के अनेक जोखिम घटकों और निवारक उपायों पर परिवार के सदस्यों को सुग्राही बनाने के लिए परिवार सलाहकार केन्द्र;
* किसी व्यसन के प्रति परिवार के आश्रित महिला सदस्यों के स्व:सहायक समूहों की स्थापना और उन्हें आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायता देना;
* परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के ध्येय से कार्य स्थलों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यस्थल रोकथाम कार्यक्रम;
* व्यसनियों को सूचना प्रसार सहायता देने और पुनर्वास के लिए ड्राप-इन केन्द्र;
* भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों के जरिए व्यसनियों की आश्रित महिलाओं और बच्चों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास के लिए नेटवर्किंग और अभिसरण कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

कार्यक्रमों की सूची बनाई गई है, जिसमें ऐसी स्कीमों एवं कार्यक्रमों का विवरण है।

समुदाय आधारित हस्तक्षेपों की अपेक्षा वाली मनो-सामाजिक-चिकित्सकीय समस्या के रूप में मद्यपान और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को स्वीकारते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता

मंत्रालय मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग रोकथाम स्कीम के जरिए, एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को संस्थागत एवं समुदाय आधारित कार्यक्रमों, व्सनियों को जागरूक करने, सलाह देने, उपचार और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस समय, देशभर में लगभग 450 कार्यक्रमों के लिए इस स्कीम के तहत, लगभग 350 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दसवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 140.30 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

दसवीं योजना में, देश में मद्यपान और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की बढ़ती समस्या की रोकथाम के लिए पूर्ति और मांग में कमी लाने हेतु एक समन्वित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार ने देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने और दंड को और ज्यादा कठोर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

* आयात और निर्यात बिन्दुओं, भूमि सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाकघरों आदि में कठोर सतर्कता और प्रवर्तन;
* ज्ञात नशीले पदार्थ मार्गों में गहन निवारणात्मक और निषेध प्रयास।
* निषेध को बेहतर सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विभिन्न नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।
* अफीम पोस्त की अवैध खेती और कानाबीस की व्यापक वृद्धि की पहचान तथा आपूर्ति के स्रोतों का उन्मूलन।
* प्रचालन आसूचना एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रचार-प्रसार करने में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना।
* प्रारंभिक रसायनों की गतिविधि पर नियंत्रण लागू करने में सूचना और जांच संबंधी सहायता के आदान-प्रदान के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
* अपराध करने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों का एक इलेक्ट्रानिक डेटा बेस तैयार करना।
* ब्राउन शुगर और मेथाक्वालोन की अवैध उत्पादन इकाइयों को लक्षित करना।
* अवैध व्यापार करने वाले समूहों के सदस्यों की पहचान करने के लिए यात्रियों को लाभान्वित करना।
* अफीम की खेती का पता लगाने के लिए उपग्रह चित्र तकनीकों का प्रयोग करना ताकि उन क्षेत्रों पर नियंत्रण मजबूत किया जा सके जहां अवैध अफीम की खेती की अनुमति है।
* नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अपने कौशलों का उन्नयन करने हेतु कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
* सूचना देने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को ऐसी सूचना के लिए नकद पुरस्कारों की योजना कार्यान्वित करना, जिनके आधार पर नशीले पदार्थ जब्त किये जा सके।
* पाकिस्तान और म्यांमार सहित अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय करार; और
* एनडीपीएस अधिनियम के तहत त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों का गठन करना।

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जिसे वर्ष 1999 और 2001 में संशोधित किया गया था, से अधिनियम के तहत दंडात्मक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इनसे वित्तीय जांच और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती अधिक प्रयोजनमूलक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई जांच तकनीकों और जांच अधिकारियों द्वारा सामना की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए प्रावधान लागू किए गए हैं।

वनों की रक्षा हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग

*245. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपरंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के वनाच्छादित क्षेत्रों की रक्षा करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौर ऊर्जा प्रणाली वनों की रक्षा करने में सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों को सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) और सौर तापीय ऊर्जा (एसटीई) कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना नियतन किया गया है;

(घ) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इन राज्यों में कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों के ऐसे क्षेत्रों में जहां सघन वनाच्छादित क्षेत्र हैं, वहां के व्यक्तियों को सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु और अधिक धन आबंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार, लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सौर, बायोमास, लघु पनबिजली और पवन जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। इन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कृषि एवं वानिकी अपशिष्टों/अवशिष्टों के अधिक कुशल प्रयोग सहित अनेक सहवर्ती लाभ प्राप्त होते हैं जिनसे देश में वन क्षेत्र के संरक्षण में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2000-2001 से 2002-03 के दौरान हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई कुल निधियों तथा उत्पादित कुल ऊर्जा का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सभी विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू एवं कश्मीर में सौर ऊर्जा सहित अपारंपरिक प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना की लागत के 90% तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण I

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 के दौरान हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 से 2002-03 के दौरान जारी की गई कुल निधियां
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	3.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.73
3.	असम	1.45
4.	मणिपुर	7.85
5.	मेघालय	4.08
6.	मिजोरम	2.42
7.	नागालैंड	0.09
8.	सिक्किम	0.60
9.	त्रिपुरा	7.15
	कुल	29.24

विवरण II

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 के दौरान हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादित कुल ऊर्जा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादित कुल ऊर्जा (मिलियन किलोवाट घंटा)
1.	हिमाचल प्रदेश	1.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.22
3.	असम	0.25
4.	मणिपुर	0.17
5.	मेघालय	0.23
6.	मिजोरम	0.26
7.	नागालैंड	0.06
8.	सिक्किम	0.05
9.	त्रिपुरा	0.57
	कुल	3.31

[हिन्दी]

न्यायाधिकरण की स्थापना

***247. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों द्वारा सेवा संबंधी मामलों के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में कितनी याचिकाएं दाखिल की गईं और कितनी याचिकाएं अभी भी लंबित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार सेवा संबंधी मामलों और तीनों सेवाओं से जुड़े 'कोर्ट मार्शल' के निर्णयों के खिलाफ अपीलों से निपटने हेतु एक न्यायाधिकरण गठित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कार्य प्रणाली और अन्य ब्यौरे तैयार कर लिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त न्यायाधिकरण को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा कर्मियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं की संख्या 6394 है तथा वर्ष 2002 के अंत तक निपटान हेतु लंबित याचिकाओं की संख्या 1969 है। इनमें से अधिकांश मामले सेवा से संबंधित हैं।

(ख) से (ङ) तीनों सेनाओं से संबद्ध सेवा संबंधी मामलों तथा कोर्ट मार्शल के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए एक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। न्यायाधिकरण के गठन संबंधी तौर-तरीके एवं अन्य ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तेल और गैस का घरेलू उत्पादन

***248. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में तटीय और अपतटीय ड्रिलिंग के माध्यम से तेल के घरेलू उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य रखा गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार देश में गैस और तेल की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्रोतों के दोहन हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) और निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों (नि.कं/सं.उ.) द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनके प्रति वास्तविक कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में)

	सातवीं योजना (1985-90)		आठवीं योजना (1992-97)		नौवीं योजना (1997-2002)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ओ.एन.जी.सी.	143.64	144.92	180.73	138.32	144.89	129.05
ओ.आई.एल.	15.50	12.90	16.59	13.97	16.47	16.10
नि.कं./सं.उ.कं.	-	-	-	2.25	19.46	17.80

यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 1990-92 के दौरान योजना-अवकाश रहा और यह भी कि आठवीं योजना के लिए मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) में, तकनीकी और अन्य कारणों से, जो कंपनियों के नियंत्रण से बाहर थे, ओ एन जी सी और ओ आई एल के लक्ष्य कम करके क्रमशः 145.42 एम एम टी और 14.56 एम एम टी कर दिए गए थे। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य क्रमशः 130.025 एम एम टी और 18.70 एम एम टी हैं। निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रचालित क्षेत्रों/ब्लाकों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार तेल उत्पादन का अनुमान 20.66 एम एम टी है।

(ग) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार देश में तेल और गैस के शेष निकासी योग्य भण्डार क्रमशः 732.77 एम एम टी और 853.43 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) हैं।

(घ) घरेलू अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी) कार्यों के लिए ग्यारहवीं योजना के परिव्यय का अब तक अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, दसवीं योजना के दौरान ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा घरेलू अन्वेषण और उत्पादन कार्यों के लिए योजना परिव्यय क्रमशः 33,418.95 करोड़ रुपए और 5,000.00 करोड़ रुपए है।

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए निवेश का अनुमान पंचवर्षीय योजना अनुसार आधार पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि यह तीन अन्वेषण चरणों में बोली दिए गए कार्य संबंधी कार्यक्रमों पर आधारित होता है। खोजों के विकास पर निवेशों का अनुमान उन विकास योजनाओं के आधार पर लगाया जाता है, जो खोजों को वाणिज्यिक घोषित करने के बाद तैयार की जाती है।

विशेष श्रेणी के राज्यों को निधि जारी करना

***249. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष श्रेणी के राज्यों को जारी की गई 73 प्रतिशत परियोजना लागत राशि में से केवल 49.56 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों के मामले में वित्तपोषण की योजना परियोजना लागत की तुलना में कम थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शेष धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार किए जाने की संभावना है;

(च) क्या कई राज्य सरकारों ने त्वरित विद्युत विकास और नियामक कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष श्रेणी के तहत आने वाले राज्यों के लिए 75.51 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाएं मंजूर की गई थी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 के दौरान त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 75.51 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। 15.11.2003 के अनुसार इन राज्यों ने 46.81 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया है। जारी निधियों और विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। एपीडीपी के अंतर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को 1:1 में अनुदान तथा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और शेष 50 प्रतिशत राज्य तथा यूटिलिटियों से काउंटर पार्ट निधि की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। इस श्रेणी में 1805.07 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई थीं और 202.64 करोड़ रुपये का संपूर्ण एपीडीपी घटक अर्थात् परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा 2000-01 के दौरान जारी किया गया। राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटियां पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)/रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) जैसी वित्तीय संस्थाओं अथवा अपने निजी संसाधनों से शेष राशि की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई काउंटर पार्ट निधि समेत इन राज्यों ने 1073.24 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया है। जारी की गई निधियों और गैर-विशेष श्रेणी द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) 11 मामलों में, जहां कार्यान्वयक एजेंसियां अक्तूबर, 2003 तक काउंटरपार्ट निधि सुनिश्चित नहीं कर सकी, 343.98 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। 1500.91 करोड़ रुपये की शेष परियोजनाओं में काउंटर पार्ट निधि सुनिश्चित हो गयी है।

विवरण I

15.11.2003 की स्थिति अनुसार वर्ष 2000-01 हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	उपयोग
विशेष श्रेणी				
1.	अरुणाचल प्रदेश	6.32	6.32	0.00
2.	असम	20.02	20.02	5.05
3.	हिमाचल प्रदेश	25.32	25.32	27.47
4.	जम्मू-कश्मीर	6.99	6.99	2.43
5.	मणिपुर	0.72	0.72	0.72
6.	मेघालय	1.81	1.81	1.81
7.	मिजोरम	1.06	1.06	1.06
8.	नागालैंड	1.89	1.89	1.89
9.	सिक्किम	6.38	6.38	6.38
10.	त्रिपुरा	5.00	5.00	0.00
	कुल	75.51	75.51	46.81

विवरण II

15.11.2003 की स्थिति अनुसार वर्ष 2000-01 हेतु त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5
गैर-विशेष श्रेणी				
1.	आंध्र प्रदेश	194.70	97.45	171.81
2.	बिहार	42.88	21.44	7.04
3.	छत्तीसगढ़	20.52	10.26	20.52
4.	गुजरात	27.22	13.62	27.22
	भुज	192.00	96.00	45.77

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	99.23	49.62	65.11
6.	झारखंड	43.96	21.97	0.00
7.	कर्नाटक	162.98	81.50	147.92
8.	मध्य प्रदेश	80.57	40.32	75.91
9.	महाराष्ट्र	268.88	134.44	146.55
10.	उड़ीसा	76.00	38.00	24.50
11.	पंजाब	75.40	37.70	34.06
12.	राजस्थान	89.98	45.00	63.78
13.	तमिलनाडु	131.08	65.54	131.08
14.	उत्तर प्रदेश	202.90	101.48	69.06
15.	उत्तरांचल	9.60	4.80	4.80
16.	पश्चिम बंगाल	87.17	43.50	38.11
	कुल	1805.07	902.64	1073.24

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा जरूरत से अधिक बिजली लेना

***250. श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने उन राज्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये हैं जो 49 हर्ट्ज से कम ''सिस्टम फ्रीक्वेंसी'' होने पर जरूरत से ज्यादा बिजली ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये राज्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ग्रिड को फेल करने के दोषी राज्यों को दंडित करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने दिनांक 30 अक्तूबर, 1999 के आदेश द्वारा भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) को अनुमोदन किया है। तदनुसार, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, अर्थात् पावरग्रिड ने अपने सांविधिक कार्यों का निर्वहन करते हुए आईईजीसी को जारी किया, जो 1 फरवरी, 2000 से लागू हुआ। आईईजीसी विभिन्न संघटकों द्वारा विद्युत प्रणाली को कुशल, विश्वसनीय एवं किफायती तरीके से तैयार करने, विकसित करने, अनुरक्षण करने तथा प्रचालित करने के लिए पालन किए जाने वाले नियम, दिशा-निर्देश और मानक निर्धारित करता है। आईईजीसी के प्रावधानों के अनुसार सभी क्षेत्रीय संघटकों को यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ग्रिड की फ्रिक्वेंसी 49.0 से 50.5 हर्टज् बैंड के बीच रहे। साथ ही जब फ्रिक्वेंसी 49.0 हर्ट्ज से नीचे आ जाती है, तो यूटिलिटियों द्वारा विद्युत के आवश्यकता से अधिक आहरण को रोकने के लिए अपेक्षित लोड शेडिंग (मैनुअल) की जाएगी।

(ख) 49.0 हर्टज् से कम की फ्रिक्वेंसी न्यूनतम है, क्योंकि उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) व्यवस्था यूटिलिटियों के अति-आहरण के लिए वाणिज्यिक निवारक का काम करती है। एबीटी मेकेनिज्म स्व-विनियामक है और फ्रिक्वेंसी के अधिक होने पर ही संघटकों को अति-आहरण की अनुमति देता है। यद्यपि प्रणाली की आकस्मिक समस्या जैसे विद्युत उत्पादन में कमी, विद्युत आयात में

कमी आदि के मद्देनजर कभी-कभी कम फ्रिक्वेंसी पर ही विद्युत का अति-आहरण किया जाता है, किंतु इसे राज्यों द्वारा आईईजीसी की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में ठीक कर लिया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। आईईजीसी तथा विद्युत अधिनियम, 2003 दोनों में ही ग्रिड अनुशासन लागू करने के लिए निदेश जारी करने और यूटिलिटियों पर दंड आरोपित करने हेतु प्रावधान हैं।

ये प्रावधान निम्नानुसार हैं:

* विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29, उप धारा (6) क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेन्टर के निदेशों का पालन नहीं करने पर अधिक से अधिक 15 लाख रुपये का दंड आरोपित करने का प्रावधान करती है।
* विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 विद्युत विनियामक आयोग के निदेशों का पालन नहीं करने पर अधिक से एक लाख रुपये तथा इसके बाद निरंतर गैर-अनुपालन के लिए 6 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से दंड आरोपित करने का प्रावधान करती है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

***251. श्री वाई.वी. राव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधारों से महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुधारों को लागू करने के पश्चात विद्युत की कितनी बचत हुई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भविष्य में विद्युत क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों की कोई रूपरेखा (रोड मैप) तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो पारेषण और संवितरण में होने वाली हानि में कितनी कमी आई है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विद्युत क्षेत्र सुधारों पर जोर तरीके से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने, सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग करने, ऊर्जा लेखा परीक्षा करने, बिलिंग एवं एकंत्रण क्षमता में सुधार करने, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने, विद्युत की चोरी कम करने और उनका उन्मूलन करने, राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सृजन और उन्हें प्रचालनात्मक बनाने, तथा संगठनात्मक पुनर्संरचना करने पर दिया जा रहा है, ताकि समयबद्ध तरीके से कार्यनिष्पादन की जवाबदेही और वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति पर बल प्रदान किया जा सके।

भारत सरकार ने रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियां की खराब वित्तीय स्थिति को पुन: जीवित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र सुधार के संबंध में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किये हैं जिनमें यह परिकल्पना की गई है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सहमत सुधार कार्यक्रम पर संतोषजनक प्रगति करने पर सहायता प्रदान करेगी। केन्द्रीय सरकार राज्य विद्युत बोर्डों/यूटीलिटियों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से तकनीकी हानियों में कमी करने और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश हेतु तथा नकद हानियों में कमी करने हेतु अनुदान सहायता के जरिये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान कर रही है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय रा.वि. बोर्डों के पुराने ऋणों को त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत प्रत्याभूत कर दिया गया है और वर्तमान भुगतानों को सुगम बना दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 जिसे हाल ही में अधिनियमित किया गया है, एक प्रगतिशील कानून है। इसमें विद्युत उद्योग का विकास करने, उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत टैरिफ का योक्तिकरण करने, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, कुशल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नीतियों को प्रोत्साहित करने आदि के लिए उपाय करने के प्रावधान किये गये हैं।

कई राज्यों ने नकद हानियों में कमी दर्ज की है। चालू वर्ष के दौरान राज्य यूटीलिटियां, केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को देय बकाया राशियों का समय से भुगतान कर रहे हैं। उपपारेषण एवं वितरण में निवेश करने से तकनीकी हानियां भी कम हो रही हैं।

(घ) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी की सीमा और इसके लिए समय सीमा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जानी है।

वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

***252. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा देने की वर्तमान निर्धारित आयु कितनी है;

(ख) क्या उक्त आयु सीमा को घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित/दिए गए लाभ/रियायतें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु आदर्श समान दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार है। इसने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति घोषित की है जिसमें ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठ नागरिक के रूप में पहचान की गई है जिसने 60 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इसका विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की गई रियायतें/लाभ इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं/लाभ
1	2	3
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। इसने वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है जिसके तहत यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी चिन्ताएं राष्व्ट्रीय चिन्ताएं हैं और वे असंरक्षित, उपेक्षित तथा दरकिनार नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य समाज में उनके उचित स्थान को सुदृढ़ करना तथा वृद्धि व्यक्तियों को अपने जीवन का अंतिम चरण सोद्देश्य, सम्मानपूर्वक तथा शांतिपूर्वक बिताने में सहायता प्रदान करना है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण, आश्रय, शिक्षा पर बल, प्रशिक्षण और सूचना जरूरतों, उपयुक्त रियायतों, छूट, कटौतियों आदि का प्रावधान किया गया है तथा अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा जैसे उनके वैध अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के अंतर्गत उस व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक के रूप में माना गया है जिसने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। (2) मंत्रालय ने किसी व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्रदान करने और उन्हें सुविधाएं/रियायतें प्रदान करने के लिए (प्रति अनुबंध-I पर) 60 वर्ष की एक समान आयु अपनाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। (3) यह मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1	2	3
		(क) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना। बहु सेवा केन्द्रों के लिए एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
		(ख) वृद्ध जनों के लिए समेकित कार्यक्रम को "वृद्धों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" संबंधी प्रारंभिक योजना को संशोधित करके नया रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना तथा रखरखाव करने तथा वृद्ध व्यक्तियों को गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को प्रतिमाह 75 रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2002-03 से राज्य योजना को हस्तांतरित कर दी गई है।
		(2) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 65 वर्ष तथा अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को जो अन्यथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं किन्तु प्राप्त नहीं कर रहे हैं प्रतिमाह 10 किलोग्राम (गेहूं या चावल) निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यह योजना वर्ष 2002-03 से राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी गई है।
3.	वित्त मंत्रालय	1. वित्त अधिनियम, 1992 की धारा 88 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है के लिए संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय 15,000 रुपए तक अथवा वास्तविक कर; जो भी कम हो, आयकर से छूट का प्रावधान है। इस वर्ष 2003-04 की बजट में इसे 20,000 रुपए तक संशोधित किया गया है। परिणामस्वरूप, अब उनकी 1.53 लाख रुपए तक की आय पर आयकर से पूरी तरह छूट होगी। अतः प्रभावी छूट की सीमा अब वास्तव में अधिक होगी और मानक कटौती के कारण 1.83 लाख रुपए होगी। उन्हें पुनः धारा 88 के अंतर्गत कर रियायत के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हुए राहत प्राप्त होगी।
		2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80डी के अन्तर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में 15,000 रुपए तक कटौती का प्रावधान है।
		3. भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष तथा अधिक आयु) के लिए बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दर की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, 15.5.01 से बैंकों ने 60 से 65 वर्ष की आयु के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमाओं पर 0.5% अधिक ब्याज दर तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1% अधिक ब्याज दर की अनुमति प्रदान की है।

1	2	3
		4. भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नामक एक विशेष पॉलिसी शुरू की है जिसके तहत 55 वर्ष तथा अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन योजना के रूप में 9% वार्षिक आय की गारंटी दी गई है।
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों की आगे की पंक्ति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो सीटों के आरक्षण के विषय में निर्णय लिया गया है।
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए पंजीकरण और क्लिनिकल जांच हेतु पृथक लाइन की व्यवस्था करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं।
6.	रेल मंत्रालय	भारतीय रेलवे 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी रेलों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 30% आरक्षण प्रदान करती है।
7.	नागर विमानन मंत्रालय	1. इंडियन एयरलाइंस ऐसे भारतीय वरिष्ठ पुरुष व महिला नागरिकों, जिन्होंने क्रमश: 65 वर्ष एवं 63 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को कतिपय शर्त पूरी करने पर सभी घरेलू उड़ानों के लिए सामान्य किफायती श्रेणी भाड़े में 50 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक छूट प्रदान कर रहा है। 2. जेट एयरवेज 65 वर्ष की आयु वाले (पुरुष व महिला) वरिष्ठ नागरिकों को किफायती श्रेणी में सभी घरेलू उड़ानों के लिए मूल भाड़े पर 50 प्रतिशत छूट दे रहा है। 3. सहारा इंडिया एयरलाइन 65 वर्ष की आयु वाले (पुरुष व महिला) वरिष्ठ नागरिकों को किफायती श्रेणी में सभी घरेलू उड़ानों के लिए मूल भाड़े पर 50 प्रतिशत छूट दे रहा है।
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	इसने अंत्योदय स्कीम, जिसके अंतर्गत निराश्रित वृद्ध को खाद्य की व्यवस्था की जाती है, के कवरेज का विस्तार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिससे कि 60 + आबादी सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जा सके।
9.	दिल्ली नगर निगम	दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ने संपत्ति कर के सबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक काउन्टर खोला है।
10.	प्रकीर्ण	1. संचार मंत्रालय 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता पर टेलीफोन कनेक्शन देता है। 2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि वे वृद्धजन से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दें तथा उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

***253. श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु उर्ध्वाधर/अनुप्रस्थ पैनल काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन पैनलों के माध्यम से राज्यवार कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(घ) सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सौर ऊर्जा की उपलब्ध क्षमता की तुलना में इसका उपयोग काफी कम है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों में ऊर्जा विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ज) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु इन एजेंसियों को कितनी सहायता दी गई; और

(झ) इस संबंध में उक्त राज्यों द्वारा कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए दो माध्यम हैं—सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) और सौर तापीय (एसटी)। एसपीवी माध्यम के अन्तर्गत, सौर पैनलों (इनमें युक्तियां शामिल होती हैं जिन्हें सौर सैल कहा जाता है), के माध्यम से बिजली प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित की जा सकती है। पैनलों को स्थल के अक्षांश के निकट कोणों पर दक्षिण दिशा की ओर लम्बवत आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आरोपित किए जाने वाले कोण को विभिन्न मौसमों के अनुकूल इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रावधान है कि इन पैनलों पर अधिकतम सौर ऊर्जा आपत्तित हो। इस समय देश में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लगभग 62 मेगावाट की कुल क्षमता के सौर प्रकाशवोल्टीय पैनलों से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। एसपीवी प्रणालियों की राज्यवार स्थापना के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। सौर तापीय माध्यम के अन्तर्गत, सौर ऊर्जा को पहले स्टीम बनाने के लिए ताप में परिवर्तित किया जाता है, फिर बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देश में अब तक कुछ सौर तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना केवल प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए की गई है। राजस्थान में मथानिया में 140 मेगावाट क्षमता के एकीकृत सौर तापीय संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, की जाएगी।

(ग) पहले से ही स्थापित एसपीवी प्रणालियों के माध्यम से उत्पादित होने वाली संभावित विद्युत की कुल मात्रा संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) द्वारा सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए/जा रहे हैं:-

1. सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निष्पादन तथा विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)।
2. विशिष्टियों, मानकों, परीक्षण और कार्य निष्पादन मूल्यांकन के रूप में तकनीकी सहायता।
3. ऐसी प्रणालियों की उच्च आरंभिक लागतों के एक भाग की क्षतिपूर्ति करके उन्हें स्थापित करने के लिए उपयोगकर्त्ताओं की सहायता करने में उन्हें प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में अथवा ब्याज सब्सिडी के रूप में अप्रत्यक्ष आंशिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता।
4. अधिक औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन और उदार ऋण उपलब्ध कराकर उत्पादन हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों को आरंभ करना।
5. जागरूकता सृजन करने, जनशक्ति का विकास करने और व्यापार बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, व्यापार बैठकों को सहायता देना।

(ङ) और (च) जी हां। देश में सौर ऊर्जा की उपलब्ध विशाल संभाव्यता की तुलना में इसका उपयोग अभी भी काफी कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि सौर प्रौद्योगिकियां अपेक्षाकृत नई हैं। केवल कुछ ही अनुप्रयोगों ने तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की है। अन्य अनुप्रयोगों के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने हेतु क्षमता, कार्य निष्पादन की विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा लागत को कम करने हेतु अभी भी और अनुसंधान एवं विकास तथा गहन क्षेत्र परीक्षणों की आवश्यकता है। अधिक से अधिक

लोगों को इन नई प्रौद्योगिकियों और इनके लाभों के बारे में जागरूक करने की भी आवश्यकता है।

(छ) और (ज) अधिकतर राज्यों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन के लिए ऊर्जा विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार रिलीज की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(झ) इन राज्यों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण-IV में दी गई हैं।

विवरण I

दिनांक 31.3.2003 के अनुसार स्थापित की गई सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	सौर लालटेन (संख्या)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (संख्या)	सड़क रोशनी प्रणालियां (संख्या)	विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां (केडब्ल्यूपी)	जल पंपन प्रणालियां (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	27707	1161	3648	296.66	603
2.	अरुणाचल प्रदेश	4937	750	738	17.10	1
3.	असम	541	2787	98	7.50	45
4.	बिहार	28275	679	490	0.00	128
5.	छत्तीसगढ़	3192	3612	1237	76.65	5
6.	गोवा	443	51	69	1.72	15
7.	गुजरात	31603	2552	1764	24.90	43
8.	हरियाणा	32727	9666	612	24.20	268
9.	हिमाचल प्रदेश	20697	11948	1494	1.50	6
10.	जम्मू-कश्मीर	9202	25317	389	40.00	18
11.	झारखंड	16374	102	135	0.00	6
12.	कर्नाटक	7334	6135	1009	38.91	339
13.	केरल	39681	18679	1090	69.74	737
14.	मध्य प्रदेश	8564	159	5714	361.40	78
15.	महाराष्ट्र	8683	721	3388	191.40	189
16.	मणिपुर	3883	650	370	11.00	12
17.	मेघालय	4875	540	593	42.00	5
18.	मिजोरम	5812	1645	315	0.00	37
19.	नागालैण्ड	95	143	271	6.00	-

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	8484	2937	5665	36.52	4
21.	पंजाब	14495	2870	1766	346.00	1533
22.	राजस्थान	4716	34864	6473	75.80	268
23.	सिक्किम	845	465	132	0.00	-
24.	तमिलनाडु	12818	471	2272	237.00	760
25.	त्रिपुरा	20805	2238	760	24.57	10
26.	उत्तर प्रदेश	52815	50938	550	454.20	234
27.	उत्तरांचल	27027	37854	250	80.03	10
28.	पश्चिम बंगाल	3662	26890	1461	525.00	48
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	796	405	358	217.00	5
30.	चंडीगढ़	1675	275	0	0.00	12
31.	दादर और नागर हवेली	-	0	0	0.00	1
32.	दमन और दीव	-	0	0	0.00	-
33.	दिल्ली	4753	0	301	15.00	86
34.	लक्षद्वीप	8455	0	0	735.00	-
35.	पांडिचेरी	637	13	62	0.00	21
36.	गैर-सरकारी संगठन (एआईडब्लूसी, एसडब्लूआरसी, डब्लूआरएसटी) एवं पीएसयू	-	3295	0	0.00	-

विवरण II

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत स्थापित किए गए एसपीवी पैनलों के माध्यम से उत्पादित होने वाली संभावित विद्युत की राज्यवार मात्रा

(मिलियन किवा. घंटा में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.47	1.58	2.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.19	0.22
3.	असम	0.17	0.18	0.25

1	2	3	4	5
4.	बिहार	0.89	0.90	0.98
5.	छत्तीसगढ़	-	0.01	0.51
6.	गोवा	0.03	0.03	0.34
7.	गुजरात	0.50	0.78	0.91
8.	हरियाणा	0.70	0.84	1.5
9.	हिमाचल प्रदेश	0.74	0.91	1.5
10.	जम्मू-कश्मीर	0.71	0.80	1.8
11.	झारखंड	-	-	0.27
12.	कर्नाटक	0.45	0.59	1.11
13.	केरल	1.49	1.71	2.92
14.	मध्य प्रदेश	0.96	0.93	1.38
15.	महाराष्ट्र	0.63	0.67	1.07
16.	मणिपुर	0.13	0.13	0.17
17.	मेघालय	0.18	0.19	0.23
18.	मिजोरम	0.22	0.21	0.26
19.	नागालैंड	0.04	0.05	0.06
20.	उड़ीसा	0.79	0.82	0.96
21.	पंजाब	0.65	2.08	3.16
22.	राजस्थान	1.99	2.38	3.31
23.	सिक्किम	0.03	0.03	0.05
24.	तमिलनाडु	1.17	1.40	1.84
25.	त्रिपुरा	0.26	0.38	0.57
26.	उत्तर प्रदेश	4.63	3.32	4.9
27.	उत्तरांचल	-	2.07	2.83
28.	पश्चिम बंगाल	1.03	1.54	3.45
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.30	0.30	0.31
30.	चंडीगढ़	0.03	0.03	0.058

1	2	3	4	5
31.	दिल्ली	0.21	0.23	0.24
32.	लक्षद्वीप	0.36	0.46	1.22
33.	पांडिचेरी	0.03	0.03	0.04

विवरण III

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए निधियों की राज्यवार रिलीज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	69.20	286.67	348.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.53	3.53	151.69
3.	असम	55.14	1.26	89.50
4.	बिहार	6.20	0.33	4.00
5.	छत्तीसगढ़	197.00	249.70	629.17
6.	दिल्ली	14.11	0.76	17.88
7.	गोवा	0.50	0.00	0.00
8.	गुजरात	310.71	87.43	306.06
9.	हरियाणा	255.35	233.44	523.44
10.	हिमाचल प्रदेश	131.25	135.44	120.91
11.	जम्मू-कश्मीर	75.25	772.06	715.83
12.	झारखंड	-	3.41	133.98
13.	कर्नाटक	78.54	115.15	125.45
14.	केरल	323.61	851.10	38.82
15.	मध्य प्रदेश	0.80	34.53	112.25
16.	महाराष्ट्र	46.28	46.09	29.12
17.	मणिपुर	2.40	44.75	738.23
18.	मेघालय	58.00	9.68	340.92

1	2	3	4	5
19.	मिजोरम	165.55	19.95	57.33
20.	नागालैंड	8.68	0.00	0.80
21.	उड़ीसा	34.02	65.00	0.00
22.	पंजाब	57.36	650.56	1043.57
23.	राजस्थान	187.61	592.25	667.98
24.	सिक्किम	2.59	36.92	20.90
25.	तमिलनाडु	75.66	55.50	73.75
26.	त्रिपुरा	110.87	205.80	399.09
27.	उत्तर प्रदेश	616.41	794.62	747.50
28.	उत्तरांचल	208.60	261.37	587.19
29.	पश्चिम बंगाल	359.73	793.44	688.04
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	10.15	66.00	88.93
31.	चंडीगढ़	0.80	13.94	12.71
32.	लक्षद्वीप	257.00	572.49	392.00
33.	पांडिचेरी	–	3.78	14.94

विवरण IV

सौर कुकरों संबंधी राज्यवार संचयी बिक्री एवं दिनांक 31.3.2003 तक स्थापित की गई आदित्य दुकानों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	बॉक्स कुकर	कंसंट्रेटिंग कुकर		स्टीम कुकिंग प्रणाली	आदित्य दुकानें
			डिश टाइप	सामुदायिक		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11985	100	4	2	1
2.	असम	80	0	0	0	1
3.	बिहार	450	25	0	0	0
4.	झारखंड	280	0	0	0	0
5.	गुजरात	70410	50	21	0	0
6.	हरियाणा	20615	50	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
7.	हिमाचल प्रदेश	27280	0	0	0	1
8.	कर्नाटक	250	0	3	1	1
9.	मध्य प्रदेश	141600	16	2	0	1
10.	छत्तीसगढ़	37000	50	0	0	0
11.	महाराष्ट्र	56635	100	4	0	1
12.	उड़ीसा	3170	0	0	0	2
13.	पंजाब	22050	0	0	0	1
14.	राजस्थान	36600	1	3	1	2
15.	तमिलनाडु	1355	1	5	1	1
16.	उत्तर प्रदेश	45310	75	0	0	6
17.	उत्तरांचल	7090	0	0	0	1
18.	दिल्ली	27990	0	0	0	1
19.	जम्मू-कश्मीर	345	21	2	0	1
20.	केरल	195	0	0	0	3
21.	पश्चिम बंगाल	7930	24	5	0	4
22.	चंडीगढ़	1525	2	2	0	0
23.	अरुणाचल प्रदेश	530	0	0	0	1
24.	गोवा	1500	0	0	0	0
25.	अंदमान और निकोबार द्वीप	60	0	0	0	0
26.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
27.	पांडिचेरी	90	0	0	0	1
28.	मणिपुर	365	0	0	0	1
29.	मेघालय	1165	0	0	0	0
30.	नागालैंड	0	0	0	0	0
31.	दादर और नागर हवेली	80	0	0	0	0
32.	मिजोरम	110	0	0	0	1
33.	त्रिपुरा	80	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7
34.	सिक्किम	20	0	0	0	1
35.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
36.	एआईडब्लूसी (गैर-सरकारी संगठन)	385	15	0	0	0
37.	एसडीए (गैर-सरकारी संगठन)	0	50	0	0	0
38.	विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री	16300	–	–	–	–
	कुल	5,41,000 (लगभग)	580	52	6	35

दिनांक 31.3.2003 के अनुसार एसपीवी प्रणालियों की राज्यवार संचयी स्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	सौर लालटेन (संख्या)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (संख्या)	सड़क रोशनी प्रणालियां (संख्या)	विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां (केडब्लूपी)	जल पंपन प्रणालियां (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	27707	1161	3648	296.66	603
2.	अरुणाचल प्रदेश	4937	750	738	17.10	1
3.	असम	541	2787	98	7.50	45
4.	बिहार	28275	679	490	0.00	128
5.	छत्तीसगढ़	3192	3612	1237	76.65	5
6.	गोवा	443	51	69	1.72	15
7.	गुजरात	31603	2552	1764	24.90	43
8.	हरियाणा	32727	9666	612	24.20	268
9.	हिमाचल प्रदेश	20697	11938	1494	1.50	6
10.	जम्मू-कश्मीर	9202	25317	389	40.00	18
11.	झारखंड	16374	102	15	0.00	6
12.	कर्नाटक	7334	6135	1009	48.91	339
13.	केरल	39681	18679	1090	69.74	737
14.	मध्य प्रदेश	8564	149	5713	361.30	78
15.	महाराष्ट्र	8683	721	3388	191.40	189

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	3883	650	370	11.00	12
17.	मेघालय	4875	540	593	42.00	5
18.	मिजोरम	5812	1645	315	0.00	37
19.	नागालैंड	95	143	271	6.00	–
20.	उड़ीसा	8484	2937	5665	36.52	4
21.	पंजाब	14495	2870	1766	346.00	1533
22.	राजस्थान	4716	34864	6473	75.80	268
23.	सिक्किम	845	465	132	0.00	–
24.	तमिलनाडु	12818	471	2272	237.00	760
25.	त्रिपुरा	20805	2238	760	24.57	10
26.	उत्तर प्रदेश	52815	50938	550	454.20	234
27.	उत्तरांचल	27027	37854	250	80.03	10
28.	पश्चिम बंगाल	3662	26890	1461	525.00	48
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप	796	405	358	217.00	5
30.	चंडीगढ़	1675	275	0	0.00	12
31.	दादर और नागर हवेली	–	0	0	0.00	1
32.	दमण और दीव	–	0	0	0.00	–
33.	दिल्ली	4753	0	301	15.00	86
34.	लक्षद्वीप	8455	0	0	735.00	–
35.	पांडिचेरी	637	13	62	0.00	21
36.	गैर-सरकारी संगठन (एआईडब्लूसी, एसडब्लूआरसी, डब्लृआरएसटी), एवं पीएसयू	–	3295	0	0.00	–

उपलब्धता आधारित शुल्क

***254. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2003 की शुरुआत में ''उपलब्धता आधारित शुल्क (एबीटी)'' नाम से विद्युत शुल्क की शुरुआत की थी;

(ख) शुल्क निर्धारण में उपलब्धता आधारित शुल्क (एबीटी) प्रणाली के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या उपलब्धता आधारित प्रणाली से ग्रिड अनुशासन (ग्रिड डिसिप्लिन) और आवृत्ति में स्थिरता आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या एनटीपीसी और सरकारी क्षेत्र की अन्य विद्युत कंपनियों ने उपलब्धता आधारित शुल्क में बदलाव की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो हाल ही में शुरू की गई उपलब्धता आधारित प्रणाली में ऐसे बदलाव करने की मांग के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने दिनांक 4.1.2000 के आदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के कार्यान्वयन का निर्देश दिया था। बाद में दिनांक 4.1.2000 के आदेश की समीक्षा के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर सीईआरसी ने 15.12.2000 को आदेश जारी किए। सीईआरसी के आदेश के आधार पर वर्ष 2002 और 2003 में सभी पांच क्षेत्रों में एबीटी चरणों में लागू किया गया है:

(ख) एबीटी विद्युत प्रणाली के आर्थिक/कुशल प्रचालन को प्रोत्साहित करता है और इसका उद्देश्य वाणिज्यिक सिगनलों के जरिये ग्रिड अनुशासन बनाए रखना है। एबीटी के लाभ निम्नवत हैं:

(1) एबीटी मेरिट आर्डर डिस्पैच को सुविधाजनक बनाता है।

(2) इसमें निर्धारित विद्युत उत्पादन/निकासी से परिवर्तन के लिए फ्रीक्वेंसी को गैर-निर्धारित इंटरचेंज प्रभार से जोड़ा गया है और यह ग्रिड फ्रीक्वेंसी में स्थिरता के माध्यम से ग्रिड अनुशासन को प्रोत्साहित करता है।

(3) यह विद्युत के व्यापार को सुविधाजनक बनाता है जिससे विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) एनटीपीसी और अन्य पीएसयू विद्युत कंपनियों ने एबीटी स्कीम के मूल ढांचे में परिवर्तन हेतु अनुरोध नहीं किया है।

कचरे से विद्युत का उत्पादन

***255. श्री मानसिंह पटेल:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में चीनी मिलों से निकलने वाले अपशिष्ट और कचरे से विद्युत का उत्पादन करने की योजना बनाई है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कचरे से ऊर्जा उत्पादन संबंधी परियोजनाओं (वेस्ट टु एनर्जी प्रोजेक्ट्स) को शुरू करने के लिए राज्यवार कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं द्वारा उत्पादित/उत्पादित की जाने वाली विद्युत की कुल अनुमानित क्षमता क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता या राजसहायता दी जाती है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) चीनी मिल अपशिष्ट और कूड़े-कचरे सहित औद्योगिक अपशिष्टों को प्रोसेस करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का पहले से ही वर्ष 1995-96 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, "ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साधन के रूप में उच्च दर बायोमैथेनेशन प्रक्रियाओं के विकास" पर यूएनडीपी/जीईएफ सहायता प्राप्त परियोजना वर्ष 1994-95 से कार्यान्वयनाधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों पर आधारित प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थापना की परिकल्पना है।

(ख) संस्थापित की गई और कार्यान्वयनाधीन अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संस्थापित परियोजनाओं से अक्षय विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता लगभग 41.30 मेगावाट के बराबर और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से 6.45 मेगावाट के बराबर है।

(घ) शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों में उनके द्वारा प्राप्त ऋणों पर ब्याज की दर को 4% तक कम करने और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों सहित प्रमोटरों को अन्य राज्यों में परियोजनाओं के लिए ब्याज दर को 6% तक कम करने के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत, इसके प्रारंभ से लेकर अब तक जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि 36.40 करोड़ रु. है।

विवरण

आज की तिथि के अनुसार स्थापित और कार्यान्वयनाधीन अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थापित परियोजनाएं	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं
1.	आंध्र प्रदेश	7	2
2.	गुजरात	3	–
3.	कर्नाटक	1	–
4.	मध्य प्रदेश	2	–
5.	महाराष्ट्र	2	–
6.	उड़ीसा	1	–
7.	पंजाब	1	1
8.	तमिलनाडु	4	2
9.	उत्तर प्रदेश	3	1
	कुल	24	6

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के संबंध में श्वेत-पत्र

***256. श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति के बारे में जिस श्वेत-पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा था उसे अब रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि

***257. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि (एनसीईटीसीई) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वित्त-पोषण के माध्यम से कितनी अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण किया गया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने वर्ष 2000-2001 के दौरान "अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण निधि" पर एक योजना आरंभ की है।

(ख) इस योजना के उद्देश्य हैं (1) अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उत्पादों/युक्तियों के निर्माण के लिए, उनके व्यापक घरेलू उपयोग के लिए, प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना के समर्थन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को सहायता देना, और (2) ऐसे संभाव्य अभिनव उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का विकास करना जो अपने जीवन चक्र तथा घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल विदेशी प्रौद्योगिकियों में संशोधन के आरंभिक चरणों में हैं।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त कोई भी प्रस्ताव वित्त पोषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है। तथापि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान कराकर सौर कुकरों, घरेलू और औद्योगिक प्रयोगों के लिए सौर जल तापन प्रणालियों, सौर शुष्ककों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों और बायोमास ऊर्जा प्रणालियों का वाणिज्यीकरण किया गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15-सूत्री कार्यक्रम

***258. श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) 15-सूत्री कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार के लिए दिशा-निर्देशों के स्वरूप का है तथा इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा की भावना देना और उनका त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(1) गृह मंत्रालय इस कार्यक्रम के सूत्र 1 से 5 तथा 8 से 9 को कार्यान्वित कर रहा है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने त्वरित कार्य बल की स्थापना की है जिसे सांप्रदायिक उपद्रवों को कुचलने का विशेष कार्य सौंपा गया है। गृह मंत्रालय ने साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के तहत, सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों की सहायता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि राज्य पुलिस बल की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से विचार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि चयन समिति में प्रतिनिधित्व हो और राज्य पुलिस बलों/सशस्त्र बटालियनों में अल्पसंख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए कदम उठाए जाएं। केन्द्रीय पुलिस बल को भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को रोजगार अवसरों/भर्ती कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाकर अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। केन्द्रीय पुलिस बल के भर्ती बोर्ड केन्द्रीय पुलिस बल में भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधी संस्थाओं/संगठनों को सूचना भेजते हैं।

(2) सूत्र 6 और 7 के संबंध में, प्रसार भारती ने सरकारी मीडिया इकाइयों के लिए कोड एवं नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिनमें उपद्रवों और सांप्रदायिक दंगों संबंधी समाचारों के प्रसारण के लिए अनन्य रूप से प्रावधान दिए गए हैं।

(3) सूत्र 10 के संबंध में भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अंतर्गत समूह "ग" तथा "घ" पदों/सेवाओं में 10 या इससे अधिक रिक्तियों में भर्ती के लिए गठित चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को रखने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

(4) सूत्र 11 के संबंध में, सेवाओं में भर्ती के लिए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में सफलतापूर्वक मुकाबला करने हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को तैयार करने के संबंध में अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग कक्षाओं की योजना को इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार की एक योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों/कालेजों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

(5) सूत्र 12 के संबंध में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 325 सामुदायिक विकास ब्लाकों में क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

(6) सूत्र 13 के संबंध में, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(7) सूत्र 14 के संबंध में, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वक्फ संपत्तियों पर अधिक्रमण हटाने के प्रयास करने की सलाह दी गई है।

(8) सूत्र 15 के संबंध में गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों का सृजन किया गया है।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम में सुधार करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। चूंकि इसके लिए अनेक संगठनों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है, इसलिए यह उल्लेख करना संभव नहीं है कि इसे कब अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

फिल्म निर्माण में दूसरे देशों के साथ करार

***259. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्यः**
डा. जसवंतसिंह यादवः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ देशों के साथ विशेषकर इटली के साथ, हाल ही में एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) फिल्म उद्योग को इससे कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या सरकार ने इन करारों को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त आयोग की नियुक्ति पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) कनाडा के साथ दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण करार करने के लिए कनाडा सरकार से इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इटली गणराज्य की सरकार ने भी ऐसी ही रुचि दिखायी है। इन दोनों देशों के साथ आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे दोनों देशों के साथ दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण करार करने की सरकार की मंशा का पता चलता है। ये करार अभी भी प्रारूप के रूप में है। इसलिए संयुक्त आयोग के गठन की आवश्यकता फिलहाल प्रतीत नहीं होती है।

अन्य देशों के साथ सरकार-से-सरकार सह-निर्माण करार करने के फलस्वरूप दोनों देशों के निर्माता अपने-अपने वित्तीय, सृजनात्मक, तकनीकी और विपणन संसाधनों को एकत्रित कर सकेंगे और इस प्रकार से व्यापक श्रोता-दर्शक आधार बन सकेगा। ऐसी परियोजनाओं से भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक संख्या में देखे जाने और एनीमेशन क्षेत्र के लिए अधिक अवसर प्राप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

नए रेलवे जोन

***260. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए रेलवे जोन बनाये जाने के बाद से संतोषजनक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्षों की तुलना में मध्य रेलवे जोन की आय में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में और अधिक रेलवे जोन बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) छोटे प्रशासनिक रेलवे जोनों के सृजन से बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी से रेलों के कार्यकलापों में चौतरफा सुधार होना संभव हुआ है। चूंकि सभी जोन समग्र रूप से भारतीय रेलों के निष्पादन में योगदान देते हैं, अतः भारतीय रेलों के समग्र निष्पादन में सुधार नए जोनों का महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है। निम्नलिखित आंकड़ों से भारतीय रेलों के निष्पादन में सुधार देखा जा सकता है:

अप्रैल-अक्तूबर, 2003 के दौरान प्रारंभिक माल-भाड़े का लदान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 290.88 मिलियन टन की तुलना में 311.29 मिलियन टन हुआ है और यह 20.41 मिलियन टन अधिक है, जो 7% की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार शुद्ध टन किलोमीटर के अनुसार कुल यातायात आउटपुट 202.05 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर से बढ़कर 212.60 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर हो गई जो 10.55 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर अधिक है और यह 5.22% की समग्र वृद्धि दर्शाता है।

2003-04 के दौरान अक्तूबर, 2003 तक भारतीय रेलों की कुल आमदनी पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 23165.65 करोड़ रुपए की तुलना में 24029.05 करोड़ रुपए है अर्थात् 3.73% की वृद्धि।

अप्रैल-नवंबर 2003 की अवधि के दौरान जबकि परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या वही रही फिर भी भारतीय रेलों के संरक्षा निष्पादन के निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस अवधि में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुई 10 गाड़ी टक्करों की तुलना में 3 गाड़ी टक्करें हुईं। इसी प्रकार, चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं 9 से घटकर 6 और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाएं 151 से घटकर 148 हुई हैं।

चालू वर्ष के दौरान अधिकांश नए रेलवे जोनों पर यात्री गाड़ियों का समयपालन 95% से 98% के बीच रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 2003-2004 के दौरान नवंबर, 2003 तक मध्य रेलवे की कुल आमदनी पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 2695 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती मध्य रेलवे) की तुलना में 2712 करोड़ रुपए है अर्थात् इसमें 0.63% की वृद्धि हुई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

के.यू. बैंड के माध्यम से दूरदर्शन संबंधी प्रायोगिक परियोजना

2391. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने के.यू. बैंड के माध्यम से देश में शत प्रतिशत दूरदर्शन कवरेज की व्यवस्था करने के लिए प्रायोगिक परियोजना की स्थापना करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय 90 प्रतिशत लोग और कुल 77.7 प्रतिशत भूगोलीय क्षेत्र ही कवर किया हुआ है और परम्परागत 'सी' बैंड का उपयोग करते हुए इसका और अधिक विस्तार करना किफायती रूप से अव्यावहारिक होगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार की योजना उक्त परियोजना के अंतर्गत समुदाय-वार अभिग्रहण केन्द्रों की स्थापना करने की भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) उपग्रह माध्यम से दूरदर्शन कवरेज देशभर में उपलब्ध है। सभी दूरदर्शन चैनलों को डिश एन्टिना या केबल नेटवर्क के जरिए देश में कहीं भी देखा जा सकता है। सी. बैंड में दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने के लिए आवश्यक एन्टिना क्षेत्रफल में बड़ा है और महंगा है जबकि केबल सेवा दूरदराज के और कम आबादी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है।

स्थलीय माध्यम से दूरदर्शन कवरेज देश के अनुमानित 90 प्रतिशत आबादी वाले लगभग 78 प्रतिशत क्षेत्र में इस समय उपलब्ध है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि स्थलीय माध्यम से शेष 10 प्रतिशत आबादी को कवर करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। इन दो अड़चनों अर्थात स्थलीय कवरेज और सी-बैंड प्रसारण के अभिग्रहण हेतु आवश्यक डिश एन्टिना की भारी लागत तथा दूरदराज के एवं कम आबादी वाले क्षेत्रो में केबल नेटवर्क की अव्यवहार्यता, को दूर करने के लिए उद्देश्य से, के.यू. बैंड अपलिंकिंग सुविधाओं की स्थापना हेतु एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है जिससे ऐसे क्षेत्रों के टी.वी. घरों को सेट-टॉप-बॉक्स और लघु डिश एन्टिना का प्रयोग करके 30 फ्री-टू-एयर चैनलों (20 दूरदर्शन और 10 निजी चैनल) का समूह प्राप्त हो सकेगा।

इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और गुजरात राज्यों में, जहां पर स्थलीय कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है, आंगनवाड़ी, स्कूल, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत, युवा क्लब, सहकारी समितियों जैसी सार्वजनिक संस्थानों को 10,000 सेट टॉप बॉक्सों के वितरण की परिकल्पना भी की गयी है।

[हिन्दी]

रेलवे में भर्ती

2392. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे में कितनी नियुक्तियां की गई हैं और सरकार द्वारा आगामी एक वर्ष में पद-वार कितनी नियुक्तियां किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) रेलवे में कब से कर्मचारियों की कमी महसूस की गई है;

(ग) पदों की मांग और की गई नियुक्तियों का मंडल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इन नियुक्तियों के कारण प्रति वर्ष कितना व्यय-वार वहन किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुरक्षा कोटि में रिक्तियां

2393. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** सुरक्षा श्रेणी में रिक्तियों के बारे में 5.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2820 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी भी कर्मचारियों की वह पुरानी स्वीकृत संख्या चल रही है और लंबे समय से नौकरी का कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सुरक्षा कोटियों में नई सेवाओं के शुरू होने से पैदा होने वाली रिक्तियों के आंकड़ों की घोषणा करते समय रिक्तियां और छुट्टी आरक्षित रिक्तियां भरे बिना स्वीकृत रिक्तियों के लिए नियुक्त कर्मचारियों के उपयोग पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सुरक्षा कोटि स्टाक के रूप में टी.एक्स.आर. और कैरिज स्टाक पर ध्यान न देने के क्या कारण हैं जो ब्रेक आफ पॉवर और अन्य चल स्टाक के अनुरक्षण के लिए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अतारांकित प्रश्न सं. 2820 के उत्तर में टी एक्स आर (अब जे ई/एस ई/एस एस ई (सवारी एवं मालडिब्बा) और अन्य कैरेज स्टाफ की कोटि शामिल नहीं थी क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित कोटियों का ही उत्तर दिया गया था। बहरहाल, यह कोटि भी एक सुरक्षा कोटि है और इसमें रिक्तियों को भरने पर नजर रखी जाती है।

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड को पुनः चालू करना

2394. श्री महबूब जाहेदी:
श्री विकास चौधरी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की रानीगंज की अपवर्तक इकाइयों और इसकी अन्य अभियांत्रिकी इकाइयों को कारगर ढंग से चलाने के लिए इन इकाइयों को आधुनिक बनाने हेतु 1976 में केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रानीगंज की अपवर्तक इकाइयों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनमें घाटा होना आरंभ हो गया और तत्पश्चात् उन्हें इसकी अन्य इकाइयों के साथ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के हवाले कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषकर बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लमिटेड की प्रबंधन द्वारा उचित कार्रवाई न करने, अपवर्तक इकाइयां और उदासीनता भरा रवैया होने के कारण बंद हो गयी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या लालकोटी और बी.एस.सी.एल. की सं. 2 निर्माण अपवर्तक इकाइयों के पूर्व कामगारों ने पूर्व कर्मचारी सहकारी औद्योगिक सोसाइटी लिमिटेड का गठन नहीं किया है और उन्होंने अपनी निजी बचत से 60 लाख रुपये की प्रारंभिक धनराशि से रानीगंज में सं. 2 और लालकोटी अपवर्तक इकाइयां चलाने के लिए आगे आ गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नवनिर्मित सोसायटी को उपर्युक्त दो अपवर्तक इकाइयों को सौंपने के प्रयोजन से केन्द्र में भारी उद्योग मंत्रालय से संपर्क किया है ताकि इसे अर्थक्षम रूप से चलाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) दो निजी कंपनियों नामत: बर्न एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा दि इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत रानीगंज के रिफ्रेक्टरी यूनिटों तथा इंजीनियरिंग यूनिटों को उनका उत्पादन जारी रखने के लिए 1976 में राष्ट्रीयकृत किया गया।

(ख) व्यापक अप्रचलित उत्पाद के कारण इन यूनिटों का आधुनिकीकरण जैव्य नहीं समझा गया।

(ग) जी, नहीं। बीएससीएल के पुनरुद्धार स्कीम को दिनांक 16.4.1999 को संस्वीकृत करते समय बीआईएफआर ने इन इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की, क्योंकि उनकी जैव्यता संभव नहीं पायी गयी।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) इस इकाई को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपने तथा इसे बाद में पंजीकृत कर्मचारी सहकारिता को हस्तान्तरित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

कर्नाटक में रसोई गैस के वितरण हेतु अनधिकृत भण्डारण केन्द्र

2395. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के रसोई गैस वितरकों ने उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलिंडरों के वितरण हेतु अनधिकृत भण्डारण केन्द्र बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों ने कर्नाटक राज्य में ग्राहकों को एल.पी.जी. सिलेंडरों के वितरण के लिए कोई अनधिकृत भंडार केन्द्र नहीं बनाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम के मैथन बाँध में गाद

2396. श्री विकास चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के मैथन बांध में अत्यधिक गाद भरी हुई है;

(ख) यदि हां तो, निगम द्वारा बांध से गाद निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसमें और अधिक जल संग्रहण करने और मौजूदा बांध से गाद निकालने के लिए एक अन्य बांध का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने सूचित किया है कि जलाशय में कुल अवसादन (सैडिमेंटेशन) इसकी 1955 की आरंभिक क्षमता की तुलना में 22.1% है। गाद जमाव के कारण लगभग 54% डेड स्टोरेज, 22.4% लाइव स्टोरेज और 4.3% फ्लड स्टोरेज समाप्त हो चुके हैं।

(ख) डीवीसी द्वारा बांध के ऊपरी हिस्से में वर्ष 1949 से ही वनीकरण, भूमि सुधार, चैक डैम का निर्माण आदि जैसे विभिन्न भूमि संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं। किंतु इतने बड़े जलाशय से गाद हटाने का काम किफायती नहीं है और डीवीसी इस तरह के कार्य को नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) डीवीसी ने मैथन बांध के अपस्ट्रीम में बालपहाड़ी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य प्रणाली में स्टोरेज का संवर्धन करना तथा अवसादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं अन्य उद्देश्यों से मैथन बांध का जीवन विस्तार करना है। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस पर विचार प्रस्तुत करने हेतु संबंधित सरकारों को भेज दिया गया है।

आटोमोबाइल उद्योग का विकास

2397. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई और यह प्रमुख कंपनियों के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता वाला स्रोत बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन विदेशी कार विनिर्माताओं ने भारत में अपनी कंपनियां स्थापित की हैं और प्रत्येक विनिर्माता द्वारा कितना निवेश किया गया है और उनके द्वारा प्रतिवर्ष अपने ट्रेडमार्क से कितने वाहनों का निर्माण किया गया है;

(घ) क्या कुछ और कंपनियों ने भारत में अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए अपने अनुरोध रखे हैं;

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है, पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने वाहनों का निर्माण किया गया है;

(च) क्या भारत में बनाए जा रहे वाहनों का अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) विगत दशक के दौरान ऑटो क्षेत्र के प्रगतिशील उदारीकरण के परिणामस्वरूप तथा मार्च, 2002 में सरकार द्वारा घोषित व्यापक आटो नीति के कार्यान्वयन के कारण आटोमोटिव उद्योग ने विगत कुछ वर्षों में तेजी से विकास दर्शाया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग ने 18.59 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है जबकि, आटो कम्पोनेन्ट उद्योग ने 16 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर, 2003) के दौरान आटोमोबाइल उद्योग ने 12.10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है जबकि, कम्पोनेन्ट उद्योग में अप्रैल-अगस्त, 2003 के दौरान लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कम्पोनेन्ट निर्यात भी कई वर्षों से तेजी से विकास दर्शाया है। विगत 3 वर्षों के दौरान कम्पोनेन्ट का निर्यात क्रमशः 2706 करोड़ रुपये, 2775 करोड़ रुपये तथा 3800 करोड़ रुपये रहा है।

(ग) प्रगतिशील उदारीकरण के परिणामस्वरूप, कई विदेशी कार निर्माताओं ने भारत में यात्री कारों के निर्माण के लिए अपने संयंत्रों की स्थापना की है। इन विदेशी कार निर्माताओं द्वारा वर्तमान में उत्पादित की जा रही कारों के प्रमुख मॉडल तथा निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निवेश (करोड़ रुपये में) 2002-03 तक	निर्मित कारों के प्रमुख मॉडल
1.	डैमलर क्राइसलर इंडिया प्रा.लि.	51.00	मर्सिडीज बैंज
2.	फियेट इंडिया प्रा.लि.	1772.00	पालियो एवं यूनो
3.	फोर्ड इंडिया प्रा.लि.	1024.80	एस्कार्ट एवं आईकॉन
4.	जनरल मोटर्स इंडिया प्रा.लि	588.3	ओपल एस्ट्रा एवं ओपल कोर्सा
5.	होन्डा सील कार्स इंडिया प्रा.लि.	423.0	होन्डा सिटी एवं एकॉर्ड
6.	हुन्डई मोटर इंडिया लि.	1620.4	सेन्ट्रो, एसेन्ट एवं सोनाटा
7.	सुजुकी मोटर कारपोरेशन (मारूति उद्योग लि.)	4523.1	मारूति-800, बलिनो, जिप्सी, जेन एवं अल्टो आदि
8.	ट्योटा किर्लोस्कर मोटर प्रा.लि.	700.0	क्वालिस एवं कॉरोला
9.	स्कोडा आटो इंडिया लि.	लागू नहीं	ऑक्टाविया

(घ) अभी तक सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माण सोसाइटी (एसआईएएम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक विनिर्माताओं द्वारा विगत 2 वर्षों के दौरान वाहनों के विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन निम्नानुसार है:

(संख्या में)

क्र.सं.	सिग्मेंट/मैन्युफैक्चरर	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
I. यात्री वाहन			
क. यात्री कार			
1.	डेवू मोटर्स (इंडिया) लि.	0	0
2.	डैमलर क्रसलर इंडिया प्रा.लि.	1412	1057
3.	फियेट इंडिया आटोमोबाइल्स प्रा.लि.	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	फोर्ड इंडया लि.	14307	15831
5.	जनरल मोटर इंडिया लि.	7964	7573
6.	हिन्दुस्तान मोटरर्स लि.	19397	18534
7.	होन्डा सील कार इंडिया लि.	10568	13723
8.	हुन्डई मोटर इंडिया लि.	93888	112527
9.	मारूति उद्योग लि.	288437	306293
10.	टाटा इंजीनियरिंग	64328	81821

1	2	3	4
11.	टोयटा किर्लोस्कर मोटर लि.	0	1350
ख. उपयोगी वाहन			
1.	बजाज टैम्पो लि.	4435	3805
2.	डैम्लर क्राइसलर इंडिया प्रा.लि.	0	0
3.	जनरल मोटर इंडिया लि.	0	0
4.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	1397	1467
5.	महेन्द्रा एंड महेन्द्रा लि.	44031	52034
6.	मारुति उद्योग लि.	5153	3503
7.	टाटा इंजीनियरिंग	25693	25493
8.	टोयटा किर्लोस्कर मोटर लि.	24958	28579
ग. बहु-उपयोगी वाहन			
1.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	214	165
2.	मारुति उद्योग लि.	63537	48214
	कुल यात्री वाहन	669719	720969
II.	**वाणिज्यिक वाहन**		
	मध्यम एवं भारी (एमएंडएच)		
क.	यात्री वाहक		
1.	अशोक लेलेण्ड लि.	10623	9501
2.	टाटा इंजीनियरिंग	9660	11532
ख.	माल वाहक		
1.	अशोक लेलेण्ड लि.	20594	23694
2.	आयशर मोटर लि.	4782	6328
3.	हिन्दुस्तान मोटर लि.	12	72
4.	स्वराज माजदा लि.	1237	1872
5.	टाटा इंजीनियरिंग	49703	66944
6.	टाटा उद्योग लि.	141	138
7.	वोल्वो इंडिया प्रा.लि.	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4
एलसीवीएस			
क.	यात्री वाहक		
1.	अशोक लेलेण्ड लि.	215	341
2.	बजाज टैम्पो लि.	1307	3743
3.	डैम्लर क्राइसलर इंडिया प्रा.लि.	0	0
4.	आयशर मोटर लि.	836	1296
5.	हिन्दुस्तान मोटर लि.	1834	1123
6.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	3618	4133
7.	स्वराज माजदा लि.	1689	1555
8.	टाटा इंजीनियरिंग	5478	7236
ख.	माल वाहक		
1.	अशोक लेलेण्ड लि.	391	110
2.	बजाज टैम्पो लि.	1485	2063
3.	आयशर मोटर लि.	4021	5172
4.	हिन्दुस्तान मोटर लि.	596	406
5.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	15177	20477
6.	स्वराज माजदा लि.	3434	4774
7.	टाटा इंजीनियरिंग	25675	30436
	कुल : वाणिज्यिक वाहन	162508	202948
III.	**तिपहिया**		
1.	बजाज आटो लि.	158342	194303
2.	बजाज टैम्पो लि.	18899	25764
3.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	3208	10279
4.	पियाजियो व्हीकल्स प्रा.लि.	32299	40878
5.	स्कूटर्स इंडिया लि.	13011	14088
	कुल : तिपहिया	225759	285312
IV.	**दुपहिया**		
क.	स्कूटर		
1.	बजाज आटो लि.	473723	321585

1	2	3	4
2.	होण्डा मोटर साइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लि.	55669	166809
3.	काइनेटिक इंजीनियरिंग लि.	21282	40773
4.	काइनेटिक मोटर कंपनी लि.	106479	92171
5.	एलएमएल लि.	125470	66529
6.	मैजेस्टिक आटो लि.	8462	11090
7.	टी.वी.एस. मोटर कंपनी लि.	146421	151145
ख.	मोटर साइकिल		
1.	बजाज आटो लि.	724397	941151
2.	हीरो होण्डा मोटर्स लि.	1371325	1695367
3.	काइनेटिक इंजीनियरिंग लि.	50492	59827
4.	एलएमएल लि.	42180	119704
5.	मैजेस्टिक आटो लि.	0	5406
6.	रॉयल इन्फील्ड मोटर्स	24136	28088
7.	टी.वी.एस. मोटर कंपनी लि.	455224	740370
8.	याम्हा मोटर इंडिया प्रा.लि.	238569	324713
ग.	मोपेड		
1.	काइनेटिक इंजीनियरिंग लि.	81164	39687
2.	मैजेस्टिक आटो लि.	75407	58557
3.	टी.वी.एस. मोटर कंपनी लि.	270927	246447
	कुल दुपहिया	4271327	5109419

(च) और (छ) विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वाहनों ने विश्व बाजार में तेजी से पहचान बनाई है तथा उन्हें श्रीलंका, यूरोप, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रीका, मोरोक्को, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में भी निर्यात किया जा रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (एसआईएएम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहनों के निर्यात तथा इसके मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अवधि	यूनिटों में निर्यात	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-02	184680	2564.00
2002-03	305368	3396.00
2003-04 (अप्रैल-अक्तूबर)	254589	2928.00

दक्षिण क्षेत्र में मैसूर कोजीकोडे लाईन का निर्माण

2398. श्री कोडीकुनील सुरेश:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के उत्तरी भाग में विद्युत आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए मैसूर-कोजीकोडे 400 के.वी. लाईन का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। केरल के उत्तरी हिस्से को विद्युत की आपूर्ति करने हेतु मैसूर से कोजिकोडे तक एक 400 के.वी. डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण पर विचार करने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) से अनुरोध किया है। पीजीसीआईएल ने कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 व 4 (2 × 235 मे.वा.) से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में एक 400 के.वी. मैसूर-कोजिकोडे डी/सी लाईन स्थापित करने की योजना बनाई है। पीजीसीआईएल ने सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड द्वारा चीन और अन्य देशों को कच्चे तेल की बिक्री

2399. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड ने अपनी कमियों का सामना करने के बावजूद चीन को कच्चा तेल बेचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अन्य देशों को कच्चा तेल बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) ओ.एन.जी.सी.-विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने देश की हाइड्रोकार्बनों की आपूर्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से तेल और गैस इक्विटी के लिए विदेशी अन्वेषण ब्लाकों तथा विकास क्षेत्रों में भागीदारी हित अर्जित किए हैं। यह परिकल्पित नहीं है कि हर समय सभी इक्विटी हाइड्रोकार्बनों को भारत लाया जा सके क्योंकि यह सामान्य परिस्थितियों के दौरान संभारतंत्र, तकनीकी तथा वाणिज्यिक मान्यताओं को इष्टतम करने पर निर्भर करेगा और यह तब हो सकता है जब तेल आपूर्तियों या किसी सुरक्षा महत्व को कोई खतरा नहीं हो।

ओवीएल ने सूचित किया है कि आज तक इक्विटी तेल के रूप में उसे नील ब्लैंड क्रूड तेल के 9 पोतभार (कुल 0.79 मिलियन मीटरी टन) प्राप्त हुए हैं। इन में से 8 पोतभार भारत लाए गए थे और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां, यथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) तथा मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल) को बेचा गया। एक पोतभार चीनी क्रेता को बेचा गया था क्योंकि इन रिफाइनरियों ने उसे नहीं लिया था।

अम्बरी फलकाता-रानीनगर और सोनारपुर-कैनिंग रेल मार्ग का दोहरीकरण

2400. श्री अमर राय प्रधान:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अम्बरी फलकाता-रानी नगर और सोनारपुर-केनिंग रेल मार्ग के बीच दोहरीकरण के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि मंजूर की गई और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) अम्बारी फालाकाटा-रानी नगर का दोहरीकरण स्वीकृत नहीं है। सोनारपुर-कैनिंग खण्ड पर चरण-1 के रूप में सोनारपुर-घटियारी शरीफ (15 कि.मी.) का दोहरीकरण शुरू हो चुका है। मिट्टी, पुल, गिट्टी सप्लाई के कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(ख) सोनारपुर-घुटियारी शरीफ के दोहरीकरण की लागत लगभग 30.47 करोड़ रुपए है जिनमें से मार्च, 2003 तक 8.24 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान एक करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) सोनारपुर-घुटियारी शरीफ के दोहरीकरण के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है।

(ङ) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं राज्य सरकार और सार्वजनिक/निजी की भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्त-पोषण, ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला की राष्ट्रीय परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निधि। इन प्रयासों से, परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना संभव हो सकता है।

मुंबई मंडल में उपरिगामी पुल

2401. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेन्ट्रल रेलवे, मुंबई मंडल में कंजूर मार्ग, गोवंडी, घाटकोपर उपरिगामी पुलों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	स्टेशन	उपरिगामी पुल का ब्यौरा	स्थिति
1.	कंजूरमार्ग	शिरोपरि बुकिंग कार्यालय के साथ ऊपरी मैदान पुल का कार्य 38 लाख रुपये की लागत पर निर्माण कार्यक्रम 2003-04 में स्वीकृत किया गया था।	कार्य चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत किया गया है और उसके लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, म्यूनिसीपल कारपोरेशन द्वारा कोई पहुंच भूमि मुहैया नहीं कराई गई है। इस दौरान पांचवीं और छठी लाइन कार्य के संबंध में मौजूदा ऊपरी पैदल पुल का विस्तार किया गया है।
2.	गोवंडी	ऊपरी पैदल पुल के विस्तार का कार्य 30 लाख रुपए की लागत पर 2001-02 में स्वीकृत किया गया था।	अभिकल्प और आरेखण तथा निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	घाटकोपर	12 मीटर चौड़े अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का कार्य 2.57 करोड़ रुपये की लागत पर 2001-02 में स्वीकृत किया गया था।	ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के लिए एजेंसी निर्धारित है। तल्प की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। इस दौरान पांचवीं और छठी लाइन के कार्य के संबंध में मौजूदा ऊपरी पैदल पुल का विस्तार किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे कार्य की प्रगति में तेजी लाने के सभी संभव प्रयास कर रही है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत क्षेत्र सुधार संबंधी व्यय

2402. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत क्षेत्र में सुधारों के संबंध में हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य का पश्चिम मिदनापुर जिले में इस प्रयोजनार्थ कोई व्यय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र सुधार पर किया गया व्यय निम्नवत था:

वित्तीय वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2000-01	27.26
2002-03	18.93
कुल	49.19

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज हेतु राहत पैकेज

2403. श्री एम. के. सुब्बा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास हेतु विशेष पैकेज के रूप में कच्चे तेल की खोज और उत्पादन हेतु राहत पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा मांगे गए राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) वार्षिक बजटीय व्यवस्था के भाग के रूप में, कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन के लिए मांगी गई राहत के संबंध में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा दिया गया एक सुझाव यह था उत्तर पूर्व क्षेत्र उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर या तो उपकर की वसूली न की जाए या उस पर उप कर की दर को कम से कम 50% तक घटा दिया जाए। ऐसे बजटीय प्रस्तावों पर सरकार के निर्णय संबंधित वर्षों के लिए वित्त बिलों में परावर्तित होते हैं।

[हिन्दी]

बारामूला में भूमि का अधिग्रहण

2404. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रक्षा प्रयोजनों से बारामूला जिले में कितना भूमि क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस भूमि के लिए किसी मुआवजे और किराए का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कलक्टर से अवार्ड प्राप्त होने पर, बारामूला जिले में चार गांवों में 1227 कनाल और 14-$^1/_2$ मरला भूमि के अधिग्रहण और उपर्युक्त भूमि पर अवस्थित ढांचों और वृक्षों की लागत के लिए 5,33,64,107 रुपए के मुआवजे के भुगतान के लिए सरकारी मंजूरी मार्च, 2000 में जारी की गई थी। उपर्युक्त धनराशि में से ऑन अकाउंट भुगतान के रूप में 2,10,05,071 रुपए की राशि उपायुक्त, बारामूला के पास जमा करा दी गई है। 3,23,59,036 रुपए की शेष राशि पूर्व भूस्वामियों को संवितरित करने के लिए उपायुक्त, बारामूला के पास ही जमा करा दी गई थी। इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि की पूर्ण अधिग्रहण लागत 1993 और 2000 में जमा कर दी गई थी। तत्पश्चात्, संवितरण उपायुक्त द्वारा किए जाने थे।

तथापि, रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए मुआवजे के विरुद्ध कुछ पूर्व भूस्वामियों ने माध्यस्थम् नियुक्त किए जाने की मांग की थी और राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारामूला को मुआवजा तय करने के लिए नियुक्त किया है। माध्यस्थम् पंचाट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेलवे स्कूल

2405. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में रेलवे स्कूलों की स्थल-वार संख्या क्या है;

(ख) कितने स्कूलों के पास अपने निजी भवन नहीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौडा पाटील (यत्नाल)]: (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चेमांचेरी रेलवे स्टेशन

2406. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चेमांचेरी रेलवे स्टेशन, जिसका भारत छोड़ो आंदोलन से घनिष्ठ संबंध रहा है, को बंद करने के संबंध में मंडल रेल प्रबंधन के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्टेशन के बनाए रखने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) यात्री यातायात कम प्राप्त होने के कारण रेलवे ने चेमांचेरी हाल्ट स्टेशन को बंद करने का विनिश्चय किया था। बहरहाल, चेमांचेरी हाल्ट स्टेशन इस समय परिचालन में है।

ट्वाय ट्रेन का बंद किया जाना

2407. श्रीमती मिनाती सेन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दार्जिलिंग में भूस्खलन के कारण ट्वाय ट्रेन की आवाजाही जुलाई, 2003 में बंद कर दी गयी थी;

(ख) क्या रेल मार्ग की मरम्मत के बाद रेल चलाई गई थी;

(ग) क्या रेलवे टिकटों की अग्रिम बिक्री के बाद पूजा के दौरान ट्वाय ट्रेन नहीं चलाई गई थी;

(घ) क्या रेलवे ने अग्रिम टिकट धनराशि वापस कर दी थी लेकिन पूजा के दौरान ट्वाय ट्रेन नहीं चलाई गई इस प्रकार पर्यटक यात्रा का आनंद नहीं ले सके; और

(ङ) यदि हां, तो ट्वाय ट्रेन की आवाजाही को अचानक बंद करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। भूस्खलन के कारण 8 जुलाई से 14 सितम्बर, 2003 तक ट्वाय ट्रेन के संचलन को बंद कर दिया गया था।

(ख) जी हां। 15 सितम्बर, 2003 से दार्जीलिंग और सिलीगुड़ी जं. के बीच सेवाएं बहाल कर दी गई थी।

(ग) जी नहीं। ट्वाय ट्रेन दुर्गापूजा के दौरान 2.10.2003 से 5.10.2003 तक चलाई गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत उत्पादन और वितरण

2408. श्री राजो सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन/वितरण/पारेषण की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय पूल से और विद्युत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का राज्य में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में विद्युत के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्र	मि.यू. में कुल उत्पादन		
			थर्मल	हाइड्रो	कुल
1.	2000-01	राज्य	716	49	765
		केन्द्रीय	4826	–	4826
		कुल	5542	49	5591
2.	2001-02	राज्य	673	58	731
		केन्द्रीय	4513	–	4513
		कुल	5186	58	5244
3.	2002-03	राज्य	531	59	590
		केन्द्रीय	4995	–	4955
		कुल	5526	59	5585

बिहार राज्य में निजी क्षेत्र की कोई यूनिट नहीं है।

भारत सरकार ने कुल तकनीकों और वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों में कमी करके राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए तथा शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों के सघन विद्युतीकृत जोनों में उप-पारेषण एवं वितरम के उच्चीकरण करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। वर्ष 2002-03 के दौरान सरकार के बिहार राज्य में उप-पारेषण एवं वितरण के उच्चीकरण हेतु 737.97 करोड़ रुपये की उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएण्डडी), मीटरिंग और डीएमएस/एससीएडीए परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है इसके अतिरिक्त बिहार सरकार और बीएसईबी ने चरणबद्ध तरीके से विद्युत सुधार क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन और करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किये हैं। सरकार ने वर्ष 2000-01 और 2002-03 के दौरान बिहार में एसटीएण्डडी में सुधार करने के लिए एपीडीआरपी के अन्तर्गत क्रमशः 11.16 करोड़ रुपये और 66.11 करोड़ रुपये मुहैया किये हैं।

बिहार हेतु (इसके विभाजन के पश्चात) विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले विशेष अनुदान के साथ बिहार में 365 करोड़ रुपये की उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुधार की एक स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने सस्ते विद्युत स्टेशन अर्थात पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी के तालचेर एसटीपीएस से आवंटन बढ़ाने तथा एनटीपीसी के फरक्का और कहलगांव एसटीपीएस के बीच आवंटन का पुनः विनियोजन किये जाने का अनुरोध किया है। क्षेत्र के सभी भागीदारों के अनुरोध के मद्देनजर तालचेर एसटीपीएस से बिहार के लिए आबंटन में सम्भावित सीमा तक वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त तालचेर एसटीपीएस से बिहार को 50 मे.वा. का एक आबंटन किया गया है ताकि नेपाल को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए उसकी वचनबद्धता पूरी हो सके।

(ङ) और (च) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु के.वि.प्रा. में बिहार जल विद्युत निगम (बीएचपीसी) से प्राप्त निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की जांच कर ली गई थी और नीचे इंगित किये गये कारणों से उन्हें लौटा दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	वापसी की तिथि	कारण
1.	शंख 2 एचईपी (2×90+2×3= 186 मे.वा.)	दिसम्बर 1997/दिसम्बर 1999	दिसम्बर 1998/ जनवरी 2000	के.वि.प्रा./सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों पर विचार नहीं किया गया था।
2.	कनहर पीएसएस (3×100 = 300 मे.वा.)	जनवरी 1990/मई 1999	जुलाई 1990/जुलाई 1999	के.वि.प्रा./सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों पर विचार नहीं किया गया था
3.	कधवान एच.ई. परियोजना (3×150 = 450 मे.वा.) (पुनः इन्द्रापुरी नाम दिया गया)	फरवरी 1995	मार्च 1995	अन्तर राज्यीय पहलू शामिल थे

[अनुवाद]

फील्ड पब्लिसिटी यूनिट्स की स्थापना

2409. श्री अनन्त नायक: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2003-2004 के दौरान देश में अतिरिक्त फील्ड पब्लिसिटी यूनिट्स की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मनु-अगरतला रेल परियोजना

2410. श्री खगेन दास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में मनु-अगरतला क्षेत्र में रेल लाइन विस्तार विशेषकर सुरंग निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या तीन सुरंगों में से दो सुरंगों के भविष्य का अभी भी पता नहीं है, यद्यपि इन सुरंगों के लिए निविदाएं पिछले वर्ष आमंत्रित की गई थीं;

(घ) सरकार का सुरंग कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ङ) क्या विस्फोट और अन्य सामग्रियों के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं क्योंकि इन सामग्रियों को बाहर से लाया जाना है;

(च) क्या इन सामग्रियों में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इन्हें पहाड़ी भाग से होकर लाया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कुमारघाट-अगरतला नई रेल लाइन के मानु-अगरतला खंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि, पुल और सुरंग आदि संबंधी निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। निर्माण कार्य की कुल लागत लगभग 879 करोड़ रुपये है जिनमें से मार्च, 2003 तक 259.67 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान परियोजना के लिए 85 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) दो सुरंगों के ठेके पहले ही दे दिए गए हैं और तीसरे सुरंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) से (छ) पर्वतीय खंड से गिट्टी और अन्य सामग्री के परिवहन में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है लेकिन इस परियोजना के लिए यह जटिल कार्य नहीं है अन्य तल्प कार्यों के आधार पर यथासमय सामग्री की खरीद की जाएगी।

[हिन्दी]

यात्री ट्रेनों की गति में वृद्धि

2411. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में यात्री ट्रेनों की गति 60 कि.मी. प्रति घंटा है जबकि अन्य विकासशील देशों में यह गति 100-120 कि.मी. प्रति घंटा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्री ट्रेनों की गति बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) भारतीय रेलों पर रेलगाड़ियों की गति रेलगाड़ियों के वर्गीकरण यथा राजधानी, शताब्दी, जन-शताब्दी, सुपरफास्ट, मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के आधार पर होता है। भारतीय रेलों के चुनिंदा खण्डों पर अधिकतम अनुमेय गति 140 कि.मी. प्रति घंटा है।

(ग) और (घ) परिचालनिक व्यवहार्यता के आधार पर रेलगाड़ी की गति को बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

असम में विद्युत वित्त निगम द्वारा विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

2412. श्रीमती रानी नरह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर असम राज्य में विद्युत वित निगम (पी.एफ.सी.) द्वारा वित्त पोषित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक स्वीकृत और जारी की गई राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा देश में निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को दी गई स्वीकृति एवं किए गए संवितरण के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। वर्तमान में निर्माणाधीन ऐसी कोई विद्युत उत्पादन परियोजना नहीं है जिसका पीएफसी द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है।

विवरण

देश में निर्माणाधीन राज्य विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा किया गया संवितरण (30.11.2003 की स्थितिनुसार)

राशि (करोड़ रुपये में)

राज्य	क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत	संवितरण
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1.	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक 6×150 मेगावाट परियोजना	115	51.77
		कुल जोड़	115	51.77
दिल्ली	1.	दिल्ली में गैस आधारित 330 मेगावाट परियोजना	700	485.53
		कुल जोड़	700	485.53
गुजरात	1.	छेर कच्छ में 2×125 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना	500	159.81
	2.	धुवरण में 106.17 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना	231	119.65
		कुल जोड़	731	279.46
हरियाणा	1.	2×250 मेगावाट पानीपत थर्मल यूनिट 7 व 8	1000	534.23
	2.	14.4 मेगावाट पश्चिम यमुना नहर चरण-2	56	29.03
		कुल जोड़	1056	563.26
हिमाचल प्रदेश	1.	लारजी 3×42 मेगावाट हेतु अतिरिक्त ऋण	214	94.63
		कुल जोड़	214	94.63
जम्मू-कश्मीर	1.	चेनानी चरण-3 3×2.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजना	6.56	6.26
	2.	अपर सिंध 3×35 मेगावाट जल विद्युत परियोजना	61.47	47.46
		कुल जोड़	68.03	53.72
कर्नाटक	1.	290 मेगावाट अलमाटी बांध विद्युत गृह	500	134.09
		कुल जोड़	500	134.09
मध्य प्रदेश	1.	बीरसिंहपुर कोयला 1×500 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना	1560	163.64
	2.	बाणसागर टोंस चरण 90 मेगावाट चरण-2 परियोजना	93	89.62
	3.	मारीखेड़ा (मोहिनी) 2×20 मेगावाट जल विद्युत परियोजना	119	20.71
	4.	बाणसागर टोंस 2×10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना	63.9	9.39
		कुल जोड़	1835.9	283.36

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	1.	पारली ताप विद्युत विस्तार परियोजना 1×250 मेगावाट	105	0.15
		कुल जोड़	105	0.15
नागालैंड	1	लिकिमरो 24 मेगावाट जल विद्युत परियोजना	15	13.87
			15	13.87
तमिलनाडु	1	भवानी-कट्टलाई जल विद्युत परियोजना 2×15 मेगावाट	77.6	29.43
		कुल जोड़	77.6	29.43
उत्तरांचल	1.	मनेरी भाली चरण-2 4×76 मेगावाट	418	201.13
		कुल जोड़	418	201.13
		कुल जोड़	5835.53	2190.4
		कुल क्षमता अभिवृद्धि	3887.07 मेगावाट	

आयुध कारखानों में आग की दुर्घटनाएं

2413. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न आयुध कारखानों में पूर्व में हुए आग/विस्फोट की घटनाओं की जांच कर रहे जांच बोर्ड/न्यायालय ने ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कोई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे सुझावों के क्रियान्वयन के बावजूद आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों में अक्तूबर 2003 तक इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) आग लगने/विस्फोट होने की प्रत्येक घटना की जांच करने तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए जांच बोर्ड का गठन किया जाता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात् 2000-01 से 2002-03 तक) के दौरान आग लगने/विस्फोट होने की 10 घटनाओं की रिपोर्ट मिली थी। 8 मामलों में जांच बोर्डों द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपाय लागू कर दिए गए हैं। शेष दो मामलों के बारे में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) पिछले कुछ समय में आग लगने/विस्फोट होने की घटनाओं में कमी आयी है। वर्ष 2001-02 के दौरान हुई 6 घटनाओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2002-03 में 3 घटनाएं हुई हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक घटना हुई है।

रेवाड़ी स्थित बी.पी.सी.एल. डिपो से पेट्रोलियम उत्पादों की कम आपूर्ति

2414. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेवाड़ी और पानीपत स्थित बी.पी.सी.एल. डिपो के कैलीबेरेशन टावर में प्रत्येक टैंकर में पेट्रोलियम उत्पादों की कम आपूर्ति करते हुए पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस स्थिति से बचने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या बी.पी.सी.एल. का विचार कम आपूर्ति के कारण डीलरों/उपभोक्ताओं को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या डीलर कम आपूर्ति की प्राप्ति की स्थिति में "प्योर फार स्योर" की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो निगम द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या उपभोक्ताओं को सही और ठीक-ठीक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 12 के.एल. के प्रत्येक टैंकर में 6 लीटर अतिरिक्त उत्पाद डालने का प्रावधान है; और

(छ) यदि हां, तो क्या बी.पी.सी.एल. के पानीपत के डिपो में पेट्रोलियम उत्पादों की सुपुर्दगी करते समय इस प्रक्रिया का पालन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) अधिकांश लोकेशनों पर, उपलब्ध मानक मापों के अंशांकन टावरों को अंशाकित किया गया है और उसे राज्य सरकार के माप और तौल विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस सुविधा से टैंकरों के अंशांकन में मदद मिलती है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के रेवाड़ी डिपो को हरियाणा सरकार के माप और तौल विभाग द्वारा अंशांकन टावर को दिनांक 13.6.2003 को अंशांकित किया गया और उसे प्रमाणित किया गया था। एक डीलर से शिकायत मिलने पर, माप और तौल विभाग द्वारा दिनांक 8.7.2003 को अंशांकन टावर सत्यापित किया गया था और यह पाया गया कि प्रति 1000 लीटर पर 3 लीटर माल कम दिया जा रहा था जो अनुज्ञेय सीमा से बाहर था। अत: टावर को उस दिन पुन: अंशांकित किया गया था और तब से अंशांकन टावर और टैंकर उपयोग में हैं और डीलरों/ट्रांसपोर्टरों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के पानीपत डिपो को हरियाणा सरकार के माप और तौल विभाग द्वारा अंशांकन टावर को दिनांक 3.3.2003 को अंशांकित किया गया और उसे प्रमाणित किया गया था। कुछ डीलरों के कहने पर, माप और तौल विभाग ने अंशांकन टावर को दिनांक 17.8.2003 को सत्यापित किया, उस समय अंशांकन सही पाया गया था। तब से अंशांकन टावर और टैंकरों का प्रयोग किया जा रहा है और डीलरों/ट्रांसपोर्टरों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(च) और (छ) टैंकर की अंशांकित प्रमात्रा के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की प्रमात्रा की डिलिवरी दी जाती है और अंशांकित प्रमात्रा के अतिरिक्त प्रमात्रा की डिलिवरी देने की कोई प्रथा नहीं है।

बी.पी.सी.एल. और एफ.ए.आई.पी.टी. के बीच सांठगांठ

2415. श्री भास्करराव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बी.पी.सी.एल. ने एफ.ए.आई.पी.टी. के अध्यक्ष के साथ सांठगांठ से सरकार के बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के विनिवेश के उद्देश्य के विरुद्ध काम किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बी.पी.सी.एल. को नई दिल्ली में पेट्रोल पम्पों का अवैध निर्माण और दिल्ली में बेनामी पेट्रोल पम्पों के परिचालन की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया गया है;

(घ) तेल कंपनियों के डिवीजनल/क्षेत्रीय प्रबंधकों की सहायता से बेनामी लेन-देन के अंतर्गत दिल्ली और हरियाणा में कितने पेट्रोल पम्प डीलरशिप चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) दोषी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है और इस संबंध में अब तक जांच किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने दिल्ली में न तो पेट्रोल पम्पों के अवैध पुन:स्थापन की इजाजत दी है और न ही इनके बेनामी प्रचालन की अनुमति दी है।

(घ) दिल्ली तथा हरियाणा में बेनामी लेन-देनों के तहत प्रचालन किए जा रहे पेट्रोल पम्पों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त "घ" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.ओ.सी.एल. और आई.बी.पी. के कोको पेट्रोल पम्प

2416. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.ओ.सी.एल. और आई.बी.पी. के कुछ पेट्रोल पम्प कोको ठेकेदारों/संचालकों के माध्यम से पूर्ण रूप से कोको आधार पर चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी के संबंधित डिवीजनल इंचार्ज की सिफारिशों पर कोको ठेकेदार का कार्यकाल 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है/बढ़ाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे परिचालकों के कार्यकाल को बढ़ाने के मानदंड क्या हैं;

(घ) उन आई.ओ.सी.एल. कोको पम्पों का ब्यौरा क्या है जिनमें अगले एक वर्ष में संचालकों को बदल दिया जाएगा;

(ङ) क्या आई.ओ.सी.एल. ने कोको परिचालकों के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के बावजूद उनको बदलने के लिए एस.टी.एम./सी.डी.एम. डिवीजनल कार्यालयों को खुली छूट दे रखी है; और

(च) यदि नहीं, तो उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है और जिनके अंतर्गत कोको परिचालकों को बदला जाना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (च) किसी विशेष कोको डीलरशिप के लिए जाब ठेकेदार का परिवर्तन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा:

(1) नियमित डीलर का चयन।

(2) संविदा शर्तों का भंग होना।

(3) खराब कार्यनिष्पादन।

(4) अवधि की समाप्ति।

(ङ) जी, नहीं।

डीलरों का कमीशन

2417. डा. चरणदास महंत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रम अध्ययन कराने के बावजूद डीलरों के कमीशन को तार्किक और व्यावहारिक बनाने के मुद्दे का अभी भी समाधान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल की बिक्री में डीलरों का वर्तमान कमीशन उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल क्षेत्र के कुछ सरकारी उपक्रम विशेषकर बी.पी.सी.एल. की इस मुद्दे पर कुछ आपत्तियां हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर डीलरों के कमीशन को बढ़ाने के बारे में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) पेट्रोलियम क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के समापन के साथ सरकार पेट्रोल तथा डीजल पर डीलरों का कमीशन; जो अब संबंधित तेल कंपनियों के द्वारा नियत किया जा रहा है, को अब नियत नहीं कर रही है। डीलरों के कमीशन के संशोधन के विषय में विचार करना तेल कंपनियों का काम है। तेल कंपनियों ने 1 नवम्बर, 2002 से प्रभावी डीलरों के कमीशन में अंतिम संशोधन किया था। इस संशोधन के अनुसार पेट्रोल पर डीलर कमीशन प्रति किलो लीटर 613 रुपये से बढ़ाकर प्रति किलो लीटर 639 रुपए तथा डीजल पर प्रति किलो लीटर 365 से प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर 385 रुपए कर दिया गया है।

जहां तक मिट्टी तेल का संबंध है, थोक बिक्री डीलर कमीशन में पिछला संशोधन 4/5 जून, 2002 से किया गया था और संशोधित कमीशन फार्म-13 विहिन डीलरों के लिए 161 रुपए तथा फार्म-13 लाइसेंस वाले डीलरों के लिए 204 रुपए प्रति किलो लीटर है।

महिला भूस्वामियों को डीलरशिप

2418. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपन्यिों ने एक डीलर चयन नीति बनायी है जिसके अनुसार भूस्वामियों की बेटियों/बहनों को डीलरशिप देने के लिए नामित नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं है और इस युग में महिलाओं को उनके उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखने वाला कदम है; और

(ग) समाज की महिलाओं विशेषत: परिवार की अविवाहित लड़कियों को लाभ दिलाने के मद्देनजर इस नीति में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) दिनांक 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के नियंत्रणमुक्त होने के बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोलपम्प), एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा

एसकेओ-एलओडी डीलरशिपों के लिए उनके द्वारा अपनाये गये दिशानिर्देशों के आधार पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को मात्र यह सलाह दी है कि वे दिशा-निर्देशों में बताए गए विस्तृत पैमानाओं का पालन करें। इनमें से एक पैमाना यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसका आशय है कि प्रत्येक श्रेणी में 33% डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा तैयार किए दिशानिर्देशों में भूस्वामियों को डीलरशिपों के आबंटन का प्रावधान है बशर्ते वे कुछ अपेक्षाओं को पूरा करें।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2419. श्री महेश्वर सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकलांग लोगों से प्रत्यक्ष रूप से विकलांगों संबंधी परियोजनाओं के लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, संसद सदस्यों के माध्यम से राज्य-वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने अभ्यावेदन स्वीकार किए गए एवं कितने लंबित हैं तथा विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मदुरै स्थित ''अम्बागाम इंस्टीट्यूट फार द मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन'' नामक स्वयंसेवी संगठन द्वारा चलाई जा रही विकलांगों संबंधी परियोजनाओं के लिए अनुदान की सिफारिश पिछली जुलाई, अगस्त में केन्द्र सरकार के पास भेजी गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों की प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(च) यदि हां, तो क्या मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो सके और पारदर्शिता बनाए रखी जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना जो पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई प्रोत्साहन देने वाली योजना के नाम से थी, के अंतर्गत, वर्ष 2003-04 (15.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार) के लिए प्राप्त, कार्रवाई किए गए और लंबित प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (छ) अम्बागम बाल मानसिक विकलांग संस्थान; मदुरै से प्राप्त सहायता अनुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। स्वीकृति के लिए इसकी संस्तुति नहीं की गई है क्योंकि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना जो पहले विकलांग, व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाती थी के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा इस जिले में 15 परियोजनाओं को पहले ही सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। संगठन को इस निर्णय से सूचित कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त	स्वीकृत	लम्बित*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	245	220	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	2
3.	असम	21	15	6
4.	बिहार	29	26	3
5.	चंडीगढ़	3	2	1
6.	छत्तीसगढ़	4	3	1
7.	दिल्ली	41	33	8
8.	गोवा	4	3	1
9.	गुजरात	37	27	10
10.	हरियाणा	20	18	2
11.	हिमाचल प्रदेश	9	5	4
12.	जम्मू-कश्मीर	7	5	2
13.	झारखण्ड	8	7	1
14.	कर्नाटक	105	95	10
15.	केरल	96	74	22
16.	मध्य प्रदेश	30	27	3

1	2	3	4	5
17.	महाराष्ट्र	55	36	19
18.	मणिपुर	24	19	5
19.	मेघालय	7	5	2
20.	मिजोरम	6	5	1
21.	उड़ीसा	46	40	6
22.	पांडिचेरी	4	2	2
23.	पंजाब	9	17	2
24.	राजस्थान	23	19	4
25.	तमिलनाडु	158	128	30
26.	त्रिपुरा	8	5	3
27.	उत्तर प्रदेश	72	56	16
28.	उत्तरांचल	9	5	4
29.	प. बंगाल	81	73	8

*सहायतानुदान की निर्मुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इसकी योजना के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों की, निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य सरकार की सिफारिश आदि की दृष्टि से जांच की जाती है तथा सत्यापित की जाती है। त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के लिए अपेक्षानुरूप स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। तत्पश्चात, इस मामले को समेकित वित्त प्रभाग की सहमति के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाबद्ध किया जाता है। लम्बित मामले कार्रवाई के लिए विभिन्न स्तरों पर हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना

2420. श्री परसुराम माझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बोर्ड की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आई.ओ.सी.एल. और आई.बी.पी. द्वारा डीलरों का चयन

2421. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.ओ.सी.एल. और आई.बी.पी. द्वारा तत्कालीन नीति के अनुसार जनवरी, 2003 में 610 स्थानों के लिए डीलरों के चयन संबंधी निर्णय अभी भी सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भेदभाव से बचने के लिए ऐसे सभी 610 साक्षात्कारों को बदलने/खत्म करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन तेल कंपनियों ने सरकार या तेल कंपनियों की नीति का उल्लंघन करके ये साक्षात्कार आयोजित किये थे;

(घ) यदि हां, तो इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तेल कंपनियों द्वारा तैयार की गई मेरिट मेधा सूची के अनुसार इन सभी पम्पों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के समापन के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) अपने द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के लिए डीलरों/वितरकों का चयन करने के लिए प्राधिकृत हैं। सरकार ने संबंधित तेल विपणन कंपनियों को दिशानिर्देशों के अंतर्गत कुछ व्यापक प्राचल अपनाने की सलाह दी हैं; तथा तत्पश्चात इन तेल विपणन कंपनियों ने अपने नामनिर्देश प्रतिपादित किए हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा आईबीपी कं. लिमिटेड द्वारा किए चयन के मामलों में निर्णय इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

पेट्रोल का आर.वी.पी. परीक्षण

2422. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.एम.डी.एस. में उत्पादों की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार पेट्रोल की रीड वेपर प्रेशर (आर.वी.पी.) जांच तेल कंपनियों के डिपो या टर्मिनलों में तेल शोधनशाला स्तर पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल की प्रयोगशाला जांच के बाद पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है और मिलावट के बाद कोई उत्पाद जांच नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के बाद विनिर्दिष्टताओं का क्या प्रभाव पड़ता है;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार/तेल कंपनियों को इथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो मोटरमालिकों के हितों की रक्षा करने हेतु कब तक सुधारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पेट्रोल का विस्तृत विश्लेषण रीड वाष्प दबाव (आर वी पी) परीक्षण सहित बी आई एस विनिर्देशों के अनुसार रिफाइनरियों में किया जाता है।

(ख) पेट्रोल और एथेनोल के प्रयोगशाला परीक्षण के बाद पेट्रोल में एथेनोल का मिश्रण किया जाता है। ट्रक लदान के दौरान पेट्रोल में एथेनोल आन-लाइन मिलाया जाता है। पेट्रोल में एथेनोल मात्रा (आयतन %) की जांच करने के लिए लाये गये उत्पाद नमूने का परीक्षण किया जाता है।

(ग) पेट्रोल में एथेनोल के मिश्रण में आक्टेन संख्या और आक्सीजन मात्रा में सुधार होता है।

(घ) सरकार ने दो चरणों में पूरे देश में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूसरे चरण में इसकी शुरुआत की जानी है।

(ङ) और (च) देश के चुनिंदा क्षेत्रों से वाहनों के खराब होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वाहनों पर इसके समग्र प्रभाव की जांच करने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल वाहनों के स्वामियों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करना, एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की अनुमति दे दी गई है।

भारी मात्रा में पी.ओ.एल. उत्पाद से लदे टैंकरों की जब्ती

2423. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लेह जाने वाले भारी मात्रा में पी.ओ.एल. उत्पाद से लदे कुछ टैंकरों को मिलावट करते पंचकुला पुलिस की अपराध शाखा द्वारा पकड़ा गया था और नियत स्थान तक पहुंचाने पर उत्पाद की गुणवत्ता को सही घोषित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा संबंधी कुछ टी/टी उत्पाद पुलिस अधिकारियों द्वारा जगाधारी में भी पकड़ा गया था और ट्रांससपोर्टरों की फर्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो किस परिस्थिति में इन फर्मों का परिवहन कार्य दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी का पता लगाने हेतु जांच कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) जगाधरी पुलिस द्वारा अगस्त, 2003 के अंतिम सप्ताह में एक टैंक ट्रक सामान्य मार्ग से हटकर एक गलत मार्ग पर जाते पकड़ा गया था। जांच-पड़ताल के पश्चात यह टैंक ट्रक पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया था और इसे प्रेषिती को उत्पाद सुपुर्द करने की अनुमति दे दी गई थी; जो उत्पाद प्रेषिती द्वारा पूर्ण मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। तथापि, चूंकि इसने सामान्य मार्ग का अनुसरण नहीं किया था, इसलिए यह ट्रक पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, अतएव संबंधित टैंक ट्रक पर तेल उद्योग द्वारा अनुसरण किए जाने वाले परिवहन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार 2 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी।

पेट्रोल और डीजल के नमूनों का प्रतिधारण

2424. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रयोगशाला द्वारा नमूनों में संदेह होने/विफल होने के मामले में नमूनों की भुगतान के आधार पर टेस्ट कराने के लिए डीलरों को पेट्रोल और डीजल के प्रतिधारण नमूने सौंप दिए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो डीलरों का प्रतिधारण नमूने अर्थात् तीसरा नमूना देने की क्या जरूरत है;

(ग) क्या इसके लिए जांच एजेंसियों और नमने लेने वाले प्राधिकारियों के लिए आवश्यक है और उनके लिए यह बाध्यकारी है कि वे हाल के निर्देशों और निर्णयों के अनुसार पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध संदर्भ नमूने का टेस्ट के परिणाम से मिलान करें;

(घ) यदि नहीं, तो संदर्भ नमूने रखने का क्या महत्व है; और

(ङ) इस संबंध में तेल कंपनियों को निदेश कब तक जारी किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) तेल उद्योग ने मिलवट को पृथक करने और इस प्रकार इसके स्रोत का पता लगाने के लिए 3 चरणों की नमूना प्रक्रिया अपनाई है जिससे दोषरहित डीलरों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। डीलरों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। डीलर को 2 × 1 लीटर एम एस (मोटर स्पिरिट) और/या 1 × 1 लीटर एच एस डी (हाई स्पीड डीजल) के नमूने अपने पास रखने चाहिए और टैंक ट्रक चालक/परिवहनकर्त्ता के प्रतिनिधि को परिवहनकर्त्ता द्वारा अपने पास रखे जाने के लिए 2 × 1 लीटर एम एस और/या 1 × 1 लीटर एच ए डी के नमूने भुगतान के प्रति सौंप देने चाहिए। डीलर द्वारा इस प्रकार रखे गए नमूने (नमूनों) को ''प्रतिधारित टैंक ट्रक नमूने'' कहा जाएगा। डीलर इन नमूनों को तब तक अपने पास रखेगा, जब तक खुदरा बिक्री केन्द्र में संबंधित भूमिगत टैंकों में अगले दो लोड प्राप्त न हो जाएं।

डीलर के अनुरोध पर, डीलर को सौंपे गए एम एस/एच एस डी का प्रतिधारण नमूने का सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परीक्षण किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) आपूर्ति स्थान दैनिक आधार पर उस टैंक(रों) के एम एस/एच एस डी के नमूने एकत्र करते हैं और रखते हैं जिससे उस दिन उत्पाद की आपूर्ति की जाती है। जैसे ही खुदरा बिक्री केन्द्र से कोई नमूना लिया जाता है और परीक्षण के लिए भेजा जाता है, वैसे ही आखिरी आपूर्ति का ''प्रतिधारिता टैंक ट्रक नमूना'' जो डीलर द्वारा लिया गया था और रखा गया था और आपूर्ति स्थल का संदर्भ नमूना भी रखने की जरूरत होती है और परीक्षण के लिए भेजना होता है। इस प्रक्रिया से मिलावट के स्थान का पता लगाने और दोषी डीलर/परिवहनकर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करने की आवश्यकता होती है।

ओ.एन.जी.सी. के हेलिकॉप्टरों द्वारा अपनाए जा रहे सुरक्षोपाय

2425. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओ एन जी सी द्वारा प्रयोग किये जा रहे हेलिकॉप्टर प्राधिकारियों द्वारा विहित सुरक्षोपायों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हेलिकॉप्टरों के लिए सुरक्षोपाय लागू करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने यह सूचित किया है कि वह हेलीकाप्टर भाड़े पर ले रही है जिनके अंतर्गत प्रचालकों को संबंधित सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। ओ एन जी सी द्वारा मेस्को एयरलाइन्स से भाड़े पर लिए गए हेलीकाप्टर की 11.8.2003 को अमंगल दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) इस दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए एक सांविधिक जांच कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपतटीय प्रचालनों, विशेष रूप से हवाई संभार-तंत्र और निरीक्षण प्रणाली में जान की सुरक्षा और संरक्षा के पहलुओं; हेलीकाप्टरों; विशेष रूप से एम आई-172 हेलीकाप्टरों को किराए पर लेने और दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकाप्टर को किराए पर लेने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय स्वतंत्र जांच समिति का भी गठन किया है। समिति से अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

कोटा ताप विद्युत स्टेशन की छठी इकाई का गिर जाना

2426. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा ताप विद्युत स्टेशन कोटा, राजस्थान की छठी इकाई ढह गई है और उसने काम करना बंद कर दिया जिससे जानमाल की भारी हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विद्युत उत्पादन इकाई में सरकार की कितनी वित्तीय भागीदारी थी और सरकार ने हानि की क्षतिपूर्ति में कितनी सहायता दी; और

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारों के उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनकी देखरेख में उक्त इकाई का निर्माण हो रहा था और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कोटा ताप विद्युत केन्द्र की छठी यूनिट (195 मेगावाट) में 6 कोल बंकर हैं, जिसमें से 25.5.2003 को चार क्षतिग्रस्त हो गये। परिणामस्वरूप यूनिट का विद्युत उत्पादन रुक

गया। इस दुर्घटना में मेसर्स डॉवेल इंजिनियर्स कंपनी, चैन्नई (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उप-ठकेदार) के चार कामगारों की मौत हो गई। इसमें हुई क्षति के ब्यौरे तैयार एवं मूल्यांकित किये जाने बाकी हैं।

(ग) यूटिन के निर्माण के लिए कुल 500.00 करोड़ रुपये (लगभग) निर्धारित हैं, जिसमें से राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में 190.00 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। राज्य सरकार ने दुर्घटना में दिवंगत चारों कामगारों के परिवार के सदस्यों को एक-एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं।

(घ) यूनिट के अभिकल्पन एवं उत्थापन का काम आर वी यू एन एल के ठेकेदार मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया तथा अन्य उपस्करों जैसे कोयला मिल आदि की संस्थापना का काम भेल द्वारा मुख्य अभियंता (केटीपीएस) के अंतर्गत आर वी यू एन एल के विभागीय अभियंताओं के पर्यवेक्षण में किया गया।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

2427. **श्री अम्बरीश:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के मुख्य उपभोक्ता कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की कीमतों में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से गैस आधारित विद्युत की कीमत न बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसका राज्य वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत गैस आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की राज्यों को आबंटित किये गये हिस्से के अनुसार आपूर्ति की जाती है और राज्य क्षेत्र में उत्पादित विद्युत संबंधित स्टेट ग्रिड को दी जाती है। विभिन्न स्रोतों से विद्युत को सामान्यतया स्टेट ग्रिड में संग्रहीत किया जाता है और राज्य में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में आपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, नहीं। विद्युत टैरिफ का विनियमन संबंधित विनयामक आयोगों द्वारा किया जाता है। तथापि, चूंकि गैस का मूल्य परिवर्तनशील है, अत: गैस के मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि से टैरिफ प्रभावित हो सकती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) राज्य यूटिलिटियों तथा उपभोक्ताओं और राजकोषीय कमी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए देश में प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि न करने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त किए गए हैं।

(ङ) इस समय मूल्य वृद्धि संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं हेतु अनुदान/ऋण

2428. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष तौर पर महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं हेतु अनुदान/ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र की ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में कौन-कौन सी परियोजनाएं लंबित हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) सरकार, महाराष्ट्र सहित समूचे देश में कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ख) महाराष्ट्र को चालू वित्तीय वर्ष में (30.11.2003 तक) दो बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए 2.85 करोड़ रु. और बायोगैस संयंत्रों के लिए 1.24 करोड़ रु. सहित 4.10 करोड़ रु. की कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ग) मंत्रालय में महाराष्ट्र के लिए कोई अपारंपरिक ऊर्जा परियोजना लंबित नहीं है।

उत्तर प्रदेश के लिए रसोई गैस डीलरों का चयन

2429. **श्री रामजी मांझी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए रसोई गैस वितरकों के चयन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारियों ने अभ्यावेदनों की विस्तार से जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार ने पहली सूची वाले अभ्यर्थियों के चयन को रद्द कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने स्वयं द्वारा अपनाए गये नए दिशानिर्देशों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन आरम्भ कर दिया है। तेल विपणन कंपनियां अपने अधिकारियों द्वारा किए गए चयनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने और अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में नए दिशानिर्देशों के अनुसार तेल विपणन कम्पनियों द्वारा किए गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के किसी चयन को रद्द नहीं किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग में घोटाला

2430. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग में बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट पर अथवा दोषी अधिकारियों के खिलाफ और क्या कार्यवाही की गई/की जानी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, वर्ष 2002 के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से नकली हवाई यात्राएं किए जाने का एक मामला आयोग के ध्यान में लाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471/120-ख के अंतर्गत एफ आई आर नं. 172/03 दिनांक 8.1.2003 मामला दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक जांच करने के लिए पुलिस थाना तुगलक रोड, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है।

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मामले

2431. **श्री राम टहल चौधरी:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती के कई वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और उनके विरुद्ध केस दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के विरुद्ध भ्रष्टाचार का क्या मामला है;

(ग) क्या उनमें से कुछ अधिकारी अभी भी सेवारत हैं और उनके विरुद्ध मामला पूरा होने तक उन्हें निलंबित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। जांच अधिकारी की सिफारिशों के विशेष संदर्भ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी को निलम्बन के अंतर्गत रखने अथवा न रखने का निर्णय अनुशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जाता है।

विवरण

वर्ष 2003 के दौरान जिन वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनके नाम और संक्षेप में भ्रष्टाचार के विशेष आरोप

क्र.सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम सर्वश्री	संक्षेप में विशेष आरोप
1	2	3
1.	एम.बी. पहाड़ी, उपमहानिदेशक	मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके टी.वी. कार्यक्रम प्रदान करके कुछ फर्मों को अनुचित लाभ दिया।
2.	एस.जैड फाजिल, केन्द्र निदेशक	जब वे केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, एशियाड विलेज, नई दिल्ली में सहायक केन्द्रीय निदेशक (सी.ओ.) के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने एक

1	2	3
		कश्मीरी संगीत एवं मनोरंजन कार्यक्रम पर कार्रवाई की। कलाकारों को शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुमान तैयार करते समय उच्च दरों पर अनुमान तैयार किये और उन्हें दुगुना भुगतान किया। श्री फाजिल ने निजी निर्माताओं के साथ सांठ-गांठ से झूठी/नकली/जाली रसीदें स्वीकार की।
3.	शशांक नारायण, सहायक बिक्री नियंत्रक, प्रसार भारती	उन्होंने दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता में फीचर फिल्म के प्रसारण के लिए नीलामी नियमों का उल्लंघन करके एक निजी फर्म के पक्ष में गैर-प्रयुक्त निःशुल्क वाणिज्यिक समय की बैंकिंग को अनुमोदित किया।
4.	वाइ.एस. कटारिया, समचार सम्पादक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली	अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना।
5.	शेखर प्रसाद, केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, धनबाद	डीजल जेनरेटर सेटों की आपूर्ति के लिए ठेका देते समय बाजार सर्वेक्षण और निविदाओं के बिना अपने संबंधियों की फर्मों का पक्ष लिया।
6.	विश्वनाथ दास, निदेशक (सेवानिवृत्त) दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता	दूरदर्शन, केन्द्र, कोलकाता में बंगला फीचर फिल्म के प्रसारण के संबंध में नीलामी नियमों, निविदा प्रक्रियाओं को बनाने में बरती गई अनियमितताएं।
7.	के. कुन्हीकृष्णन, उपमहानिदेशक, (सी. एंड एस.) दूरदर्शन	प्रसार भारती बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध एक कार्यक्रम की अवधि और आवृत्तितां में बढ़ोत्तरी को अनुमोदित किया और उक्त कार्यक्रम की वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप देते समय दर कार्ड की अनदेखी की।
8.	श्यामल राय चौधरी, सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता	उनके द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना कड़ियों की संख्या का अनुमोदन दिया गया।
9.	श्री अरविंद कुमार, निदेशक (प्राक्कलन) आकाशवाणी महानिदेशालय	विभिन्न कंपनियों के साथ एफ.एम.आर.डी.एस. पेजिंग सेवा का कार्य करते समय अनियमितताएं बरती जिससे सरकार को वित्तीय हानि हुई।
10.	श्री एस.के. दास, अधीक्षण अभियंता, सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, कोलकाता	निविदाओं के औचित्य हेतु मनमानी बाजार दरों पर विचार करके निविदाओं को स्वीकार करना।
11.	श्री एम.बी.ए. खान, निर्माण कार्य सर्वेक्षक (सिविल), सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, दिल्ली	कार्य के औचित्य हेतु अत्यधिक उच्च दर अपनाना। आकाशवाणी केन्द्र का कार्य निष्पादित करते समय करार का उल्लंघन करके शुष्क शिला के बेतरतीब अनगढ़े पत्थरों की चिनाई में पुश्ता दीवार बनाई जिससे दीवार ढह गई और सरकार को हानि हुई।
12.	ए.के. खान, कार्यकारी अभियंता, (सिविल), सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, कोलकाता	आकाशवाणी केन्द्र में कार्य निष्पादित करते समय स्वीकृत सीमा से अधिक सामग्री जारी की गई और रिकार्ड रखे बिना आकस्मिकता निधि से लघु निर्माण कार्यों पर भी खर्च किया।
13.	टी. नानाकन, कार्यकारी अभियंता, सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम।	सीमेंट का परिवहन ठेका देने में भारी वित्तीय अनियमितताएं बरती।

1	2	3
14.	ललित कुमार, कार्यकारी अभियंता (ई), सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, नई दिल्ली	एजेंसी से उनकी चूकों के लिए वसूली किए बिना और बकाया कार्य के लिए उनकी जिम्मेवारी को अनदेखा करके तथा सक्षम अधिकारी से अतिरिक्त मदों और कटौती मदों की स्वीकृति के लिए बिना एजेंसी को अंतिम बिल जारी करना।
15.	श्री रति राम, तत्कालीन केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर (अब सेवानिवृत्त)	मौजूदा दिशा-निर्देशों के विरुद्ध गैर-अनुमोदित बाहरी व्यक्तियों/अनधिकृत फर्मों को समाचार आधारित सम-सामयिक विषयक कार्यक्रम की कवरेज की अनुमति दी।

कमांडों बल का गठन

2432. श्री अमीर आलम: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'गरुड़' नाम वाले किसी 'कमांडो बल' का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस 'कमांडो बल' को क्या कार्य सौंपे जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने सितम्बर, 2003 में 'गरुड़' नामक एक 'कमांडो बल' के लिए स्वीकृति प्रदान की है जिसमें कार्मिकों की कुल संख्या 1090 है। इस बल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(1) महत्वपूर्ण वायुसेना बेसों और स्थापनाओं की सुरक्षा करना;

(2) शांति और युद्ध के समय तलाशी और बचाव कार्य करना;

(3) विपदाओं के दौरान आपदा राहत कार्य करना।

[अनुवाद]

सरकारी स्थान अधिनियम, 1971

2433. श्री अजित कुमार पांजा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए मानदण्डों का निर्धारण करने वाली सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत 11 फरवरी, 2002 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और ऐसा किस प्रयोजन से किया गया है;

(ग) क्या वास्तविक किराएदारों के विरुद्ध 1971 का उक्त अधिनियम लागू न हो, इसलिए ऐसे दिशानिर्देश जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1971 के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सम्पदा अधिकारी के अभिहित न्यायालय के समक्ष कितने मामले दायर किए गए;

(ङ) क्या अभिहित प्राधिकरण ने सरकारी स्थानों के अप्राधिकृत अधिभोगी के विरुद्ध बेदखली के मामलों पर कार्यवाही शुरू करने से पूर्व 19 फरवरी, 1992 के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने 19.2.1992 को (न कि 11.2.2002 को) विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिनमें सरकारी उद्यमों द्वारा सरकारी परिसर से अनधिकृत कब्जाधारियों के निष्कासन हेतु सरकारी परिसर अधिनियम का सहारा लिए जाने से संबंधित सीमाओं का उल्लेख किया गया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वास्तविक किराएदारों के हितों को कोई नुकसान नहीं हो। दिनांक 19.2.1992 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश अनिवार्य किस्म के नहीं हैं। इन दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन प्रशासनिक

मंत्रालयों तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाता है तथा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित जानकारी किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

विवरण

संख्या 2(6)/92-लो.उ.वि. (मजूरी कक्ष)

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
सरकारी उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003

दिनांक 19 फरवरी, 1992

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1991-सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालनार्थ मानदण्ड

लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1971 एतदत्पश्चात पी.पी. अधिनियम के रूप में उल्लिखित) में सरकार द्वारा नियुक्त सम्पदा अधिकारियों अथवा लोक प्राधिकारियों द्वारा लोक परिसरों से अनधिकृत कब्जा से बेदखली करने का प्रावधान है और बेदखली आदेश के पारित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर बेदखली की प्रक्रिया का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। वर्ष 1980 में एक संशोधन के द्वारा इस अधिनियम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई थी, ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित कम्पनियों, जिनमें केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता कम से कम 51% हो, की परिसम्पत्तियों तथा किसी अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों को इस अधिनियम के विचार-क्षेत्र में लाया जा सके। इस अधिनियम का आधारभूत सिद्धान्त इन निकायों द्वारा अपने परिसरों से अनधिकृत कब्जों, जिनमें ऐसे कब्जे भी शामिल हैं, जो इन संस्थाओं के उन कर्मचारियों द्वारा किए गए हैं, जो अब सेवा में नहीं हैं, को हटाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना था।

2. हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अशोक मार्केटिंग लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक तथा अन्य विभिन्न सिविल याचिकाओं में पी.पी. (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों को अनुमोदित किया है, तथापि उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि लोक प्राधिकारियों का प्रत्येक क्रियाकलाप लोक हित द्वारा मार्गनिर्देशित होना चाहिए और उन्हें अपने किराएदारों से निजी मकान मालिकों से भिन्न किस्म का व्यवहार करना चाहिए। अत: सरकार ने सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर पुन: विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि सरकारी उद्यमों को वास्तविक किराएदारों को बेदखल करने के लिए पी.पी. अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मुख्यत: इस अधिनियम का प्रयोग वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्य से शिकमी देने वालों, अथवा अवैध अधिभागियों, अथवा सरकारी उपक्रमों की सेवा में नहीं रहने वाले हठी कर्मचारियों द्वारा किए गए कब्जों को हटाने में किया जाना चाहिए। सरकार का यह विचार है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सरकारी संगठनों के परिसरों को लोक परिसर अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले संरक्षण को जारी रखा जाए। इसके साथ ही इन सभी संगठनों के लाभार्थ दिशा निर्देश का एक सेट विहित करने का निर्णय किया गया है, ताकि वास्तविक किराएदारों की बेदखल करने के लिए पी.पी. अधिनियम के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाई जा सके और क्षिप्र शक्तियों का प्रयोग मुख्यत: उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनधिकृत कब्जे से बेदखल करने तक सीमित किया जा सके। इससे संसद द्वारा इन परिसरों को दिए गए संरक्षण में अन्तर्निहित भावना तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधन अधिनियम की वैधता को समर्थन देने के मूल में की गई टिप्पणी के उद्देश्य का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों में सरकारी उद्यमों द्वारा पी.पी. अधिनियम का सहारा लेने की स्थितियों को निर्धारित किया गया और यह सुनिश्चित किया गया है कि वास्तविक किराएदारों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

(1) पी.पी. अधिनियम का प्रयोग मुख्यत: लोक प्राधिकरणों के परिसरों से पूर्णत: गैर-कानूनी कब्जे अथवा अनधिकृत शिकमी किराएदारों को हटाने अथवा सरकारी उद्यमों की सेवा में नहीं रहने वाले और इस प्रकार परिसर के अधिभोग हेतु अपात्र हो जाने वाले कर्मचारियों को बेदखल करने के लिए किया जाना चाहिए। कार्यवाही का आरम्भ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए, जहां विधि के वास्तविक आधार पर अधिभोग अनधिकृत हो गया है।

(2) ऐसे मामलों में, जिनमें परिसर उन मूल किराएदारों के कब्जे में रहा हो जिन्हें वह परिसर लोक प्राधिकरणों द्वारा अथवा जिनसे परिसर प्राप्त किया गया है। उन व्यक्तियों द्वारा किराए पर दिया गया हो, अधिनियम के प्रावधानों का सहारा न तो वाणिज्यिक उद्देश्य से और न ही खाली परिसर पर कब्जा कर अपने कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए किया जाना चाहिए।

(3) किसी परिसर का विधिसम्मत अधिभोग करने वाले व्यक्ति को मात्र किराएदारी समाप्ति का नोटिस किये जाने के आधार पर अनधिकृत अधिभोगी नहीं माना जाना अथवा घोषित किया जाना चाहिए और न ही पी.पी. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर किसी संविदात्मक करार को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, लोक प्राधिकारियों के समक्ष प्रत्येक राज्य के किराया नियंत्रण कानून के संदर्भ में किराए की आवधिक समीक्षा करने अथवा किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक आधार पर पुन: कब्जा करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त रहेगा। अन्य शब्दों में, वास्तविक वैध किराएदारों के मामले में लोक प्राधिकारियों को किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निजी मकान मालिकों के समान अधिकार प्राप्त होगा।

(4) लांछनों अथवा विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग संबंधी आरोपों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे आरोपों की कोई गुंजाइश न रहे कि बेदखली चयनात्मक ढंग से किराए में अवांछित वृद्धि करने के लिए किया गया है; अथवा किराएदारी में परिवर्तन किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था के लाभार्थ किया गया है। परिसर अभित्याग अथवा किराएदारी में परिवर्तन संबंधी मामलों में निर्णय उपक्रम-विशेष के निदेशक मण्डल स्तर पर किया जाना चाहिए।

(5) सभी सरकारी उपक्रमों को इन दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में सम्पदा अधिकारियों के समक्ष अथवा न्यायालयों में लम्बित सभी मामलों की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए और इन मार्गनिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों से भिन्न आधारों पर वास्तविक किराएदारों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए। एतद्पश्चात पी.पी. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा केवल इन दिशानिर्देशों के अनुसार ही लिया जाना चाहिए।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से उपयुक्त दिशानिर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों की सूचना में सख्त प्रवर्तन हेतु ला देने का अनुरोध किया जाता है। इन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार भी किया जाए।

ह/-
(टी.एस. नरसिम्हन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 360204

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:

1. सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. सचिव, स्कोप, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
4. सचिव (सरकारी उद्यम), संयुक्त सचिव (प्रबन्ध), संयुक्त सलाहकार (समझौता ज्ञापन), संयुक्त सलाहकार (एस), लोक उद्यम विभाग।
5. प्रशासनिक मंत्रालयों के सभी वित्तीय सलाहकार।
6. अपर सचिव, बीमा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली।
7. अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
8. व्यय विभाग, ई-2 शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. उप महालेखा नियंत्रक परीक्षक-सह-अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड, द्वारा सी.ए.जी., वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के सभी प्रधान निदेशक तथा लेखा परीक्षा बोर्ड के सभी सदस्य।

ह/-
टी.एस. नरसिम्हन
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 460204

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों के प्रकाशन में नियमों का उल्लंघन

2434. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'हिन्दुस्तान' 'आज' और 'दैनिक जागरण' आदि जैसे प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र रजिस्ट्रेशन आफ प्रेस एण्ड बुक एक्ट, 1867 की धारा 5 (2-4) का उल्लंघन करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट स्थान अथवा स्थान की बजाय विभिन्न जिलों और कस्बों से इन समाचार-पत्रों का प्रकाशन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन समाचार-पत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दाभोल पावर कंपनी

2435. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) के साथ संविदा को रद्द करने से महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार को देय शुल्क और क्षतिपूर्ति आदि के अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये की भारी राशि की देयता को भी वहन करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बड़े विदेशी निगमित निकायों की इस परियोजना में अत्यधिक रुचि लेने, अतिरिक्त इक्विटी के रूप में विदेशी निवेश होने तथा कम्पनी के कार्यकलापों का विविधीकरण होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिरिक्त विदेशी निवेश आमंत्रित करने तथा उसके कार्यकलापों का विविधीकरण करने हेतु क्या निर्णय लिये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार डाभोल पावर परियोजना के बारे में पारस्परिक समाधान करने अथवा मध्यस्थ निर्णय दिये जाने के परिणामसस्वरूप न तो भारत सरकार और न ही महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी बढ़ी है।

(ख) और (ग) डाभोल पावर कं. में विदेशी प्रायोजकों की रुचि प्राप्त करने की दिशा में कुछ विदेशी तथा भारतीय कंपनियों ने अपनी अभिरुचि प्रकट की है। डाभोल विद्युत संयंत्र के पुनर्गठन/पुन: आरंभ करने में भारत सरकार की भूमिका सहायक की है तथा नए संभावित प्रायोजकों को शामिल करने के बारे में निर्णय संबंधित स्टेक होल्डरों द्वारा लिया जाना है, बशर्ते कि विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं का समाधान हो सके।

[हिन्दी]

रेल मानार्थ पास का दुरुपयोग

2436. श्री बीर सिंह महतो:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मानार्थ पासों का दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इससे हुई राजस्व हानि का पता लगाने और उसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार को इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) पासों के दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन परियोजना पर खर्च की गई राशि

2437. श्री सुकदेव पासवान:
श्री मोहन रावले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु पाइप चुनने के लिए 450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो महंगे एस.ए.डब्ल्यू. पाइप का चयन करने के क्या कारण हैं जबकि इतने ही प्रभावी और कम लागत वाले विकल्प भी उपलब्ध थे; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) मामला सरकार की जांच के तहत है।

[हिन्दी]

कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया

2438. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का विचार घरेलू कंटेनर डिपुओं की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कितने डिपु इस समय कार्यरत हैं;

(घ) क्या ''कॉनकोर'' उत्तर भारत के मुख्य शहरों को कोलकाता गोदी प्रणाली से जोड़ने की किसी योजना पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसके वर्तमान संव्यवहार और व्यापारवर्त (ट्रांजेक्शन और टर्नओवर) का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) भारतीय कंटेनर निगम निम्नलिखित स्थानों पर रेल से जुड़े कंटेनर टर्मिनलों की स्थापना करने की योजना बना रहा है: आगरा, छापर (चंडीगढ़), रायपुर, भोपाल, गांधीधाम (कांडला), अंकलेश्वर, बेलगांव, विशाखापत्तनम, कोटा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र (के ओ पी टी), वापी (गुजरात) और शंभुपुरा (राजस्थान)।

(ग) बत्तीस (32)

(घ) और (ङ) तुगलकाबाद (दिल्ली) और काशीपुर रोड (कोलकाता) के बीच नियमित रेलगाड़ी सेवाएं चल रही हैं।

(च) वर्ष 2002-03 के दौरान, काशीपुर रोड (कोलकाता) में सम्हाले गए कंटेनर और कनकोर का वित्तीय टर्नओवर 21.47 करोड़ रुपये टर्नओवर सहित 24793 बीस फीट समतुल्य यूनिट था।

मध्यस्थता प्रणाली

2439. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों के बीच अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम और किसी सरकारी विभाग के बीच उभरे सभी वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने के लिए लोक उद्यम विभाग में मध्यस्थता की कोई स्थायी प्रणाली स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना तथा कार्यकरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1989 में पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम कार्यालय (अब लोक उद्यम विभाग) में एक स्थायी मध्यस्थता तंत्र का गठन कियागया था, जिसे सरकार उद्यमों के पारस्परिक वाणिज्यिक विवादों (आय कर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क को छोड़कर) का तथा किसी सरकारी उद्यम एवं किसी सरकारी विभाग के बीच के विवादों का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया था। सरकारी उद्यमों से संबद्ध सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को लोक उद्यम विभाग के पत्र संख्या 15(9)/86-स.उ.का. (वित्त), दिनांक 29 मार्च, 1989 के जरिए अपने नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों को आवश्यक राष्ट्रपतिक निर्देश जारी करने की सलाह दी गई थी, ताकि सभी वर्तमान एवं भावी संविदाओं में इस आशय की मध्यस्थता धारा का समावेश किया जा सके। बाद में, पत्तन न्यासों को भी जुलाई, 1993 में स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र में ले आया गया था। बहरहाल, फरवरी, 1997 में रेलवे से संबंधित विवादों को स्थायी मध्यस्थता तंत्र से बाहर कर दिया गया था।

विधि सचिव द्वारा नामांकित संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी, जिसे लोक उद्यम विभाग के सचिव द्वारा प्रत्येक मामले में पृथकत: नियुक्त किया जाता है, स्थायी मध्यस्थता तंत्र में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

वाणिज्यिक विवाद लोक उद्यम विभाग द्वारा मध्यस्थ को सौंपे जाते हैं। संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के बाद मध्यस्थ अपना निर्णय देता है। इस निर्णय से क्षुब्ध कोई पक्षकार विधि सचिव, विधायी कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पास अपील कर सकता है और उसका निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

[अनुवाद]

सी-बैंड टी.वी. चैनल

2440. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य ने केन्द्र सरकार से राज्यों को इलैक्ट्रानिक मीडियम के प्रयोग की अनुमति प्रदान कराने हेतु सी.-बैंड टी.वी. चैनल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि जनता को भी इस बात का पता लग जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) जरूरतमंद और एकलित विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए उच्च गुणवत्ता के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में केबल टी.वी. ऑपरेटरों को उनके नेटवर्कों के जरिए के.यू. बैंड सिग्नलों का अभिग्रहण एवं वितरण करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह मामला इस मंत्रालय में जांचाधीन है।

विद्युत सुधार के कार्यों में विसंगतियां

2441. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व शुरू किये गये विद्युत सुधार के कार्यों में विसंगतियां पाई हैं जहां राज्यों को आबंटित की गई धनराशि को अन्यत्र उपयोग में लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विद्युत मंत्रालय की योजना आयोग में 12 सितम्बर, 2003 को हुई तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक (क्यू.पी.आर.) (प्रथम तिमाही 2003-04) में विद्युत मंत्रालय की वार्षिक योजना (2002-03) सहित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) की भी समीक्षा की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह चर्चा की गई थी कि यदि कुछ राज्यों ने ए.पी.डी.पी./ए.पी.डी.आर.पी. निधियां अन्य सेक्टरों को अन्तरित कर दी है तो वसूली प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.)/ यूटिलिटिज को ए.पी.डी.आर.पी. निधियों के अंतरण के विलम्ब का मुद्दों और संबंधित मुद्दों पर दिनांक 28.1.12003 को विषय निर्वाचन समिति में चर्चा की गई थी और तदनुसार निर्णय लिया गया था कि:

(1) विशेष मामलों में, वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य सहायता जारी करने से पहले इसे अनिवार्य बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय वित्त मंत्रालय को सूचित करेगा।

(2) कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए ए.पी.डी.आर.पी. निधियां जारी करने हेतु राज्य वित्त विभाग के अनुमोदन से अपनी सहमति देने के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा जाना।

(3) जहां राज्य सरकारों ने निधियां जारी नहीं की हैं वहां ए.पी.डी.आर.पी. की मंजूरियां वापस लेना।

कर्नाटक में बेल्लारी ताप विद्युत परियोजना को वृहत परियोजना का दर्जा

2442. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें वहां की बेल्लारी ताप विद्युत परियोजना को वृहत परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस तरह का दर्जा दिए जाने से उक्त परियोजना को उसमें प्रयुक्त किये जाने वाले अवयवों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को समाप्त कराने में मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) कर्नाटक सरकार की एक विद्युत उत्पादन कंपनी ने मेगा विद्युत परियोजनाओं को उपलब्ध लाभ हेतु न्यूनतम 500 मे.वा. तक की क्षमता वाली विद्युत परियोजना पर भी विचार करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार मेगा पावर प्रोजेक्ट का स्तर वर्तमान में 1000 मे.वा. तथा उससे अधिक क्षमता वाली नई थर्मल पावर परियोजनाओं को उपलब्ध है। 500 मे.वा. क्षमता वाली बेल्लारी थर्मल पावर परियोजना, मेगा पावर स्तर हेतु निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करती है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

2443. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पाद विभिन्न देशों को निर्यात किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए पेट्रोलियम उत्पादों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक/निजी क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा निर्यात किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा नीचे दी गई है:

(मात्रा हजार मीट्रिक टन में)

	2000-01	2001-02	2002-03
सार्वजनिक क्षेत्र	1,178	1,078	1,827
संयुक्त क्षेत्र	480	425	1,957
निजी क्षेत्र	6,707	8 582	6,505

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा धनराशि नीचे दी गई है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

	2000-01	2001-02	2002-03
सार्वजनिक क्षेत्र	2522	195	426
संयुक्त क्षेत्र	78	55	395
निजी क्षेत्र	1,346	1,481	1,430

झारखंड में लंबित विद्युत उप-केन्द्र

2444. श्री प्रदीप यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में विद्युत उप-केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या झारखंड में गोड्डा जिले के महरामा ब्लॉक में विद्युत उप-केन्द्र पर कार्य अब भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त उप-केन्द्र का निर्माण पूरा कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कराए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रोन्नति नीति

2445. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को अनुच्छेद 16(4क) के संविधान संशोधन और तदुपरांत दिनांक 21 जनवरी, 2002 के डीओपीओएम नं. 20011/1/2001-स्था. (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 30 जनवरी, 1997 से लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पावर ग्रिड स्टेशन

2446. श्री रघुनाथ झा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के गोपालगंज जिला मुख्यालय में पावर ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वीकृति योजना का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पावर ग्रिड स्टेशन कब तक बनाया जाएगा और कब तक यह चालू हो जाएगा;

(ग) क्या उत्तर बिहार में पारेषण प्रणाली (ट्रांसमिशन सिस्टम) दोषपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो पारेषण प्रणाली (ट्रांसमिशन सिस्टम) में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) द्वारा बिहार में उप-पारेषण प्रणाली सुधार स्कीम के हिस्से के रूप में गोपालगंज में नया सब स्टेशन बनाने की योजना है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पावर ग्रिड से उनके स्तर से स्कीम आरंभ करने का अनुरोध किया है। यह स्कीम योजना आयोग से बिहार सरकार के लिए अनुदान से कार्यान्वित की जा रही है। पावर ग्रिड, बिहार सरकार और विद्युत मंत्रालय के मध्य करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्कीम प्रारंभ होगी। स्कीम शीघ्र ही आरंभ होने की आशा है।

(ख) सब स्टेशन, उपर्युक्त स्कीम का एक हिस्सा है, जिसे योजना आयोग से अनुदान की प्रथम किस्त की प्राप्ति की तारीख से 18 माह के भीतर चालू करने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ) बिहार में उपर्युक्त उप-पारेषण स्कीम से बिहार के उत्तरी हिस्से में विद्यमान नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ होगा और राज्य के इस हिस्से में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, सुनिश्चित हो सकेगी।

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

2447. श्री चिंतामन वनगा:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के दहानु रोड और भिवांडी रेलवे स्टेशनों तथा उत्तर प्रदेश के कटिहार रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण/उन्नयन की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) हाल में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेपाल में विद्युत परियोजना

2448. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल में विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितना व्यय किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत सरकार और नेपाल की शाही सरकार के बीच महाकाली नदी की शक्यता विकास के लिए वर्ष 1996 में महाकाली संधि हुई थी। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना संधि का केन्द्र बिन्दु होगी। पंचेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए, बार्डर के दोनों तरफ पंचेश्वर, रूपालीगढ़ तथा पूर्णागिरी में सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

दोनों देश के बीच नेपाल में सप्तकोसी, सनकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा बूढ़ी गंडक जल विद्युत इलैक्ट्रिक परियोजना विकास संबंधी सहमति है, हालांकि, विनिमय-पत्र और समझौता ज्ञापन, (एम.ओ.यू.) पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

अपर करनाली परियोजना (300 मे.वा.) पर एन.एच.पी.सी. की एच.एम.जी., नेपाल से बातचीत चल रही है ताकि एच.एम.जी., नेपाल हाइड्रो पावर पालिसी 2001 के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने की सम्भावना है, तथापि इस पर अंतिम निर्णय डी.पी.आर. की तैयारी के पश्चात लिया जाएगा।

(घ) डी.पी.आर. को अंतिम रूप देने और एच.एम.जी., नेपाल के साथ औपचारिक करार के पश्चात ही इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में लगने वाले सम्भावित समय संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण में व्यवधान

2449. श्री जे.एस. बराड़: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय चैनल 18 नवम्बर, 2003 को कोलकाता में आस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुए फाइनल क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण दिल्ली में कुछ समय तक नहीं कर सका जबकि इसका अनन्य अधिकार इसी चैनल को था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का बिना व्यवधान के सीधे प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) 2130 से 2135 बजे के बीच जेनरेटर के जरिए कोलकाता के ओ.बी. स्पॉट स्थित डी.एस.एन.जी., केन्द्रीय कार्यक्रम-निर्माण केन्द्र दिल्ली और दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली को बिजली आपूर्ति में अवरोध के कारण प्रसारण में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। प्रसार भारती आपातोपयोगी विद्युत पूर्ति व्यवस्था के जरिए अबाधित प्रसारण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण

2450. श्री सुरेश चन्देल:
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऑफिसर्स बोर्ड की इकाइयों की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा ऊना में दी गई भूमि की उपयुक्तता की जांच के संबंध में ऑफिसर्स बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस भूमि को कब तक अधिगृहीत किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोल ऑयल लुब्रिकैन्ट्स डिपो का खोला जाना

2451. श्री के.ए. सांगतम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोल ऑयल लुब्रिकैन्ट्स डिपो खोलने के लिए आई ओ सी एल, नुमालीगढ़ ऑयल कंपनी को कोई निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने डिपो खोले जाएंगे;

(ग) क्या इन डिपो को स्थापति करने के लिए स्थानों के चयन में जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के उत्तर पूर्वी राज्यों में 18 पेट्रोल तेल स्नेहक (पीओएल) डिपो हैं। विनियमित परिदृश्य में, तेल कंपनियां इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपनी वाणिज्यिक मान्यताओं के अनुरूप स्थलों पर पी.ओ.एल. डिपो स्थापित करें।

नागपुर रेलवे स्टेशन

2452. श्रीमती प्रभा राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ वहां तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे यार्ड और रेल यात्री निवास बनाने, रेलगाड़ियों के रख-रखाव और उनकी सफाई, बुनियादी सुविधा में सुधार लाने, विशेष राहत वाहनों का प्रावधान करने, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था आदि के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) क्या प्रस्तावित योजना को स्वीकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस रेलवे स्टेशन पर कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) 100 करोड़ रुपए की लागत से नागपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के उन्नयन की कोई योजना नहीं है, बहरहाल, लगभग 10.92 करोड़ रुपए की लागत से यार्ड के ढांचे में परिवर्तन, जिसमें प्लेटफार्म, धुलाई पिट लाइन आदि शामिल हैं, का कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक आवश्यकताओं और स्टेशन पर संभाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर स्टेशन की सुविधाओं के उन्नयन पर विचार किया जाता है।

तेल कुओं और रिफाइनरियों से तेल की चोरी

2453. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुचित निगरानी व्यवस्था के अभाव में तेल कुओं और रिफाइनरियों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के तेल की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेवार हैं; और

(घ) ऐसी चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) तेल कूपों तथा रिफाइनरियों से कच्चे तेल की हानि की घटनाएं विभिन्न कारणों जैसे चोरी/ हेरा-पेरी, पाइपलाइनों में रिसाव तथा असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ के कारण होती है। एक उपयुक्त निगरानी प्रणाली द्वारा ऐसी घटनाओं का पता लगाने तथा जांच करने में सहायता मिलती है। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने बताया है कि वर्ष 2000 में इस किस्म की 14 घटनाएं, वर्ष 2001 के दौरान 25 तथा वर्ष 2002 के दौरान 50 घटनाएं हुई हैं। इन चोरियों के कारण कंपनी को 4.78 लाख रुपए की निवल हानि हुई है। डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल इकाईयों ने बताया कि रिफाइनरियों से तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आने वाली तेल कंपनियां, नामत: ओ एन जी सी तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने चोरी तथा हेरा-फेरी के मामलों को रोकने के लिए संस्थापनों, परिसंपत्तियों तथा क्षेत्रों में सुरक्षा प्रमुख के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को इन निर्देशों के साथ तैनात किया है कि सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय अपनाएं। इनकी सहायता के लिए जहां कहीं अपेक्षित हो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ), राज्य पुलिस कार्मिक तथा ठेका सुरक्षा कार्मिक हैं।

(घ) तेल संस्थापनों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता के तहत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अलावा सरकार ने तेल संस्थापनों की सुरक्षा और संरक्षा के पहलुओं की जांच करने के लिए नवम्बर, 2001 में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस सी एन जटार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट "सिद्धांत रूप में" स्वीकार कर ली है। सरकार ने समिति की सिफारिशों के आलोक में ओ एन जी सी, ओ आई एल, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) को आवश्यक उपाय करने के लिए निदेश दिए हैं। सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा और निगरानी की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

पवन विद्युत क्षमता

2454. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पवन विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2007 तक इसकी संभावनाओं की तलाश को तेज करने के लिए सरकार की नीति क्या है; और

(ग) इस संबंध में इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन की भूमिका क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश में अब तक कुल 2074 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है।

(ख) देश में लगभग 45,000 मेगावाट की सकल पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगाया गाय है। तथापि, तकनीकी संभाव्यता, जिसका वर्तमान में दोहन किया जा सकता है, लगभग 13,390 मेगावाट तक सीमित है। 10वीं योजना के दौरान 1500

मेवा. की पवन विद्युत क्षमता के संयोजन की परिकल्पना की गई है।

(ग) भारतीय पवन विद्युत संघ में पवन विद्युत संबंधी मामलों में शामिल अनेक पवन विद्युत संघों में से एक है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा चैन्नई में स्थापित किया गया पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) राज्य की नोडल एजेंसियों के सहयोग से सरकार के पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

पेट्रोलियम सेक्टर के लिए विनियामक बोर्ड

2455. **श्री सुरेश कुरूपः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम सेक्टर के लिए विनियामक बोर्ड बनाने में कितनी प्रगति हुई है: और

(ख) इस प्रस्तावित बोर्ड के कार्य क्या होंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सरकार ने पेट्रोलियम नियामक बोर्ड की स्थापना के लिए 6 मई, 2002 को लोक सभा में पेट्रोलियम नियामक बोर्ड विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया। यह विधेयक 17 मई, 2002 को जांच और रिपोर्ट के लिए विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को प्रेषित किया गया था। समिति ने 8 मई, 2003 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत कर दी और यह सिफारिश की कि इस विधेयक को सिफारिशों और टिप्पणियों के अधीन पारित किया जा सकता है। मंत्रालय ने स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विश्लेषण किया है और सरकार ने संसद में विधेयक में संशोधन करने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) प्रस्तावित बोर्ड का कार्य दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में उचित मूल्यों पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की रक्षा करने एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही उल्लंघनों के मामले में कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय नियमन स्थापित करना है।

केरल में आरओबी/आरयूबी परियोजनाएं

2456. **श्री के. मुरलीधरनः**
श्री पी. राजेन्द्रनः
श्री वी.एस. शिवकुमारः
प्रो. ए.के. प्रेमाजमः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में आर ओ बी/आर यू बी परियोजना के निर्माण की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केरल में नई/चालू आर ओ बी/आर यू बी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितने खर्च किया जा चुका है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ङ) रेलवे द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण उन व्यस्त समपारों, जहां गाड़ी वाहन इकाई एक लाख से अधिक है, पर लागत में भागीदारी के आधार पर राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकरणों द्वारा मौजूदा नियमों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी लागत वहन करना, ऊपरी/निचले सड़क पुलों को पूरा होने पर समपार बंद करना, उनकी वार्षिक योजना में कार्य को प्राथमिकता देना शामिल है, के अंतर्गत अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाएं पूरी करते हुए विधिवत् रूप से प्रस्ताव प्रायोजित करने पर किया जाता है। यदि गाड़ी वाहन इकाई एक लाख से कम है तो कार्य पर निक्षेप शर्तों पर विचार किया ज्ञा सकता है। रेलवे पुल खास (रेलपथ भाग पर) और ऊपरी/निचले सड़क पुलों के पहुंच मार्गों का राज्य सरकार द्वारा निर्माण किया जाता है। रेलवे अपने हिस्से का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने के पश्चात् ही शुरू करती है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य के साथ-साथ रेलवे अपने भाग का कार्य पूरा करने के सभी प्रयास करती है। वर्तमान में केरल राज्य में लागत में भागीदारी, निक्षेप, बोट आधार पर कुल 64 कार्य स्वीकृत किए गए हैं जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन कार्यों की स्थिति नीचे दी गई है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के लिए निधियों का आबंटन और खर्च रेलवे-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार। दक्षिण रेलवे जो केरल राज्य को सेवित करती है, को 2003-04 के दौरान 51.24 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, जिसमें से अक्टूबर, 2003 के अंत तक अनुमानतः 2.4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं:

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	पोलाची-पुंडूनगरम-पालघाट टाउन-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर पालघाट-पालघाट टाउन स्टेशनों के बीच कि.मी. 53/10-11 पर समपार सं. 49 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। रेलों द्वारा अनुमान स्वीकृत। कार्य प्रगति पर। बो स्ट्रिंग और आर सी सी टी वी के अभिकल्प की जांच का कार्य प्रगति पर टाय. स्टेजिंग राज्य सरकार द्वारा सौंपी जानी है।
2.	इडापल्ली-एर्णाकुलम-इडापल्ली-एर्णाकुलम स्टेशनों के बीच कि.मी. 101/10-11 पर समपार सं. 69ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	पंचालम में समपार-71 के संयोजन में कार्य किया जाना है।
3.	अथनी-वड्डाकंचेरी और मूलगुननाथुकावू स्टेशनों के बीच कि.मी. 21/5-6 पर समपार सं. 13 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। अनुमान रेलवे लेखा द्वारा अनंतिम रूप से विधीक्षित। कार्य प्रगति पर।
4.	कांजीकोड़े-इरोड-पालघाट खंड पर कांजीकोडे-पालघाट स्टेशनों के बीच कि.मी. 531/8-10 पर समपार सं. 159 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। कार्य प्रगति पर।
5.	पल्लीकेड़ा-कोटिकुलम-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर पल्लीकेड़ा-कोटिकुलम स्टेशनों के बीच कि.मी. 825/15-826/1 पर समपार सं. 276 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति।
6.	पुनकुनम और मुलगुननाथुकावू स्टेशनों के बीच कि.मी. 25/5-6 पर समपार सं. 14 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	कार्य 5119 लाख रुपए की लागत पर पिंक बुक में शामिल।
7.	पालघाट-पालघाट टाउन-पालघाट-पालाची खंड पर पालघाट-पालघाट टाउन स्टेशनों के बीच कि.मी. 56/4-5 पर समपार सं. 52 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	यह ऊपरी सड़क पुल मौजूदा कमजोर पुल के काफी निकट है। आगे जांच की जा रही है। सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दिया जाना है।
8.	कोल्लम-मयानाड समपार सं. 541 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	समपार सं. 543 के बजाय मूल रूप से स्वीकृत सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। विस्तृत सड़क पहुंच लागत राज्य सरकार से प्रतीक्षित। रेलवे के हिस्से के लिए निविदा खोल दी गई है।
9.	वरकाला कि.मी. 179/13-14 पर समपार सं. 561 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1996-97	पुल संबंधी कार्य पूरे हो गये हैं। पहुंच का कार्य समाप्त होने वाला है।

1	2	3	4
10.	त्रिकारपुर-चारावत्तूर-शोरुवण्णूर-मंगलोर खंड पर कि.मी. 800/2-3 पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97	अनुमान स्वीकृत। अधिसंरचना तैयार। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त।
11.	वेस्टहिल-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एल्लातूर-क्वीलांडी स्टेशनों के बीच कि.मी. 688/2-3 पर समपार सं. 201 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2001-02	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति।
12.	पैयानूर-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कि.मी. 807/6-7 पर समपार सं. 271 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। रेलवे द्वारा अनुमान स्वीकृत। तल्प आरेख जारी। अधिसंरचना आरेखण अनुमोदित। कार्य प्रगति पर। टाय.स्टेजिंग राज्य सरकार द्वारा सौंपी जानी है।
13.	वेंगाली-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर वेस्टहिल-एल्लातूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 673/8-9 पर समपार सं. 192 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	उपसंरचना पूरी हो गयी। अधिसंरचना प्रगति पर, पहुंच पर कार्य पूरा होने वाला है।
14.	शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कान्हागाड़ी और नीलेश्वर स्टेशनों (पदनक्काड) के बीच कि.मी. 810/1-2 पर समपार सं. 272 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति सड़क पहुंच लागत राज्य सरकार से प्रतीक्षित।
15.	माहे और तालीचेरी स्टेशनों के बीच कि.मी. 730/7-8 पर समपार सं. 226 के बदले माहे ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
16.	कन्नौर और कन्नौर साउथ स्टेशनों के बीच कि.मी. 752/1-2 पर समपार सं. 241 के बदले कन्नौर ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेख को अंतिम रूप दे दिया गया है।
17.	चारावत्तूर और नीलेश्वर स्टेशनों के बीच कि.मी. 801/9-10 पर समपार सं. 268 के बदले नीलेश्वर ऊपरी सड़क पुल	2002-03	कार्य 5752 लाख रुपए की लागत पर पिंक बुक में शामिल। योजना प्रगति पर है।
18.	ओनथम रोड-बडगड़ा स्टेशन के निकट कि.मी. 711/9-10 पर ऊपरी सड़क पुल	1997-98	संशोधित सामान्य प्रबंधन आरेखण पर राज्य सरकार द्वारा सहमति। अनुमान स्वीकृत। उपसंरचना पूरी हो गई। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त। टाय. स्टेजिंग शुरू की जानी है। राज्य सरकार से शेष राशि भेजने का अनुरोध किया गया है।
19.	करूकुट्टी और अंगामाली स्टेशनों के बीच कि.मी. 74/12-13 पर समपार सं. 59 के बदले शरानूर ऊपरी सड़क पुल	2002-03	कार्य अनुदान की पूरक मांग 2002-03 में स्वीकृत। सामान्य प्रबंधन आरेखण राज्य सरकार से प्राप्त नहीं।

1	2	3	4
20.	एसआरआर-ईआरएस खंड पर कल्लामसेरी और इडापल्ली स्टेशनों के बीच कि.मी. 94/12-13 पर दो ऊपरी सड़क पुल	1996-97	रेलवे का हिस्सा पूरा हो गया। पहुंच भाग पर कार्य प्रगति पर है।
21.	चिरोड़ा-शेरूवण्णूर-कालीकट-कि.मी. 713/10-11 पर समपार सं. 215 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	रेलवे का भाग प्रगति पर और पहुंच मार्ग का कार्य पूरा होने वाला है।
22.	कालीकट और वेस्टहिल स्टेशन पर कि.मी. 666/3-4 पर समपार सं. 185 के बदले कालीकट ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेख को अंतिम रूप दे दिया गया है।
23.	थिरूनावीया स्टेशन पर कि.मी. 615/3-4 पर समपार सं. 170 के बदले मंगलोर ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
24.	करूकुट्टी और अंगामालीस्तान स्टेशनों के बीच कि.मी. 30/14-15 पर समपार सं. 19 के बदले कुरुकुट्टी ऊपरी सड़क पुल	2002-03	कार्य 4961 लाख रुपए की लागत पर पिंक बुक में शामिल। योजना प्रगति पर है।
25.	इरूगुर-कोयम्बतूर-पोदानूर समपार सं. 20 के बदले निचला सड़क पुल	1993-94	बॉक्स जेकेटिंग मैथड के साथ संशोधित किये जाने का प्रस्ताव।
26.	कान्हागड और पालीकेडे स्टेशनों के बीच कि.मी. 816/13-14 पर समपार सं. 274 के बदले कन्जनगड़ ऊपरी सड़क पुल	2002-03	कार्य 6077 लाख रुपए की लागत पर पिंक बुक में शामिल। योजना प्रगति पर है।
27.	वडाकंचेरी और मुलगुननाथूकाऊ स्टेशनों के बीच कि.मी. 19/01 पर समपार सं. 13 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1987-88	बैक ब्लॉक पर अपार्टमेंट पूरा हो गया है। अधिसंरचना के लिए एजेंसी निर्धारित। पहुंच मार्ग प्रगति पर है।
28.	चेरावत्तूर और नीलेश्वर-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड (कोचिंग हर्बर यार्ड) स्टेशनों के बीच कि.मी. 805/5-6 पर समपार सं. 269 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। सड़क पहुंच लागत राज्य सरकार से प्रतीक्षित।
29.	वड़गड़ा-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कि.मी. 7329-10 पर समपार सं. 229 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	दूसरी स्वीकृति के अंतर्गत ऊपरी सड़क पुल निर्मित और समपार बंद। केरल सरकार ने कार्य हटाने के लिए पत्र लिखा है।
30.	एल्लातूर और पिलांडी-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एल्लातूर-क्विलांडी (वेंगलम) स्टेशनों के बीच कि.मी. 679/1-2 पर समपार सं. 196 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	12 में से 9 पाए पूरे हो गए हैं। टाय स्टेजिंग के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की प्रतीक्षा।

1	2	3	4
31.	मुजुप्पीलांगड़ी-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर ?र्मादम और एटकोट (मुजुप्पीलांगड़ी) स्टेशनों के बीच कि.मी. 738/7-8 पर समपार सं. 232 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	अवसंरचा पूरी हो गयी। टाय स्टेजिंग आरेखण के अनुमोदन के लिए कुछ बातों का पालन किया जा रहा है।
32.	इरिंगजलकुडा-शोरूवण्णूर-एर्माकुलम खंड पर कि.मी. 56/9-10 पर समपार सं. 43 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	अवसंरचना पूरी हो गयी। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की प्रतीक्षा।
33.	पालघाट टाउन-पोलाचि-पालघाट टाउन-पोलाचि खंड पर पालघाट और पालघाट टाउन स्टेशनों के बीच कि.मी. 54/12-13 पर समपार सं. 50 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति।
34.	पूल्लापेडी-थमान रोड-एर्णाकुलम टाउन-एर्णाकुलम जं. खंड पर पूल्लापेडी-थमानम रोड स्टेशनों के बी कि.मी. 105/5-6 पर समपार सं. 73 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। कार्य का ठेका दे दिया गया है।
35.	इडापल्ली—इडापल्ली और एर्णाकुलम स्टेशनों के बीच कि.मी. 102/13-14 पर समपार सं. 71 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	लोंगीटूडिनल खंड और क्रास खंड आदि मांगे गए ब्यौरे राज्य सरकार से प्रतीक्षित।
36.	शोरूवण्णू-मंगलोर खंड पर एट्टोकोट और कन्नौर स्टेशनों के बीच कि.मी. 695/12-13 पर समपार सं. 206 के बदले नंदी ऊपरी सड़क पुल	1999-00	सामान्य प्रबंधन आरेखण को सहमति। अनुमान रेलवे द्वारा स्वीकृत। ठेका दे दिया गया। तल्प आरेखण 18.2.2002 को जारी। कार्य प्रगति पर। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की प्रतीक्षा।
37.	इरूमपनम-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 8/15-6 (इरूमपनम) पर सी आर एल यार्ड में समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	कार्य पूरा हो गया। यातायात के लिए खोला जाना है।
38.	चोबा-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एट्टाकोट-कन्नौर स्टेशनों के बीच कि.मी. 743/3-4 पर समपार सं. 238 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। अनुमान तैयार किया जा रहा है। सड़क पहुंच लागत राज्य सरकार से प्रतीक्षित।
39.	कल्लमशेरी-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 95/7-8 पर समपार सं. 67 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। रेलवे द्वारा अुमान स्वीकृत। तल्प आरेखण जारी। उपसंरचना अभिकल्प और आरेखण की जांच की जा रही है। पाया भार परीक्षण योजना और आरेखण अनुमोदित। टाय- स्टेजिंग आरेखण के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा।

1	2	3	4
40.	ओल्लूर-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 39/14-15 (ओल्लूर) पर समपार सं. 26 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	कार्य छोड़े जाने का प्रस्ताव है।
41.	मुंदूर रोड-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 28/10-11 पर समपार सं. 17 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	कार्य 5119 लाख रुपए की लागत पर पिंक बुक में शामिल।
42.	कोरट्टीयांगड़ी-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 67/13-14 पर समपार सं. 54 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। रेलवे द्वारा अनुमान स्वीकृत। कार्य का ठेका दे दिया गया है। उपसंरचना आरेखण राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाना है।
43.	कुट्टीपुरम-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर कि.मी. 626/10-11 पर समपार सं. 171 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। रेलवे द्वारा अनुमान स्वीकृत। तल्प आरेखण जारी। उपसंरचना पूरी हो गई। 20 मीटर के लिए अधिसंरचना आरेखण पहले ही जारी और 30 मीटर स्पेन अनुमोदित। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त। अधिसंरचना का निर्माण प्रगति पर।
44.	तिरूर-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कि.मी. 639/14-15 पर समपार सं. 174 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
45.	एर्णाकुलम-कि.मी. 3/19-20 पर समपार सं. 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
46.	करूकुट्टी-अंगामाली-एस आर आर-ई आर एस खंड पर कि.मी. 74/600-700 पर समपार सं. 59 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
47.	वेल्लाइल-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कालीकट और वेस्टहिल्स के बीच कि.मी. 666/11-12 पर समपार सं. 186 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	रेलवे का भाग और पहुंच कार्य पूरा होने वाला है।
48.	चालकुड़ी-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर चालकुड़ी में कि.मी. 62/9-8 पर समपार सं. 48 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	उपसंरचना पूरी हो गई। अधिसंरचना अभिकल्प राज्य सरकार से प्रतीक्षित। पहुंच कार्य प्रगति कार्य।
49.	चक्कई-राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर चक्कई में कोचूवेली और तिरूवनंतपुरम स्टेशन के बीच कि.मी. 215/8-9 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1998-99	रेलवे का भाग पूरा हो गया। पहुंच कार्य प्रगति पर।

1	2	3	4
50.	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर इरिंगलकुडा और चालकुड़ी स्टेशनों के बीच कि.मी. 58/2-3 पर समपार सं. 45 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
51.	बडगढ़ा-बडगढ़ा और मुकल स्टेशनों के बीच कि.मी. 714/14 पर समपार सं. 216 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	कार्य 6389 लाख रुपए की लागत पर पिंक बुक में शामिल।
52.	डिवाईन नगर-चालकुड़ी और कुरुकुट्टी (डिवाईन नगर) स्टेशनों के बीच कि.मी. 65/11-12 पर समपार सं. 52 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
53.	बेल्लनचेरा-इरिंगजलकुड़ा और चालककुड़ी (बेल्लनचेरा) स्टेशनों के बीच कि.मी. 60/15 पर समपार सं. 46 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
54.	चेंगोटूकावू-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एल्लातूर और क्विलांडी स्टेशनों के बीच कि.मी. 686/1-2 पर समपार सं. 199 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	सामान्य प्रबंधन आरेखण को सहमति। रेलवे द्वारा अनुमान स्वीकृत। 20 मीटर स्पेन 5.11.02 को अनुमोदित। तल्प आरेखण जारी। अब्वसंरचना आरेखण जारी। पाइलिंग कार्य अग्रिम चरण में। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त।
55.	एसआरआर-ईआरएस खंड पर अंगामाली और चवार स्टेशनों के बीच कि.मी. 78/800-900 पर 165ए ऊपरी सड़क पुल पर 2 अतिरिक्त लेन	निक्षेप	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित। अनुमान की लागत रेलवे/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सेलम को बता दी गई है। पहुंच कार्य तेजी से चल रहा है। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
56.	नंदीकरा-पुडुक्काड और इरिंगजलकुड़ा स्टेशनों के बीच कि.मी. 49/2-3 पर समपार सं. 31 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	अंतिम सामान्य प्रबंधन आरेखण सीबीई से प्राप्त।
57.	अंगामाली-शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर अंगामाली और अलुवा स्टेशनों के बीच कि.मी. 80/12-13 पर समपार सं. 64 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	स्थान योजना, एलएस/सीई हाइवे से प्रतीक्षित।
58.	पवैयानूर और थिरूकरीपुर स्टेशनों के बीच कि.मी. 787/15 पर समपार सं. 261 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
59.	तिरूर और तानूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 629/11/1-2 पर समपार सं. 172 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

1	2	3	4
60.	कुंजीपल्ली-बड़गढ़ा और माहे (कुंजीपल्ली) स्टेशनों के बीच कि.मी. 721/6-7 पर समपार सं. 217 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
61.	नंदल-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर एट्टोकाट और कन्नौर स्टेशनों के बीच कि.मी. 749/2-3 पर समपार सं. 239 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1999-00	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। सड़क पहुंच लागत राज्य सरकार से प्रतीक्षित।
62.	तेल्लीचेरी और जगन्नाथ टेम्पल स्टेशनों के बीच कि.मी. 731/14-15 पर समपार सं. 228 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2002-03	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है।
63.	तिरूनेत्तूर कि.मी. 1/9-10 पर समपार सं. 76 टी के बदले ऊपरी सड़क पुल	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण और स्थल योजना कोचिंग निगम से प्रतीक्षित।
64.	फेरोक-कलायी-शोरूवण्णूर-मंगलोर खंड पर कि.मी. 600/4-5 पर समपार सं. 177 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	2000-01	सामान्य प्रबंधन आरेखण को राज्य सरकार की सहमति। रेलवे द्वारा अनुमान स्वीकृत। उपसंरचना पूरी हो गई। अधिसंरचना (12.5 मीटर स्पेन) के लिए संरचनात्मक आरेखण अनुमोदित और जारी।

[हिन्दी]

रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण

2457. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु किए गए सर्वेक्षण और उस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इन सर्वेक्षणों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02, 2002-03 के दौरान और चालू वित्त वर्ष 2003-04 में नवम्बर, 2003 तक रेल विद्युतीकरण के लिए किये गये लागत एवं व्यवहार्यता सर्वेक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	खंड	रेलवे	मार्ग कि.मी.	लागत (लाख रुपए में)	पूरा करने का वर्ष
2000-01	कटवा-अजीमगंज	पूर्व	78	4.44	सितम्बर, 2000
2001-02	कुछ नहीं	-	-	-	-
2002-03	कुछ नहीं	-	-	-	-
2003-04 नवम्बर 2003 तक	कोयम्बतूर-उदगमंडलम	दक्षिण	79	4.79	मार्च, 2004

[अनुवाद]

मेजिया ताप विद्युत संयंत्र के कारण भूमिविहीन हुए लोगों को रोजगार

2458. **श्री सुनील खां:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेजिया ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के समय राज्य सरकार और दामोदर घाटी निगम के बीच कोई समझौता हुआ था कि 520 कर्मचारियों की भर्ती उन लोगों में से की जाएगी जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक 520 में से केवल 247 व्यक्तियों को भर्ती किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो शेष ऐसे व्यक्तियों को रोजगार न देने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने सूचित किया है कि मेजिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कोई औपचारिक करार नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ बैठक के दौरान वास्तविक श्रम शक्ति, जरूरत के अनुसार ग्रुप 'डी' श्रेणी में 520 भू-विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने पर 'सिद्धांतत:' सहमति हुई थी।

(ख) और (ग) जी हां, जिला प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के पश्चात् और परियोजना में उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता पर ही शेष व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) द्वारा ब्रांडिड वस्तुओं की खरीद

2459. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) द्वारा विश्वसनीय फर्मों की ब्रांडिड वस्तुएं नहीं खरीदी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सीएसडी प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार की भूल-चूक की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) की तेल की सूची से रिफाइंड मूंगफली के तेल के सभी ब्रांडों को हटा दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सीएसडी कैंटीन में रिफाइंड मूंगफली के तेल के सभी ब्रांड्स को पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की सूची में शामिल सभी ब्रांडिड वस्तुओं की नियमित रूप से खरीदारी की जा रही है।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) ऊपर (च) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हाइड्रोजन

2460. **श्रीमती रेनु कुमारी:**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ईंधन के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा के संबंध में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हाइड्रोजन की संभावना का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। योजना आयोग ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए जुलाई, 2003 में हाइड्रोजन ऊर्जा समूह का गठन किया है।

(ख) समूह के विचारार्थ विषयों में, प्रगति को तीव्र करने तथा विशिष्ट हाइड्रोजन ऊर्जा अनुप्रयोगों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए निर्धारित समय को कम करना; हाइड्रोजन के विभिन्न अंतिम उपयोगों में से भारत के लिए तुलनात्मक लाभ के क्षेत्र सुझाना; तथा इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कार्य के साथ अनुसंधान और वाणिज्यिक सहयोग के लिए उपाय सुझाना शामिल हैं।

(ग) और (घ) वायुमंडल में हाइड्रोजन संयुक्त रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, न कि एक स्वतंत्र गैस के रूप में। हाइड्रोजन जल, बायोमास और हाइड्रोकार्बन आदि से उत्पादित की जा सकती है। हाइड्रोजन ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन के सुरक्षित, स्वच्छ और प्रदूषण रहित विकल्प प्रदान करने की संभाव्यता है। देश में सरकार की सहायता से हाइड्रोजन के निर्माण, भंडारण और अनुप्रयोगों सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर हाइड्रोजन ऊर्जा संबंधी एक व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा और इसका उपयोग विकास और प्रदर्शन की अवस्था में है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन का घटिया प्रसारण

2461. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों सहित कोलकाता दूरदर्शन से ध्वनि और चित्र के संबंध में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण घटिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि स्थलीय और उपग्रहीय दोनों माध्यमों में दूरदर्शन के प्रसारणों की तकनीकी गुणवत्ता आमतौर पर संतोषजनक है। तथापि, प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और इसके लिए, सभी उपग्रह चैनलों का डिजीटलीकरण करने और पुराने ट्रांसमीटरों के स्थान पर नए ट्रांसमीटर लगाने के लिए 10वीं योजना में कदम उठाए गए हैं। कोलकाता स्थित तीनों उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के निष्पादन के संतोषजनक होने की सूचना मिली है। हाल ही में के.यू. बैंड की एक प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन किया गया है। दूरदर्शन ने वर्ष 2004 के मध्य तक के.यू. बैंड के प्रसारण की योजना बनाई है और उसके बाद लघु डिश एन्टिना अभिग्रहण प्रणाली की सहायता से देश में कहीं भी (30 चैनल समूह) का प्रसारण प्राप्त करना संभव होगा।

पाकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन

2462. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रकाशक परिसंघ ने पुस्तक व्यापार और संयुक्त प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेता संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे एक दूसरे को कितना लाभ होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। प्राप्त सूचना के अनुसार, पुस्तक व्यापार एवं प्रकाशन का संवर्धन करने के लिए भारत के प्रकाशकों के प्रतिनिधि निकाय, भारतीय प्रकाशक संघ और पाकिस्तान प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा दिनांक 29.8.2003 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय प्रकाशक संघ के अनुसार, समझौता ज्ञापन सह-प्रकाशन, दोनों देशों के प्रकाशकों के बीच प्रतिलिप्यधिकारों की बिक्री एवं क्रय जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे के देश में पुस्तकों, लेखकों और प्रकाशन उद्योग के हितार्थ संवर्धन करने में दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगा। भारतीय प्रकाशक संघ और पाकिस्तान प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता संघ दोनों विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंचों पर प्रकाशन संबंधी मामलों और पारस्परिक लाभ हेतु सूचना के विनियम में एक दूसरे को सहयोग भी देंगे।

विज्ञान रेल

2463. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की प्रगति के बारे में जागरूकता फैलाने के इरादे से चलाई जाने वाली रेलगाड़ी ''विज्ञान रेल'' का चलाया जाना स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रेल को कब तक चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) रेलगाड़ी की विशेषताएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परियोजना "विज्ञान रेल" विज्ञान प्रदर्शनी रेलगाड़ी पहले ही 15 दिसम्बर 2003 से शुरू हो चुकी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उक्त प्रदर्शनी रेलगाड़ी में 12 प्रदर्शनी डिब्बे हैं जिनमें विभिन्न वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

निजी वित्तीय संस्थानों के साथ तेल और प्राकृतिक गैस निगम का समझौता

2464. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लोगों को बाजार संबंधी पे पैकेज पर भाड़े पर लेने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त उद्यम में निगम की कितनी हिस्सेदारी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंतर्गत हाल ही के नीतिगत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी); जो कि अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, शोधन एवं विपणन क्षेत्रों को भी सम्मलित करने वाले मूल्यगत श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से अपने कार्यव्यापार का विस्तार करने का इरादा रखती है; ताकि यह बाजारगत प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी रूप से सामना कर सके। इस परिदृश्य में, कुशल संरचना तथा उभरने वाले कार्यव्यापार अवसरों का तुरंत लाभ उठाने के लिए ओ एन जी सी के प्रबंधन द्वारा संयुक्त उद्यम का गठन करने समेत विभिन्न विकल्पों की जांच एक सतत प्रक्रिया रही है। ओ एन जी सी ने सूचित किया है कि उनके निदेशक मंडल ने उक्त गैर-सरकारी संयुक्त उद्यम के गठन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विपणन योजना

2465. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ पेट्रोलियम उत्पादों के लिए समानांतर विपणन योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना किन-किन राज्यों में लागू की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) अप्रैल, 1993 में सरकार द्वारा एल पी जी तथा मिट्टी तेल के लिए समानांतर विपणन योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इन उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करना था।

(ग) यह योजना देश भर में लागू है।

मिराज विमान की खरीद

2466. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतर से लड़ाकू विमान मिराज 2000 खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी अनुमानित राशि शामिल है;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना के पास कतर से खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमानों के रख-रखाव के लिए आवश्यक व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन लड़ाकू विमानों का रख-रखाव किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) कतर ने एक पैकेज सहित 12 मिराज-2000-V विमानों की बिक्री करने की पेशकश की है। इस पैकेज में विमान के अलावा, आवश्यक औजार, टेस्टर, हिस्से-पुर्जे, ग्राऊंड उपस्कर, प्रशिक्षण साधन आदि शामिल हैं। उपर्युक्त पैकेज से विमान के अनुरक्षण कार्य में सहायता मिलेगी।

जैसलमेर जिले में गैस की उपलब्धता

2467. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर जिले (राजस्थान) में डंडेवाला के निकट 26 कुओं पर कार्य किया था लेकिन केवल 13 गैस कुएं ही चालू हैं;

(ख) यदि हां, तो शेष 13 गैस कुओं के बंद होने अथवा चालू न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यदि इन 13 गैस कुओं को भी चालू किया जाता है तो रामगढ़ विस्तार परियोजना के लिए आयल इंडिया लिमिटेड से गैस की उपलब्धता 10 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तक बढ़ सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयल इंडिया लिमिटेड को शेष 13 गैस कुओं को शीघ्र चालू करने हेतु राजी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) 16 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिलान्तर्गत आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) द्वारा वेधन किए गए 26 कूपों में से 12 कूप गैस उत्पादन पर हैं, 1 कूप कम उत्पादन क्षमता के कारण बंद कर दिया गया था तथा 3 कूप बहुत कम हाइड्रोकार्बन संभाव्यता के कारण अस्थायी रूप से परित्यक्त कर दिए थे। आरम्भ में गैस उत्पादन में अंशदान करने के पश्चात शेष 10 कूप रुग्ण हो गए। ओ आई एल ने वर्कओवर प्रचालन करके अप्रैल, 2004 तक इन 10 कूपों को पुन: उत्पादनरत करने की योजना बनाई है। ओआईएल उम्मीद करती है कि वर्क-ओवर प्रचालनों की सफलता पर निर्भर करते हुए इन गैस क्षेत्रों से 2 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख घन मीटर के वर्तमान स्तर की तुलना में प्रतिदिन कुल गैस उत्पादन 7 लाख घन मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ओ आई एल ने जैसलरमेर तथा बीकानेर-नागौर बेसिनों में भू-वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात खनन पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत एक नई संरचना की पहचान की है। नई संरचना वेधन के परिणाम के आधार पर ओ आई एल प्रतिदिन 7 लाख घन मीटर से अधिक गैस उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हो सकता है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड हेतु पुनरुद्धार पैकेज

2468. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड हेतु पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कंपनी का विनिवेश हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 24.3.1999 को बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत एक पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है। योजना में डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीटल कंट्रोल यूनिट (डीडीसी) कोटा, अनईन्टरप्टेड पावर सप्लाई (यूपीएस) यूनिट, जयपुर तथा कन्ट्रोल वाल्व्स यूनिट, पालघाट के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन करने की परिकल्पना की गई थी। संयुक्त उद्यम की प्रक्रिया से केवल कन्ट्रोल वाल्व्स यूनिट, पालघाट के संबंध में ही प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ तथा इसका विनिवेश बीआईएफआर की अनुमति लंबित होने के कारण अग्रिम स्तर पर है। इसी बीच, डीडीसी यूनिट तथा यूपीएस यूनिट को इसकी मुख्य यूनिट, कोटा के साथ दिनांक 10.10.2003 को मिला दिया गया तथा बीआईएफआर ने आपरेटिंग एजेन्सी को एक संशोधित मसौदा पुनरुद्धार योजना (एमडीआरएस) परिचालन के लिए प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(ग) और (घ) एकीकृत मुख्य यूनिट का विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है।

परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण घाटा

2469. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा तथा कारण क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) दिनांक 30.9.2003 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत वाली 515 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं। इन परियोजनाओं पर 189862.67 करोड़ रुपये की मूल अनुमोदित लागत की तुलना में 41376.28 करोड़ रुपए की अधिक लागत आई है। समय तथा लागत में वृद्धि के विशेष कारण प्रत्येक परियोजना के अनुसार अलग-अलग हैं। तथापि, लागत में वृद्धि तथा परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों का क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक परियोजना के अनुसार उपाय किये जाते हैं। तथापि, सरकार द्वारा किये गये कुछ सामान्य उपायों में निवेश के अनुमोदन से पहले परियोजना रिपोर्ट का कड़ा मूल्यांकन तथा द्विस्तरीय स्वीकृति प्रणाली अपनाना, पूरी तरह राशि प्राप्त होने पर ही परियोजना प्रारम्भ करना, परियोजना की मासिक और तिमाही समीक्षा करना, अनुसुलझी समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्तर-मंत्रालयी समन्वय, क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, समय तथा लागत में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मंत्रालय/विभाग में स्थायी/अधिकार प्राप्त समिति का गठन, प्रत्येक परियोजना के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा मानक बोली दस्तावेज अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी करना शामिल है।

विवरण

(लागत: करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजना की संख्या	मूल लागत	वर्तमान अनुमानित लागत	लागत में वृद्धि	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	आणविक ऊर्जा	8	24115.33	26262.27	2146.94	उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब।
2.	नागरिक उड्डयन	3	161.23	181.68	20.45	निविदा प्रदान करने में विलम्ब, कानून व व्यवस्था संबंधी समस्याएं।
3.	कोयला	56	7311.25	7714.78	403.53	वित्तीय कठिनाइयां, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति तथा उपस्करों की आपूर्ति भू-खनन संबंधी समस्याएं।
4.	उर्वरक	1	350	509.40	159.40	उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब।
5.	सूचना एवं प्रसारण	2	93.32	140.77	47.45	प्रौद्योगिकी चयन निविदा प्रदान करने, उपस्करों की आपूर्ति तथा सिविल कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब, न्यायालय संबंधी मामले
6.	खान	3	2598.76	2598.76	0.00	
7.	इस्पात	7	939.07	956.81	17.74	उपस्कर लगाने में विलम्ब।
8.	पेट्रोलियम	30	33352.64	35654.25	2301.61	निविदा प्रदान करने में विलम्ब।

1	2	3	4	5	6	7
9.	विद्युत	46	55238.99	69845.91	14606.92	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, भू-खनन समस्याएं, कानून व व्यवस्था संबंधी समस्याएं तथा निर्माण कार्यों में कार्यान्वयन में धीमी प्रगति।
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	159.94	780.86	620.92	परियोजना का पुन: अभिकल्पन।
11.	रेलवे	168	29588.56	43955.43	14366.87	भूमि अधिग्रहण तथा प्रौद्योगिकी के चयन से संबंधित समस्याएं, वित्तीय कठिनाइयां, एवार्ड में विलम्ब।
12.	सड़क यातायात	122	25721.28	26545.86	824.58	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, उपस्करों का आयात, पुलों के अभिकल्पन में जटिलता, निविदाकारों द्वारा धीमी प्रगति।
13.	जहाज एवं बंदरगाह	41	3955.8	3961.49	5.69	वित्तीय कठिनाइयां, उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब, सिविल कार्य में विलम्ब, धीमी प्रगति।
14.	दूरसंचार	11	652.98	692.83	39.85	
15.	शहरी विकास	12	5214.19	10995.85	5781.66	भूमि अधिग्रहण, अभिकल्पन को अंतिम रूप देने तथा निविदा प्रदान करने में विलम्ब, निर्माण कार्य कार्यान्वयन की धीमी प्रगति।
16.	जल संसाधन	2	409.33	442.00	32.67	
	जोड़	515	189862.67	231238.95	41376.28	

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को अनुमति देना

2470. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लड़कियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने हेतु प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विशेष रूप से लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भारत में लड़कियों को रक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे स्कूलों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थायी कमीशन के लिए पात्र कार्मिकों के लिए है। लड़कियों को, चिकित्सा अधिकारी के अलावा, स्थायी कमीशन देने पर विचार नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गुजरात सरकार के शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री का एक पत्र 1998 में प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाने का अनुरोध किया था। किंतु चूंकि सैनिक स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए तैयार करना है, इसलिए लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल प्रारंभ करना आवश्यक नहीं समझा गया था। तथापि, अल्प सेवा कमीशन के लिए चुनी गई महिला उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षण दिया जाता है।

तटरक्षक मुख्यालय का हस्तांतरण

2471. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तटरक्षक मुख्यालय इस समय दिल्ली में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि तटरक्षक मुख्यालय को समुद्र तट पर अधिक उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस स्थान की पहचान की गई है; और

(घ) तटरक्षक मुख्यालय को कितने समय तक शिफ्ट किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार-पत्रों हेतु कागज का आयात

2472. श्री अमर राय प्रधान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई अग्रणी समाचार-पत्रों द्वारा अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ऐसे समाचार-पत्र द्वारा वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया है;

(ग) घरेलू अखबारी कागज और आयातित अखबारी आगज का मूल्य क्या है;

(घ) क्या भारत में उत्पादित अखबारी कागज हमारे समाचार पत्रों के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) यदि नहीं, तो अग्रणी समाचार-पत्र किन कारणों से कागज/अखबारी कागज का आयात अन्य देशों से कर रहे हैं; और

(छ) अखबारी कागज की आवश्यकता को घरेलू रूप से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच प्रमुख समाचारपत्रों द्वारा आयात किए गए अखबारी कागज की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) स्वदेशी अखबारी कागज की दर इसकी गुणवत्ता, मात्रा के भार और आकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। आयातित अखबारी कागज की दर इसकी गुणवत्ता, भार और मात्रा के अनुसार एक देश में भिन्न-भिन्न होती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान आयाातित अख़बारी कागज की औसत दर प्रति टन 370-420 अमरीकी डॉलर की सीमा में थी जबकि तदनरूपी स्वदेशी अखबारी कागज की कीमत 20,000 रुपये से 22,000 रुपये प्रति टन थी।

(घ) से (च) प्रमुख समाचारपत्रों द्वारा स्वदेशी अखबारी कागज के साथ आयातित अखबारी कागज के मिश्रण का उपयोग करने के कारणों में अत्यधिक गति की प्रिंटिंग मशीनों और बहु-कलर प्रिंटिंग के लिए बढ़िया गुणवत्ता के अखबारी कागज हेतु उनकी मांग शामिल हो सकती है जो अखबारी कागज में चमक लाने और कीमत लाभ के लिए जरूरी होता है।

(छ) देश में समाचारपत्रों के निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

1. अखबारी कागज उद्योग की लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना।
2. अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु कागज की लुगदी का कर-मुक्त आयात।
3. अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल मिलों द्वारा निर्मित अखबारी कागजों पर उत्पादन कर छूट।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख समाचारपत्रों द्वारा आयातित अखबारी कागज की मात्रा

क्र.सं.	समाचारपत्रों का नाम	आयातित अखबारी कागज (मिलियन टनों में मात्रा)					
		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		स्टैंडर्ड	ग्लेज	स्टैंडर्ड	ग्लेज	स्टैंडर्ड	ग्लेज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स	41678	2858	36921	1528	36414	346

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	टाइम्स ऑफ इंडिया	34880	382	55780	3659	34736	24
3.	दैनिक जागरण	19329	895	20108	1485	23716	1444
4.	इनाडु	11343	1508	13231	1357	18209	1449
5.	आनन्द बाजार पत्रिका	16852	357	19532	160	24012	349

अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा धनराशि की वसूली न कर पाना

2473. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एमओपीसी) नागालैंड में अदरक की खेती के लिए वित्तपोषित किए गए 4 करोड़ रुपये के वसूल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित धनराशि की वसूली के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने नागालैंड में अदरक की खेती के लिए कोई धनराशि नहीं प्रदान की है। तथापि, इसने मिजोरम में अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अदरक की खेती के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इसकी अदायगी 1.4.2003 से होनी है।

(ख) मिजोरम सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि अदरक की फसल का इसकी बीमारी के कारण नुकसान हुआ और इसलिए लाभार्थियों से ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है।

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को मिजोरम स्थित अपनी राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों से अब तक किसी मूलधन तथा ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई है।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अपने ऋण की अदायगी के लिए मिजोरम स्थित अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। अदरक खेती योजना हेतु ऋण की अदायगी की प्राप्ति होने तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने मिजोरम सरकार को आगे संवितरण रोकने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त अदरक कृषि के लिए इसके ऋणों के चुकता न होने पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा प्रदान की गई राज्य सरकार की गारंटी को वापस लेने पर बाध्य हो सकता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी में बाल कलाकार

2474. **श्री रामशकल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी में बाल कलाकारों को कैसे भर्ती किया जाता है; और

(ख) वर्ष 2002-2003 में दूरदर्शन और आकाशवाणी में कितने बाल कलाकार भर्ती किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी बाल कलाकारों की भर्ती नहीं करते हैं। तथापि, वे केन्द्रों/स्टेशनों की कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, यथावश्यकतानुसार, संविदा-आधार पर बाल कलाकारों की बुकिंग करते हैं।

[अनुवाद]

बांड जारी करना

2475. **डा. वी. सरोजा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए यथाशीघ्र नवीकरण शुरू करने तथा संरक्षा मानदण्ड अपनाने के लिए धन जुटाने हेतु रेलवे का विचार बांड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे में संरक्षा कार्य के लिए धन जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवीकरण और संरक्षा संबद्ध कार्य मुख्यत: आंतरिक सृजन और विशेष रेल संरक्षा निधि से वित्त पोषित किये जाते हैं न कि बाजार ऋण से।

(घ) आमदनी में सुधार और खर्च पर नियंत्रण के उपाय किये जा रहे हैं ताकि आंतरिक सृजन में सुधार हो सके। इससे मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि में वित्तपोषण होता है तथा इन दो निधियों से संरक्षा से संबंधित कार्यों में मुख्य रूप से वित्त पोषण किया जाता है, इसके अलावा, सरकार ने अक्तूबर, 2001 में 17,000 करोड़ रुपये से विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना का अनुमोदन किया है जिसमें 12,000 करोड़ रुपये का अनुदान सामान्य राजकोष से किया गया है और शेष यात्री किरायों पर संरक्षा अधिभार के रूप में जुटाए जाने हैं।

मिराज विमान दुर्घटना

2476. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान अब तक कितने मिराज विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और इसका क्या कारण है;

(ख) इस संबंध में की गयी जांचों के परिणाम क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं में कोई विदेशी साजिश है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुनबी मराठा जाति को अ.पि.व. का दर्जा

2477. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र क्षेत्र के 'कुनबी' मराठा जाति/समुदाय को महाराष्ट्र राज्य के लिए अ.प.वि. की केन्द्रीय सूची में अ.प.वि. का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सूची में शामिल किये जाने के प्रस्ताव की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस अ.पि.व. सूची में इस जाति के अभी तक शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में 'कुनबी' के पर्याय के रूप में 'मराठा' जाति/समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव की जांच की और उसे अस्वीकार कर दिया है क्योंकि यह 'कुनबी' का पर्याय नहीं है। आयोग ने सरकार को सलाह भी दी है कि 'मराठा' को एक अलग प्रवृष्टि के रूप में महाराष्ट्र के लिए पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया जाए क्योंकि यह सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति/समुदाय नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से उन्नत और प्रतिष्ठित जाति/समुदाय है।

एमईएस द्वारा आवासों का निर्माण

2478. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम ई एस सेना के तीन अंगों और उनसे संबद्ध विभागों के भवनों का कार्य, रखरखाव और अन्य सुविधाएं जैसे सड़क निर्माण, जलमल व्ययन इत्यादि कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या 15 अगस्त, 2001 को घोषित सैन्य कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी एम ई एस को सौंपी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदारी किन एजेंसियों और ठेकेदारों को सौंपी गयी है;

(ङ) क्या इस निर्णय के कारण सरकार को अतिरिक्त खर्च का वहन करना पड़ेगा;

(च) यदि हां, तो यह राशि कितनी है; और

(छ) अब तक निर्मित भवनों की संख्या कितनी है और शेष निर्माण के पूरा न होने के यदि कोई कारण हैं तो क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सेना इंजीनियर सेवा के पास परिवार आवास परियोजना के समग्र कार्य का उत्तरदायित्व लेने की क्षमता नहीं थी।

(घ) चरण-1 के 80 स्टेशनों में से 41 स्टेशनों का कार्य प्रमुख इंजीनियर शाखा/सेना इंजीनियर सेवा की स्थापना से सृजित संगठन महानिदेशक, परिवार आवास परियोजना को सौंपा गया है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात्, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., भारतीय रेल निर्माण (इरकॉन) और राइट्स को भी सौंपा गया है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सौंपे गए कार्य के लिए कोई अतिरिक्त व्यय वहन नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और परामर्शदाताओं को सेवा प्रभार/परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस पर अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति अतिरिक्त स्टाफ और अन्य प्रभारों की लागत, जिनकी जरूरत उस समय पड़ती जब यह कार्य सेना इंजीनियर सेवा के माध्यम से कराया जाता, द्वारा की जाएगी।

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सबसे कम बोली के आधार पर परियोजना के 7% की दर पर सेवा प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

(छ) अभी तक कोई भवन नहीं बनाया गया है। कुछ स्टेशनों पर मार्च, 2004 तक निर्माण-कार्य शुरू होने की संभावना है। निर्माण के तौर-तरीकों और निर्माण-कार्य प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समय 80 स्टेशनों से संबंधित निर्माण-कार्य आयोजना की अवस्था में है। यह प्रस्तावित है कि चरण-1 का निर्माण-कार्य सन् 2005/2006 तक पूरा हो जाएगा। अन्य चरणों का कार्य बाद में किया जाएगा।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

2479. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विद्युत की भारी कमी के मद्देनजर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के लिए इस मद के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और इसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों सहित समूचे देश में सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है तथा इसके लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार को विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत 5.00 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार में 550 बायोगैस संयंत्र, 6523 उन्नत चूल्हे और एक सौर प्रकाशवोल्टीय पंप संस्थापित किए गए हैं।

विवरण

दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, बिहार में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्यक्रम	31.3.2003 के अनुसार उपलब्धि
1	2	3
1.	लघु पनबिजली (मेगावाट)	44.90
2.	बायोमास गैसीफायर (मेगावाट)	0.02
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय	
	क. सौर सड़क रोशनी प्रणाली (संख्या)	410

1	2	3
	ख. सौर घरेलू रोशनी प्रणाली (संख्या)	679
	ग. सौर लालटेन (संख्या)	28275
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (संख्या)	128
5.	जल पंपन पवन चक्की (संख्या)	42
6.	सौर कुकर (संख्या)	450
7.	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	123963
8.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित संयंत्र (संख्या)	40
9.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लॉकों की संख्या)	56
10.	ऊर्जा पार्क (संख्या)	03
11.	उन्नत चूल्हा (संख्या लाख में)	11.94

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों को रेलवे की भूमि का आबंटन

2480. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने स्वतंत्रता सेनानियों को पट्टे पर रेल विभाग की भूमि आवंटित करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पहचाने गए स्थानों का राज्यवार विशेषत: आंध्र प्रदेश में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे भूमि पट्टों की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमानवाहकों का निर्माण

2481. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-2004 के दौरान स्वदेशी विमानवाहकों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी विमानवाहकों के निर्माण हेतु कब तक स्टील कल्टिंग का कार्य शुरू होने की संभावना है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) स्वदेशी विमानवाहकों के विकास के लिए वर्षवार नियत लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) स्वदेशी विमानवाहकों के विकास के कार्य को त्वरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे कितने पोत विकसित किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) सरकार ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची के पास लगभग 37500 एम टी वाले एक वायु रक्षा पोत के विनिर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) से (ङ) पोत का अभिकल्प तैयार करने का कार्य आरंभ हो चुका है। पोत के निर्माण संबंधी अन्य कार्यकलाप भी निर्धारित समय-सीमा के अनुसार शुरू कर दिए गए हैं। पोत निर्माण से जुड़ी गतिविधियों की प्रगति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तर पर एक मानीटरी तंत्र स्थापित किया गया है ताकि पोत निर्माण का कार्य बगैर किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहे तथा निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन हो। इस समय इस प्रकार के केवल एक पोत का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. में हुआ व्यय

2482. श्री राज नारायण पासी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के महाप्रबंधक के वेतन और भत्तों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त इकाई में बढ़ रहे खर्चे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) महाप्रबंधकों (जीएम्स) की संख्या तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआई) द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान उनके वेतन और भत्तों पर किये गये व्यय निम्नानुसार हैं:

वर्ष	महाप्रबंधकों की संख्या	राशि (रुपये में)
2000-2001	04	13,58,015.00
2001-2002	17	63,91,277.00
2002-2003	29	1,04,14,286.00
2003-2004 (30.11.2003 तक)	28	82,24,577.00

(ख) ईपीआई के कार्यकलापों के अखिल भारतीय स्वरूप तथा क्रयादेश पर विचार करते हुए, कंपनी अपने द्वारा नियुक्त महाप्रबंधकों की संख्या परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य महसूस करती है। सरकार हमेशा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लागतों में कटौती करने का सुझाव देती है।

[अनुवाद]

वेतनमान में एकरूपता

2483. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुध निर्माण सहित सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में श्रेणीवार फायरमैन की भर्ती और पदोन्नति के लिए निर्धारित शर्तों तथा उनके वेतनमान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फायरमैन की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतमान और पदोन्नति की शर्तों में तीनों सेवाओं में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(घ) क्या उनकी भर्ती और पदोन्नति के लिए वेतनमानों, शर्तों में एकरूपता लाने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) रक्षा मंत्रालय की विसंगति निवारण समिति ने 7 जनवरी, 1999 को हुई अपनी दूसरी बैठक में तीनों सेनाओं में अग्निशमन स्टाफ के वेतनमानों तथा पदोन्नतियों की शर्तों में असमानता पर विचार किया था। विसंगति निवारण समिति ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के फायरमैनों से समानता प्राप्त करने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा प्रस्ताव शुरू करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, नौसेना मुख्यालय ने अपना प्रस्ताव भेजा था, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया था। तथापि, उन्होंने इसे इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह प्रस्ताव पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है।

विवरण

नौसेना मुख्यालय के अग्निशमन स्टाफ के वेतनमानों का ब्यौरा

संख्या	पद का नाम	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण/पुनर्नियोजन के लिए पात्रता की शर्तें
1	2	3	4	5
1.	उप अग्निशमन अधिकारी	5000-8000	50% पदोन्नति द्वारा यथा 50% प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा तथा जिनके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति:** इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित सिविलियन सहायक अग्निशमन मास्टर/सहायक अग्निशमन अधीत्रक, जिसके न होने पर सिविलियन सहायक अग्निशमन मास्टर/सहायक अग्निशमन अधीक्षक तथा पर्यवेक्षक (अग्निशमन) के ग्रेडों में 7 वर्ष की अनवरत सम्मिलित सेवा सहित सिविलियन सहायक अग्निशमन मास्टर/सहायक अग्निशमन अधीक्षक तथा पर्यवेक्षक (अग्निशमन)। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतियनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं हों उन सशस्त्र

1	2	3	4	5
				बल कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किये जाने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा तथा इसके बाद सिविल पद पर पुनर्नियोजन के आधार पर उनकी सेवा जारी रखी जाएगी। **सीधी भर्ती:** अनिवार्य: (1) मैट्रीकुलेशन अथवा उसके समकक्ष अर्हता। (2) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम। (3) सभी प्रकार के अग्निशमन उपकरणों, होज फिटिंग तथा अग्निशमन इंजनों, ट्रेलर अग्निशमन पम्पों, फोम ब्रांचों आदि जैसे अग्निशमन उपकरणों और उपस्करों के उपयोग तथा रख-रखाव का ज्ञान होना चाहिए। (4) मान्यताप्राप्त सिविल अथवा रक्षा अथवा पोर्ट ट्रस्ट अग्निशमन ब्रिगेड में पर्यवेक्षक की हैसियत में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। **वांछनीय:** (1) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर से स्टेशन अधिकारी पाठ्यक्रम। (2) अग्निशमन सेवा संगठन में बिना ऑक्सीजन की स्थिति में कार्य संबंधी ड्यूटियों का अनुभव।
2.	सिविलियन सहायक अग्निशमन मास्टर/सहायक अग्निशमन अधीक्षक	4000-6000	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) तथा सभी के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति:** ग्रेड में नियमित आधार पर तीन (3) वर्ष की लगातार सेवा सहित पर्यवेक्षक (अग्निशमन) जिसके न होने पर पर्यवेक्षक (अग्निशमन) तथा लीडिंग हैंड अग्निशमन (चयन ग्रेड) तथा अग्निशमन इंजन ड्राइवर ग्रेड-1 के ग्रेड में 5 वर्ष की कुल लगातार सम्मिलित सेवा करने वाला पर्यवेक्षक। **स्थानांतरण:** रक्षा सेवाओं की निम्न विरचनाओं में समान, समकक्ष अथवा उच्चतम ग्रेडों में सेवारत तथा सीधी भर्ती की अर्हताएं रखने वाला व्यक्ति। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं हों उन सशस्त्र बल कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किए जाने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा तथा इसके बाद सिविल पद पर पुनर्नियोजन के आधार पर उनकी सेवा जारी रखी जाएगी। **सीधी भर्ती:** (1) मैट्रीकुलेशन अथवा उसके समकक्ष अर्हता। (2) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम। (3) सभी प्रकार के अग्निशमन उपकरणों, होज फिटिंग तथा अग्निशमन इंजनों, ट्रेलर अग्निशमन पम्पों, फोम ब्राचों आदि जैसे अग्निशमन उपकरणों और उपस्करों के उपयोग तथा रख-रखाव का ज्ञान होना चाहिए।

1	2	3	4	5
			-	(4) मान्यताप्राप्त सिविल अथवा रक्षा अग्निशमन ब्रिगेड में पर्यवेक्षक की हैसियत में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो किंतु पर्यवेक्षक ग्रेड-1 अथवा उप-अधिकारी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए।
3.	पर्यवेक्षक (अग्निशमन)	40000-6000	(क) 50% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा, सभी के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 50% अग्निशमन इंजन ड्राइवर ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिक के लिए) द्वारा तथा सभी के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति:** (क) लीडिंग हैंड अग्निशमन चयन ग्रेड से: 50% ग्रेड में दो वर्ष की लगातार सेवा सहित लीडिंग हैंड अग्निशमन (चयन ग्रेड) से, जिसके न होने पर लीडिंग हैंड अग्निशमन (चयन ग्रेड)/ लीडिंग हैंड अग्निशमन (सामान्य ग्रेड)/अग्निशमन इंजन ड्राइवर के ग्रेड में चार वर्ष की सम्मिलित सेवा सहित लीडिंग हैंड अग्निशमन (चयन ग्रेड) से, (ख) अग्निशमन इंजन ड्राइवर ग्रेड-1 से 50%: ग्रेड में दो वर्ष की लगातार सेवा सहित ड्राइवर ग्रेड-1, जिसके न होने पर अग्निशमन इंजन ड्राइवर ग्रेड-1/अग्निशन इंजन ड्राइवर ग्रेड-2 (अग्निशमन इंजन ड्राइवर के रूप में पहले की गई सेवा सहित) के ग्रेड में 4 वर्ष की सम्मिलित सेवा सहित अग्निशमन इंबन ड्राइवर ग्रेड-1, दोनों के न होने पर इस ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार सेवा सहित अग्निशमन इंजन ड्राइवर ग्रेड-2 (ग) **स्थानांतरण:** रक्षा सेवाओं के सिविल पद पर समान, समकक्ष अथवा उच्चतम ग्रेडों में सेवारत व्यक्ति। (घ) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:** प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ पुनर्नियोजन: एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं हों उन सशस्त्र बल कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किए जाने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा तथा इसके बाद सिविल पद पर पुनर्नियोजन के आधार पर उनकी सेवा जारी रखी जाएगी। **सीधी भर्ती:** (1) मैट्रीकुलेशन अथवा उसके समकक्ष अर्हता। (2) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम। (3) अग्निशमन उपस्करों अथवा उपकरणों की सभी मदों के उपयोग और रख-रखाव में तथा अग्निशमन सेवा कवायद के मूल्यांकन में समर्थ होना चाहिए। अग्निशमन कर्मियों तथा यूनिट कार्मिकों को प्रशिक्षण देने में समर्थ। (4) मान्यताप्राप्त सिविल अथवा रक्षा अग्निशमन ब्रिगेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो, किंतु लीडिंग हैंड (अग्निशमन) अथवा समकक्ष के रैंक से नीचे के रैंक में नहीं होना चाहिए।

1	2	3	4	5
				(5) सभी प्रकार के अग्निशमकों, होज फिटिंग तथा अग्निशमन इंजनों, ट्रेलर अग्निशमन पम्पों, फोम ब्रांचों आदि जैसे उपकरणों और उपस्करों के उपयोग और रख-रखाव का ज्ञान होना चाहिए। (6) शारीरकि रूप से उपयुक्त तथा कठोर ड्यूटियां करने में समर्थ होना चाहिए तथा नीचे नोट-2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
4.	लीडिंग हैंड अग्निशमन (चयन ग्रेड)	3050-4590	पदोन्नति	**पदोन्नति:** निर्धारित ट्रेड परीक्षा पास करने पर इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित लीडिंग हैंड अग्निशमन/लीडिंग फायरमैन/अग्निशमन इंजन ड्राइवर/अग्निशमन इंजन ड्राइवर ग्रेड-2
5.	लीडिंग हैंड अग्निशमन (सामान्य ग्रेड)/लीडिंग फायरमैन	3050-4590	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिक के लिए) द्वारा तथा सभी के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति:** इस ग्रेड में 3 वर्ष की लगातार सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-1, जिसके न होने पर फायरमैन ग्रेड-1 तथा फायरमैन-2 के ग्रेड में 4 वर्ष की लगातार सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-1, जिसके न होने पर विभागीय परीक्षा पास करने के आधार पर इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-2 **स्थानांतरण:** रक्षा सेवाओं के सिविल पद में समान, समकक्ष अथवा उच्चतर ग्रेडों में सेवारत तथा सीधी भर्ती की अर्हता रखने वाला व्यक्ति। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं हों उन सशस्त्र बल कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किए जाने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा तथा इसके बाद सिविल पद पर पुनर्नियोजन के आधार पर उनकी सेवा जारी रखी जाएगी। **सीधी भर्ती:** अनिवार्य: (1) मैट्रीकुलेशन अथवा उसके समकक्ष परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम। (3) प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन देने और एक शिफ्ट के कार्य को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में समर्थ होना चाहिए। (4) मान्यताप्राप्त सिविल अथवा रक्षा अग्निशमन ब्रिगेड में फायरमैन के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। (5) शारीरिक रूप से फिट हो तथा सख्त ड्यूटियां निष्पादित करने में सक्षम हो तथा नीचे नोट-2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **वांछनीय:** रक्षा अग्नि शमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से सामान्य अग्नि शमन पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से उप-अफसर पाठ्यक्रम अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

1	2	3	4	5
6.	फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड-1	3050-4590	पदोन्नति, ऐसा न होने पर स्थानांतरण द्वारा और इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति:** भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित तथा ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित फायर इंजन ड्राइवर/फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड-2/लीडिंग हैंड फायर (ओजी) और इनके न मिलने पर फायर इंजन ड्राइवर/फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड-2/लीडिंग हैंड फायर (ओजी) जिन्होंने फायर इंजन ड्राइवर/फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड-2/लीडिंग हैंड फायर (ओजी) तथा फायरमैन ग्रेड-1 में चार वर्ष की संयुक्त सेवा की हो जिसमें से फायर इंजन ड्राइवर/फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड-2/लीडिंग हैंड फायर (ओजी) ग्रेड में दो वर्ष की सेवा तथा भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ ट्रेड परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो। **स्थानांतरण:** रक्षा सेवाओं के सिविल पदों में मिलते-जुलते, समकक्ष अथवा उच्च ग्रेडों में सेवारत कार्मिक जिनके पास सीधी भर्ती की योग्यताएं हों। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:** प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानान्तरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं हों उन सशस्त्र बल कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। इन व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किए जाने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा तथा इसके बाद सिविल पद पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियोजन के आधार पर उनकी सेवा जारी रखी जाएगी। **सीधी भर्ती:** (1) मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। (2) फायरमैन तथा ड्राइवर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (3) मान्यताप्राप्त प्राधिकारी से भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। (4) फायरमैन ग्रेड-2 की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शारीरिक मानदण्ड पूरे हों।
7.	फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड-2	3050-4590	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा इन दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन सबके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति:** इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-1 जिसके न मिलने पर फायरमैन ग्रेड-1 तथा फायरमैन ग्रेड-2 के ट्रेड में चार वर्ष की संयुक्त सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-1 जिसके न मिलने पर इसी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-2 जिसके पास वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा जिसने विभागीय ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **स्थानांतरण:** रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर मिलते-जुलते, समकक्ष अथवा उच्च ग्रेडों में सेवारत कार्मिक तथा सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं रखते हों। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:** प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष के भीतर सेवा निवृत्ति होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किए जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती की योग्यताएं हों ऐसे सशस्त्र सेना कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त होने की नियत तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी तथा इसके बाद उन्हें सिविल पद में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियोजन आधार पर बनाया रखा जाएगा।

1	2	3	4	5
				सीधी भर्ती: अनिवार्य: (1) मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष जरूरी। (2) भारी वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। (3) शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा सख्त ड्यूटियों को निष्पादित करने में सक्षम हो तथा नीचे नोट-2 में विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वांछनीय: (1) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों के अनरक्षण तथा प्रचालन की जानकारी हो। (2) फायरमैन ग्रेड-1 अथवा वरिष्ठ फायरमैन के रूप में स्थायी सिविल अथवा रक्षा फायर ब्रिगेड में कार्य करने का अनुभव हो। (3) अग्निशमन अनुसंधान रक्षा संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से सामान्य अग्निशमन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से उप-अफसर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो अथवा इसी प्रकार का कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
8.	फायरमैन ग्रेड-1	2750-4400	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा इन दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन सबके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति:** नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस ग्रेड में की गई 3 वर्ष की सेवा सहित फायरमैन ग्रेड-II स्थानांतरण: रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर मिलते-जुलते, समकक्ष अथवा उच्च ग्रेडों में सेवारत कार्मिक तथा सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं रखते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती की योग्यताएं हों ऐसे सशस्त्र सेना कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त होने की नियत तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी तथा इसके बाद उन्हें सिविल पद में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियोजन आधार पर बनाए रखा जाएगा। **सीधी भर्ती:** (1) मिडिल स्कूल अथवा समकक्ष अर्हता। (2) सभी प्रकार के अग्निशमकों, होज फिटिंग्स तथा फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पम्प, फोम ब्रांच आदि जैसे अग्निशमन उपकरणों तथा उपस्करों का जानकार होना चाहिए। (3) प्राथमिक सहायता अग्निशमन उपकरणों तथा ट्रैलर पम्प के इस्तेमाल तथा अनुरक्षण की जानकारी होनी चाहिए। (4) विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने हेतु अपनाए जाने वाले अग्निशमन तरीकों के प्राथमिक सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए।

1	2	3	4	5
				(5) पैदल तथा उपकरण फायर सेवा कवायद का जानकार हो तथा अग्निशमन दस्ते के सदस्य को आबंटित कार्य को निष्पादित करने में सक्षम हो।
				(6) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए फायरमैन ग्रेड-II के रूप में मान्यताप्राप्त सिविल अथवा रक्षा फायर ब्रिगेड में सेवा की हो।
				(7) शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा सख्त ड्यूटियों को निष्पादित करने में सक्षम हो तथा नीचे नोट-II में विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
9.	फायरमैन ग्रेड-II	2650-4000	स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा तथा सभी के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**स्थानांतरण:** रक्षा सेवा के सिविल पद पर समान, समकक्ष अथवा उच्च ग्रेड में कार्यरत कार्मिक तथा सीधी भर्ती संबंधी योग्यताएं रखने वाले। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:** प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/पुनर्नियोजन एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अथवा आरक्षित के रूप में स्थानांतरित किये जाने वाले तथा जिनके पास सीधी भर्ती की योग्यताएं हों ऐसे सशस्त्र सेना कार्मिकों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त होने की नियत तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी तथा इसके बाद उन्हें सिविल पद में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियोजन आधार पर बनाए रखा जाएगा। **सीधी भर्ती:** (1) मिडिल स्कूल परीक्षा पास हो। (2) शारीरिक रूप से फिट हो तथा सख्त ड्यूटियां निष्पादित किए जाने में सक्षम हो तथा नीचे नोट-2 में विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा पास की हो।

ईएमई निदेशालय के अग्निशमन के कर्मचारियों के वेतनमान के ब्यौरे

ग्रेड	वेतनमान	भर्ती की शर्तें	प्रोन्नति की शर्त
1	2	3	4
फायरमैन ग्रेड-2	2650-65-3300-70-4000	1. मिडिल स्कूल उत्तीर्ण 2. शारीरिक रूप से फिट तथा कठोर ड्यूटी करने में सक्षम एवं शारीरिक फिटनेस की जांच हेतु निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	लागू नहीं
फायरमैन ग्रेड-1	2750-70-3800-75-4400	1. मिडिल स्कूल या समकक्ष योग्यता 2. सभी तरह के अग्निशमकों, होज फिटिंगों तथा फायर इंजनों, ट्रेलर, फायर पम्पों, फोम ब्रांचों आदि जैसे अग्निशमन उपकरणों एवं उपस्करों के प्रयोग तथा रख-रखाव का कार्य भली-भांति जानता हो।	फायरमैन ग्रेड 2 के रूप में नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में नियमित रूप से तीन वर्ष की लगातार सेवा की हो।

1	2	3	4
		3. फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग उपकरणों तथा ट्रेलर फायर पम्प के प्रयोग तथा रख-रखाव का ज्ञान हो। 4. विभिन्न किस्म के अग्निशमन कार्य के प्रयोग में लाए जाने वाले अग्निशमन तरीकों के प्रारंभिक सिद्धांतों का ज्ञान हो। 5. फुट एण्ड अप्लाइंस फायर सर्विस ड्रिल्स का पूरा ज्ञान हो तथा अग्निशमन दल के सदस्य को दिए गए कार्य को करने में सक्षम हो। 6. किसी मान्यता प्राप्त सिविल अथवा रक्षा अग्निशमन ब्रिगेडों में फायरमैन ग्रेड 2 के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो। 7. शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो तथा कठोर कार्य करने में सक्षम हो और शारीरिक फिटनेस जांच करने हेतु निर्धारित परीक्षा पास की हो।	
लीडिंग हैंड फायर (साधारण ग्रेड)	3050-75-3950-80-4590	अनिवार्य: 1. मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. सभी प्रकार के अग्निशमकों, होज फिटिंग एवं अग्नि उपकरणों तथा फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप फोम ब्रांच आदि जैसे उपस्करों के इस्तेमाल और रख-रखाव में निपुण हो। 3. बी क्रेन के प्रशिक्षण मार्ग-निर्देशन एवं नियंत्रण तथा एक शिफ्ट का स्वतंत्र प्रभार लेने में सक्षम हो। 4. मान्यता प्राप्त सिविल अथवा रक्षा फायर ब्रिगेड में फायरमैन के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। 5. शारीरिक रूप से फिट तथा कठोर ड्यूटी करने में सक्षम हो और शारीरिक फिटनेस हेतु निर्धारित जांच परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	फायरमैन ग्रेड-1 में तीन वर्ष की सेवा और फायरमैन ग्रेड-2 में नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में नियमित रूप से 6 वर्ष की लगातार सेवा की हो तथा विभागीय ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

1	2	3	4
		वांछनीय: रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से सामान्य अग्निशामक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज, नागपुर से सब अफसर कोर्स अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोर्स किया हो।	
फायर इंजन ड्राइवर	3050-75-3950-80-4590	1. मिडिल स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. भारी वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। 3. शारीरिक रूप से फिट हो तथा कठोर ड्यूटी करने में सक्षम हो और शारीरिक जांच के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वांछनीय: 1. विभिन्न प्रकार के आग बुझाने के उपकरणों के अनुरक्षण तथा प्रचालन की जानकारी रखता हो। 2. नियमित सिविल अथवा रक्षा पायर ब्रिगेड में फायरमैन ग्रेड-1 अथवा वरिष्ठ फायरमैन के रूप में कार्य करने का अनुभव। 3. अग्नि अनुसंधान रक्षा संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से सामान्य अग्निशमन पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कानपुर से सब अफसर पाठ्यक्रम अथवा इसके समान अन्य कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद फायरमैन ग्रेड-1 के रूप में लगातार तीन वर्ष तक सेवा की हो तथा ऐसा न होने पर फायरमैन ग्रेड-1 तथा फायरमैन ग्रेड-2 के रूप में नियुक्ति के बाद इन ग्रेडों में कुल मिलाकर छह वर्ष की सेवा की हो तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा यह विभागीय ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा।

1	2	3	4
लीडिंग हैंड फायर (सेलेक्शन ग्रेड)	3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं।	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद लीडिंग हैंड फायर साधारण ग्रेड/फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो।
पर्यवेक्षक अग्निशमन	4000-100-6000	1. मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यता 2. रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर से सब-अफसर पाठ्यक्रम अथवा इसके समान कोई अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम। 3. अग्नि शमन दल तथा यूनिट कार्मिकों को अग्नि शमन उपस्करों अथवा उपकरणों की सभी मदों के इस्तेमाल तथा अनुरक्षण के बारे में प्रशिक्षण देने तथा अग्निशमन सेवा ग्रेडों के सभी मूल्यांकनों को करने में सक्षम हो। 4. कम से कम लीडिंग हैंड फायर अथवा समकक्ष रैंक में मान्यता प्राप्त सिविल अथवा रक्षा अग्नि शमन ब्रिगेड में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की हो। 5. सभी प्रकार के अग्नि शामकों, होज फिटिंगों तथा अग्नि शमन उपकरणों तथा उपस्करों जैसे फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप फोम ब्रांचों आदि के इस्तेमाल तथा अनुरक्षण की जानकारी रखता हो। 6. शारीरिक रूप से फिट हो तथा कठोर ड्यूटी करने में सक्षम हो तथा शारीरिक फिटनैस जांच के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद लीडिंग हैंड फायर (सेलेक्शन ग्रेड) ग्रेड में दो वर्ष तक लगातार सेवा की हो तथा यह रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्नि शमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कालेज, नागपुर से सब-अफसर पाठ्यक्रम अथवा इसके सैमान कोई अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की योग्यता के अधीन होगा।

आयुध सेवा निदेशालय के अग्निशमन कर्मचारियों के संबंध में वेतनमानों का ब्यौरा

पद	वेतनमान	भर्ती की तरीका	पदोन्नति की शर्तें
फायर अधीक्षक	5000-8000 रु.	100% पदोन्नति द्वारा	फायर मास्टर ग्रेड में तीन वर्ष की अर्हक सेवा
फायर मास्टर	4500-7000 रु.	100% पदोन्नति द्वारा	लीडिंग हैंड (फायर) 'ख' तथा एफईडी 'ख' ग्रेड में पांच वर्ष की अर्हक सेवा तथा यह डीआईएफआर, दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज नागपुर से सब-अफसर पाठ्यक्रम योग्यता रखने के अधीन होगा।
एलएच एफ ''बी''	4000-6000 रु.	100% पदोन्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति द्वारा: लीडिंग फायर ''क'' ग्रेड में आठ वर्ष की अर्हक सेवा
एलएच (फायर) ''क''	3050-4590 रु.	100% पदोन्नति द्वारा	फायरमैन ग्रेड में तीन वर्ष की अर्हक सेवा
एफईडी ''ख''	4000-6000 रु.	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा	आठ वर्ष की अर्हक सेवा वाले फायर इंजन ड्राइवर ''क''
एफईडी ''क''	3050-4590 रु.	100% पदोन्नति द्वारा	नियुक्ति के बाद फायरमैन ग्रेड में तीन वर्ष की अर्हक सेवा तथा वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखना
फायरमैन	2750-4400 रु.	आमेलन के द्वारा तथा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती के द्वारा।	

वायुसेना मुख्यालय के अग्निशमन कर्मचारियों की बाबत वेतनमानों का ब्यौरा

पद	वेतनमान	भर्ती का तरीका	पदोन्नति की शर्तें
1	2	3	4
अग्निशमन मास्टर/उप अग्निशमन अधिकारी	4500-7000 रुपए	50% पदोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार सेवा वाले अग्निशमन पर्यवेक्षक ग्रेड-1/सिविलियन सहायक अग्निशमन मास्टर/सहायक अग्निशमन अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा
अग्निशमन पर्यवेक्षक ग्रेड-1/सिविलियन	4000-6000 रुपए	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में की गई तीन वर्ष की लगातार सेवा वाले पर्यवेक्षक (अग्निशमन) बशर्ते उनके पास

1	2	3	4
सहायक अग्निशमन पर्यवेक्षक/सहायक अग्निशमन अधीक्षक		प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इनमें से किसी के भी न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अग्निशमन अनुसंधान रक्षा संस्थान, नई दिल्ली से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम की अर्हता हो।
पर्यवेक्षक	4000/6000 रुपए	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इनमें से किसी के भी न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में की गई 2 वर्ष की लगातार सेवा वाले लीडिंग हैंड फायर (चयन ग्रेड) बशर्ते उनके पास अग्निशमन अनुसंधान रक्षा संस्थान, रक्षा मंत्रालय से वरिष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम की अर्हता हो अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप अधिकारी पाठ्यक्रम या इसके समतुल्य अर्हता हो।
लीडिंग हैंड फायर (चयन ग्रेड)	3050-4590 रुपए	केवल पदोन्नति द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में की गई तीन वर्ष की सेवा वाले लीडिंग हैंड फायरमैन/फायर इंजन ड्राइवर/ड्राइवर ट्रेलर पंप बशर्ते उन्हें विहित विभागीय ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
लीडिंग हैंड फायर/ लीडिंग फायरमैन	3050/4590 रुपए	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इनमें से किसी के भी न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 3 वर्ष की लगातार सेवा वाले फायरमैन ग्रेड-1 जिसके न होने पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद फायरमैन ग्रेड-1 और फायरमैन ग्रेड-2 के ग्रेड में 6 वर्ष की सम्मिलित सेवा की गई हो बशर्ते विभागीय ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो।
फायर इंजन ड्राइवर ट्रेलर पंप	3050-3590 रुपए	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इनमें से किसी के भी न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 3 वर्ष की लगातार सेवा वाले फायरमैन ग्रेड-1 जिसके न होने पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद फायरमैन ग्रेड-1 और फायरमैन ग्रेड-2 के ग्रेड में वर्ष की सम्मिलित सेवा की गई हो बशर्ते विभागीय ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो।

आयुध निर्माणियों के अग्निशमन कर्मचारियों की बाबत वेतनमानों का ब्यौरा

पद	वेतनमान	भर्ती का तरीका	पदोन्नति की शर्तें
1	2	3	4
ड्राइवर फायर ब्रिगेड	3050-4590 रुपए	अधिशेष का समायोजन और स्थानांतरण के बाद पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले फायरमैन ग्रेड-1 और सम्बद्ध ग्रेडों के पदोन्नति द्वारा। ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्थानांतरण द्वारा।

1	2	3	4
लीडिंग हैंड फायर	3050-4590 रुपए	अधिशेष का समायोजन और स्थानांतरण के बाद पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले फायरमैन ग्रेड-1 और संबद्ध ग्रेडों के पदोन्नति द्वारा। ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्थानांतरण द्वारा।
फायरमैन ग्रेड-1	2750/4400 रुपए	अधिशेष का समायोजन और स्थानांतरण के बाद पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले फायरमैन ग्रेड-2 और संबद्ध ग्रेडों से पदोन्नति द्वारा। ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्थानांतरण द्वारा।
फायरमैन ग्रेड-2	2610-4000 रुपए	स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर अधिशेष के समायोजन के बाद सीधी भर्ती द्वारा	ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्थानांतरण द्वारा।

विद्युत संयंत्रों के लिए सीमा शुल्क

2484. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 250 मेगावाट क्षमता तक के विद्युत संयंत्रों के लिए कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नांकित उपायों से विद्युत सेक्टर को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।

(1) 10वीं पंचवर्षीय योजना में सभी सेक्टरों (राज्य + निजी + केन्द्र) में लगभग 41,110 मे.वा. अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

(2) मौजूदा थर्मल पावर संयंत्रों से उत्पादन वृद्धि।

(3) विद्युत अधिकता वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को बढ़ावा।

(4) मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा क्षमता और संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

(5) पुरानी तथा अकुशल उत्पादक यूनिटों की नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार स्कीमों के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याज सब्सिडी समेत ऋणों का वितरण।

(6) सभी उपभोक्ताओं का मोटरीकरण, ऊर्जा आडिट, बिलिंग और संग्रहण कार्यकुशलता में सुधार, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, विद्युत चोरी में कमी और उन्मूलन, राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन और प्रचालन तथा समयबद्ध तरीके से वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर बल।

(7) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किये हैं जिनमें यह परिकल्पना की गई है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सहमत सुधार कार्यक्रम पर संतोषजनक प्रगति करने पर सहायता प्रदान करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश हेतु

तथा नकद हानियों में कमी करने हेतु अनुदान सहायता के जरिये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान कर रही है।

(9) विद्युत अधिनियम, 2003 जिसे हाल ही में अधिनियमित किया गया है, एक प्रगतिशील कानून है। इसमें विद्युत उद्योग का विकास करने, उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत टैरिफ का योक्तिकरण करने, पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने आदि के लिए उपाय करने के प्रावधान किये गये हैं।

रेलगाड़ियों में क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाना

2485. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में आर पी एफ/रेलवे पुलिस ने अवैध गतिविधियों की रोकथाम करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में चलने वाली अन्य सभी रेलगाड़ियों में क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाए जाएंगे;

(ग) क्या आरपीएफ/रेलवे पुलिस रेलगाड़ियों में लगे गुप्त कैमरों द्वारा प्रसारित दृश्यों की मदद से स्वापकों और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के तस्करों को पकड़ने में समर्थ रही थी;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा में सुधार करने हेतु रेलवे पुलिस ने राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर मेटल डिटेक्टर लगाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इससे राज्य में रेल सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम में कितनी सहायता मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) ''पुलिस व्यवस्था'' राज्य सरकार का विषय होने के नाते चलती रेलगाड़ियों सहित रेलों पर अपराध को रोकना तथा उसका पता लगाना राजकीय रेलवे पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को की जाती है और उनके द्वारा मामले दर्ज किये जाते हैं तथा उनकी जांच की जाती है। जहां तक रेलवे का संबंध, कर्नाटक में रेलवे पर कोई सी.सी.टी.वी. नहीं लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) आवश्यकता पड़ने पर, यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेल गाड़ियों में तथा रेलवे प्लेटफार्मों पर अवांछनीय तत्वों तथा खतरनाक एवं घातक सामग्रियों की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है।

बीएससीएल हेतु मांग पत्र

2486. श्री महबूब जहेदी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएससीएल के बंद रिफ्रैक्टरी और सेरामिक इकाइयों के रानीगंज समूह के कर्मियों को 1990 से लम्बित मांग पत्र के निपटान हेतु डीएचआई द्वारा स्वीकृत 100 रु. की अन्तरिम राहत का भुगतान अब तक नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतिम मांग पत्र की 1982 में अवधि पूरी हो गयी है और उसके पश्चात् कोई नया समझौता नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या रिफ्रेक्टरी इकाई में कर्मी 2.00 रु. प्रति प्वाइंट बढ़े हुए वीडीओ के भुगतान से भी वंचित हो गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) बीपीई के दिनांक 8.9.1987 के आदेश के अनुसार, अंतरिम सहायता को भावी मजदूरी समझौता में समाहित किया जाना था। रानीगंज ग्रुप ऑफ वर्क्स के निष्पादन में हो रही निरन्तर हानि के कारण, कंपनी कामगारों के साथ न तो कोई नया मजदूरी समझौता कर सकी और नही अंतरिम सहायता का भुगतान कर सकी।

(ग) और (घ) रानीगंज ग्रुप ऑफ वर्क्स के साथ साथ बीएससीएल की रुग्ण रिफैक्ट्री और सेरामिक इकाइयों के निरन्तर घाटे वाले निष्पादन के कारण, बीडीए की दर को बढ़ाकर लागू करने के जरिये मजदूरी लागतों में किसी प्रकार की वृद्धि करना असंभव है।

स्वमुद्रण टिकट मशीन

2487. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी रेलवे स्टेशन पर स्वमुद्रण टिकट मशीन उपलब्ध कराने का मानदण्ड क्या है;

(ख) मराठवाड़ा क्षेत्र और अन्य राज्यों में उन रेलवे स्टेशनों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां बुकिंग खिड़की पर टिकट जारी करने के लिए स्वमुद्रण टिकट मशीन अधिष्ठापित की गई है; और

(ग) टिकट खिड़कियों पर यात्रियों की लम्बी कतार को कम करने के लिए सरकार द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र और अन्य राज्यों में सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वमुद्रण टिकट मशीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन-से नए कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) प्रमुख स्टेशनों पर अधिक संख्या में यात्री सम्हाले जाते हैं, वहां स्वतः मुद्रण टिकट प्रणाली स्थापित की गई है।

(ख) विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित स्वतः मुद्रित टिकट प्रणाली मशीनों का रेलवे-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) अनारक्षित टिकटिंग का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

मध्य रेलवे

1. मुम्बई सीएसटी
2. दादर (टी)
3. कुर्ला (टी)
4. थाणे
5 कल्याण
6. लोनवाला
7. नागपुर
8. वर्धा
9. बल्लारशाह
10. बेतुल
11. अमला
12. नागपुर (संतरा मार्केट)
13. हिंगनघाट
14. चंद्रपुर
15. पुलगांव
16. भुसावल
17. अकोला
18. जलगांव
19. नासिक रोड
20. अमरावती
21. बडनेरा
22. भूरनपुर
23. पचौरा
24. चालीस गांव
25. मनमाड
26. शेगांव
27. भुसावल (क्षे.प्र.के.)
29. शोलापुर
30. दोंड
31. गुलबर्गा
32. अहमदनगर
33. कुर्दवाड़ी
34. शाहबाद
35. वाड़ी
36. पंढहारपुर
37. पुणे
38. सांगली
39. मीरज
40. कोल्हापुर

पूर्व रेलवे

1. हावड़ा
2. वर्धमान
3. लिलुआ
4. रिसरा

5. श्रीरामपुर
6. गेवराफुल्ली
7. चंदनगर
8. उत्तरपाड़ा
9. बल्ली
10. तारकेश्वर
11. कटवा
12. बेल्लूर
13. हिंद मोटर
14. चुचुरा
15. बंदेल
16. बेल्लूर
17. मठ
18. सियालदह
19. बिधाननगर रोड
20. दमदम जंक्शन
21. बरकपुर
22. बालीगंज
23. सोनारपुर
24. डायमंड हारबर
25. नेहाटी
26. बरुईपुर
27. बज बज
28. केनिंग
29. दमदम कैंट
30. जादवपुर
31. बारासात
32. मच्छलंदपुर
33. बोनगांव
34. कल्याणी
35. राणाघाट
36. कृष्णानागा
37. सोदेपुर
38. बेलघरिया
39. अगरपाड़ा
40. ढाकुरिया
41. शांतिपुर
42. गारला
43. सुभाषग्राम
44. पार्क सर्कस
45. बुरा बाजार
46. आसनसोल
47. दुर्गापुर
48. रानीगंज
49. मालदा टाउन
50. न्यू फरक्का
51. जसीडीह
52. वैद्यनाथ धाम
53. मधुपुर
54. गोड्डा
55. साहेबगंज
56. भागलपुर
57. जमालपुर

पूर्व मध्य रेलवे

1. पटना
2. क्यूल जंक्शन
3. मोकामा
4. लखीसराय

5. बख्तियारपुर
6. पटना साहिब
7. दानापुर
8. आरा
9. बक्सर
10. राजेन्द्रनगर (टी)
11. मुगलसराय जं.
12. गया
13. भभुआ रोड
14. अनुग्रह एन. रोड
15. सासाराम
16. डेहरी आन सोन
17. धनबाद
18. गोमाह
19. हजारीबाग
20. कोडरमा
21. बरकाकाना
22. डाल्टनगंज
23. रेणुकूट
24. सोनपुर
25. हाजीपुर
26. मुजफ्फरपुर
27. बरौनी
28. खगड़िया
29. दरभंगा
30. नरकटियागंज
31. समस्तीपुर
32. सहरसा

पूर्व तटीय रेलवे

1. भुवनेश्वर
2. कटक
3. पुरी
4. खोर्दा रोड
5. बेरहामपुर
6. विशाखापत्तनम
7. ज्ञानपुरम
8. सिम्हाचलम
9. विजयनगरम
10. रायगढ़
11. संबलपुर
12. श्रीकाकुलम रोड

उत्तर रेलवे

1. दिल्ली कैंट
2. दिल्ली सराय रोहिल्ला
3. गुड़गांव
4. सोनीपत
5. पानीपत
6. रोहतक
7. कुरुक्षेत्र
8. करनाल
9. भटिंडा
10. पठानकोट
11. जालांधर कैंट
12. जम्मू तवी
13. राय बरेली
14. फैजाबाद
15. उन्नाव

16. जौनपुर
17. प्रतापगढ़
18. सुल्तानपुर
19. बाराबंकी
20. मुजफ्फरनगर
21. मेरठ सिटी
22. चंदौसी/क्षे.प्र.के.
23. देहरादून
24. हरिद्वार

उत्तर मध्य रेलवे

1. इलाहाबाद
2. कानपुर
3. अलीगढ़
4. टुंडला
5. इटावा
6. फिरोजाबाद
7. झांसी
8. ग्वालियर
9. मुरैना
10. बंदा
11. ललितपुर
12. डबरा
13. आगरा कैंट
14. राजा की मंडी
15. मथुरा

उत्तर पूर्व रेलवे

1. पीलीभीत
2. कासगंज
3. फरुखाबाद
4. गोरखपुर
5. बस्ती
6. मनकापुर
7. गोंडा
8. भरूच
9. लखनऊ जं.
10. सीतापुर
11. लखीमपुर
12. देवरिया सदर
13. सिवान
14. छपरा
15. भटनी
16. सलेमपुर
17. बेल्थारा रोड
18. मऊ जं.
19. बलिया

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. जयपुर
2. रेवाड़ी
3. बीकानेर
4. अजमेर
5. जोधपुर
6. मेड़ता रोड
7. पालीमारवाड़
8. मकराणा

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. गुवाहाटी

दक्षिण रेलवे

1. शोरूवण्णूर

2. कालीकट
3. तेल्लीचेरी
4. कन्नानूर
5. पालघाट जं.
6. तिरुपुर
7. क्विलोन जं.
8. एर्णाकुलम उत्तर
9. अल्लेपी
10. एर्णाकुलम जं.
11. त्रिचूर
12. गुरूवटयूर
13. छेंगान्नूर
14. कोटायम
15. अलवाय
16. त्रिवेंद्रम मध्य
17. मद्रास मध्य
18. मद्रास एग्मोर
19. चेंगलेपुट जं.
20. अरकोणम जं.
21. कलपाड़ी जं.
22. मदुरै जं.
23. डिंडुगल जं.
24. तिरुनेलवेली जं.
25. तूतीकोरीन
26. सलेम जं.
27. इरोड जं.
28. कोयम्बटूर जं.
29. मंगलौर
30. तिरुचारपल्ली जं.
31. तंजौर

दक्षिण मध्य रेलवे

1. सिकंदराबाद
2. हैदराबाद
3. वारांगल
4. खाम्म
5. काजीपेट
6. महबूबाबाद
7. मंचेरियल
8. जनगांव
9. रामागुण्डम
10. मधिरा
11. जामीकुंटिया
12. भद्रचालम रोड
13. बीकाराबाद
14. तंदूर
15. विजयवाड़ा
16. तेनालीराम
17. आंगोले
18. नैल्लूर
19. राजामुदरी
20. चिराला
21. संलकोट
22. गुड़ीवाड़ा
23. तुनी
24. गोदावरी
25. अंकापल्ली
26. नीदूबरोलू
27. नीदादावोलू
28. भीमावरम
29. तेड़ापल्लीगुड़म

30. कांचीगुड़ा
31. महबूबनगर
32. निजामाबाद
33. सेल्लू
34. परचूर
35. झड़चेरिया
36. तिरूपति
37. रायचूर
38. गुंतकल
39. धर्मावरम
40. कुरप्पा
41. गुंटूर
42. रेपल्ली
43. नांदेड़
44. औरंगाबाद
45. परभानी
46. जालना
47. बेल्लमपल्ली
48. जेमस स्ट्रीट
49. संजीवैया पार्क
50. बेगमपेट
51. नेचरकेयर अस्पताल
52. फतेहनगर
53. भारत नगर
54. बोराबंदा
55. हाइटेक सिटी
56. हफीजपेट
57. चंदानगर
58. लिंगमपल्ली
59. खेराबाद
60. कुरनुल टाउन
61. गुडूर
62. बपतिया
63. कवाली
64. तानूकेन
65. इलूरू
66. अन्नावरम
67. काकीनाडा टाउन
68. अनंतपुर
69. अदौनी
70. श्रीकालहस्ती

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. हावड़ा
2. खडगपुर
3. बालासोर
4. टाटानगर
5. चक्रधरपुर
6. झारसुगुडा
7. आद्रा
8. हटिया
9. रांची
10. बोकारो स्टील सिटी
11. राउरकेला

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. गोंडिया
2. इटवारी
3. बिलासपुर
4. रायपुर
5. दुर्ग
6. रायगढ़

दक्षिण पश्चिम रेलवे

1. मैसूर जं.
2. दावनगेरे
3. बंगलोर कैंट
4. बंगारपेट जं.
5. बंगलौर सिटी
6. हुबली
7. गदग
8. बेल्लारी
9. बेलगांव

पश्चिम रेलवे

1. मुंबई सेंट्रल
2. अहमदाबाद
3. सूरत
4. वडोदरा
5. राजकोट
6. भावनगर
7. आनंद
8. उज्जैन
9. रतलाम
10. बांद्रा टर्मिनस
11. बोरीवली
12. इंदौर
13. नागदा
14. भड़ौच
15. नडियाड

पश्चिम मध्य रेलवे

1. जबलपुर
2. कटनी
3. मदनमहल
4. सतना
5. मैहर
6. दामोह
7. सागर
8. पिपरिया
9. गदरवाड़ा
10. नरसिंहपुर
11. भोपाल
12. हबीबगंज
13. इटारसी
14. विदिशा
15. गंजबसौड़ा
16. बीना
17. कोटा
18. होशंगाबाद

नोट: क्षे.प्र.के.-क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन को विश्व बैंक से ऋण

2488. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन को विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 450 मिलियन डालर की ऋण सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत हुए थे वे पूरी हो गयी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) ने 450 मिलि. अमेरिकी डालर

(पी.एस.डी.पी.-II एल.एन. 4603 आई.एन.) के ऋण के लिए 13 जून 2001 को विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। यह ऋण 21.11.2001 से प्रभावी हो गया है और 30.6.2006 को समाप्त हो जायेगा।

(ग) से (ङ) इस ऋण के अंतर्गत आने वाली कुछ परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। इस ऋण के अंतर्गत पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कार्यान्वित की गई/की जा रही परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पी.एस.डी.पी.-II ऋण 4603 आई.एन.के. अन्तर्गत पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा क्रियान्वित की गई/की जा रही परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान स्थिति
1.	पूर्व-उत्तर इंटरकनेक्टर-I परियोजना (सासाराम एचवीडीसीबी/बी परियोजना)	पूरी हो गई
2.	पूर्वी क्षेत्र में प्रणाली समन्वय एवं नियंत्रण परियोजना	क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना को मार्च 2005 तक पूरा किये जाने की प्रत्याशा है।
3.	पूर्वी क्षेत्र में प्रणाली समन्वयन एवं नियंत्रण परियोजना	क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना को मार्च 2006 तक पूरा किये जाने की प्रत्याशा है।
4.	पीजीसीआईएल का दूरसंचार में प्रवेश	क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना को दिसम्बर 2004 तक पूरा किये जाने की प्रत्याशा है।
5.	उच्च क्षमता का पूर्व-उत्तर इंटरकनेक्टर-II	क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना को जून 2006 तक पूरा किये जाने की प्रत्याशा है।
6.	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र	सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु पीजीसीआईएल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है
7.	दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-III	सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु पीजीसीआईएल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है
8.	पूर्व विश्व बैंक ऋणों (सं. 3577-आईएन और सं. 3237 आई एन) के अन्तर्गत विगत में क्रियान्वित की जा रही निम्न परियोजनाओं के संबंध में शेष कार्य: (1) मोगा हिसार भिवानी पारेषण प्रणाली (2) किशनपुर-मोगा पारेषण प्रणाली (3) नाथपा झाकरी पारेषण प्रणाली (4) उत्तरी क्षेत्र में एस.सी. एण्ड सी. परियोजना (5) विन्ध्याचल धुले पारेषण प्रणाली (6) रामागण्डम हैदराबाद पारेषण प्रणाली (7) केन्द्रीय विद्युत पारेषण परियोजना I (8) रिहन्द विद्युत पारेषण परियोजना (9) कायंकुलम जीबीसीसी से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली (10) दक्षिणी क्षेत्र में एस.सी. एण्ड सी. परियोजना	पूरी हो गई हैं

वाल्यूम डिस्काउन्ट स्कीम को वापस लिया जाना

2489. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माताओं ने प्रसार भारती के समक्ष विचारार्थ विभिन्न मांगें रखी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ वाल्यूम डिस्काउन्ट स्कीम को वापस लिया जाना भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को कुछेक निर्माताओं से ऐसी मांगें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने इन मांगों पर विचार किया है और कुछ आशोधनों के साथ वाल्यूम डिस्काउंट स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है क्योंकि यह संगठन के हित में है।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोको पम्प

2490. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के नाम क्या हैं जो राजस्थान में अपना पेट्रोल पम्प चला रही हैं और इन पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में आज तक उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पेट्रोल पंप स्थापित किए गए हैं; और

(ग) चालू योजनावधि के दौरान राज्य में पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने के लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) राजस्थान राज्य में कंपनी स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचलित (कोको) आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की चार तेल विपणन कंपनियां यथा, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड अनेक खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) का प्रचालन कर रही है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक, तेल विपणन कंपनियों ने राजस्थान राज्य की विभिन्न लोकेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के तहत अनेक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित की हैं। इनमें कोटा, जयपुर, सीकर, दौसा, जालौर, नागौर, डूंगरपुर, जोधपुर, अलवर, धौलपुर टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरु, सिरोही, उदयपुर, पाली, बूंदी आदि जिलों में स्थापित लोकेशनें शामिल हैं।

तेल विपणन कंपनियों की राज्य की विभिन्न लोकेशनों में और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने की योजनायें हैं।

[अनुवाद]

विद्युत के लिए बजटीय आबंटन

2491. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक मामलों में विद्युत के लिए बजटीय आवंटनों को पर्यावरण विभाग से परियोजना मंजूरी प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो शीघ्रता से मंजूरी प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) सामान्यतया विद्युत परियोजनाएं समय पर पूरी की जा रही है। तथापि, पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं में बजटीय आबंटन का कम उपयोग हो सकता है।

(ख) स्थल स्वीकृति के लिए दो स्तर की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गयी है और मॉनीटरिंग तंत्र सुदृढ़ किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उपयुक्त स्तर पर संबंधित एजेंसियों के साथ परस्पर कार्रवाई द्वारा रुकावटों को दूर करने की दृष्टि से अपने प्रभार की परियोजनाओं को प्रतिदिन आधार पर मॉनीटर करता है।

त्यौहारों के बाद भी विशेष रेलगाड़ियां चलाना

2492. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने दुर्गा पूजा/दशहरा त्यौहार के दौरान अतिरिक्त भीड़ से निपटने हेतु हावड़ा से बंगलौर तक विशेष रेलगाड़ी शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस मौसम के दौरान कुल कितनी रेलगाड़ियां चलाई गईं;

(ग) इससे भीड़ में कितनी कमी आयी;

(घ) क्या विशेष रेलगाड़ियां दशहरा/दुर्गा पूजा त्यौहारों के बाद भी चलती रहेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) इस सीजन के दौरान हावड़ा और बंगलौर के बीच कुल 8 जोड़ी रेल गाड़ियां चलाई गई।

(ग) यह विशेष रेल गाड़ी अपने प्रत्येक फेरे में सामान्य जनता को लगभग 1026 सीटें/शायिकाएं मुहैया कराती है। यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को और कम करने के लिए, 8003/8004 हावड़ा-यशवंतपुर (बंगलौर) सप्ताह में दो बार जाने वाली एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी में ऊर्जा सम्मेलन

2493. **श्री एम.के. सुब्बाः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी में हाल ही में ऊर्जा सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु सम्मेलन में किन प्रस्तावों, और परियोजनाओं और योजनाओं पर विचार किया गया और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें क्या कदम उठाए गए और उसे चलाने हेतु क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं। भारत सरकार या इसके किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा हाल में गुवाहाटी में कोई ''ऊर्जा शिखर सम्मेलन'' आयोजित नहीं किया गया है। यद्यपि यह जानकारी प्राप्त हुई है कि नार्थ ईस्ट चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने 22-23 सितम्बर, 2003 को गुवाहाटी में एक ऊर्जा शिखर सम्मेलन-III-2003 आयोजित किया था।

(ख) और (ग) ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

पीओएल उत्पादों की ढुलाई हेतु निविदा

2494. **डा. चरणदास महंतः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल कंपनियां हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पी ओ एल उत्पादों की ढुलाई हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने में गड़बड़ी कर रही है जिससे हड़ताल इत्यादि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये तेल कंपनियां अन्य सभी निविदाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य दरें प्राप्त करने से वंचित करने के लिए एक अथवा दो निविदाओं को महंगी दरों पर देने के लिए हेराफेरी कर रही है;

(ग) क्या ये तेल कंपनियां विशेषकर आई ओ सी एल ने अधिकांश स्थानों के लिए आर टी डी (राडंड ट्रिप डिस्टेंस) पानीपत से इन्हें कम किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कम आर टी डी से इन स्थानों को छोटा कर दिया गया है; और

(ङ) ट्रांसपोर्टरों में अनावश्यक संतोष को कम करने हेतु इन घटे हुए आर टी डी को पुनः जांच और पुनः सत्यापन किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) निविदा देने वालों के साथ उद्योग की समझौता वार्ताओं की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरने के पश्चात सार्वजनिक निविदाओं के प्रति प्राप्त किए गए प्रस्तावों के अनुसार परिवहन दरों को अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पवन ऊर्जा परियोजना

2495. **श्री कोडीकुनील सुरेशः** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार की एजेंसी एएनईआरटी ने केरल में पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएनईआरटी ने केरल में आर्यन कर्ण पंचायत के राजा कुप्पु में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र से कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) सरकार को केरल के इदुक्की जिले में 2 मेगावाट की एक प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपारंपरिक ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी (ए एन ई आर टी) एजेंसी से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति, राज्य सरकार द्वारा लागत भागीदारी के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विद्युत क्रय समझौते के भी ब्यौरों के संबंध में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई में ओएनजीसी द्वारा हैलीपैड का विकास

2496. श्री किरीट सोमैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी दक्षिण मुंबई में एक नया हेलीपैड स्थल विकसित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी ने पवन हंस के साथ दो स्थलों को सूचीबद्ध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौसेना द्वारा सुझाए गए अनुसार सरकारी स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो इन दो विभिन्न स्थानों पर कितनी राशि शामिल है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सूचित किया है कि इसका दक्षिण मुंबई में एक नया हेलीपैड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों/विद्यार्थियों को रियायत

2497. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यात्रियों को धार्मिक स्थलों और धार्मिक समारोहों में शामिल होने के लिए तीर्थयात्रा हेतु कोई रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे विद्यार्थियों को अवकाश के दौरान संस्थाओं से गृह नगर जाने और वापस आने के लिए यात्रा रियायत देती है; और

(घ) यदि हां, तो संस्थाओं की श्रेणियां क्या हैं अथवा ऐसी संस्थाओं को मान्यता देने हेतु क्या मानदंड हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) टैरिफ नियमों के अनुसार, तीर्थयात्रा और धार्मिक सभाओं में जाने वाले व्यक्तियों को कोई रियायत नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं अथवा संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छुट्टियों के दौरान पैतृक-निवास से आने-जाने के लिए तथा संस्था द्वारा आयोजित शैक्षणिक दौरों पर यात्रा के लिए रियायत दी जाती है।

दाभोल परियोजना

2498. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल परियोजना के विदेशी ऋणदाताओं ने केन्द्र पर 722 करोड़ रुपये का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व में बेंटेल एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक और जीई फाइनेंस ने पहले ही दाभोल खाते के कारण सरकार के विरुद्ध 1.26 बिलियन डालर का अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम दावा दायर किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऋणदाताओं के मूल देशों के साथ की गई द्विपक्षीय निवेश संधियों के अंतर्गत इन दावों को पूरा करने के लिए बाध्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार पारस्परिक समाधान अथवा मध्यस्थ निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं बढ़ी है जिसका सरकार को निपटारा करना पड़े।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी में रिक्त पद

2499. कुंवर अखिलेश सिंहः
श्री सुरेश चन्देलः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन/आकाशवाणी में नए उम्मीदवारों के लिए भर्ती कोटा के बारे में 31 जुलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों/स्टेशनों से सूचना एकत्र की जा रही है जो एक समय लगने वाली प्रक्रिया है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सूचना के शीघ्र एकत्र और प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

अप्राधिकृत कब्जों की बेदखली

2500. श्री अजित कुमार पांजा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक उद्यम ब्यूरो के सचिव ने (अप्राधिकृत अभिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अप्राधिकृत कब्जों की बेदखली के मामलों का ब्यौरा एकत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बी.पी.ई. की सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार, वर्ष-वार कार्यात्मक भूमिका क्या है;

(ग) क्या बी.पी.ई. के कार्य और दायित्व केवल दिशानिर्देश जारी करके ही पूरी हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या बी.पी.ई. ने सरकारी क्षेत्र के दोषी उपक्रमों को दिशानिर्देश लागू करने हेतु अनेक अनुस्मारक जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 19 फरवरी, 1992 को सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली अधिनियम, 1971 से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जो 19 जनवरी, 2001 को दोहराए गए थे. लोक उद्यम विभाग (पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम कार्यालय) की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमान, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मध्य विवादों के समाधान के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, क्रय अधिमानता तथा समझौता ज्ञापन इत्यादि के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी करना शामिल है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंधित निदेशक मण्डल तथा प्रशासनिक मंत्रालय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रियान्वित करते हैं। ये दिशानिर्देश अनिवार्य नहीं हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन का केन्द्रीय रूप से परिवीक्षण नहीं किया जाता है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग स्कूल/ संस्थाओं की स्थापना

2501. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग स्कूल और अन्य संस्थाएं स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) देश में, विशेषकर कर्नाटक में 2003-2004 के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार कुल कितनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की जानी हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा टीए/डीए पर किया गया खर्च

2502. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च कार्यपालकों और प्रबंधन के लिए यात्रा भत्तों (टीए/डीए) योजना और आवास पर किया गया खर्च बहुत अधिक है और यह हर वर्ष बढ़ रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के लिए इस संबंध में 'नवरत्न' सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार कितना खर्च किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक धन की ऐसी फिजूलखर्ची को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के संबंध में स्वयं अपनी नियमावली अपनाते हैं, जिसमें उनके कर्मचारियों के भोजन तथा आवास शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालकों के लिए इन शीर्षों पर किए गए व्यय से संबंधित विवरण को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश

2503. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. केवल सबसे कम बोली लगाने वाली पार्टी को निविदाएं देने अथवा निम्नतम दरों को सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ समान-अनुपात में मिलाने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईओसीएल ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों का अनुसरण करती है।

(ग) और (घ) आईओसीएल उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है जो सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आईओसीएल ने 11 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरम्भ कीं।

रेल प्रयोक्ता परामर्श समितियां

2504. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्श समितियां और मंडलीय रेल प्रयोक्ता परामर्श समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल संबंधी स्थायी समिति (2001) ने अपने नौवें प्रतिवेदन में अपने रेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने हेतु कि ये बैठकें नियमित रूप से हों, तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डीआरयूसीसी और जेडआरयूसीसी की जोन-वार कितनी बैठकें हुई;

(ङ) जेडआरयूसीसी औरडीआरयूसीसी में सदस्यों की नियुक्ति उनका कार्यकाल और शक्तियों के लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(च) क्या डीआरयूसीसी/जेडआरयूसीसी के सदस्यों की नियत समय पर नियुक्ति नहीं की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा डीआरयूसीसी और जेडआरयूसीसी के उचित कार्यकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों की बैठकें निर्धारित समयसूची के अनुसार आयोजित करने के सभी प्रयास किये जाते हैं परन्तु विभिन्न कारणों जैसे विभिन्न संगठनों से नामांकनों की प्राप्ति में विलंब, प्रशासनिक कठिनाइयों तथा आकस्मिक घटनाओं के कारण कभी-कभी समय सूची के अनुसार बैठकें आयोजित नहीं हो पाती।

(ग) जी हां।

(घ) स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दोहराएं कि इन समितियों की बैठकें यथासमय आयोजित की जाएं। 2001, 2002 और 2003 के दौरान आज की तारीख तक संपन्न डीआरयूसीसी तथा जेडआरयूसीसी की बैठकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) रेलवे द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं से संबंधित मामलों पर रेलवे और रेलवे उपयोगकर्त्ताओं के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श कराने के लिए एक मंच मुहैया कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर जिसमें मंडल तथा जोनल स्तर भी शामिल हैं, रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक समिति का गठन दो वर्षों की समयावधि के लिए किया जाता है। डीआरयूसीसी/जेडआरयूसीसी में स्थानीय चैंबर्स आफ कामर्स, यात्री संगठनों, व्यापार संगठनों, विकलांग संगठनों, उपभोक्ता मंचों राज्य सरकारों राज्य विधान सभाओं तथा संसद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। डीआरयूसीसी/जेडआरयूसीसी के सदस्य स्टेशन मास्टर अथवा टिकट संग्राहक अथवा चल टिकट परीक्षक से मिलने के लिए प्राधिकृत हैं जो किसी भी स्टेशन पर उनकी उपस्थिति में किसी डिब्बे अथवा सवारी डिब्बे, जहां यह आशंका है कि बिना वैध टिकटों अथवा पास के यात्रीगण यात्रा कर रहे हैं, की जांच करवाने के लिए तत्परता से उपलब्ध रहते हैं। जेडआरयूसीसी के सदस्य स्टेशनों पर बुकस्टालों और बुक ट्रालियों तथा स्टेशनों पर खानपान और वेडिंग संस्थापनाओं तथा रेस्तरांओं/भोजन/बुफे गाड़ियों पर चाहे वे ठेकेदारों द्वारा संचलित हों अथवा विभाग द्वारा, की जांच करने के लिए भी प्राधिकृत हैं। डीआरयूसीसी और जेडआरयूसीसी के पहचान पत्र धारक सदस्य बिना प्लेटफार्म टिकट खरीदे स्टेशन प्लेटफार्म में प्रवेश कर सकते हैं।

(च) और (छ) समय से नामांकन पत्र भेजने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

विवरण

जेडआरयूसीसी की बैठकों के ब्यौरे

रेलवे का नाम	वर्ष के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या		
	2001	2002	2003 (आज तक)
मध्य	2	2	1+1 (प्रस्तावित)
पूर्व	2	1	1
उत्तर	1	2	2
पूर्वोत्तर	1	1	1+1 (प्रस्तावित)
पूर्वोत्तर सीमा	3	2	2
दक्षिण	2	3	1+1 (प्रस्तावित)
दक्षिण मध्य	2	1	1
दक्षिण पूर्व	1	2	1
पश्चिम	1	1	–

डीआरयूसीसी की बैठकों के ब्यौरे

रेलवे का नाम	वर्ष के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या		
	2001	2002	2003 (आज तक)
1	2	3	4
मध्य	20	17	16+2 प्रस्तावित
पूर्व	16	14	13+1 प्रस्तावित
उत्तर	21	20	22+1 प्रस्तावित

1	2	3	4
पूर्वोत्तर	10	8	8+2 प्रस्तावित
पूर्वोत्तर सीमा	9	6	7+3 प्रस्तावित
दक्षिण	16	16	14+2 प्रस्तावित
दक्षिण मध्य	11	8	9
दक्षिण पूर्व	17	19	17+2 प्रस्तावित
पश्चिम	14	14	18

टिप्पणी: मंडलों में डीआरयूसीसी की बैठकों के ब्यौरे, जिन्हें नए जोनों में हस्तांतरित कर दिया गया है, को उनके मूल रेलवे के आंकड़ों में शामिल किया गया है।

संवर्धन नीति

2505. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को अनुच्छेद 164(ए) के संवैधानिक संशोधन और दिनांक 21 जनवरी, 2002 के डीओपी कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/2001-स्थापना (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त परिपत्र को 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। कथित कार्यालय ज्ञापन, कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों को परिचालित कर दिया गया था।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों को सौर ऊर्जा में सहायता

2506. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरस्थ गांवों, नदी तटों और समुद्र तटों तथा द्वीपों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान कार्यक्रम को और राजसहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. बहुल गांवों के लिए प्रतिष्ठान हेतु शत प्रतिशत राजसहायता देने पर विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय दूर-दराज के माने जाने वाले गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए सौर विद्युत प्रणाली, बायोमास गैसीफायर और मिनी एवं माइक्रो पन बिजली संयंत्रों जैसी अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों पर आधारित एक कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। नदी तटों, समुद्र तटों, द्वीपों आदि जैसे क्षेत्रों में दूर-दराज के माने जाने वाले गांव भी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। मंत्रालय अभी तक ऐसी परियोजनाओं के लिए निश्चित राशि के अध्यधीन सौर ऊर्जा प्रणालियों की लागत का 50% तक पूंजीगत सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं के लिए 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चालू वर्ष के दौरान समूचे देश के दूर-दराज के माने जाने वाले गांवों के विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 90% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के प्रभुता वाले गांवों के लिए 100% सब्सिडी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत क्षेत्र में नौकरशाहों और सरकारी उपक्रमों के बीच सांठगांठ

2507. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने नौकरशाहों और सरकारी उपक्रमों के बीच सांठगांठ की कटु आलोचना की है और क्या इस सांठगांठ की वजह से विद्युत उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में नौकरशाही की वजह से होने वाली बाधाओं को दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की बकाया राशि

2508. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सांविधिक बकाया राशि और वेतन के भुगतान संबंधी मंत्रियों के समूह द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जैसाकि 16 अक्तूबर, 2003 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों से पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव मांगें गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया है कि वे एक समयबद्ध प्रक्रिया में कर्मचारियों की बकाया देय राशि और वेतन/मजूरी का भुगतान करें। वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दिया गया है कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/इकाई के पुनरुद्धार/बन्दीकरण/विनिवेश के लिए विशेष कार्य योजना प्रस्तुत करें, ताकि बकाया देय राशि की शीघ्रता से अदायगी के लिए वे सरकार से एक मुश्त वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकें। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सरकारी क्षेत्र की उद्यमवार कार्ययोजना की सरकार द्वारा मामले के गुण-अवगुण के आधार पर जांच की जाती है, जिसमें उस उद्यम में उपलब्ध संसाधनों, अतिरिक्त संसाधन, यदि कोई हो, को जुटाने को ध्यान में रखा जाता है और प्रत्येक मामले के आधार पर बकाया राशि की अदायगी के लिए संसाधन में अंतर की पूर्ति हेतु एकमुश्त बजटीय सहायता पर विचार किया जाता है।

सेना से फायरिंग रेंज वापस लिया जाना

2509. श्री वाई.वी. राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के निकट असन में अपनी व्यापक लाइव फायरिंग रेंज गंवाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना से कितनी फील्ड फायरिंग रेंज वापस ली गयी हैं और सेना प्रशिक्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) असन चांदमारी क्षेत्र के दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 तक के लिए अधिसूचित किया गया है और इस अवधि की समाप्ति के उपरांत इस अधिसूचना का नवीकरण किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सेना से कोई चांदमारी क्षेत्र नहीं लिया गया है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग व्यक्तियों को पहचान-पत्र

2510. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा रियायती दर पर यात्रा आदि हेतु विकलांग व्यक्तियों को जारी किये गये पहचान-पत्रों को अन्य राज्यों में मान्यता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अपंग व्यक्तियों को असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्रों में एकरूपता लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश इस अनुरोध के साथ जारी किए हैं कि वे इन्हें अंगीकार करें जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को मिलने वाली विभिन्न रियायतों और प्रसुविधाओं का लाभ उठाने में उन्हें असुविधा का सामना न करना पडे।

सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण

2511. श्री ए. नरेन्द्र: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शुल्क व्यक्तियों को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों में नौकरियों में सांविधिक रूप से 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे उम्मीदवारों से कितने पद भरे गये हैं तथा अभी कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ सरकारी उपक्रमों द्वारा ऐसे व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों को नहीं भरा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के लिए रिक्तियों की ऐसे प्रतिशत की नियुक्ति करेगी जो न्यूनतम तीन प्रतिशत हो जिनमें से निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा:

(1) दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि;

(2) श्रवण विकलांगता;

(3) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

(ग) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मार्च, 2001 में) तथा लोक उद्यम विभाग (जनवरी, 2002 में) से प्राप्त सूचना के अनुसार, अभिज्ञात पदों के संदर्भ में आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित है:

पद समूह	मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण का प्रतिशत	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण का प्रतिशत
ए	6.56	2.78
बी	5.43	8.54
सी	6.50	5.04
डी	6.39	6.75

[हिन्दी]

ऊना-तकराला रेल लाइन

2512. श्री सुरेश चन्देल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में तकराला से आगे रेल लाइन बिछाने हेतु भूमि अधिगृहीत करने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) रेल प्रशासन ने किन तिथियों को राज्य सरकार से जमीन का अधिग्रहण करने तथा उसे यथाशीघ्र रेल प्रशासन को सौंपने का अनुरोध किया है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार ऊना-तकराला रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऊना-तकरौला रेल लाइन को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ऊना-तलवाड़ा कार्य को चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल, ऊना-चुरारू-तकराला कार्य प्रगति पर है। अगले चरण में, चुरारू टकराला-अम्ब (11 कि.मी.) कार्य को शुरु किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से 14.8.2003 को इस खंड पर भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया गया था। इस संबंध में 11.11.2003 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने पर राज्य सरकार राजी हो गई है। राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत भी भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) ऊना-चुरारू-तकराला खंड को 31.3.2004 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

एन.आई.ओ.एच. कोलकाता को निधियां

2513. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्थि-विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान के पूरे देश में 'आउटरीच कैम्प्स' लगाने की योजना का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ एन.आई.ओ.एच. कोलकाता को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) यह कार्यक्रम अन्य समान संस्थाओं में किस हद तक चलाया जा सकता है;

(घ) क्या अन्य राष्ट्रीय संस्थान भी ऐसे कैम्प लगाने हेतु सहमत हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने हेतु इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 'सहायक यंत्र एवं उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप)' के अंतर्गत, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता को आउटरीच शिविर लगाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान को निर्मुक्त की गई राशि निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये)

2000-01	2001-02	2002-03
1.65	3.00	1.88

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थानों, जिला पुनर्वास केन्द्रों, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड और 180 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को, देश भर में नियोजित ढंग से आयोजित संयुक्त शिविरों एवं संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सैन्य महाविद्यालयों/संस्थानों/विद्यालयों का खोला जाना

2514. श्री अमीर आलम:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय सैन्य महाविद्यालयों, संस्थानों और विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है; .

(ख) क्या देश में और अधिक सैन्य महाविद्यालय, संस्थान और विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) देश में मौजूदा सैन्य महाविद्यालयों, संस्थानों और विद्यालयों की सूची राज्य-वार संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) इस समय देश में अतिरिक्त सैन्य महाविद्यालय, संस्थान अथवा विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सेना की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं मौजूदा प्रशिक्षण संस्थापनाओं से समुचित रूप से पूरी की जा रही है।

विवरण

श्रेणी 'क' की स्थापनाएं
(प्रमुखतः अधिकारियों के लिए)

क्र.सं.	राज्य	स्थापना का नाम	शहर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	रक्षा प्रबंधन कालेज	सिकन्दराबाद
2.	आंध्र प्रदेश	इलेक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी सैन्य कालेज	सिकन्दराबाद
3.	आंध्र प्रदेश	सिमुलेटर विकास प्रभाग द्वारा एमसीईएमई	त्रिमुलघेरी
4.	गुजरात	वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल	बड़ौदा
5.	हिमाचल प्रदेश	मिलिटरी स्कूल	चैल
6.	जम्मू और कश्मीर	उच्च तुंगता युद्ध पद्धति स्कूल	गुलमर्ग
7.	झारखंड	जूनियर लीडर्स अकादमी	रामगढ़
8.	कर्नाटक	जूनियर लीडर्स विंग, इन्फैंट्री स्कूल	बेलगाम
9.	कर्नाटक	सेना सेवा कोर केन्द्र और स्कूल	बेंगलूर
10.	कर्नाटक	सेना पुलिस कोर केन्द्र और स्कूल	बेंगलूर
11.	कर्नाटक	मिलिटरी स्कूल	बेलगाम
12.	कर्नाटक	मिलिटरी स्कूल	बेंगलूर
13.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	खड़गवासला
14.	महाराष्ट्र	कवचित कोर केन्द्र और स्कूल	अहमदनगर
15.	महाराष्ट्र	तोपखाना स्कूल	देवलाली
16.	महाराष्ट्र	सैन्य इंजीनियरी कालेज	पुणे
17.	महाराष्ट्र	सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज	पुणे
18.	महाराष्ट्र	सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो	पुणे
19.	महाराष्ट्र	शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल	पुणे
20.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय एकीकरण संस्थान द्वारा सैन्य इंजीनियरी कालेज	पुणे
21.	महाराष्ट्र	सैनिक विधि संस्थान	कामटी
22.	महाराष्ट्र	समाघात सेना एवियेटर्स प्रशिक्षण स्कूल	नासिक

1	2	3	4
23.	महाराष्ट्र	सेना खेलकूद संस्थान	पुणे
24.	मध्य प्रदेश	सेना युद्ध कालेज	महू
25.	मध्य प्रदेश	दूरसंचार इंजीनियरी सैन्य कालेज	महू
26.	मध्य प्रदेश	इन्फैंट्री स्कूल	महू
27.	मध्य प्रदेश	सामग्री प्रबंधन कालेज	जबलपुर
28.	मध्य प्रदेश	सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र	पचमढ़ी
29.	मिजोरम	प्रतिविद्रोहिता और जंगल युद्धपद्धति स्कूल	वाइरेंगते
30.	उड़ीसा	सेना वायु रक्षा कालेज	गोपालपुर
31.	राजस्थान	मिलिटरी स्कूल	अजमेर
32.	राजस्थान	मिलिटरी स्कूल	धौलपुर
33.	तमिलनाडु	रक्षा सेवा स्टाफ कालेज	वेलिंग्टन
34.	तमिलनाडु	अफसर प्रशिक्षण अकादमी	चेन्नई
35.	उत्तरांचल	भारतीय सैन्य अकादमी	देहरादून
36.	उत्तरांचल	राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज	देहरादून
37.	उत्तरांचल	रिमाउंट प्रशिक्षण स्कूल और डिपो	हेमपुर
38.	उत्तर प्रदेश	जूनियर लीडर्स अकादमी	बैरेली
39.	उत्तर प्रदेश	सेना मेडिकल कोर केन्द्र और स्कूल	लखनऊ
40.	उत्तर प्रदेश	रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर केन्द्र और स्कूल	मेरठ छावनी
41.	उत्तर प्रदेश	सेना वायु परिवहन सहायता स्कूल	आगरा
42.	उत्तर प्रदेश	रिमाउंट प्रशिक्षण स्कूल और डिपो	सहारनपुर
श्रेणी 'ख' की स्थापनाएं (प्रमुखतः अन्य रैंकों के लिए)			
1.	आंध्र प्रदेश	तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र	हैदराबाद
2.	आंध्र प्रदेश	सेना आयुध कोर केन्द्र	सिकन्दराबाद
3.	आंध्र प्रदेश	1 वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर केन्द्र	सिकन्दराबाद
4.	बिहार	बिहार रेजिमेंट केन्द्र	दानापुर

1	2	3	4
5.	बिहार	सेना सेवा कोर केन्द्र (उत्तर)	गया
6.	दिल्ली	राजपूताना राफिल रेजिमेंट केन्द्र	दिल्ली छावनी
7.	गोवा	2 सिग्नल प्रशिक्षण केन्द्र	पणजी
8.	हिमाचल प्रदेश	14 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र	सबाथू
9.	हिमाचल प्रदेश	42 विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल	नाहन
10.	झारखंड	पंजाब रेजिमेंट केन्द्र	रामगढ़
11.	झारखंड	सिख रेजिमेंट केन्द्र	रामगढ़
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट केन्द्र	श्रीनगर
13.	जम्मू और कश्मीर	मुख्यालय लद्दाख स्काउट	लेह
14.	कर्नाटक	मद्रास इंजीनियर ग्रुप और केन्द्र	बेंगलूर
15.	कर्नाटक	पैराशूट रेजिमेंट केन्द्र	बेंगलूर
16.	कर्नाटक	मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट केन्द्र	बेलगाम
17.	कर्नाटक	सेना सेवा कोर केन्द्र (दक्षिण)	बेंगलूर
18.	कर्नाटक	पायनियर कोर केन्द्र	बेंगलूर
19.	केरल	रक्षा सुरक्षा कोर केन्द्र	कण्णनूर
20.	महाराष्ट्र	वायु रक्षा तोपखाना केन्द्र	नासिक
21.	महाराष्ट्र	यंत्रीकृत इन्फैंट्री रेजिमेंट केन्द्र	अहमदनगर
22.	महाराष्ट्र	तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र	नासिक
23.	महाराष्ट्र	बाम्बे इंजीनियर ग्रुप और केन्द्र	किर्की
24.	महाराष्ट्र	गारद प्रशिक्षण केन्द्र	कामटी
25.	महाराष्ट्र	वायु रक्षा तोपखाना केन्द्र	नासिक
26.	मध्य प्रदेश	1 सिग्नल प्रशिक्षण केन्द्र	जबलपुर
27.	मध्य प्रदेश	ग्रेनेडियर रेजिमेंट केन्द्र	जबलपुर
28.	मध्य प्रदेश	जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट केन्द्र	जबलपुर
29.	मध्य प्रदेश	महार रेजिमेंट केन्द्र	सॉगर
30.	मध्य प्रदेश	3 वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर केन्द्र	भोपाल
31.	मध्य प्रदेश	सेना डाक सेवा केन्द्र	कामटी
32.	मेघालय	असम रेजिमेंट केन्द्र	शिलांग

1	2	3	4
33.	तमिलनाडु	मद्रास रेजिमेंट केन्द्र	वेलिंग्टन
34.	उत्तरांचल	कुमाऊ रेजिमेंट केन्द्र	रानीखेत
35.	उत्तरांचल	गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केन्द्र	लैंसडॉन
36.	उत्तर प्रदेश	बंगाल इंजीनियर ग्रुप और केन्द्र	रुड़की
37.	उत्तर प्रदेश	जाट रेजिमेंट केन्द्र	बरेली
38.	उत्तर प्रदेश	राजपूत रेजिमेंट केन्द्र	फतेहगढ़
39.	उत्तर प्रदेश	डोगरा रेजिमेंट केन्द्र	फैजाबाद
40.	उत्तर प्रदेश	सिख लाइट रेजिमेंट केन्द्र	फतेहगढ़
41.	उत्तर प्रदेश	39 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र	वाराणसी
42.	उत्तर प्रदेश	11 गोरखा राइफल रेजिमेंट केन्द्र	लखनऊ

[अनुवाद]

कोंकण रेल द्वारा सेल्फ लाईटिंग रेल डिब्बे

2515. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे ने हाल ही में अपने मंडल में सेल्फ लाईटिंग रेल डिब्बे शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रेल यात्रा को परेशानी-मुक्त बनाने हेतु पूरे देश के सभी रेल मंडलों विशेषकर दक्षिण-मध्य रेलवे में इन रेलडिब्बों के प्रयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) रेल डिब्बे के दोनों ओर पायदानों पर लाइट मुहैया कराई गई है, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती है तो यह स्वत: जल जाती है और जब गाड़ी प्लेटफार्म को छोड़ती है तो यह लाइट स्वत: ही बंद हो जाती है।

(ग) अन्य रेलों पर इस प्रणाली को अपनाने का अभी तक कोई इरादा नहीं बनाया गया है।

केरल की जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

2516. श्री के. मुरलीधरन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत कितनी जल-विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कौन-कौन सी जल-विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) केरल में कोई जल विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय से स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

हालांकि, पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना जनवरी, 1991 में अस्वीकार कर दी गयी थी, क्योंकि परियोजना पश्चिमी घाटों के मुख्य वन क्षेत्र में थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को पुन: 1996 में पुनरावलोकित किया गया और ''प्रतिकूल पारिस्थितिकीय प्रभाव'' के आधार पर उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना को क्रमश: 1998 और 1999 में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तथापि, पर्यावरणीय स्वीकृति बाद से 19.11.2001 को निलंबित कर दी गयी थी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए।

मनकुलम जल विद्युत परियोजना (40 मेगावाट) पर वन स्वीकृति हेतु विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून, 2002 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड को लौटा दी गयी थी क्योंकि आवश्यक सूचनाएं/विवरण सुनिश्चित नहीं किये गये थे। केरल सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्ताव को पुन: पेश करना है।

906 मेगावाट प्रति वर्ष की संयुक्त संस्थापित क्षमता वाली कुल 9 जल विद्युत परियोजनाएं विभिन्न कारणों, जैसे अंतर्राज्यीय तत्वों और परियोजनाओं की स्थिति कावेरी बेसिन में होने के कारण पुन: प्रस्तुतीकरण हेतु केरल में परियोजना प्राधिकरणों को लौटा दी गयी है।

कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार (संवर्धन) परियोजना (2×50 मेगावाट) 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रमाधीन है और 2006-07 में पूरी की जानी निर्धारित है।

गत दो वर्षों में और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गयी जल विद्युत योजनाओं का विवरण उनकी संस्थापित क्षमता के साथ नीचे दिया गया है:

वर्ष	स्कीमों की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
2001-02	2	360
2002-03	8	4362
2003-04 (नवंबर, 2003 तक)	4	2581

[हिन्दी]

तेल कंपनियों का घाटा

2517. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उठाये गए घाटे अथवा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियों में हुए घाटे के कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ और उठाई गई हानि निम्नानुसार थी:

(करोड़ रुपए)

सा.क्षे.उ. का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
इंडियन आयल कार्पो. लि.	2720.33	2884.66	6114.89
भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	833.00	850.00	1250.00
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि.	1088.00	788.00	1537.00
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पो. लि.	5229.00	6198.00	10529.00
आयल इंडिया लि.	467.36	525.22	916.73
गेल (इंडिया) लि.	1126.17	1185.84	1639.11
कोच्चि रिफाइनरी लि.	109.46	68.77	456.00

1	2	3	4
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	-57.44	-198.61	178.45
इंजीनियर्स इंडिया लि.	123.85	24.71	64.16
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पो. लि.	122.43	63.71	302.89
आईबीपी कं. लि.	54.22	195.79	87.75
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	21.60	122.98	174.63
बामर लारी एंड कं. लि.	6.01	8.00	16.49
बीको लारी लि.	-8.67	-10.89	-9.20

बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीको लारी लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि सूचित की है।

(क) बीआरपीएल द्वारा सूचित की गई हानि के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे तेल की कम उपलब्धता और कम रिफाइनरी लाभ थे। बीआरपीएल के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट प्रदान करना और राव्वा क्रूड का आवंटन सम्मिलित है।

(ख) बीको लारी लिमिटेड द्वारा सूचित की गई हानि के कारण अन्य बातों के साथ-साथ बिजली के उपकरणों की मांग में कमी और एसकेओ के समानांतर विपणन में हानि थे। ओआईडीबी ने कंपनी को 18.5 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है।

टिहरी जल विकास निगम द्वारा निर्मित जल परियोजनाएं

2518. श्री तूफानी सरोज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) द्वारा निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना अगले वर्ष मार्च तक शुरू हो जाएगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टिहरी में बांध हेतु कोई जल स्तर निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) टिहरी बांध और एचपीपी चरण-1 (1000 मेगावाट) की प्रत्येक 250 मेगावाट की दो यूनिट 2003-04 में और शेष 2 यूनिटों को 2004-05 में चालू किये जाने की योजना है।

(ग) से (ङ) टिहरी बांध और एचपीपी के जल स्तर निम्नलिखित होंगे:

डैम टॉप	-	ईएल 839.5 मीटर
पूर्ण जलाशय स्तर	-	ईएल 830.0 मीटर
मिनिमम ड्रा डाउन लेवल (एमडीडीएल)	-	ईएल 740.00 मीटर

[अनुवाद]

रेलवे और उत्पादन इकाइयों के बीच समझौता ज्ञापन

2519. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने मंत्रालय के तहत कार्यरत छह उत्पादन इकाइयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसे सिद्धांत रूप से भी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जी.एम./सी.एल.डब्ल्यू. और यूनियनों द्वारा इसी प्रकार के कदम का पहले विरोध किया गया था तथा रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालित प्रश्नों का उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन जवाबों पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या अधिकांश मजदूर संघों ने इस कदम का विरोध किया है क्योंकि यह कदम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों को कम करेगा तथा उन्हें नान-कोर सेक्टर के रूप में भारतीय रेल से अलग करेगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) फिलहाल नहीं। गैर रेलवे ग्राहकों और निर्यातों को आकर्षित करने के लिए उत्पादन इकाइयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन का एक मसौदा तैयार किया गया है और सभी उत्पादन इकाइयों को भेजा गया है।

(ग) और (घ) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) सहित सभी उत्पादन इकाइयों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उनके सुझावों की जांच की गई है।

(ङ) स्टाफ काउंसिसल, चिरेका जो कि चिरेका का मान्यता प्राप्त श्रमिक प्रतिनिधि निकाय है, के साथ भी मसले पर चर्चा की गई थी और उनकी आशंकाओं का संतोषजनक तरीके से समाधान कर दिया गया था कि ज्ञापन में उत्पादन इकाइयों को भारतीय रेलवे से अलग करने की बात नहीं कही गई है। अन्य पांच उत्पादन इकाइयों की स्टाफ काउंसिल ने इसका विरोध नहीं किया है।

(च) रिक्तियों को कार्यभार के मद्देनजर आवश्यकतानुसार भरा जाता है।

[हिन्दी]

कमीशन एजेंट

2520. श्री सुरेश चन्देल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर नांगल रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचकर 9% कमीशन पा रहे अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ स्थानीय कमीशन एजेंटों को हटाकर कुछ व्यक्तियों को 15% कमीशन पर कमीशन एजेंट नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अभी तक कितनी राशि का घाटा हुआ है और इन लेखों पर कितना घाटा होगा; और

(घ) 9% कमीशन पाने वाले कमीशन एजेंटों को कब तक नियुक्त किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) नए नांगल हाल्ट स्टेशन पर कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये गये थे जिन्हें नियुक्ति के समय विद्यमान दरों पर तथा मौजूदा अनुदेशों के अधीन नियुक्त किया गया था।

[अनुवाद]

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

2521. श्री विकास चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सी.एल.डब्ल्यू.) को रेल इंजन बनाने हेतु कितने आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या रेल मंत्रालय से जारी आदेशों के अनुसार सी.एल.डब्ल्यू. रेल इंजन बनाने हेतु सक्षम था;

(ग) क्या मंत्रालय इंजनों का विदेशों से आयात करता रहा है तथा 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान आयातित इंजनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या रेल इंजनों के निर्माण हेतु चितरंजन लोकोमोटिव को प्राप्त होने वाले आदेशों की संख्या घट गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान चितरंजन रेल इंजन कारखाने (सीएलडब्ल्यू) में रेल इंजनों के निर्माण का वास्तविक तथा लक्ष्य नीचे दर्शाया गया है:

1999-00		2000-01		2001-02		2002-03	
लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
108	120	120	120	73	82	69	69

(ग) जी नहीं। इन अन्तरालों के दौरान हमने इंजनों का आयात नहीं किया है।

(घ) और (ङ) जी हां। उत्पादन इकाइयों के लिए उत्पादन का लक्ष्य बदलाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, अतिरिक्त यातायात तथा निधियों की उपलब्धता के मद्देनजर चल स्टॉक की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के लिए लक्ष्य उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर तय किया गया है।

रेलगाड़ियों में आकाशवाणी सेवा

2522. श्री टी.टी.वी. दिनाकरनः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** रेलगाड़ियों में आकाशवाणी सेवा के बारे में 24.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 626 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ल्ड स्पेस सेटेलाइट के माध्यम से भारतीय रेल की रेलगाड़ियों में लाइव रेडियो सेवा शुरू करने का प्रसार भारती का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भारतीय रेल की चलती ट्रेनों में सीधी रेडियो सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और अभिग्रहण की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए संयुक्त प्रयोग भी किया गया है। प्रारंभ में, रेलवे ने केवल वाद्य संगीत का प्रसारण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) परामर्श की प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हुई है।

दक्षिण भारत से होकर सर्कुलर रेलगाड़ियां

2523. डा. डी.वी.जी. शंकरराव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण भारत से होकर सर्कुलर रेलगाड़ी चलाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) दक्षिण भारत के राज्यों की राजधानियों में पर्यटन गाड़ी चलाने का मामला हैदराबाद में 5 जून, 2003 को आयोजित दक्षिण भारतीय पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था। तदुपरान्त, दक्षिण भारतीय पर्यटन मंत्रियों और दक्षिण भारतीय राज्य पर्यटन विभागों की रेल पदाधिकारियों के साथ सितम्बर, 03 में हैदराबाद में बैठक निश्चित की गई। लेकिन, यह बैठक नहीं हुई और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई।

खुदरा दुकानों के आवंटन में अनियमितताएं

2524. श्री पी. राजेन्द्रनः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दो जजों की समिति खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ)/ एलपीजी वितरकों के आवंटन में अनियमितताओं की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति को मामले भेजे जाने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं तथा इस समिति को कितने मामले सौंपे गए हैं;

(ग) क्या इस समिति को भेजे जाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों/वितरकों के चयन में अनियमितता के बारे में अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इस समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इस समिति पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों), एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के चयन के उन मामलों, जो जुलाई-अगस्त, 2002 के दौरान मीडिया (इंडियन एक्सप्रेस) में सूचित किये गये थे, की जांच करने के लिए अपने दिनांक 20.12.2002 के आदेश के तहत दो न्यायाधीशों वाली समिति का गठन किया जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक-एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सम्मिलित थे। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त समिति के पास भेजे गए ऐसे मामलों की कुल संख्या 414 है। संभावना है कि समिति वर्ष 2004 की पहली तिमाही या इसके आसपास भारत के उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

(ङ) न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए एक वकील और एक आशुलिपिक की सेवाएं प्रदान करने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा दो न्यायाधीशों की समिति को सारी अन्य अनुसचिवीय/बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जबकि प्रत्येक न्यायाधीश को प्रति बैठक 10,000 रुपए की दर पर भुगतान किया जा रहा है, वहीं वकील और आशुलिपिक को प्रति माह क्रमशः 25,000 रुपए और 3,000 रुपए की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इस समिति पर किया जा रहा व्यय तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किया जा रहा है।

बाल सुधार गृह और महिला निकेतन

2525. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** बाल सुधार गृह और महिला निकेतन के बारे में 8 मई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6608 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त जानकारी कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख के अनुसार सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा इन गृहों और निकेतनों के प्रवर्तकों को राज्य-वार कितनी सहायता दी गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (ग) किशोर/बाल गृहों और महिला निकेतनों की संख्या के बारे में पूर्ण सूचना अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी प्राप्त होनी है। इन्हें बराबर स्मरण कराया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) भारत सरकार "किशोर न्याय कार्यक्रम" स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों और संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को विधि विपरीत किशोरों और देखरेख और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए गृहों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए अनुमोदित बजट के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देती है। विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इस स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

महिला निकेतनों से संबंधित सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

किशोर न्याय कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (16.12.2003 तक) के दौरान दिया गया राज्य/संघ राज्य-वार सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (16.12.2003 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	-	78.76	112.13	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-
4.	बिहार	-	30.08	30.31	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	23.56	54.18
6.	गोवा	7.33	4.04	4.12	5.88
7.	गुजरात	35.98	47.50	47.59	-

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	25.06	3.09	2.47	23.79
9.	हिमाचल प्रदेश	24.56	–	3.99	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	23.84	–
12.	कर्नाटक	87.00	49.44	51.76	46.65
13.	केरल	21.30	25.28	12.69	20.34
14.	मध्य प्रदेश	159.27	113.58	110.81	106.86
15.	महाराष्ट्र	251.16	710.77	509.15	742.75
16.	मणिपुर	5.35	–	–	–
17.	मेघालय	5.62	5.89	7.00	9.13
18.	मिजोरम	4.26	8.99	15.91	17.47
19.	नागालैण्ड	6.67	3.22	4.56	4.56
20.	उड़ीसा	–	–	0.42	4.02
21.	पंजाब	24.06	13.17	23.04	30.56
22.	राजस्थान	8.00	12.17	9.17	16.18
23.	सिक्किम	1.70	1.70	2.03	2.33
24.	तमिलनाडु	118.21	190.51	113.60	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	0.04
26.	उत्तर प्रदेश	184.45	64.95	189.11	127.35
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–
28.	प. बंगाल	80.00	73.49	83.65	80.84
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	3.10	–	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–
32.	दमन व दीव	–	–	–	–
33.	दिल्ली	–	82.03	52.09	69.58
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–
	योग	1053.10	1518.86	1433.00	1363.51

हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण

2526. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में प्रस्तावित हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस लाइन के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है;

(ग) जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनको कितनी मुआवजा राशि दी गई; और

(घ) भूमि अधिग्रहण का काम कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। 86 गांवों में से 49 गांवों के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को भेज दिये गए हैं।

(ख) और (ग) 1430 एकड़ भूमि को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को अब तक 7.82 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इस मामले पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण को पूरा करने का वास्तविक समय राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा।

नई ईंधन नीति

2527. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई ईंधन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति से देश की तेल रिफाइनरियों पर क्या असर पड़ने की संभावना है; और

(घ) इस नई नीति के संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया-विचार क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी हां। आटो ईंधन नीति में, प्रयोग किये जा रहे वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए तरीकों और माध्यमों को निर्धारित करने के अलावा उत्सर्जन का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिए ईंधन गुणवत्ता और वाहन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के लिए स्पष्ट कार्यक्रम का उल्लेख है।

(ग) तेल रिफाइनरियां निर्धारित तारीख तक गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करने के लिए विभिन्न गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं को लागू कर रही है।

(घ) राज्य सरकारों ने आटो ईंधन नीति के बारे में अभी तक विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है।

कच्चे तेल का आवंटन

2528. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-2005 के लिए कच्चे तेल के आबंटन के लिए पेट्रोलियम सचिव द्वारा कोई उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम को निजी तेलशोधक कारखानों को कच्चा तेल नहीं बेचने की हिदायत दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि पूर्वोत्तर में उत्पादित कच्चा तेल और उत्पादन हिस्सेदारी संविदा कच्चा तेल वर्तमान प्रतिरूप पर आबंटित किया जाता रहेगा। ओएनजीसी के अन्य क्रूडों के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी परिस्थितियों, पूर्व आबंटन आदि के आधार पर रिफाइनरियों की आवश्यकता जैसे घटकों पर विचार करते हुए सा.क्षे.उ. रिफाइनरियों के बीच आबंटन का निर्णय लेगा।

(ग) और (घ) कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन और घरेलू रिफाइनरियों की आवश्यकता के बीच बड़ा अंतराल है। एपीएम अवधि के दौरान, कच्चे तेल की घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कई सा.क्षे.उ. रिफाइनरियां स्थापित हुई। विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सा.क्षे.उ. रिफाइनरियों के बीच घरेलू क्रूड के आबंटन की प्रणाली को फिलहाल जारी रखने की जरूरत होगी।

निजी क्षेत्रों द्वारा रक्षा उपकरणों का उत्पादन

2529. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को कुल 13 आशय पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2005 तक कुल रक्षा उपकरणों की आवश्यकता के 70 प्रतिशत की पूर्ति स्वदेश में ही करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या किसी कम्पनी ने रक्षा उत्पादों के निर्णय के लिए 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट के प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने रक्षा मंत्रालय से विचार-विमर्श करके विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों, जिनमें कवचित और युद्धक वाहन, रेडार, इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति उपस्कर, युद्धपोत, पनडुब्बी, वैमानिकी, सैन्य विमान, सुरक्षा और बैलिस्टिक उत्पाद, शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद आदि शामिल हैं, का विनिर्माण करने हेतु अभी तक 15 आशय पत्र जारी किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 2005 तक रक्षा प्रणालियों में स्वदेशी अंश 70 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने रक्षा मदों के उत्पादन में 100 प्रतिशत निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दी है जिसमें 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है और यह दोनों लाइसेंस के तहत होंगे।

(ङ) और (च) अभी तक, रक्षा से जुड़े उत्पादों के विनिर्माण हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सहारा लेना, पूर्णतया उद्यमी का अपनी वाणिज्यिक अवधारणाओं पर आधारित निर्णय होता है।

कृत्रिम अंग

2530. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एथलेटिक्स में कृत्रिम अंग उत्पादन केन्द्रों द्वारा भारी अंगों की आपूर्ति के कारण एथलेटिक्स में हमारे विकलांग भूतपूर्व सैनिक अपने विदेशी प्रतियोगियों के समक्ष नहीं टिक पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो अत्याधुनिक कम वजन के अंगों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिक बाजार में नई प्रौद्योगिकी के उपलब्ध अंगों की तुलना में उनको उपलब्ध कराए गए अंगों की प्रौद्योगिकी से संतुष्ट नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) विकलांग भूतपूर्व सैनिक खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेते रहे हैं तथा उनका प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा है। कृत्रिम अंग केन्द्र, पुणे एक विख्यात संगठन है जो भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्यों को कृत्रिम अंग मुहैया कराता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अपनी जरूरतें इसी केन्द्र के जरिये पूरा करता है। इस केन्द्र की गुणवत्ता की सराहना विदेश में भी की गई है तथा अन्य कई देशों से उनके सैनिकों एवं नागरिकों के लिए भी अंग फिटमेंट हेतु अनुरोध प्राप्त होते हैं। इनके अलावा, फिटमेंट की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विविध परियोजनाओं के जरिए सतत अनुसंधान एवं विकास प्रयास किये जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को मुहैया कराए गए कृत्रिम अंग अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले हैं। इनसे उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन करने में काफी मदद मिली है। इनके अतिरिक्त, कृत्रिम अंग केन्द्र, पुणे के पास उपलब्ध अत्याधुनिक कृत्रिम अंग भूतपूर्व सैनिकों को मुहैया कराये जाते हैं। यदि ये उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आवश्यकता के आधार पर बाजार से इनकी खरीददारी की जाती है। तथापि, बाजार में घुटने से नीचे वाले उपलब्ध विभिन्न अंगों एवं कृत्रिम अंग केन्द्र, पुणे से प्राप्त किए गए अंगों के वजन में मामूली अंतर है।

पिपवाव-सुरेन्द्रनगर बी.जी. रेल लाइन पर यात्री गाड़ी सेवा

2531. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिपावाव पोर्ट से सुरेन्द्रनगर तक बड़ी लाइन का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त लाइन पर यात्री गाड़ी सेवा शुरु करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। पीपावाव पत्तन से सुरेन्द्रनगर तक बड़ी आमान लाइन का कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) से (घ) इस खण्ड पर माल गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है और पैसेंजर गाड़ियों के परिचालन हेतु खण्ड की उपयुक्तता प्रमाणित करने के लिए बचे हुए कुछ कार्यों के पूरा होने के बाद ही इस खंड को पैसेंजर गाड़ियों के लिए खोला जाएगा।

[हिन्दी]

विद्युत के पारेषण के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग

2532. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने निजी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों को विद्युत पारेषण के लिए पूरी छूट दे रखी है तथा रिलायंस इनर्जी और टाटा विद्युत कम्पनी इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों ने अपने विद्युत उत्पादन को दुगना करने के प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस बात की पूरी सावधानी बरती जा रही है कि इस विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां प्रभावित न हों, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत का पारेषण एक लाइसेंसप्राप्त कार्य है। इस उद्देश्य से लाइसेंस देने हेतु उपयुक्त आयोग को शक्ति प्रदान की गई हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को राज्यों के मध्य के पारेषण के लिए तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग को अंत:राज्यीय पारेषण के लिए लाइसेंस देने की शक्ति प्राप्त है। सीईआरसी ने पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रक्रिया अनुबंध एवं शर्तें तथा लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवश्यक विनियम तैयार किए हैं। अब तक सीईआरसी ने केवल एक इकाई, अर्थात् मैसर्स पावरलिंक्स कंपनी लिमिटेड जो पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा पावर कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, को राज्यों के मध्य पारेषण हेतु लाइसेंस प्रदान किया है। इसके अलावा सीईआरसी को पारेषण लाइसेंस के लिए कोई अन्य आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

विद्युत अधिनियम, 2003 एक निरंतर प्रगतिशील कानून है जो विद्युत उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय सुझाता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है तथा सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करता है जिससे कि सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति सुनिश्चित करता है, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करता है जिससे कि सब्सिडी के सबंध में पारदर्शी नीति सुनिश्चित की जा सके तथा कुशल एवं पर्यावरणीय रूप से अनुकूल नीतियां तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। नया कानून विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उदार संरचना प्रदान करता है और विद्युत आपूर्ति उद्योग की विभिन्न शाखाओं में आरंभिक बाधाओं को कम करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने विद्युत क्षेत्र में सकारात्मक माहौल तैयार किया है और नए निवेशकों को भी आकर्षित किया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2012 तक एक लाख मेगावाट तक की क्षमता अभिवृद्धि करने का अनुमान लगाया है। 10वीं योजना में विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि की गई है तथा विद्युत मंत्रालय हेतु परिव्यय को बढ़ाकर 1,43,399 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 9वीं योजना में 45,591 करोड़ रुपये था। 10वीं योजना में 41,000 मेगावाट नवीन क्षमता अभिवृद्धि में से 33,989 मेगावाट क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र में तैयार करने की योजना है।

[अनुवाद]

ट्रेनों में टिकट जारी किया जाना

2533. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में पहले से ही यात्रा कर रहे यात्रियों को टिकट जारी करने की प्रणाली समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए टिकट परीक्षक को पुन: अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ट्रेन यात्रियों को बिना दोबारा टिकट प्रभार दिए अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए अवसर देने में क्या कठिनाई है; और

(च) इस संबंध में कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा गाड़ी में अतिरिक्त किराया टिकट जारी करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

(ङ) और (च) बढ़ाई गई यात्रा को नई यात्रा मानकर किराया लिया जाता है।

तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों द्वारा लाभांश देना

2534. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल की सार्वजनिक कंपनियों ने वर्ष 2003-2004 के लिए अंतरिम लाभांश दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक तेल सार्वजनिक कंपनी द्वारा सरकार को अंतरिम लाभांश की कितनी राशि दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) के अतिरिक्त, अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य तेल उपक्रम द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम लाभांश नहीं दिया गया है। आईबीपी ने अपनी इक्विटी शेयर पूंजी पर 100 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश दिया है। आईबीपी ने सरकार को 5.75 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने वर्ष 2003-04 के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी पर 27 प्रतिशत अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

हथियारों/उपकरणों के विकास में विलम्ब

2535. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.आर.डी.ओ. द्वारा युद्धक टैंकों, प्रक्षेपास्त्रों, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट और अन्य प्रणालियों के विकास में बहुत विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन प्रत्येक मदों के संदर्भ में कितने वर्ष का समय लगा है;

(ग) क्या इनमें से कोई भी उपकरण वर्तमान में सेना को सौंपे जाने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा हाथ में ली गई कुछ बड़ी अत्याधुनिक प्रणालियों (100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली) के कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है। ये प्रणालियां मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन', निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस', तेजस के लिए कावेरी इंजन, सेना 'संयुक्त' के लिए एकीकृत इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति प्रणाली और नौसेना 'संग्रह' के लिए ई डब्ल्यू प्रणाली हैं।

(ख) इन जटिल प्रणालियों के स्वदेशी विकास में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और आईजीएमडीपी के कुछ प्रक्षेपास्त्रों में लगभग 20 वर्ष का समय लगा है जबकि अन्य प्रणालियों के मामले में यह समय लगभग 10 वर्ष है। विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- प्रौद्योगिकीय विकास से संबंधित प्रौद्योगिकीय जटिलताएं और अन्य समस्याएं।
- देश के भीतर अपर्याप्त औद्योगिक आधारभूत ढांचा।
- सामग्री, स्वदेशी संघटकों और उपकरणों की अनुपलब्धता।

- हमारी अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं और उद्योगों पर प्रौद्योगिकी प्रतिबंध और रोक।
- प्रयोक्ता सेनाओं द्वारा परियोजनाओं की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं और उनके व्याप्ति-क्षेत्र का अधरास्ते उन्नयन।
- प्रयोक्ता परीक्षणों का कई-कई वर्षों तक चलते रहना।

(ग) और (घ) आईजीएमडीपी की परियोजनाओं में से, सेना के लिए 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र का नियमित रूप से उत्पादन किया जा रहा है और इसे सेना में शामिल कर लिया गया है। वायुसेना के लिए 'पृथ्वी' का विकास-कार्य पूरा कर लिया गया है। नौसेना रूपांतर 'धनुष' नौसेना द्वारा शामिल किये जाने हेतु स्वीकार कर ली गई है। संयुक्त (कॉम सेगमेंट) का सेना द्वारा सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन कर लिया गया है। प्रयोक्ता सेवाओं द्वारा 'संग्रह' की उपप्रणालियों को शामिल कर लिया गया है। तेजस, तेजस के लिए कावेरी इंजन, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी अन्य बड़ी प्रणालियों का पुनर्मूल्यांकन उन्नत चरणों में है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में लड़कियों के लिए आरक्षण

2536. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर का लड़कियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालिका कैडेट को सशस्त्र प्रशिक्षण के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या बालिका कैडेट को विशिष्ट उड़ान तथा नौकायन प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो यह कब तक किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय कैडेट कोर में बालिका कैडेटों के आरक्षण की कोई नीति नहीं है। तथापि, बालिका कैडेटों की भरती को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय बालिका कैडेट राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों की भरती नफरी का लगभग 15.9 प्रतिशत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय द्वारा कैडेटों की विद्यमान समग्र स्वीकृत नफरी में बालिकाओं और बालकों की मिली-जुली यूनिटों को बढ़ावा देकर बालिका कैडेटों की संख्या बढ़ाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) बालिका कैडेटों को सशस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए सभी अवसर प्रदान किये जाते हैं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) बालिका कैडेटों को विशेषज्ञ उड़ान और नौकायन प्रशिक्षण पहले से ही दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा संचालित अन्य सभी साहसिक प्रशिक्षण कार्यकलापों में बालिका कैडेट भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

[हिन्दी]

स्वदेशी रक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए आदेश

2537. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेना के तीनों अंगों से स्वदेश में विनिर्मित रक्षा सशस्त्रों और आयुधों की खरीद के लिए आदेश नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेना द्वारा स्वदेशी हथियारों और आयुधों की खरीद के लिए अब तक कितने क्रयादेश दिये गये हैं;

(घ) कौन-कौन से शस्त्र और आयुध स्वदेश में निर्मित किये जा रहे हैं जिनके लिए सशस्त्र सेनाओं ने विदेशों में क्रयादेश दे रखा है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा स्वदेशी शस्त्रों और आयुधों को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या स्वदेशी शस्त्रों और आयुधों की गुणवत्ता विदेशी शस्त्रों और आयुधों की तुलना में निम्न है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) शून्य।

(ङ) तीनों सेनाओं ने उन्नत शस्त्रों और गोलाबारूदों का विकास करने तथा इसके पश्चात उनका स्वदेशी विनिर्माण करने के लिए स्वदेशीकरण के प्रयास शुरू किये हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) ऊपर (च) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो

2538. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर में दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो के ढांचे को मजबूत करने हेतु पैकेज का ब्यौरा क्या है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित है;

(ख) इस पैकेज द्वारा वित्त पोषित स्टेशनों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) राज्य-वार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत तथा वितरित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपसमूह क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए एक विशेष पैकेज के कार्यान्वयन को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। पहले से अनुमोदित और कार्यान्वयनाधीन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	परियोजना	अनुमोदित लागत	नवम्बर, 2003 तक व्यय
		आकाशवाणी		
1.	गुवाहाटी	सीईएस का उन्नयन	190.00 लाख रु.	102.00 लाख रु.
2.	शिलांग	सीईएस का उन्नयन	190.00 लाख रु.	102.00 लाख रु.
3.	ईटानगर	सीईएस का उन्नयन	190.00 लाख रु.	101.00 लाख रु.
		10 किवा एफ.एम. ट्रां. एवं स्टु.	520.00 लाख रु.	185.91 लाख रु.
4.	कोहिमा	10 किवा एफ एम ट्रां. एवं स्टु.	540.00 लाख रु.	12.00 लाख रु.
5.	पोर्ट ब्लेयर	10 किवा एफ एम ट्रां. एवं स्टाफ क्वार्टर	520.00 लाख रु.	174.00 लाख रु.
		दूरदर्शन		
1.		160 गांवों में केबल शीर्षछोर (प्रत्येक आ. पूर्वोत्तर राज्य में 20)	115.00 लाख रु.	712.00 लाख रु.
2.		शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, ऐजवाल और ईटानगर स्थित 5 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (1 किवा से 10 किवा का उन्नयन)	2270.00 लाख रु.	992.00 लाख रु.
3.		ऐजवाल और शिलांग स्थित भू-उपग्रह केन्द्र	1502.00 लाख रु.	787.00 लाख रु.
4.		उपग्रह विडियोफोन	165.00 लाख रु.	181.00 लाख रु.

उड़ीसा में रेल परियोजना

2539. श्री अनंत नायक:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अनेक नई/चल रही/लम्बित रेल परियोजनाओं तथा सर्वेक्षण की परियोजना-वार, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित तथा खर्च की गई निधि क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को उड़ीसा की कुछ रेल परियोजनाओं में घटिया स्तर तथा निम्न श्रेणी के सामग्री की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं के शीघ्र समापन के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) परियोजना-वार प्रगति, 31.3.2003 तक किया गया खर्च और 2003-04 के दौरान शामिल बजट में विभिन्न चालू नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण तथा रेल विद्युतीकरण संबंधी कार्य तथा राज्य में विभिन्न चालू सर्वेक्षणों कार्यों की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	31.3.2003 तक किया गया खर्च (करोड़ रु. में)	2003-04 के दौरान बजट आबंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
		नई लाइनें		
1.	दैतारी-बांसपानी (155 कि.मी.)	बांसपानी से जोरोली (11 कि.मी.) तक लाइन पूरी हो चुकी है। शेष खंड पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी तथा अन्य आनुषंगिक कार्य प्रगति पर है। जोरोली से क्योंझर (48 कि.मी.) खण्ड लगभग पूरा होने को है। संपूर्ण परियोजना 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।	367.10	75.00
2.	लांजिगढ़ रोड-जूनागढ़ (56 कि.मी.)	भूमि का अंशत: अधिग्रहण कर लिया गया है। लांजिगढ़ से भवानी पटना (31 कि.मी.) तक कार्य शुरू किया गया है जहां मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	17.55	5.00
3.	खुर्दा रोड-बोलनगीर (289 कि.मी.)	अंतिम स्थान सर्वेक्षण अंशत: पूरा हो चुका है। भूमि अंशत: अधिगृहीत कर ली गई है। खुर्दा रोड छोर से 2.5 कि.मी. लम्बाई तक कार्य प्रगति पर है जहां भूमि रेलवे के पास उपलब्ध है।	17.87	15.00

1	2	3	4	5
4.	हरिदासपुर-पारादीप (82 कि.मी.)	बड़े पुलों का अंतिम स्थान सर्वेक्षण तथा मिट्टी परीक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अंशत: अधिगृहीत कर ली गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।	19.74	20.00
5.	अंगुल-सुकिन्दा रोड (98.7 कि.मी.)	सभी बड़े पुलों के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण तथा मिट्टी परीक्षण पूरा हो चुका है।	0.64	2.00
		आमान परिवर्तन		
1.	रुपसा-बांगरीपोसी (89 कि.मी.)	पहले चरण में रुपसा-बारीपदा (52 कि.मी.) खण्ड का आमान परिवर्तन करने की योजना है जहां मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	12.30	10.00
2.	नौपाड़ा-गुनुपुर (90 कि.मी.)	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। 25 कि.मी. तक के लिए मिट्टी संबंधी तथा पुलों के निर्माण के लिए ठेके दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।	3.27	15.00
		दोहरीकरण		
1.	रतनगढ़-नेरगुंडी (28 कि.मी.)	रजतगढ़ से शालीगांव खण्ड पूरा हो चुका है। शालीगांव से नेरगुंडी (6 कि.मी.) तक शेष खण्ड को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।	80.65	1.00
2.	रघुनाथपुर-राहामा (28.4 कि.मी.)	परियोजना पूरी हो चुकी है और चालू कर दी गई है।	67.87	0.01
3.	नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर (43 कि.म.)	कपिलास रोड-नेरगुंडी-बिरूपा केबिन खण्ड पूरा हो चुका है। नेरगुंडी-केन्द्रपाड़ा रोड और नेरगुंडी-कटक खण्डों पर मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है।	90.60	15.00
4.	राहामा-पारादीप (23 कि.मी.)	कार्य की समग्र प्रगति 85% है और परियोजना को 2003-04 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।	40.60	15.00
5.	महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल (3 कि.मी.)	बिरूपा नदी पर दूसरे पुल पर कार्य की समग्र प्रगति 48% है। महानदी नदी पर दूसरे पुल को राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत पूरा किया जा रहा है जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।	11.00	20.00

1	2	3	4	5
6.	लांजीगढ़-टीटलागढ़ (47 कि.मी.)	केसिंगा-नोरला रोड (23 कि.मी.) और नोरला रोड-लांजिगढ़ (11 कि.मी.) खण्ड 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। शेष खण्ड पर मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	60.10	16.00
7.	रजतगढ़-बारंग (20 कि.मी.)	सभी बड़े पुलों पर अंतिम स्थान सर्वेक्षण एवं भू तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। इस परियोजना को राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।	1.24	10.00
8.	खुर्दा रोड-पुरी (चरण-1) (15.3. कि.मी.)	मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। हरिपुर, मोतरी और डेलांग पर स्टेशन इमारतों का कार्य प्रगति पर है।	15.84	5.00
9.	सम्बलपुर-रेंगाली (22.7 कि.मी.)	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है अनुमान प्रक्रियाधीन है।	0.15	2.00
10.	झारसुगुडा बाईपास लाइन (8.73 कि.मी.)	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है नक्शे एवं अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।	0	2.00
11.	कटक-बारंग (12 कि.मी.)	इस नए कार्य को 2003-04 के बजट में शामिल किया गया है। नक्शे एवं अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। इस परियोजना को राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।	0	10.00
12.	खुर्दा रोड-बारंग तीसरी लाइन (35 कि.मी.)	इस नए कार्य को 2003-04 के बजट में शामिल किया गया है। नक्शे एवं अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। इस परियोजना को राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।	0	10.00
		रेल विद्युतीकरण		
1.	खड़गपुर-निमपुरा-	इस कार्य को राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है और	232.82	40.00

1	2	3	4	5
	भुवनेश्वर, तालचेर-कटक-पारादीप शाखा लाइन सहित (540 मार्ग कि.मी.)	2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।		
2.	खुर्दा रोड-पुरी सहित भुवनेश्वर-कोटाबलासा (470 मार्ग कि.मी.)	कार्य को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।	276.49	15.00

उड़ीसा में विभिन्न चालू सर्वेक्षण निम्नलिखित है:

1. जयपुरो-मलकानगिरि नई लाइन
2. कटक और भुवनेश्वर के बीच उपनगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत करना।
3. टिटलागढ़-झारसुगडा दोहरीकरण
4. आर-वी लाइन पर टिटलागढ़-रायपुर दोहरीकरण
5. चक्रधरपुर-बोंडामुंडा तीसरी लाइन

इसके अलावा, निम्नलिखित नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है किन्तु संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका:

1. तालचेर-गोपालपुर नई लाइन
2. फूलबनी-बेहरामपुर नई लाइन
3. बारागढ़-नौवापाड़ा रोड नई लाइन
4. जेपुर-नवरंगपुर नई लाइन
5. खरतापालन, बलोडा बाजार, बेतगांव और सारणगढ़ के रास्ते रायपुर-झारसुगडा नई लाइन

जहां तक तालचेर-बिमलागढ़ नई लाइन का संबंध है, प्रस्ताव को योजना आयोग के पास सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

खुर्दा रोड-पुरी दोहरीकरण का सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है।

(ग), (घ) और (छ) संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर कार्य में प्रगति हो रही है। सामान बजटीय सहायता के अलावा रेलवे ने अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कई उपाय किये हैं जिससे परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी।

(ङ) जी हां।

(च) वर्ष 2000 में सीबीआई द्वारा ठेकेदार द्वारा गिट्टी की खराब सप्लाई की जांच की गई थी। दोषी पाए गए 2 रेल पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

पानिहार-मोहाना और मोहाना-खुजारी परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण

2540. श्री रामजी मांझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानिहार-मोहाना और मोहाना-खुजारी परियोजना हेतु सामग्री परिवर्तन और भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब से लागत और समय वृद्धि के कारण प्राक्कलनों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समय पर भूमि का अधिग्रहण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्राधिकारियों का अपने कर्त्तव्यों के कुशल निर्वहन में अवहेलना करने के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के अनुसार, शिवपुरी-ग्वालियर (124.55 कि.मी.) रेल लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 106.187 करोड़ रु. थी। पनिहार-मोहाना (38 कि.मी.) तथा मोहाना-खजूरी (45.8 कि.मी.) शिवपुरी-ग्वालियर खंड में आते हैं। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य में प्रगति हुई है और इस स्ट्रेच पर वास्तविक व्यय 148.02 करोड़ रु. हुआ है। लागत की वृद्धि में मध्यवर्ती अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि तथा सिगनल संबंधी मानकों में उन्नयन के कारण 4.18 करोड़ रु. की लागत से वस्तुपरक आशोधन भी शामिल है।

(ग) और (घ) भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया समय से आरंभ की गई है। रेलवे की ओर से भूमि अधिग्रहण में कोई विलंब नहीं हुआ है। बहरहाल, वन भूमि मंजूरी में विलंब हुआ है।

लाइनों पर इंजनों का खराब हो जाना

2541. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजनों के ठीक से अनुरक्षण न होने के कारण ये लाइनों पर खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने इंजन खराब हुए और क्या उनके खराब होने की जांच की गई है; और

(ग) इंजनों को सही हालत की सन्तुष्टि किए बिना किसी भी इंजन को लाइन पर न लाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय रेलवे पर रेल इंजनों के कार्यनिष्पादन में विश्वनीयता सुनिश्चित करने के लिए निवारक अनुरक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। बहरहाल, कुछ रेल इंजन संबंधी विफलताएं विभिन्न कारणों जैसे सामग्री विफलता, त्रुटिपूर्ण कार्य, क्रू द्वारा गलती करना, निर्माण की गुणवत्ता और अभिकल्प की अपर्याप्तता आदि की वजह से होती है। पिछले 3 वर्षों में प्रति माह रेल इंजन विफलताएं निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की सं. 100 रेल इंजन/प्रति माह		पिछले वर्ष में सुधार %	
	डीजल	बिजली	डीजल	बिजली
2000-01	14.4	15.6	-	-
2001-02	12.6	12.7	12.5	18.6
2002-03	11.5	12.4	8.7	2.4

(ग) भारतीय रेलवे पर रेल इंजनों के शेडों और शॉप में अनुरक्षण के लिए विस्तृत बचाव अनुसूची विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विफलता की ठीक प्रकार से जांच की जाती है और आवश्यक निवारक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

हथियार प्रणाली के विकास हेतु फ्रांस के साथ समझौता

2542. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथियार प्रणाली के उत्पादन हेतु फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्पादन लाइसेंस के अंतर्गत विमान, मिराज-2000-5 के विनिर्माण हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मिराज 2000 एमके II विमान खरीदे जाने तथा इसके स्वदेशी विनिर्माण के लिए क्षमता स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

बिल्ड ऑन आपरेटर मॉडल

2543. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की शर्त पर बिल्ड आन आपरेटर ट्रांसफर मॉडल और बिल्ड लीज आपरेटर ट्रांसफर मैकेनिज्म संबंधी प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इससे किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र में निर्माण, अधिग्रहण, प्रचालन और हस्तांतरण'' (बूट)/निर्माण, लीज, प्रचालन और हस्तांतरण'' (ब्लॉट) मॉडल पर निजी क्षेत्र भागीदारी करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उपर्युक्त अंतर-मंत्रालय परामर्श और विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

ओएनजीसी द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन/व्यय

2544. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के व्यय को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने क्रमशः 151.90 करोड़ रुपए, 106.55 करोड़ रुपए और 159.20 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। तदनुरूपी अवधियों के दौरान ओएनजीसी ने विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन द्वारा क्रमशः 5369.67 करोड़ रुपए, 3488.86 करोड़ रुपए और 5572.85 करोड़ रुपए खर्च किए।

(ख) ओएनजीसी ने अपने प्रचालनों के लिए विदेशी मुद्रा बहिर्गमन कम करने हेतु कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों का पूर्व-भुगतान, विदेशी मुद्रा ऋणों में कमी, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को खरीद अधिमान, भारतीय ध्वज पोतों को अधिमान और प्रौद्योगिकी में क्रान्तिक अंतराल पाटने के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्य सम्मिलित हैं।

विज्ञापन दिए जाने की प्रक्रिया

2545. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में विज्ञापन दिए जाने की कोई मानक प्रक्रिया नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार लोक सेवा विज्ञापनों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य विशेषताएं क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) भारत सरकार की विज्ञापन नीति में यथा-निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के संबंध में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में समाचार पत्रों को शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों तथा दृश्य-श्रव्य निर्माताओं के पैनल में शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मुवाक्किल मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकतानुसार विज्ञापन अभियान चलाए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

रेल परियोजनाओं हेतु निवेशक

2546. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे विकास कार्यक्रम हेतु निवेशकों को आकर्षित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निजी निवेश हेतु पहचान की गई परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में रुचि प्रदर्शित करने वाली कंपनियां/निजी निवेशकों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज तथा बंदरगाहों से पहुंच मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए चुनी गई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन व्यवस्था में, ''बनाएं, परिचालित करें तथा हस्तांतरित करें (बॉट) इक्विटी के माध्यम से और बंध पत्रों के निर्गम के जरिए निवेश करने की योजना है।

(ग) और (घ) गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन और हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजनाओं को अब तक इक्विटी रूट के जरिए निजी निवेश के लिए चुना गया है। इन दो परियोजनाओं के लिए चार पणधारियों ने दिलचस्पी दिखाई है। निजी भागीदारी के लिए अन्य परियोजनाओं की भी पहचान की जाएगी।

ई-टेंडरिंग

2547. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के कार्यान्वयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड ने प्रायोगिक तौर पर ई-टेंडरिंग के जरिये पूर्व मध्य रेलवे को 5 निविदाओं पर कार्रवाई करने की अनुमति दी है। ऐसा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्पष्ट और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। उत्तर रेलवे की एक समिति ई-टेंडरिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए स्थापित की गई थी ताकि निर्माण तथा भंडार सप्लाई निविदाओं, दोनों में इसके अनुप्रयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। सिफारिशों के आधार पर रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे से व्यापक पैमाने पर इसके उचित मूल्यांकन के लिए प्रणाली को कार्यान्वित करने को कहा गया है।

सवारी डिब्बों का विनिर्माण

2548. श्री महबूब जाहेदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को वर्ष 2003 के दौरान 54 सवारी डिब्बों और 324 बीओएक्सएसएचएच/बी आरएनए माल डिब्बों के विनिर्माण हेतु आदेश इस प्रतिबद्धता के साथ दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में अन्य 81 सवारी डिब्बों के लिए भी आदेश दिए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स जेसप एंड कंपनी लिमिटेड जो कि प्रतिमाह तीन चार सवारी डिब्बों का विनिर्माण कर रही थी

विनिवेश के पश्चात् ऐसे भारी आदेश की पूर्ति समयानुसार कर पायेगी;

(ग) यदि हां, तो जेसप द्वारा रेलवे को प्रतिमाह माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मैसर्स जेसप एंड कंपनी लिमिटेड से सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की समय पर पूर्ति प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) विनिवेश से पहले 2003-04 में मैसर्स जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को केवल 36 एसीईएमयू सवारी डिब्बों तथा 324 बीओएक्सएनएचएस/बीआरएनए मालडिब्बों के निर्माण तथा सप्लाई के लिए आर्डर दिए गए थे। अन्य 81 सवारी डिब्बों के विनिर्माण का आर्डर देने की कोई वचनबद्धता नहीं है।

(ग) 2003-04 में कम्पनी द्वारा मालडिब्बों और एसीईएमयू सवारी डिब्बों का उत्पादन निम्नलिखित है:

माह	माल डिब्बे	सवारी डिब्बे
अप्रैल, 03	30*	कुछ नहीं
मई, 03	32*	01*
जून, 03	कुछ नहीं	06*
जुलाई, 03	कुछ नहीं	01*
अगस्त, 03	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सितम्बर, 03	22	कुछ नहीं
अक्तूबर, 03	08	कुछ नहीं
नवम्बर, 03	10	कुछ नहीं

*पुराने आर्डर के तहत उत्पादन

(घ) सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों के विनिर्माण तथा सप्लाई में तेजी लाने के लिए फर्म से कहा गया है।

अतिरिक्त कामगारों की भर्ती

2549. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के भाग के रूप में जल्दी ही 70000-75000 अतिरिक्त कामगारों की भर्ती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी क्या है और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे ने पहले वर्ष 2010 तक अपने कर्मचारियों की संख्या को 15.1 लाख से घटाकर 12 लाख करने का निर्णय लिया गया था;

(घ) क्या उक्त (क) की स्थिति के मद्देनजर सरकार का विचार कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की अपनी नीति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे की कर्मचारी कम करने और नई भर्ती किए जाने की नीति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) इस समय रेलवे ने समूह घ के लगभग 20,000 कर्मचारियों की भर्ती करने का प्रस्ताव किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2004 तक पूरी की जानी थी। बहरहाल, असम, बिहार और मुंबई में हाल ही की घटनाओं को देखते हुए यह प्रक्रिया 2004 के मध्य तक पूरी की जा सकती है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) भारतीय रेलवे ने सहज प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न रिक्तियों के अंतर्गत नई भर्ती को नियंत्रित करके इस संगठन में कर्मचारियों की संख्या को कम करने की योजना बनाई है। रेलवे एक सक्रिय संगठन है जिसका नेटवर्क, सेवाएं लगातार बढ़ती हैं, संरक्षा/परिचालन/सुरक्षा संबंधी कोटियों को नियमित आधार पर भरने/बढ़ाने की आवश्यकता है। रेलवे ने इन विश्वसनीय सेवाओं को बरकरार रखने के लिए, भर्ती के अनुसार इन कोटियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विनिश्चय किया है। बहरहाल, संरक्षा, सुरक्षा और परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित कोटियों को छोड़कर अन्य सभी कोटियों के कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अन्य कोटियों में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) समझे जाने वाले कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने के बाद और यह सुनिश्चत करके कि उन्हें जिन कोटियों में लगाया जाना है उसके लिए वे डाक्टरी दृष्टि से उपयुक्त हैं, फिर से काम पर लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं

2550. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित किन-किन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) राज्य में इन परियोजनाओं के माध्यम से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) राजस्थान में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी किन परियोजनाओं को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) राजस्थान सहित समूचे देश में ऊर्जा के दोहन के लिए पवन, सौर, लघु पनबिजली और बायोमास पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) राजस्थान को वर्ष 2002-03 के दौरान इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 7.84 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान राजस्थान में अक्षय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 93 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है।

(घ) राजस्थान में जोधपुर के निकट मथानिया में इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर 140 मेगावाट क्षमता की एक एकीकृत सौर कम्बाइंड साइकिल विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 35 मेगावाट क्षमता सौर तापीय ऊर्जा से प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

असम में विद्युत संकट

2551. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में गम्भीर विद्युत संकट होने पर भी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की लोवर सबनसिटी जल विद्युत परियोजना के असम में स्थित होने के बावजूद इससे कोई लाभ मिलने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे उत्पादित विद्युत को विभिन्न राज्यों में बांटा जाना है; और

(घ) यदि हां, तो असम को इसका उचित हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सुबानसिरी लोअर हाइड्रो-इलैक्टिक प्रोजेक्ट (2000 मे.वा.) का क्रियान्वयन नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. (एनएचपीसी) द्वारा अरुणाचल प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र में किया जा रहा है। बांध का बांया मुहाना असम राज्य में तथा दायां मुहाना और बिजली घर अरुणाचल प्रदेश राज्य में होगा। परियोजना को सितम्बर, 2010 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

परियोजना को चालू करने के पूर्व परियोजना का विद्युत असम सहित सभी लाभार्थी राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत विभाजन फार्मूला के अंतर्गत उनकी पात्रता के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ पर आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए एनएचपीसी को विद्युत खरीद हेतु सभी लाभार्थी राज्यों के साथ कानूनी रूप से अनिवार्य करार करने होंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और दामोदर वेली कॉरपोरेशन परियोजना से विद्युत खरीद के लिए एनएचपीसी के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाना बाकी है।

केरल में कोन्नी में एफ.एम. रेडियो स्टेशन

2552. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में कोन्नी में एफ.एम. रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोन्नी में किस प्रकार का एफ.एम. स्टेशन खुलेगा;

(ग) इसमें क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि अनुमानित है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र उत्पादन सुविधा और स्टाफ क्वार्टरों सहित कोन्नी में एक 5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर लगभग 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित किया गया है।

दिल्ली में आईओसीएल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2553. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली राज्य कार्यालय द्वारा दिल्ली में आईओसीएल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में विभिन्न आईओसीएल निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में किसी अनियमितता/विरोधाभासों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको अंतिम रूप देते समय इसकी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के दिल्ली राज्य कार्यालय द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) पर विशेष कार्य करने हेतु दर संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आमंत्रित की गई सार्वजनिक निविदा में कुछ अनियमितताओं/कमियों का मुद्दा प्रकट करने वाले संदर्भ प्राप्त हुए थे। इस मामले की आईओसी द्वारा जांच की गई और यह पाया गया था कि विनिर्देशनों में स्पष्टता संबंधी उठाए गए मुद्दे गौण प्रकृति के थे और ये सामान्यतया बोली देने वालों को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन के दौरान स्पष्ट किये जा सकते थे। यह भी देखा गया था कि उक्त निविदा की दर सूची में कोई कमी नहीं थी। उक्त निविदाओं को अंतिम रूप देते समय भी कंपनी के दिल्ली राज्य कार्यालय द्वारा जारी की गई इन निविदाओं की शर्तों और निबंधनों का कोई अतिक्रमण नहीं देखा गया है।

नि:शक्तता क्षेत्र में पंजीकरण का नवीकरण

2554. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निशक्तता क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए, भारतीय पुनर्वास परिषद ने घोषणा की है कि उसने निशक्तता क्षेत्र में कार्यरत सभी पंजीकृत व्यावसायिक विदों/कार्मिकों के लिए अपने पंजीकरण का नवीकरण करना और प्रत्येक सात वर्ष पश्चात पुनर्प्रमाणन हेतु आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) निशक्तता क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के संबंध में इससे कहां तक सहायता मिलेगी; और

(घ) परिषद में कितने विशेष शिक्षा अध्यापक और अन्य प्रशिक्षित और पंजीकृत व्यावसायिकविद हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) और (ख) जी, हां। पंजीकरण के पुनर्मूल्यांकन के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें ब्रिज पाठ्यक्रम तथा डीपीईपी फाउंडेशन पाठ्यक्रम के आधार पर पंजीकृत किया गया है, सभी पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों के पंजीकरण के पुनर्मूल्यांकन के लिए सात वर्षों के बाद विचार किया जाएगा; तथा

(2) केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति से पंजीकरण के पुनर्मूल्यांकन के लिए योग्य होने के लिए, पुनर्वास के क्षेत्र में सतत् पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम/रिफ्रेशर कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित कम से कम दो कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) ऐसी उम्मीद है कि सतत पुनर्वास शिक्षा (सी आर ई) व्यवसायिकों/कार्मिकों को अपने ज्ञान में वृद्धि करने तथा विकलांगता के क्षेत्र में हो रहे नए विकासों, नूतन परिवर्तनों और आविष्कारों के बारे में जानकारी रखने में मदद करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उच्च डिग्री की व्यावसायिकता बनाई रखी जाएगी।

(घ) 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत विशेष शिक्षा के शिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों/कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित हैं:

विशेष शिक्षक	–	10,062
अन्य	–	13,632

खान-पान हेतु ठेके

2555. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोईयान सुविधा वाली रेलगाड़ियों की सूची क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से आने और जाने वाली रेलगाड़ियों सहित लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में भोजन की आपूर्ति हेतु खानपान संबंधी जिन्हें ठेके दिए गए हैं, उन ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विभिन्न ठेकेदारों को खान-पान संबंधी ठेके कितनी अवधि और धनराशि के बदले दिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) अखिल भारतीय रेलों की र सोईयान सुविधाओं वाली गाड़ियों की सूची, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, संलग्न विवरण में दी गई है। प्रत्येक ठेके तथा ठेकेदारों का ब्यौरा काफी मात्रा में होती है जिन्हें मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

विवरण

रसोईयान के साथ चल रही राजधानी गाड़ियां

क्र.सं.	प्रारंभिक अनुरक्षण	गाड़ी संख्या	गाड़ी का नाम
1	2	3	4
1.	पूर्व रेलवे	2305/2306	नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस बरास्ता पटना
2.	पूर्व रेलवे	2309/2310	नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस
3.	पूर्व रेलवे	2313/2314	नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
4.	पूर्व रेलवे	2301/2302	नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस बरास्ता गया
5.	उत्तर रेलवे	2421/2422	नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
6.	उत्तर रेलवे	2429/2430	नई दिल्ली-बंगलोर राजधानी (दो रेक दक्षिण रेल द्वारा तथा दो उत्तर रेल द्वारा)
7.	उत्तर रेलवे	2423/2424	डिब्रूगढ़ टाउन/गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्स.
8.	उत्तर रेलवे	2435/2436	डिब्रूगढ़ टाउन/गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्स.
9.	उत्तर रेलवे	2437/2438	सिकन्दराबाद-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
10.	उत्तर रेलवे	2439/2440	नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस
11.	उत्तर रेलवे	2441/2442	बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
12.	उत्तररेलवे	2443/2444	भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
13.	दक्षिण रेलवे	2425/2426	नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्स. (साप्ताहिक)
14.	दक्षिण रेलवे	2431/2432	निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस
15.	दक्षिण रेलवे	2433/2434	निजामुद्दीन-चेन्नै राजधानी एक्सप्रेस
16.	पश्चिम रेलवे	2957/2958	अहमदाबाद-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
17.	पश्चिम रेलवे	2951/2952	नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस
18.	पश्चिम रेलवे	2953/2954	नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल ए.के. राजधानी एक्सप्रेस

1	2	3	4
			रसोईयान के साथ चल रही मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां
1.	कोंकण रेल निगम	0103/0104	मुंबई-मडगांव मांडवी एक्सप्रेस
2.	कोंकण रेल निगम	0111/0112	मुंबई-मडगांव कोंकण कन्या एक्सप्रेस
3.	मध्य रेलवे	1007/1008	मुंबई-पुणे दक्कन एक्सप्रेस
4.	मध्य रेलवे	1009/1010	मुंबई-पुणे सिंहागद एक्सप्रेस
5.	मध्य रेलवे	1015/1016	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस
6.	मध्य रेलवे	1019/1020	मुंबई-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस
7.	मध्य रेलवे	1021/1022	मुंबई-पुणे इंद्रायनी एक्सप्रेस
8.	मध्य रेलवे	1025/1026	मुंबई-पुणे प्रगति एक्सप्रेस
9.	मध्य रेलवे	1031/1032	पुणे-वाराणसी एक्सप्रेस
10.	मध्य रेलवे	1033/1034	पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस
11.	मध्य रेलवे	1063/1064	दादर-चेन्नै एक्सप्रेस
12.	मध्य रेलवे	1077/1078	पुणे-जम्मूतवी झेलम एक्सप्रेस
13.	मध्य रेलवे	1081/1082	मुंबई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
14.	मध्य रेलवे	1401/1402	मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस
15.	पूर्व रेलवे	3005/3006	हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस
16.	पूर्व रेलवे	3029/3030	हावड़ा-धनबाद कोलफील्ड एक्सप्रेस
17.	पूर्व रेलवे	3073/3074	हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरी एक्सप्रेस
18.	पूर्व रेलवे	3151/3152	सियालदह-जम्मूतवी एक्सप्रेस
19.	पूर्व रेलवे	3201/3202	राजेन्द्र नगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
20.	पूर्व रेलवे	3317/3318	हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस
21.	पूर्व रेलवे	3351/3352	धनबाद/टाटा नगर-एल्लेप्पी एक्सप्रेस
22.	उत्तर रेलवे	4055/4056	दिल्ली-डिब्रूगढ़ टाउन ब्रह्मपुत्रा मेला
23.	उत्तर रेलवे	4083/4084	दिल्ली-न्यूजलपाईगुड़ी/कटिहार महानंदा एक्सप्रेस
24.	उत्तर रेलवे	4257/4258	नई दिल्ली-वाराणसी-काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
25.	उत्तर रेलवे	4659/4660	नई दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस
26.	उत्तर रेलवे	4681/4682	नई दिल्ली-जालंधर एक्सप्रेस

1	2	3	4
27.	पूर्वोत्तर रेलवे	5011/5012	गोरखपुर-त्रिवेन्द्रम राप्तीसागर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
28.	पूर्वोत्तर रेलवे	5045/5046	गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
29.	पूर्वोत्तर रेलवे	5063/5064	गोरखपुर-बान्द्रा-अवध एक्सप्रैस (4 दिन)
30.	पूर्वोत्तर रेलवे	5087/5088	गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
31.	पूर्वोत्तर रेलवे	5089/5090	सिकन्दराबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
32.	पूर्वोत्तर रेलवे	5091/5092	बंगलोर-गोरखपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
33.	पूर्वोत्तर रेलवे	5097/5098	बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
34.	पूर्वोत्तर रेलवे	5205/5206	मुजफ्फरपुर-नई दिल्ली लिच्छवी एक्सप्रेस
35.	पूर्वोत्तर रेलवे	5217/5218	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (4 दिन)
36.	पूर्वोत्तर रेलवे	5219/4220	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दरभंगा एक्सप्रेस (3 दिन)
37.	पूर्वोत्तर रेलवे	5221/5222	एर्णाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस
38.	पूर्वोत्तर रेलवे	5263/5264	मुजफ्फरपुर-बांद्रा अवध एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
39.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5604/5603	गुवाहाटी-तिनसुकिया लिडो इंटरसिटी एक्सप्रेस
40.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5609/5610	गुवाहाटी-दिल्ली सराय रोहिल्ला अवध असम एक्सप्रेस
41.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5621/5622	गुवाहाटी-नई दिल्ली नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
42.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5623/5624	एर्णाकुलम-गुवाहाटी एक्सप्रेस
43.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5625/5626	बंगलोर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
44.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5627/5628	त्रिवेन्द्रम-गुवाहाटी एक्सप्रेस
45.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5629/5630	गुवाहाटी-चेन्नै एक्सप्रेस
46.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5631/5632	गुवाहाटी-जोधपुर/बीकानेर एक्सप्रेस
47.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5645/5646	गुवाहाटी-दादर एक्सप्रेस
48.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5647/5648	गुवाहाटी-दादर एक्सप्रेस (बरास्ता मालदा टाउन)
49.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5651/5652	गुवाहाटी-जम्मूतवी लोहित एक्सप्रेस
50.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5653/5654	गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
51.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5657/5658	सियालदह-गुवाहाटी कंचनजंगा एक्सप्रेस
52.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5959/5960	हावड़ाडिब्रूगढ़ टाउन कामरूप एक्सप्रेस
53.	दक्षिण रेलवे	6009/6010	चेन्नै-मुंबई मेल

1	2	3	4
54.	दक्षिण रेलवे	6011/6012	चेन्नै-मुंबई एक्सप्रेस
55.	दक्षिण रेलवे	6023/6024	चेन्नै-बंगलोर एक्सप्रेस
56.	दक्षिण रेलवे	6039/6040	चेन्नै-वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रेस
57.	दक्षिण रेलवे	6045/6046	अहमदाबाद-चेन्नै नवजीवन एक्सप्रेस
58.	दक्षिण रेलवे	6127/6128	चेन्नै एग्मोर-गुरुवायूर एक्सप्रेस
59.	दक्षिण रेलवे	6217/6118	मैसूर-निजामुद्दीन स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस
60.	दक्षिण रेलवे	6301/6302	शोरानूर-त्रिवेन्द्रम वेनाद एक्सप्रेस
61.	दक्षिण रेलवे	6303/6304	एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम वंचिनाद एक्सप्रेस
62.	दक्षिण रेलवे	6309/6310	एर्णाकुलम0पटना/राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
63.	दक्षिण रेलवे	6317/6318	कन्याकुमारी-जम्मूतवी हिमसागर एक्सप्रेस
64.	दक्षिण रेलवे	6323/6324	त्रिवेनद्रम-हावड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
65.	दक्षिण रेलवे	6325/6326	इंदोर-त्रिवेन्द्रम अहिल्या नगरी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
66.	दक्षिण रेलवे	6327/6328	त्रिवेन्द्रम-बिलासपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
67.	दक्षिण रेलवे	6331/6332	त्रिवेन्द्रम-मुंबई एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
68.	दक्षिण रेलवे	6333/6334	त्रिवेनद्रम-हापा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
69.	दक्षिण रेलवे	6335/6336	गांधीधाम-नागरकोईल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
70.	दक्षिण रेलवे	6337/6338	एर्णाकुलम-ओखा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
71.	दक्षिण रेलवे	6339/6340	नागरकोईल-मुंबई एक्सप्रेस
72.	दक्षिण रेलवे	6341/6342	त्रिवेनद्रम-एर्णाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस
73.	दक्षिण रेलवे	6345/6346	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-त्रिवेन्द्रम नेत्रवती एक्सप्रेस
74.	दक्षिण रेलवे	6349/6350	त्रिवेन्द्रम-मंगलोर परशुराम एक्सप्रेस
75.	दक्षिण रेलवे	6351/6352	तिरुपति-नागरकोईल एक्सप्रेस
76.	दक्षिण रेलवे	6353/6354	मुंबई-तिरुपति एक्सप्रेस
77.	दक्षिण रेलवे	6355/6356	कन्याकुमारी-हावड़ा एक्सप्रेस
78.	दक्षिण रेलवे	6501/6502	अहमदाबाद-बंगलोर एक्सप्रेस
79.	दक्षिण रेलवे	6505/6506	बंगलोर-गांधीधाम एक्सप्रेस
80.	दक्षिण रेलवे	6507/6508	बंगलोर-जोधपुर एक्सप्रेस

1	2	3	4
81.	दक्षिण रेलवे	6509/6510	अजमेर-बंगलोर एक्सप्रेस
82.	दक्षिण रेलवे	6595/6596	यशवंतपुर-राजेन्द्रनगर संगमित्रा एक्सप्रेस
83.	दक्षिण रेलवे	6687/6688	मंगलोर-जम्मूतवी नवयुग एक्सप्रेस
84.	दक्षिण रेलवे	6803/6804	हावड़ा-तिरुच्ची एक्सप्रेस
85.	दक्षिण मध्य रेलवे	7017/7018	सिकन्दराबाद-राजकोट एक्सप्रेस
86.	दक्षिण मध्य रेलवे	7021/7022	निजामुद्दीन-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस
87.	दक्षिण मध्य रेलवे	7029/7030	एर्णाकुलम-हैदराबाद साबरी एक्सप्रेस
88.	दक्षिण मध्य रेलवे	7685/7686	काचेगुडा-बंगलोर एक्सप्रेस
89.	दक्षिण-मध्य	7617/7618	मुंबई-नांदेड़ तपोवन एक्सप्रेस
90.	दक्षिण-पूर्व	8003/8004	हावड़ा-यसवनपुर एक्सप्रेस
91.	दक्षिण-पूर्व	8033/8034	अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस
92.	दक्षिण-पूर्व	8101/8102	टाटा/हटिया-जम्मू तवी मुरी एक्सप्रेस
93.	दक्षिण-पूर्व	8113/8114	हावड़ा-टाटानगर स्टील एक्सप्रेस
94.	दक्षिण-पूर्व	8237/8238	बिलासपुर-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
95.	दक्षिण-पूर्व	8111/8112	हावड़ा-सम्बलपुर इस्पात एक्सप्रेस
96.	दक्षिण-पूर्व	8401/8402	पुरी-ओखा एक्सप्रेस
97.	दक्षिण-पूर्व	8403/8404	पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस
98.	दक्षिण-पूर्व	8405/8406	पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस
99.	दक्षिण-पूर्व	8407/8408	भुवनेश्वर-निजामुद्दीन हीराकुड एक्सप्रेस
100.	दक्षिण-पूर्व	8475/8476	पुरी-नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस
101.	दक्षिण-पूर्व	8477/8478	निजामुद्दीन-पुरी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस
102.	दक्षिण-पूर्व	8603/8604	हटिया-दिल्ली स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस
103.	दक्षिण-पूर्व	8605/8606	हटिया-दिल्ली झारखण्ड स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस
104.	पश्चिम रेलवे	9007/9008	बांद्रा टर्मिनस-जयपुर अरावली एक्सप्रेस
105.	पश्चिम रेलवे	9011/9012	मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस
106.	पश्चिम रेलवे	9021/9022	मुंबई सेंट्रल-सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस
107.	पश्चिम रेलवे	9045/9046	सुरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस

1	2	3	4
108.	पश्चिम रेलवे	9047/9048	सुरत-भागलपुर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
109.	पश्चिम रेलवे	9367/9368	इंदौर-जम्मूतवी मालवा एक्सप्रेस
110.	पश्चिम रेलवे	9769/9770	जयपुर-पूर्णा एक्सप्रेस
111.	पश्चिम रेलवे	9775/9776	जयपुर-बंगलोर एक्सप्रेस
		पेट्रो कारों वाली सुपर फास्ट गाड़ियों की सूची	
1.	मध्य रेलवे	2101/2102	लोकमान्य तिलक (टी)-हावड़ा जनेश्वरी एक्सप्रेस
2.	मध्य रेलवे	2103/2104	लोकमान्य तिलक (टी)-नागपुर समरसता एक्सप्रेस
3.	मध्य रेलवे	2123/2124	मुंबई-पुणे दक्कन क्वीन एक्सप्रेस
4.	मध्य रेलवे	2129/2130	पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस
5.	मध्य रेलवे	2131/2132	पुणे-नागपुर एक्सप्रेस
6.	मध्य रेलवे	2133/2134	मुंबई-लखनऊ एक्सप्रेस
7.	मध्य रेलवे	2137/2138	मुंबई-फिरोजपुर पंजाब मेल
8.	मध्य रेलवे	2141/2142	लोकमान्य तिलक (टी)-राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस
9.	मध्य रेलवे	2165/2166	लोकमान्य तिलक (टी)-वाराणसी एक्सप्रेस
10.	पूर्व रेलवे	2303/2304	नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा बरास्ता पटना एक्सप्रेस
11.	पूर्व रेलवे	2307/2308	हावड़ा-जोधपुर/बीकानेर एक्सप्रेस
12.	पूर्व रेलवे	2311/2312	हावड़ा-कालका मेल
13.	पूर्व रेलवे	2321/2322	हावड़ा-मुंबई मेल
14.	पूर्व रेलवे	2381/2382	हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस बारास्ता गया
15.	पूर्व रेलवे	2391/2392	नई दिल्ली-पटना मगध एक्सप्रेस
16.	पूर्व रेलवे	2393/2394	पटना-नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
17.	पूर्व रेलवे	2401/2402	नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस
18.	उत्तर रेलवे	2419/2420	नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस
19.	उत्तर रेलवे	2471/2472	मुंबई सेंट्रल-जम्मूतवी स्वराज एक्सप्रेस
20.	उत्तर रेलवे	2473/2474	अहमदाबाद-जम्मूतवी सर्वोदय एक्सप्रेस
21.	उत्तर रेलवे	2475/2476	हापा-जम्मूतवी एक्सप्रेस
22.	उत्तर रेलवे	2477/2478	जामनगर-जम्मूतवी एक्सप्रेस

1	2	3	4
23.	पूर्वोत्तर	2553/2554	बरौनी-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस
24.	पूर्वोत्तर	2557/2558	दिल्ली-मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस
25.	पूर्वोत्तर	2559/2560	नई दिल्ली-वाराणसी शिवगंगा एक्सप्रेस
26.	दक्षिण रेलवे	2605/2606	चेन्नै एग्मोर-तिरूच्ची पालावन एक्सप्रेस
27.	दक्षिण रेलवे	2607/2608	चेन्नै-बंगलोर लालबाग एक्सप्रेस
28.	दक्षिण रेलवे	2615/2616	चेन्नै-नई दिल्ली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस
29.	दक्षिण रेलवे	2617/2618	एर्नाकुलम-निजामुद्दीन मंगला लक्षदीप एक्सप्रेस
30.	दक्षिण रेलवे	2621/2622	चेन्नै-नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस
31.	दक्षिण रेलवे	2625/2626	त्रिवेन्द्रम-नई दिल्ली केरला एक्सप्रेस
32.	दक्षिण रेलवे	2627/2628	बंगलोर-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस
33.	दक्षिण रेलवे	2635/2636	चेन्नै-मदुरै वैगाई एक्सप्रेस
34.	दक्षिण रेलवे	2639/2640	चेन्नै-बंगलौर वृंदावन एक्सप्रेस
35.	दक्षिण रेलवे	2641/2642	निजामुद्दीन-कन्याकुमारी तिरूक्कुरल एक्सप्रेस
36.	दक्षिण रेलवे	2643/2644	त्रिवेन्द्रम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
37.	दक्षिण रेलवे	2675/2676	कोयंबटूर-चेन्नै कोवई एक्सप्रेस
38.	दक्षिण रेलवे	2677/2678	बंगलोर-कोयंबटूर इन्टरसिटी एक्सप्रेस
39.	दक्षिण रेलवे	2679/2680	चेन्नै-कोयम्बटूर इन्टरसिटी एक्सप्रेस
40.	दक्षिण मध्य	2703/2704	सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस
41.	दक्षिण मध्य	2711/2712	विजयवाड़ा-चेन्नै पिनाकीनी एक्सप्रेस
42.	दक्षिण मध्य	2713/2714	सिकंदराबाद-विजयवाड़ा सतवाहन एक्सप्रेस
43.	दक्षिण मध्य	2715/2716	नार्देड-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस
44.	दक्षिण मध्य	2717/2718	विशाखापटनम-विजयवाड़ा रतनाचल एक्सप्रेस
45.	दक्षिण मध्य	2723/2724	हैदराबाद-नई दिल्ली, ए.पी. एक्सप्रेस
46.	दक्षिण मध्य	2779/2780	निजामुद्दीन-वास्कोडिगामा गोवा एक्सप्रेस
47.	दक्षिण-पूर्व	2801/2802	निजामुद्दीन-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
48.	दक्षिण-पूर्व	2803/2804	विशाखापटनम-निजामुद्दीन स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस
49.	दक्षिण-पूर्व	2807/2808	विशाखापटनम-निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस

1	2	3	4
50.	दक्षिण-पूर्व	2809/2810	मुंबई-हावड़ा मेल
51.	दक्षिण-पूर्व	2815/2816	पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस
52.	दक्षिण-पूर्व	2821/2822	भुवनेश्वर-हावड़ा धौली एक्सप्रेस
53.	दक्षिण-पूर्व	2841/2842	हावड़ा-चेन्नै कोरोमंडल एक्सप्रेस
54.	दक्षिण-पूर्व	2859/2860	मुंबई-हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस
55.	पश्चिम रेलवे	2903/2904	मुंबई सेंट्रल-अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल
56.	पश्चिम रेलवे	2925/2926	बांद्रा-अमृतसर/कालका पश्चिम एक्सप्रेस
57.	पश्चिम रेलवे	2933/2934	मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद करनावती एक्सप्रेस
58.	पश्चिम रेलवे	2955/2956	मुंबई सेंट्रल-जयपुर एक्सप्रेस
59.	पश्चिम रेलवे	2967/2968	जयपुर-चेन्नै एक्सप्रेस
60.	पश्चिम रेलवे	2979/2980	बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस
			मिनी पेंट्री वाली शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियां
1.	मध्य रेलवे	2001/2002	नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
2.	मध्य रेलवे	2027/2028	मुंबई-पुणे शताब्दी एक्सप्रेस
3.	पूर्व रेलवे	2019/2020	हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रेस
4.	पूर्व रेलवे	2023/2024	पटना-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस
5.	उत्तर रेलवे	241/242	कालका-शिमला शिवालिक एक्सप्रेस
6.	उत्तर रेलवे	2003/2004	लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (6 दिन)
7.	उत्तर रेलवे	2005/2006	नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस (6 दिन)
8.	उत्तर रेलवे	2011/2012	नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस
9.	उत्तर रेलवे	2013/2014	नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
10.	उत्तर रेलवे	2015/2016	नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस
11.	उत्तर रेलवे	2017/2018	नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस
12.	उत्तर रेलवे	2029/2030	अमृतसर-नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस
13.	उत्तर रेलवे	2031/2032	अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (वापसी)
14.	उत्तर रेलवे	2035/2036	लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
15.	उत्तर रेलवे	2037/2038	नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

1	2	3	4
16.	दक्षिण रेलवे	2007/2008	चेन्नै-मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस
17.	पश्चिम रेलवे	2009/2010	मुंबई सेंट्रल-अदमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस
18.	मध्य रेलवे	2051/2052	मडगांव-लोकमान्य तिलक (टी) जन शताब्दी
19.	मध्य रेलवे	2061/2062	हबीबगंज-जबलपुर जन शताब्दी
20.	पूर्व रेलवे	2065/2066	हावड़ा-मालदा टाऊन जन शताब्दी
21.	उत्तर रेलवे	2053/2054	वाराणसी-लखनऊ जन शताब्दी
22.	उत्तर रेलवे	2055/2056	नई दिल्ली-देहरादून जन शताब्दी
23.	उत्तर रेलवे	2057/2058	नई दिल्ली-चंडीगढ़ जन शताब्दी
24.	पूर्वोत्तर सीमा	2063/2064	पटना-कटिहार जन शताब्दी
25.	पूर्वोत्तर सीमा	2067/2068	गुवाहाटी-दीमापुर जन शताब्दी
26.	दक्षिण रेलवे	2075/2076	एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम जन शताब्दी
27.	दक्षिण रेलवे	2077/2078	चेन्नै-विजयवाड़ा जन शताब्दी
28.	दक्षिण रेलवे	2079/2080	बंगलोर-हुबली जन शताब्दी
29.	दक्षिण रेलवे	2083/2084	तंजावूर-कोयंबटूर जन शताब्दी
30.	दक्षिण-पूर्व	2021/2022	टाटा नगर-हावड़ा जन शताब्दी
31.	दक्षिण-पूर्व	2069/2070	टाटानगर-रांची जन शताब्दी
32.	दक्षिण-पूर्व	2073/2074	हावड़ा-भुवनेश्वर जन शताब्दी
33.	पश्चिम रेलवे	2059/2060	कोटा-निजामुद्दीन जन शातब्दी
34.	पश्चिम रेलवे	2081/2082	अहमदाबाद-न्यू भुज जन शताब्दी

भारतीय फिल्मों की डबिंग

2556. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का विचार कतिपय अच्छी भारतीय फिल्मों को विदेशी भाषाओं में डबिंग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्वभर में भारतीय फिल्मों हेतु उच्च सम्भावनाओं का पता न लगाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विदेशी बाजारों के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं में भारतीय फिल्मों को उपशीर्षकों के साथ प्रदर्शित करता रहा है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा परिकल्पित अगला कदम विशेषकर उन देशों में, जहां पर भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में है, भारतीय फिल्मों के डब किए गए संस्करण को रिलीज करने पर विचार करना होगा। इस समय, डबिंग आमतौर पर फिल्म सॉफ्टवेयर के मालिकों द्वारा निजी स्टुडियों में की जाती है।

(ग) भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं:

* फिल्म उद्योग के लिए संस्थागत वित्त को अधिक मात्रा में सुलभ कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.10.2000 को एक अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के तहत ऋण प्रदान करने के लिए ''फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग'' को एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। फलस्वरूप, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अग्रिम फिल्म वित्त प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान की गयी है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने फिल्म निर्माण के लिए वित्त प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये हैं।

* वर्ष 2002 में फिल्म क्षेत्र में सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया गया जिसके कारण अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बिना किन्हीं अन्य शर्तों के 100 प्रतिशत तक स्वचालित अनुमोदन माध्यम पर अनुमेय है। यह फिल्म उद्योग के निर्माण, वितरण, प्रदर्शन क्षेत्र में विदेशी फिल्मों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

* वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान समान क्षेत्र में पैवेलियन/स्टॉलों की स्थापना करके केन्स फिल्म बाजार में भारतीय उद्योग की सहभागिता को सुकर बनाया गया था।

* जून, 2001 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री ने भारतीय मनोरंजन उद्योग की उपलब्धियों एवं क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने और व्यावसायिक विकास हेतु नए अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से, अमरीका और जापान के लिए भारतीय मनोरंजन उद्योग के 35 सदस्यीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया था।

* राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के नेतृत्व में भारतीय फिल्म निर्यातकों के एक बड़े शिष्टमंडल ने वर्ष 2002 और 2003 में हांगकांग में आयोजित फिल्म बाजार में भाग लिया।

* अगस्त, 2002 में स्विटजरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के एक भाग के रूप में ''इंडियन समर'' नामक 30 भारतीय फिल्मों के एक पैकेज का प्रदर्शन किया गया।

* गत दो वर्षों के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान भारतीय फिल्म उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा फिल्म बाजार लगाया गया था।

* 10वीं योजना में एक विशेष योजनागत स्कीम को शामिल किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में सहभागिता के लिए अलग से बजट रखा है।

* फिल्म समारोह निदेशालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और विभिन्न फिल्म समारोहों में सहभागिता के माध्यम से भारतीय फिल्मों को विदेशों में अधिकाधिक संख्या में प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारतीय फिल्मों को अधिक संख्या में देखने के फलस्वरूप इनकी अधिक मांग की जाती है और इसके फलस्वरूप निर्यात अर्जन को बढ़ावा मिलता है।

* भारत में मनोरंजन क्षेत्र में ग्रहणशील निवेश पद्धति लाने के उद्देश्य से, जिसके कारण इस क्षेत्र में बेहतर निगमित पद्धतियों की अनुमत मिल सकेगी, इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी के प्रवाह को सुकर बनाने हेतु एक कार्यनीति के बारे में सुझाव देने की बाबत हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है।

एन.टी.पी.सी. को अनुमोदन

2557. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशी बाजार में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को अनुमोदन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने और औपचारिक स्वीकृति का इंतजार न करने के लिए लिखित रूप से कहा है;

(ग) क्या इस संवाद के बाद, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह लाभप्रद होगा; और

(ङ) यदि हां, तो कितना?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) अपने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए निधि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के जरिए

अपने शेयर पूंजी आधार को बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस संबंध में अगली कार्रवाई/निर्णय सभी संबंधित डिविजनों/विभागों से विचारों/टिप्पणियों के प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

विद्युत संयंत्रों को बंद करना

2558. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दामोदर घाटी निगम में बंद किए गए विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) रोजगार सृजन और बंद किए गए विद्युत संयंत्रों और उनकी इकाईयों को पुन: चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) प्रथमत:, प्रदूषण मानदंडों की पूर्ति न होने के कारण।

(ख) बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'क' की यूनिट 1, 2 तथा 3 को पुन: चालू करने के लिए डीवीसी द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

(1) लब्धप्रतिष्ठ एजेंसियों के माध्यम से अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(2) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर एनटीपीसी के आर एंड एम के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(3) डीवीसी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी)/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से यूनिटों के प्रचालन हेतु सहमति के बारे में संपर्क किया है। अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(4) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर डीवीसी का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसी पिटेटर्स (ईएसपी) तथा इसकी सहबद्ध प्रणाली, जो तकनीकी विशष्टताओं/एनटीपीसी के बोली दस्तावेज पर आधारित है, के लिए आर्डर देने का इरादा है।

(5) संयंत्र के प्रचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध है।

पदोन्नति संबंधी नीति

2559. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को अनुच्छेद 16(4क) में हुए संविधान संशोधन और तत्पश्चात् दिनांक 21 जनवरी, 2002 के कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2001-स्थापना (डी) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त परिपत्र को 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) और (ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.1.2002 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों को रेल मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 8.3.2002 के पत्र संख्या ई(एनजी)/1/97/एसआर6/3 (वॉल्यूम III) के अनुसार रेलवे कर्मचारियों पर लागू करने हेतु अपना लिया गया था। इन अनुदेशों को 17.6.1995 अर्थात् जिस तारीख से अनुच्छेद 16(4ए) को संविधान में शामिल किया गया था, से प्रभावित किया गया है। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण नियम के कारण पदोन्नत होने पर परिणामी वरीयता भी दी जाएगी। ये अनुदेश रेल मंत्रालय के दिनांक 28.2.97 और 15.5.98 के पत्र में अपनाए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.1.1997 के कार्यालय ज्ञापन के प्रभाव को नकारते हैं। इन पूर्ववर्ती अनुदेशों में उल्लेख था कि यदि कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारी किसी आरक्षित रिक्ति पर अपने से वरिष्ठ सामान्य/अ.पि.व. के कर्मचारी से पहले उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नत होता है, तो सामान्य/अ.पि.व. कर्मचारी पदोन्नत होने पर ऐसे पहले से पदोन्नत अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी से अगले उच्च पद/ग्रेड में पुन: वरीयता प्राप्त कर लेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल में एथानॉल का सम्मिश्रण

2560. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका और ब्राजील में सम्मिश्रित पेट्रोल में एथानॉल की मात्रा के 20 प्रतिशत की

विद्यमान सीमा की तुलना में भारत में 5 प्रतिशत की सीमा रखी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दक्षिण राज्यों में स्थित चीनी मिलों ने चीनी मिल उद्योग में अधिक उत्पादन के संकट से उबरने के लिए एथानॉल के पेट्रोल में सम्मिश्रण के प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारत सरकार ने 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के पहले चरण में 9 गन्ना उत्पादक राज्यों और 4 संसक्त संघ राज्य क्षेत्रों में 5 प्रतिशत एथेनोल के मिश्रण का आदेश दिया। कार्यान्वयन के दूसरे चरण में सरकार की शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करने की इच्छा है। कार्यान्वयन के तीसरे चरण में तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन एथेनोल मिश्रण की प्रतिशत 10 प्रतिशत रहेगा।

(ग) पेट्रोल में मिश्रित एथेनोल के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए चीनी उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) ऊपर (क) और (ख) की भांति।

एन.टी.पी.सी. का विदेशी परियोजनाओं में निवेश

2561. श्री वाई.वी. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन श्रीलंका में 300 मेगावाट क्षमता वाली कोयला आधारित परियोजना लगाने हेतु चर्चा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो उन विदेशी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की हिस्सेदारी है; और

(घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा विदेशी परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने श्रीलंका में एक 300 मे.वा. क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना में सहायता हेतु श्रीलंका सरकार से एक अनुरोध प्राप्त किया है। उन्होंने विचार-विमर्श हेतु श्रीलंका एक टीम भेजने के लिए एनटीपीसी से अनुरोध किया है। एमओपी (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) ने टीम भेजने के लिए एमईए (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार) की स्वीकृति का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में एनटीपीसी की किसी विदेशी विद्युत परियोजना में हिस्सेदारी नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

नि:शक्तों को रेल भाड़े में रियायत

2562. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलगाड़ियों में नि:शक्तों को भाड़े में रियायत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा को जनशताब्दी में यात्रा करने हेतु प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) रेलवे विकलांग व्यक्तियों की निम्नलिखित चार कोटियों को रियायत प्रदान करती है: (1) अस्थि विकलांग/अधरांगघात व्यक्तियों को, जो मार्गरक्षी के बिना यात्रा नहीं कर सकते, (2) पूर्णतया नेत्रहीन व्यक्ति जो अकेले अथवा मार्गरक्षी के साथ यात्रा कर रहे हैं, (3) मंदबुद्धि व्यक्ति, जो मार्गरक्षी के बिना यात्रा नहीं कर सकते, वे द्वितीय, स्लीपर, प्रथम, वाता. कुर्सीयान और वाता. 3 टीयर श्रेणी में 75% की तथा वाता. 2-टीयर और वाता. प्रथम श्रेणी में 50% की रियायत के पात्र हैं तथा उतनी ही रियायत के लिए उनका एक मार्गरक्षी भी पात्र है, (4) पूर्णतया बधिर और मूक व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में साथ-साथ दोनों रोग) द्वितीय, स्लीपर और प्रथम श्रेणी में 50% की रियायत के पात्र हैं। यह रियायत मेल/एक्सप्रेस के केवल मूल किरायों में अनुमेय है और इसे निर्धारित प्रोफार्मा में मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाता है।

(ग) जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां विशेष ग्रुप की गाड़ियां हैं।

कृषि और घरेलू क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु राजसहायता

2563. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि और घरेलू क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर दी जाने वाली राजसहायता को कम करने हेतु कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के द्वितीय चरण में एक हिस्से के रूप में राजसहायता में कमी करने और विद्युत प्रशुल्क में संशोधन करने हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 10 जून, 2003 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा किया जाता है और ऐसा करने में इन आयोगों को अधिनियम की धारा 61 में शामिल प्रावधानों का अनुपालन करना पड़ता है।

अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को धारा 62 के तहत् राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करना अपेक्षित समझती है तो राज्य सरकार राज्य आयोग द्वारा निर्देशित किये जाने वाले तरीके में प्रदान करने के लिए राशि का भुगतान अग्रिम में और उस तरीके से करेगी जैसा कि निर्धारित किया जाए।

जोनल सुरक्षा योजना

2564. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के जोनल प्रबंधकों से रेलवे कारपोरेट सेफ्टी प्लान के आधार पर प्रत्येक जोन हेतु सुरक्षा योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जोनल प्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो जोनल रेलवे के जारी किए गए ऐसे दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जोनल प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक जोन हेतु सुरक्षा योजनाओं को प्रस्तुत करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के संबंध में कितनी प्रगति की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) 2003-2013 की अवधि के लिए भारतीय रेल की "समवेत संरक्षा योजना" को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे 19 अगस्त, 2003 को सभा पटल पर रख दिया गया है। इस प्रलेख में उद्देश्य, कार्य नीतियां और लक्ष्य बताए गए हैं, जिनको आगामी दशक में भारतीय रेलों को पूरा करना होगा।

समवेत संरक्षा योजना में उल्लिखितानुसार, प्रत्येक जोन और मंडल को संरक्षा जोखिमों की पहचान करना अपेक्षित होता है और बेहतर संरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल के संरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप विस्तृत संरक्षा कार्य योजना तैयार करनी होती है। जोनल और मंडलीय संरक्षा कार्य योजनाएं बनाने के लिए प्रशासनिक अनुदेश भी जारी किये गये हैं। जोनों और मंडलों पर कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

रेलवे द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2565. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बिजली उत्पादन करने हेतु रेल बिजली कंपनी का गठन कर रहा है;

(ख) क्या रेलवे नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में ताप-विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर व्यय की जाने वाली अनुमानित धनराशि संयंत्रवार कितनी है; और

(ङ) इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एनटीपीसी) के साथ संयुक्त उद्यम में केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु परियोजना समिति का गठन किया है, जिसने 1000 एमडब्ल्यू (प्रत्येक 250 मेगावाट की 4 इकाइयां) के पावर प्लांट की स्थापना के लिए उपयुक्त के स्थल के रूप में नबीनगर (बिहार) की सिफारिश की है। इस उद्देश्य के लिए, एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम में 'भारतीय रेल बिजली कंपनी' स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) 4374 करोड़ रु. (अनुमानित)।

(ङ) इस संयंत्र को सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4-5 वर्षों में शुरू कर दिया जाएगा।

डिजिटल स्टोरेज सिस्टम का उपयोग

2566. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन डिजिटल स्टोरेज सिस्टम के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने में असफल रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली की खरीद पर 2.40 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान के अलावा 5.40 करोड़ रुपये का अपव्यय किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2003 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट संख्या 4 के पैराग्राफ 5.1 में डिजीटल स्टोरेज सिस्टम के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने में दूरदर्शन की विफलता को इंगित किया है जिसके फलस्वरूप 2.40 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान के अतिरिक्त इसकी खरीद पर 5.40 करोड़ रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ।

तमिलनाडु में रेल मार्गों को पुनः चालू करना

2567. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को तमिलनाडु में कुछ वर्ष पूर्व बंद किए गए कतिपय रेल मार्गों को पुनः चालू करने हेतु कई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अनुरोधों/अभ्यावेदनों पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) हाल ही में तमिलनाडु राज्य में कोई लाइन बंद नहीं की गई है और राज्य सरकार से पिछले तीन वर्षों में रेलवे लाइन को पुनः चालू करने का कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, कृष्णागिरी-तिरुपत्तूर और पाम्बन-धनुषकोडी लाइनों को पुनः चालू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बहुत पहले उखाड़ा गया था।

(ग) पाम्बन-धनुषकोडी लाइन को पुनः चालू करने की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और रेलवे द्वारा वहन की जा रही संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण दूसरी लाइन को चालू कर पाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रिफाइनरियों का विस्तार

2568. **श्री के.पी. सिंहदेव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कुछ तेल रिफाइनरियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक रिफाइनरी का विस्तार करने के कार्य के पूरा होने का निर्धारित समय क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में विभिन्न रिफाइनरियों की विस्तार योजनाओं का ब्यौरा

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) में आंकड़े

रिफाइनरी	विद्यमान क्षमता	विस्तार के पश्चात् क्षमता	पूरा होने पर प्रत्याशित समय
सीपीसीएल, चेन्नई	6.50	9.50	दिसम्बर, 2004
आईओसीएल, पानीपत	6.00	12.00	अप्रैल, 2005
बीपीसीएल, मुंबई	6.90	12.00	दिसम्बर, 2004
एचपीसीएल, मुंबई	5.50	7.90	सितंबर, 2005
एचपीसीएल, विजाग	7.50	8.3	दिसंबर, 2005

विद्युत उत्पादन की लागत

2569. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षक दर की तुलना में विद्युत उत्पादन की लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लागत नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता को महसूस किया है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कौन से उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) क्या विद्युत की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क है;

(ङ) यदि हां, तो (1) विद्युत उत्पादन और (2) विद्युत पारेषण में निर्धारित प्रभारों में करों एवं शुल्कों का प्रतिशत कितना है; और

(च) क्या सरकार द्वारा कर और शुल्क संरचना में कमी करने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विद्युत की लागत में कमी करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मेगा विद्युत नीति, जिसके अंतर्गत घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं को पूंजीगत उपस्करों पर सीमा-शुल्क की पूर्ण छूट तथा निर्यात लाभ प्राप्त होता है, को इस वर्ष उन सभी अंत:राज्यीय परियोजनाओं के लिए भी लागू किया गया है जो थर्मल परियोजना के मामले में 1000 मेगावाट तथा जल-विद्युत परियोजनाओं के मामले में 500 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता के मानदंड को पूरा करते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उदार संरचना उपलब्ध कराता है और विद्युत आपूर्ति उद्योग की विभिन्न शाखाओं में आरंभिक बाधाओं को कम करता है। इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा जिससे दक्षता में सुधार होगा और लागत में कमी आएगी तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विश्वसनीय रूप से विद्युत आपूर्ति हो सकेगी।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन एवं पारेषण के संबंध में वर्तमान सीमा-शुल्क एवं उत्पादन-कर संरचना के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) और (छ) सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में ''विद्युत क्षेत्र निवेश एवं सुधार'' पर एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। टास्क फोर्स हेतु विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में वर्तमान निवेश माहौल की समीक्षा कर विद्युत उद्योग की हर शाखा में घरेलू एवं विदेशी-दोनों प्रकार के निवेशों को प्रोत्साहित करने एवं सुगम बनाने हेतु उपाय सुझाना तथा इस प्रकार का निवेश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था सुझाने का काम शामिल है।

विवरण

सीमा शुल्क और उत्पादन कर संरचना

सीमा शुल्क	
(1) विद्युत उत्पादन	5% (आरंभिक शुल्क)+16% (केनवेट शुल्क)
(2) पारेषण	
(ए) उच्च वोल्टेज पारेषण	5% (आरंभिक शुल्क)+16% (केनवेट शुल्क)
(बी) अन्य पारेषण	25% (आरंभिक शुल्क)+16% (केनवेट शुल्क)
उत्पादन-शुल्क	
विद्युत उत्पादन और पारेषण पर उत्पादन-कर 16% है।	

वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याण

2570. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों के परिसंघ ने अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु हाल ही में सरकार को अभ्यावेदन दिया है?

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाईयों और सरकार से की गई मांगों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु उनकी मांगों/अनुरोधों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त कर रहा है जिनमें उनकी समस्याओं तथा मांगों का वर्णन होता है। प्राप्त अभ्यावेदनों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) इन अभ्यावेदनों में वर्णित मांगों/अनुरोधों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 75 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दी जाए।
2. वरिष्ठ नागरिकों की सहायतार्थ 10% वरिष्ठ नागरिक बॉण्ड आरंभ करना।
3. सरकार को 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक के रूप में घोषित करना चाहिए और सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उन्हें तदनुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सूचित करना चाहिए।
4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई चिकित्सा-दावा योजना शुरू करना ताकि उन्हें एक नाम मात्र प्रीमियम से जीवन काल के दौरान बीमारक्षण प्रदान किया जा सके।
5. वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।
6. अगले पांच वर्ष में वार्षिक बजट प्रावधान सहित राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का कार्यान्वयन।
7. वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वृद्धजन परिषद की स्थापना की जाए।
8. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य परिवहन बसों के किराए में 33.3% रियायत तथा बसों में 4 सीटें आरक्षित की जाएं।
9. 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क/मामूली शुल्कों पर पहचान पत्र दिए जाएं।
10. सरकारी तथा निजी अस्पतालों में जरा चिकित्सा मामलों तथा जरा चिकित्सा बहिरंग रोगी विभागों में बिस्तरों का आरक्षण।

(ग) सरकार वरिष्ठ नागरिकों को कतिपय रियायतें/सुविधाएं प्रदान करके उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उत्सुक है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जा ही ऐसी रियायतों/सुविधाओं की सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

परिसंघों की सूची

1. अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक संस्था, वसाई शाखा, महाराष्ट्र
2. वरिष्ठ नागरिक संस्था, उषानगर, भंडुप (पश्चिम), मुम्बई।
3. श्रीनगर नागरिक संस्था, ठाणे।
4. घडग जिला वरिष्ठ नागरिक संस्था।
5. बेस्ट नगर ज्येष्ठ नागरिक संघ, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई।
6. अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक संस्था, पुराना बाजार, लुधियाना।

विवरण II

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वृद्धजनों को दी गई रियायतों एवं सुविधाओं की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं/लाभ
1	2	3
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। इसने वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है जिसके तहत यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी चिन्ताएं राष्ट्रीय चिन्ताएं हैं और वे असंरक्षित, उपेक्षित तथा दरकिनार नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य समाज में उनके उचित स्थान को सुदृढ़ करना तथा वृद्धि व्यक्तियों को अपने जीवन का अंतिम चरण सोद्देश्य, सम्मानपूर्वक तथा शांतिपूर्वक बिताने में सहायता प्रदान करना है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण, आश्रय, शिक्षा पर बल, प्रशिक्षण और सूचना जरूरतों, उपयुक्त रियायतों, छूट, कटौतियों आदि का प्रावधान किया गया है तथा अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा जैसे उनके वैध अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के अंतर्गत उस व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक के रूप में माना गया है जिसने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। (2) मंत्रालय ने किसी व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्रदान करने और उन्हें सुविधाएं/रियायतें प्रदान करने के लिए (प्रति विवरण-I पर) 60 वर्ष की एक समान आयु अपनाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। (3) यह मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है: (क) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना। बहु सेवा केन्द्रों के लिए एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। (ख) वृद्ध जनों के लिए समेकित कार्यक्रम को ''वृद्धों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' संबंधी प्रारंभिक योजना को संशोधित करके नया रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना तथा रखरखाव करने तथा वृद्ध व्यक्तियों को गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

1	2	3
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को प्रतिमाह 75 रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2002-03 से राज्य योजना को हस्तांतरित कर दी गई है।
		(2) अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत 65 वर्ष तथा अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को जो अन्यथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं किंतु प्राप्त नहीं कर रहे हैं प्रतिमाह 10 किलोग्राम (गेहूं या चावल) नि:शुल्क खाद्यान्नत उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यह योजना वर्ष 2002-03 से राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी गई है।
3.	वित्त मंत्रालय	1. वित्त अधिनियम, 1992 की धारा 88 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है के लिए संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय 15,000 रुपए तक अथवा वास्तविक कर, जो भी कम हो, आयकर से छूट का प्रावधान है। इस वर्ष 2003-04 की बजट में इसे 20,000 रुपये तक संशोधित किया गया है। परिणामस्वरूप, अब उनकी 1.53 लाख रुपये तक की आय पर आयकर से पूरी तरह छूट होगी। अत: प्रभावी छूट की सीमा अब वास्तव में अधिक होगी और मानक कटौती के कारण 1.83 लाख रुपए होगी। उन्हें पुन: धारा 88 के अंतर्गत कर रियायत के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हुए राहत प्राप्त होगी।
		2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80 डी के अंतर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में 15,000 रुपए तक कटौती का प्रावधान है।
		3. भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष तथा अधिक आयु) के लिए बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दर की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, 15.5.2001 से बैंकों ने 60 से 65 वर्ष की आयु के बीचक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमाओं पर 0.5% अधिक ब्याज दर तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1% अधिक ब्याज दर की अनुमति प्रदान की है।
		4. भारतीय जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नामक एक विशेष पॉलिसी शुरू की है जिसके तहत 55 वर्ष तथा अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन योजना के रूप में 9% वार्षिक आय की गारंटी दी गई है।
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों की आगे की पंक्ति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो सीटों के आरक्षण के विषय में निर्णय लिया गया है।
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए पंजीकरण और क्लिनिकल जांच हेतु पृथक लाइन की व्यवस्था करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं।
6.	रेल मंत्रालय	भारतीय रेलवे 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी रेलों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 30% आरक्षण प्रदान करना है।

1	2	3
7.	नागर विमानन मंत्रालय	1. इंडियन एयरलाइन ऐसे भारतीय वरिष्ठ पुरुष व महिला नागरिकों, जिन्होंने क्रमशः 65 वर्ष एवं 63 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को कतपय शर्त पूरी करने पर सभी घरेलू उड़ानों के लिए सामान्य किफायती श्रेणी भाड़े में 50 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक छूट प्रदान कर रहा है। 2. जेट एयरवेज 65 वर्ष की आयु वाले (पुरुष व महिला) वरिष्ठ नागरिकों को किफायती श्रेणी में सभी घरेलू उड़ानों के लिए मूल भाड़े पर 50 प्रतिशत छूट दे रहा है। 3. सहारा इंडिया एयरलाइन 65 वर्ष की आयु वाले (पुरुष व महिला) वरिष्ठ नागरिकों को किफायती श्रेणी में सभी घरेलू उड़ानों के लिए मूल भाड़े पर 50 प्रतिशत छूट दे रहा है।
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	इसने अंत्योदय स्कीम, जिसके अंतर्गत निराश्रित वृद्ध को खाद्य की व्यवस्था की जाती है, के कवरेज का विस्तार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिससे कि 60 + आबादी सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जा सके।
9.	दिल्ली नगर निगम	दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ने सम्पत्ति कर के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक काउन्टर खोला है।
10.	प्रकीर्ण	1. संचार मंत्रालय 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता पर टेलीफोन कनेक्शन देता है। 2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि वे वृद्धजन से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दे तथा उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।

दिल्ली तथा तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच वैकल्पिक मार्ग

2571. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा तटीय आंध्र और तमिलनाडु के बीच एक वकल्पिक तीव्र एवं छोटे मार्ग को शुरू करने का है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली-रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग की क्षमता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुणे-नासिक रेल मार्ग का सर्वेक्षण

2572. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-2000 के दौरान पुणे-नासिक रेल मार्ग हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त परियोजना संबंधी कार्य आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नही, तो उक्त परियोजना संबंधी कार्य को आरंभ न करने के क्या कारण हैं; और

(च) पुणे-नासिक रेल मार्ग परियोजना के कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (च) पुणे-नासिक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण 2000-01 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, इस 266 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 1044 करोड़ रु. आंकी गई थी। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड को देखते हुए और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्तावित लाइन पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित करना

2573. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित करने हेतु अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने कुछ और जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया है;

(ग) यदि हां, तो उनके राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के कुछ और लोगों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों से अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल करने से संबंधित कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी जाति समुदाय को शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिसमें पिछड़ेपन का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं।

(ख) और (ग) अब तक समय-समय पर जारी की गई 9 गजट अधिसूचनाओं के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों को जोड़ा गया है। इन गजट अधिसूचनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कुरेश (मुस्लिम कसाई)।

(च) और (छ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों को शामिल करने के लिए अब तक जारी गजट अधिसूचनाएं

क्र.सं.	गजट अधिसूचनाएं	
	संख्या	दिनांक
1.	60	11.03.96
2.	210	11.12.1996
3.	239	17.12.1997
4.	241	27.10.1999
5.	270	06.12.1999
6.	71	04.04.2000
7.	210	21.09.2000
8.	246	06.09.2001
9.	151	20.06.2003

विवरण II

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु लम्बित आवेदनों/मामलों का ब्यौरा

क्र.सं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जाति/समुदाय
1	2	3
1.	बिहार	1. बाखो
		2. कुर्मी
		3. सोयर

1	2	3
2.	छत्तीसगढ़	पिंजारा (हिन्दू)/केसरिया/कोसरिया
3.	दिल्ली	जाट
4.	गोवा	भंडारी नाईक
5.	गुजरात	1. कंसारा
		2. चाकी
6.	महाराष्ट्र	1. कुर्मी
		2. येल्लम/येलम
7.	उड़ीसा	1. असिनी पटारा/अस्विनी एवं अश्विनी पटारा
		2. हांसी/तांती के पर्याय के रूप में रंगीनी हांसी
8.	पंजाब	यादव/अहिर
9.	राजस्थान	खाटी, तरखन के पर्याय के रूप में रामगढ़िया
10.	उत्तर प्रदेश	1. कुर्मी, सैन्थवार
		2. संवात
		3. कटुआ
		4. तमोली के पर्याय के रूप में बरई, चौरसिया

उपर्युक्त मामलों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जोड़े जाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रक्रियाबद्ध किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी के सिलीगुड़ी स्टेशन में चोरी

2574. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के सिलीगुड़ी केन्द्र से 80 लाख रु. मूल्य के संप्रेषण उपस्कर चोरी हो गए थे जिसके कारण नवम्बर, 2003 में कार्यक्रमों का प्रसारण रुक गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस मामले को अन्वेषण हेतु स्थानीय पुलिस स्टेशन, पुलिस अधीक्षक जलपाईगुड़ी और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल के तत्काल ध्यान में लाया गया था। दूरदर्शन के उपमहानिदेशक (सुरक्षा) ने भी सिलीगुड़ी का दौरा भी किया था और वरिष्ठ पुलिस प्राधिकारियों के साथ चर्चा की थी तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गयी थी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त पूर्वोपायों का सुझाव दिया गया है और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जलपाईगुड़ी ने प्रसार भारती को सूचित किया है कि चुराई गई सामग्री का 90 प्रतिशत भाग टुकड़ों के रूप में बरामद किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में आईओसीएल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2575. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईओसीएल के दिल्ली स्थित जिन खुदरा बिक्री केन्द्रों को एम.डी.जी.-2001 के लागू होने के पश्चात अप्रैल, 2001 से समाप्त कर दिया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों की एम.डी.जी.-2001 के संदर्भ में समाप्त करे से पहले, कम से कम एक बार अर्थदंड के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया;

(ग) यदि हां, तो अर्थदंड कब वसूल किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो आईओसीएल ने एम.डी.जी.-2001 के प्रावधानों का अनुसरण किए बिना किन कारणों से ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों को समाप्त कर दिया;

(ङ) क्या ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड

(आईओसीएल) ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देश 2001 के कार्यान्वयन के बाद से दिल्ली राज्य में निम्न खुदरा बिक्री केन्द्रों को समाप्त कर दिया है जो कदाचारों/अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए थे:

(1) मैसर्स शौनक, नंदनगरी

(2) मैसर्स लिबरा फिलिंग स्टेशन, आजादपुर

(3) मैसर्स भारत फिलिंग स्टेशन, पालम

(4) मैसर्स आटो सर्विसेज, पंजाबी बाग

(5) मैसर्स इंद्र सर्विस स्टेशन, आर.के. पुरम

(6) मैसर्स चमन लाल सी.पी. साहनी, कनाट प्लेस

(ख) से (च) सभी डीलरशिपें आईओसी और डीलर के बीच निष्पादित डीलरशिप करार द्वारा शासित होती है। जबकि डीलरशिप करार में डीलरशिप करार के किसी भी खंड के उल्लंघन, जिसमें कदाचार/अनियमितताएं सम्मिलित हैं, के मामले में डीलरशिप की समाप्ति की व्यवस्था है, वहीं विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में वचनबद्धित अनियमितता के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्रवाईयों की व्यवस्था है। विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में कदाचार की गंभीरता के आधार पर पहली या किसी अन्य घटना में डीलरशिप की समाप्ति की भी व्यवस्था है। इसलिए डीलरशिप करार या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों-दोनों के अंतर्गत किसी डीलरशिप को समाप्त किया जा सकता है।

सुरेन्द्रनगर में उपरगामी रेलवे सेतु का चौड़ीकरण

2576. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर शहर के नरेन्द्र नगर स्थित उपरगामी रेलवे सेतु को चौड़ा करने से संबंधित कई अभ्यावेदन रेलवे प्राधिकारियों को दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त उपरगामी रेलवे सेतु हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है, लेकिन रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अभी भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और इस उपरगामी रेलवे सेतु के चौड़ीकरण के लिए अपने हिस्से की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) वर्ष के दौरान, केवल दो अभ्यावेदन, एक माननीय संसद सदस्य श्री विलास मुत्तेमवार और दूसरा महाराष्ट्र के माननीय कपड़ा और श्रम मंत्री, श्री सतीश चतुर्वेदी से प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने पहले मई, 98 में सड़क उपरि पुल का प्रस्ताव प्रायोजित किया था और सड़क प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात प्रस्ताव को निक्षेप शर्तों के आधार पर व्यावहारिक पाया गया था, जिसके लिए सड़क प्राधिकारियों ने नक्शे और अनुमान प्रभारों के तहत 10,21,500 रु. में से 7 लाख रु. जमा भी करा दिए हैं। लेकिन मई, 1999 में, जब सामान्य आरेखण व्यवस्था को अंतिम रूप भी दिया गया था, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने निर्माण परिचालन हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर सड़क उपरि पुल के निर्माण संबंधी इसके निर्णय के बारे में बताया गया। जुलाई, 1999 में, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एम एस आर डी सी), मुंबई ने भी बताया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग/राज्य सरकार की ओर से कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। अगस्त, 2000 में, सीई/पीडब्ल्यूडी/नागपुर ने बताया कि कार्य शहरी सड़क विकास कार्यक्रम से हटा दिया गया है। बहरहाल, हाल ही में, 5 नवम्बर, 2003 को नागपुर नगर निगम ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार नागपुर नगर निगम, नागपुर सुधार ट्रस्ट एवं एम एस आर डी सी के साथ परामर्श की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करेगी, जिससे कि सरकार की कार्यों की अनुमोदित सूची में नरेन्द्र नगर में रेलवे के निचले पुल (न कि उपरि पुल) को शामिल किया जा सके। बहरहाल, राज्य सरकार का अंतिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसी दौरान, रेलवे ने भी नागपुर नगर निगम को निक्षेप शर्तों पर निचले पुल के निर्माण के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

(घ) और (ङ) रेलों की तरफ से कोई विलंब नहीं हुआ है। राज्य सरकार अथवा नागपुर नगर निगम से औपचारिक प्रस्ताव के प्राप्त होने पर, रेलवे मौजूदा नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

गेल द्वारा राष्ट्रीय गैस ग्रिड

2577. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) को देश में गैस संवितरण को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए नोडल एजेंसी बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह उपभोक्ताओं के लिए किस तरह से लाभकारी होगा; और

(घ) सरकार और भारतीय गैस प्राधिकरण की इसमें कितने प्रतिशत भागीदारी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में विभिन्न साझेदारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास के लिए मसौदा नीति जारी की है। इस मसौदा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

1. सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को नियामक द्वारा स्वीकृत प्राधिकार के अनुसार ही बिछाया जाएगा।
2. एक से अधिक राज्यों से गुजरने वाली सभी ट्रंक पाइपलाइनें या अधिसूचित स्तर से अधिक दाब पर प्रचालनरत पाइपलाइनों का निर्माण कार्य/रख-रखाव सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी द्वारा किया जाएगा जब तक कि गेल द्वारा उसे अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।
3. नियामक की पूर्व अनुमति की शर्त पर, गैस के किसी भी उत्पादक को यह अधिकार होगा कि कूप शीर्ष के 100 कि.मी. के दायरे में या भू-उतराई बिन्दु में आने वाले उपभोक्ताओं को सीधे गैस बेच सकता है और इस प्रयोजन से पाइपलाइन बिछा सकता है।
4. बड़े उपभोक्ताओं के विशिष्ट प्रयोग के लिए कैप्टिव ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइनों के अलावा सभी गैस पाइपलाइनों का निर्माण कार्य सामान्य वाहक सिद्धांत पर किया जाएगा।
5. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा पाइपलाइनों का प्रयोग गैर विभेदमूलक आधार पर किया जाएगा।
6. ट्रांसमिशन पाइपलाइन और/या संवितरण पाइपलाइनों के लिए शुल्क नियामक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) पाइपलाइन नेटवर्क के सुव्यवस्थित विकास द्वारा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध गैस का देश में विभिन्न क्षेत्रों को परिवहन सुसाध्य होगा जिससे इसका प्रयोग विद्युत, उर्वरक, इस्पात, परिवहन तथा अन्य छोटे उपभोक्ताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

(घ) सरकार का पाइपलाइन नेटवर्क के विकास में सीधी भागीदारी का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में नियोजित वाहक

2578. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित विभिन्न एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों से एलपीजी सिलेंडरों के परिवहन अथवा पार-वहन के कार्य में निजी अथवा कंपनियों के विभिन्न लॉरी वाहकों के कितने परिवहन वाहन (लारियां) नियोजित हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान माहवार कितने एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने विगत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु और इसके चारों ओर अवस्थित विभिन्न भरण संयंत्रों से एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए 1,987 ट्रकों/परिवहनकर्त्ताओं को काम पर लगाया।

(ख) तेल विपणन कंपनियों ने तमिलनाडु के विभिन्न भरण संयंत्रों से वर्ष 2001-02 में लगभग 4.93 करोड़ सिलेंडरों तथा वर्ष 2002-03 में लगभग 5.46 करोड़ सिलेंडरों की आपूर्ति की है।

रेलवे सेतुओं को सुदृढ़ करना

2579. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अद्यतन प्रौद्योगिकी से कमजोर रेल सेतुओं को सुदृढ़ करके रेल दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए 31,000 करोड़ रु. की एक महत्वाकांक्षी परियोजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इससे रेल दुर्घटनाओं में कितनी कमी आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) 2003-2013 की अवधि के लिए समवेत संरक्षा योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और 19 अगस्त 2003 को इसे सभा पटल पर रख दिया गया है। इस प्रलेख में रेलवे की कार्य प्रणाली और संरक्षा संबंधी परिसंपत्तियों के कई क्षेत्रों को शामिल करने हेतु दस वर्ष की अवधि में संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 31,835 करोड़ रु. के कुल निवेश वाली एक संरक्षा कार्य योजना बनाई गई है। ये कार्य/परियोजनाएं जोखिम के स्तर में लगातार कमी करने, परिसंपत्ति विश्वसनीयता में वृद्धि करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट हैं। इनमें रेलवे पुलों के पुनर्स्थापन संबंधी कार्य/परियोजनाएं शामिल है। पुल निरीक्षण एवं प्रबंधन प्रणालियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के कार्यक्रम भी समवेत संरक्षा योजना में शामिल किये गये हैं। आगामी पांच वर्षों के दौरान विशेष रेल सरक्षा निधि के अंतर्गत लगभग 2700 पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण शुरू किये जाने की योजना है। इसके अलावा, डिस्ट्रेस्ड पुलों सहित, हालत के आधार पर प्रति वर्ष लगभग 600 पुलों और पुरानी तकनीकी के लगभग 19000 पुलों का पुनर्स्थापन सामान्य योजना परिव्यय के माध्यम से आगामी 10 वर्षों में शुरू किये जाने की योजना है। कम गति प्रतिबंधों की आवश्यकता वाली मरम्मत और पुनर्स्थापन की आधुनिक पद्धतियां भी बड़े पैमाने पर अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

चालू वित्त वर्ष में ऐसे पुल संबंधी कार्यों के लिए 302 करोड़ रु. का शुद्ध बजटीय आवंटन पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें से सितंबर, 2003 के अंत तक 88.03 करोड़ रु. खर्च हो चुके हैं।

कार्य पूरा करने की समय सीमा समग्र भारतीय रेलों पर शामिल कार्य की मात्रा और वर्ष-दर-वर्ष निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। निधियों की परियोजना-वार आवश्यकता आवधिक समीक्षाओं पर आधारित परिवर्तनों के कारण भी बदल सकती है। पुलों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए वास्तविक निधि का आवंटन भी विभिन्न परियोजनाओं की परस्पर प्राथमिकता और निधियों की कुल उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा।

(ङ) समवेत संरक्षा योजना का उद्देश्य 2003 से 2013 तक की अवधि में विभिन्न किस्म की दुर्घटनाओं को निम्नानुसार कम करना है:

(1) 2002-03 में प्रति मिलियन गाड़ी कि.मी. समग्र परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं को 0.44 से कम करके 2012-13 में 0.17 तक लाना।

(2) टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) और अन्य उपायों का व्यापक इस्तेमाल करके टक्करें समाप्त करने का लक्ष्य।

(3) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं में 60% तक की कमी करना।

(4) अग्निरोधी सवारी डिब्बों को लगाकर तथा मौजूदा सवारी डिब्बों में अग्निशामक सामग्रियों के इस्तेमाल से आग की दुर्घटनाओं मे कमी करना तथा 80% तक परिणामी हताहतों की संख्या में कमी करना।

(5) समपार दुर्घटनाओं में बढ़ते रुख को नियंत्रित करना।

[हिन्दी]

निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी पाठ्यचर्या

2580. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए हाल ही में एक पाठ्यचर्या शुरू करने और उपर्युक्त सामुदायिक आधारित कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किए गए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद ने निःशक्तों के पुनर्वास के लिए शिक्षा के प्रसार हेतु अब तक क्या कदम उठाये है;

(घ) क्या सरकार का विचार झारखंड और बिहार में निःशक्त पुनर्वास शिक्षा के प्रसार हेतु कोई प्रभावशाली उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) भारतीय पुनर्वास परिषद ने सूचित किया है कि इसने सुदूर माध्यम के जरिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा और समुदाय आधारित पुनर्वास पाठ्यक्रम में डिप्लोमा आरंभ करने के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद का अपना कोई पाठ्यक्रम नहीं है।

(ग) से (ङ) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आंचलिक समितियां बनाई गई हैं। झारखंड और बिहार राज्य पूर्वी क्षेत्र की आंचलिक समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, झारखंड में दो विशेष विद्यालय तथा बिहार में तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और तेरह विशेष विद्यालय चलाने के लिए दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को सहायता दे रहा है। झारखंड और बिहार राज्यों में एक-एक कार्यक्रम के लिए क्रमशः राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद तथा राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून द्वारा सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

प्रोन्नति नीति

2581. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 16(4क) में संशोधन और तत्पश्चात् 21 जनवरी, 2002 के कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/2001-स्था.(डी.) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के उपर्युक्त परिपत्र को 30 जनवरी, 1997 से भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) ने उक्त परिपत्र, जहां कहीं लागू था, का 30 जनवरी, 1997 से पूर्वापेक्षी प्रभाव से क्रियान्वयन किया है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बोंगाईगांव रिफायनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स

2582. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोंगाईगांव रिफायनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. ने धलीगांव स्थित अपने कारखाने को पांच वर्ष के लिए एक निजी तेल कंपनी को पट्टे पर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पट्टे की प्रमुख शर्तों का ब्यौरा क्या है और लाभ हिस्सेदारी की किस सूत्र पर सहमति हुई है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी तेल कंपनी ने किन कारणों से बी.आर.पी.एल. के साथ इस सौदे में रुचि नहीं दिखाई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) पीएसएफ और डीएमटी संयंत्रों को दोबारा आरंभ और प्रचालित करने के लिए बीआरपीएल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ गठबंधन किया है जिसके तहत आरआईएल बीआरपीएल को तीन वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करेगी। गठबंधन के तहत पीएसएफ व्यवसाय से सकारात्मक अंशदान बीआरपीएल और आरआईएल के बीच समान रूप से वहन किए जाएंगे।

(ग) हित की अभिव्यक्ति के लिए एनआईटी (मुक्त प्रेस विज्ञापन) के प्रति मैसर्स गेल ने भी अपना प्रस्ताव भेजा था जो बोली मानदंडों को पूरा नहीं करता था। इस प्रकार उन पर गठबंधन के लिए विचार नहीं किया जा सका।

एन.टी.पी.सी. के पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत

2583. श्री वाई.वी. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लिए कुल कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावनाएं हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एनटीपीसी द्वारा आरंभ की गयी जल विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें 11वीं योजना के दौरान चालू किये जाने की प्रत्याशा है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना	अनुमानित लागत	अभियुक्तियां
1.	जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित सतलुज नदी पर कोलडैम एचईपीपी (800 मेगावाट)	4527.15 करोड़ रुपये (IV/01)	निर्माणाधीन
2.	जिला उत्तरकाशी, उत्तरांचल में स्थित भागीरथी नदी पर लोहारी नागपाला एचईपीपी (520 मेगावाट)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।	इन परियोजनाओं के लिए उत्तरांचल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। स्थल विशिष्ट अध्ययन किये जा रहे हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जा रहे हैं।
3.	जिला चमोली (उत्तरांचल) में स्थित अलकनंदा नदी पर तपोवन विष्णुगढ़ एचईपीपी (360 मेगावाट)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।	
4.	लता तपोवन एचईपीपी (108 मेगावाट), अलकनंदा	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है	

प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटो खींचना

2584. श्री पवन कुमार बंसल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना तकनीकी क्षेत्र टर्मिनलों में फोटो खींचना मना है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में अम्बाला और पूणे तकनीकी टर्मिनलों में खींचे गए रक्षा मंत्री की तस्वीरें अखबारों में छपी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन तस्वीरों का प्रकाशन सरकारी मानदंडों और निर्देशों का उल्लंघन है; और

(घ) इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) भारतीय वायुसेना के तकनीकी क्षेत्रों में प्राधिकृत सरकारी प्रयोजनों के सिवाय फोटो खींचना मना है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल के डिब्बों में सुधार

2585. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा लि. (राइट्स) से रेल के डिब्बों की बाह्य दुर्घटना उपयुक्तता में सुधार के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) राइट्स को रेल के डिब्बों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार के इस आदेश पर राइट्स द्वारा कब तक प्रतिक्रिया देने की संभावना है;

(ङ) क्या राइट्स को डिब्बों के कुछ प्रतिरूप बनाने हैं और उन्हें अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बा की बॉडी संरचना को क्रैशवर्दी बनाने के लिए परिवहन प्रौद्योगिकी केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय निगम तथा एम्प्लाइड

रिसर्च एसोसिएट्स, संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से इनकी डिजाइन पुन: तैयार करने का कार्य मैसर्स रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवाएं (राइट्स) को सौंपा गया है। इस समझौता पर 17.6.2003 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। कार्य जनवरी, 2005 तक पूरा किया जाना है।

(ग) ठेके के तहत दिए गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

मौजूदा डिजाइन की संख्या का विश्लेषण, क्रैश सिमुलेशन करना, क्रैशवर्दी डिजाइन का विकास, नई डिजाइन का क्रैश सिमुलेशन करना, नई डिजाइन की टेस्टिंग के लिए टेस्ट रिंग का विकास करना, भारतीय रेल कर्मियों को सिद्धांत तथा क्रैशवर्दी बेस की संकल्पना में प्रशिक्षण देना, प्रतिरूपण, सिमुलेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, आंकड़े एकत्रित करना और विश्लेषण करना तथा उनके लिए हार्डवेयर की आपूर्ति करना।

(घ) राइट्स को समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 18 माह के भीतर अर्थात् जनवरी, 2005 तक कार्य पूरा करना होगा।

(ङ) और (च) डिजाइन राइट्स द्वारा दी जाएगी और प्रोटोटाइप सवारी डिब्बे रेलों द्वारा निर्मित किये जायेंगे।

टाटा का दामोदर घाटी निगम के साथ संयुक्त उद्यम

2586. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाटा का विचार मैथन पावर लिमिटेड में दामोदर घाटी निगम के साथ हिस्सेदारी करने का है जैसाकि 3 दिसम्बर 2003 के ''दि इकनॉमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों कंपनियों द्वारा कितने निवेश की हिस्सेदारी की जाएगी और विद्युत उत्पादन कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) टाटा पावर कंपनी लि. (टी.पी.सी.) ने दिनांक 5.12.2003 के अपने पत्र के माध्यम से दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) को सूचित किया है कि वे 74% हिस्से के साथ मैथन राइट बैंक थर्मल पावर प्रोजेक्ट में अधिकतम भागीदारी के इच्छुक है।

(ग) विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर निवेश हिस्से के ब्यौरों आदि की जांच की जाएगी।

फोन कॉल पर रेल टिकट

2587. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (आई.आर.टी.सी.) के माध्यम से मोबाइल फोन सहित फोन कॉल से रेल टिकट आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने टेलीफोन के जरिए टिकट हेतु ग्राहकों के अनुरोध स्वीकार करने हेतु अग्रणी बैंकों के कॉल केन्द्रों से समझौता करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या रेलवे ने मोबाइल फोन के जरिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन हेतु सेल्युलर प्रचालकों से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा इस बारे में तैयार की गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस सेवा के प्रयोग के लिए कौन सी प्रक्रिया है;

(च) इस सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(छ) इससे देश के आरक्षण पटलों पर भीड़ कम होने की कितनी संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल क्षेत्रों के विकास हेतु ओएनजीसी का पूंजी निवेश

2588. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी का विचार मुंबई अपतटीय क्षेत्रों के डी-1 सीमांत तेल क्षेत्रों के विकास हेतु 300 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश और संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) मुंबई अपतटीय क्षेत्र में डी-1 सीमांत तेल क्षेत्र में प्रमाणित तेल भंडार कितना है;

(घ) क्या ओएनजीसी ऐसी परिस्थितियों में पूंजीनिवेश का सावधानीपूर्वक मल्यांकन कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने यह सूचित किया है कि सितंबर, 2002 में इसके निदेशक मंडल ने 16 अमरीकी डालर प्रति बैरल के तेल मूल्य के साथ 28.4 प्रतिशत की अनुमानित आईआरआर पर लगभग 310 करोड़ रुपए की अनुानित लागत पर डी-1 सीमांत तेल क्षेत्र की विकास योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना में 12-स्लाट का हल्के भार का कूप-सह-जल अंत:क्षेपण प्लेटफार्म और दो चरणों में 12 कूपों का वेधन/पूर्णता सम्मिलित है।

(ग) डी-1 क्षेत्र के विकास के लिए लक्ष्य परतों के भंडार 4.57 मिलियन मीट्रिक टन (एमएटी) है, जिसकी मात्रा वर्ष 2005-06 से 10 वर्ष की अवधि में उत्पादित किये जाने के लिए परिकल्पित है।

(घ) और (ङ) ओएनजीसी ने यह सूचित किया है कि किसी क्षेत्र के विकास में निवेश करने से पहले संबंधित कार्य स्थल पर प्रस्ताव के उपयुक्त तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किये जाते हैं जिन्हें ओएनजीसी के विशिष्ट संस्थानों और/या अपेक्षानुसार बहु-विषयी परियोजना मूल्यांकन समूह द्वारा अनुपूरित किया जाता है। इसके अलावा, 250 करोड़ रुपए से अधिक के किसी भी परियोजना निवेश, जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित डी-1 क्षेत्र है, का ओएनजीसी के नवरत्न सशक्तिकरण के अनुसार बाहरी वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

खराब रेलमार्ग

2589. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घुमावदार रेलमार्गों से रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की अधिक संभावना बनती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्गों की खराबी के कारण रेल के पटरी से उतरने की कोई घटना को टालने की दृष्टि से महाप्रबंधकों, डिविजनल रेलवे प्रबंधकों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल के पटरी से उतरने के मामलों में दोषी पाये गये महाप्रबंधकों, डिविजनल रेलवे प्रबंधकों और स्थायी मार्ग निरीक्षकों (अब जिसका पदनाम है-अनुभाग अभियंता-स्थायी मार्ग) को इस संबंध में अब तक कोई सजा दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संहिताओं तथा नियमावलियों जैसे भारतीय रेल रेलपथ नियमावली आदि के रूप में अनुदेश मौजूद हैं इनमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है।

(ङ) जांच रिपोर्ट में निर्धारित जिम्मेदारी के अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्रवाई की जाती है। अब तक अधिकारियों, रेलपथ निरीक्षकों और अन्य रेलपथ कर्मचारियों को मानदण्डों के अनुसार जहां कहीं कमियों के लिए जिम्मेदार पाया गया है, दण्ड दिया गया है। महाप्रबंधक (जीएम) और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) क्रमश: जोन और मंडल के उच्चतम रैंक के अधिकारी होते हैं, जो उनके जोन/मंडल में होने वाले समग्र कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होते हैं। पटरी से उतरने के मामलों में अभी तक जांच रिपोर्टों में महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए अभी तक महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(च) और (छ) दुर्घटना मामलों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2002-03 में 67 सेक्शन इंजीनियरों (अब सेक्शन इंजीनियर-रेलपथ के रूप में पदनामित) को दण्डित किया गया था।

खाना सैंथिया खण्ड का दोहरीकरण

2590. श्री महबूब जाहेदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाना सैंथिया खण्ड का दोहरीकरण कार्य मही सुदल गांव तक पहुंच कर रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दोहरी रेल लाइन बिछाने के काम को तेजी से करने के लिए वैकल्पिक मार्ग/स्थान का चयन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त दोहरीकरण परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जी नहीं। चूंकि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। खाना-बोलपुर खंड पर काम पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बोलपुर-अहमदपुर-सैंथिया खंड का कार्य प्रगति पर है। बोलपुर-अहमदपुर को 31.3.2004 तक पूरा करने और अहमदपुर-सैंथिया को 2004-05 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बांग्लादेश में तेल और गैस की खोज

2591. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने तेल और गैस की खोज के लिए भारतीय तेल कंपनियों को अनुमति प्रदान करने में रुचि प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बनी सहमति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) बांग्लादेश में तेल और गैस के अन्वेषण में भारतीय तेल कंपनियों की भागीदारी के संबंध में बांग्लादेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को कोचिंग

2592. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के राज्यवार कितने विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(ख) इस प्रशिक्षण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पुनर्वास परिषद

2593. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद् ने केन्द्र सरकार से परिषद् को सामाजिक विकास और पुनर्वास प्रक्रिया के एक घटक भागीदार के रूप में स्वीकारने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुनर्वास परिषद् ने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद् ने सरकार से गैर-सरकारी संगठनों को प्रभावी रूप से धन का आवंटन करने और धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के संबंध में अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म समारोह में भाग लेने वाली फिल्मों के लिए सेंसरशिप प्रमाण-पत्र

2594. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2004 में भाग लेने वाली भारतीय फिल्मों हेतु सेंसरशिप प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो फिल्मों को प्रायोजित करने वाले भारतीय डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म निर्माताओं पर यह शर्त पहली बार लागू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय डाक्यूमेन्ट्री फिल्म निर्माता एसोसिएशन (आई.डी.एच.पी.ए.) ने सरकार से दिशा-निर्देशों से इस शर्त को हटाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आई.डी.एफ.पी.ए. के इस अनुरोध पर क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय वृत्त-चित्र निर्माता संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करके मुम्बई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय प्रविष्टियों के केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन को अनिवार्य बनाते हुए वर्ष में पहले लिए गए निर्णय को वापस ले लिया है।

तमिलनाडु में रसोई गैस एजेंसियां

2595. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में 15,000 से अधिक उपभोक्ता वाली आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की रसोई गैस खुदरा एजेंसी की सूची क्या है;

(ख) तमिलनडु में 5000 से कम उपभोक्तावाली आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के रसोई गैस खुदरा बिक्री केन्द्रों और अभी तक आर्थिक रूप से गैर-अर्थक्षम विक्रय केन्द्रों की सूची कौन सी है; और

(ग) सरकार ने तमिलनाडु में आरंभ की गयी नयी रसोई गैस एजेंसियों के लिए अधिक उपभोक्ता उपलब्ध कराने/रसोई गैस कनैक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) वर्तमान में तमिलनाडु में आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के 180 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की ग्राहक संख्या 15,000 से अधिक है।

(ख) वर्तमान में आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के 47 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की तमिलनाडु राज्य में ग्राहक संख्या 5,000 से कम है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां नए एलपीजी कनेक्शन मांग पर तुरन्त जारी कर रही हैं और इस प्रकार नए नियुक्त डिस्ट्रीब्यूटर भी यथासंभव ग्राहकों को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं।

केन्द्रीय ताप विद्युत परियोजनाओं को बड़ी विद्युत परियोजनाओं का दर्जा

2596. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र में विद्युत और वित्त मंत्रालय 250 मेगावाट क्षमता वाली ताप विद्युत परियोजनाओं को बड़ी विद्युत परियोजनाओं का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव के विरोध में है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1999 में, केन्द्र सरकार ने 18 विद्युत परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित किया था और उन्हें विभिन्न कार्य और लाइसेंस लाभ प्रदान किये थे;

(ग) क्या यह परियोजना केन्द्र की मंजूरी हेतु लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 199 में घोषित बृहत् विद्युत नीति अपने कार्यान्वयन में प्राप्त किए गए अनुभव और विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथोचित अंत:मंत्रालयी परामर्शों के पश्चात् समय-समय पर पुन:अवलोकित एवं संसोधित की गयी है। सर्वप्रथम नीति नवम्बर, 1998 में संशोधित की गयी थी जो कि 18 पहचान की गयी अंतरराज्यीय वृहत विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी उपकरण के आयात हेतु शून्य सीमा-शुल्क की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, आय कर छुट्टी इस प्रावधान के साथ जारी रखी गयी है कि प्रोत्साहनकर्त्ता द्वारा दस वर्ष की अवधि की कर छुट्टी

का पहले 15 वर्षों में 10 वर्षों के किसी भी खण्ड में दावा किया जा सकता है। सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचनाएं 1999 के दौरान जारी की गयी थी और थर्मल परियोजनाओं की स्थिति में प्रत्येक 1000 मेगावाट या अधिक की क्षमता और जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थिति में 500 मेगावाट या अधिक की क्षमता वाली 18 अभिज्ञात परियोजनाएं पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के हटाए जाने के लिए अधिसूचित की गई हैं। अभिज्ञात परियोजनाओं में एक, चमेरा-II जल विद्युत परियोजना को सीमा-शुल्क छूट के लाभार्थ अधिसूचित नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी क्षमता 500 मे.वा. से कम थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सीपत ताप विद्युत परियोजना (4×660 मेगावाट) को दिसम्बर, 2001 में वृहत् विद्युत परियोजना स्तर का प्रदान किया गया है। सीपत परियोजना के लिए आधिकारिक अधिसूचना 2002 में जारी की गयी है।

मार्च, 2003 में जारी की गयी सीमा-शुल्क अधिसूचना में दिए अद्यतन संशोधन के अनुसार सीमा शुल्क छूट उन सभी अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं तक विस्तारित कर दी गयी है जो विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए 1000 मेगावाट और हाइडल परियोजनाओं के लिए 500 मेगावाट क्षमता के न्यूनतम आधारभूत मानक को पूरा करती हैं। नीति में संशोधन करने के लिए अन्तर-मंत्रालय परामर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

अनधिकृत अतिक्रमण

2597. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाने की नीति के अंतर्गत विभिन्न ताप विद्युत स्टेशनों के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए मकानों और दुकानों को हटा दिया है और दुकानों को फिर से दुकानदारों के लिए आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न ओर से बोकारो ताप विद्युत स्टेशन और चन्द्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन के अधीन विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों दुकानें हटाने और उक्त नीति के अंतर्गत दुकानों को फिर से दुकानदारों के लिए आबंटित करने के संबंध में अभ्यावेदन/पत्र और सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) डीवीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय ने मामला सं. सीडब्ल्यूजेसी सं. 2290/90 (अरुण कुमार मुखर्जी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य) में राज्य प्रशासन को अतिक्रमण रोकने का निदेश दिया और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में किसी प्रकार के अतिक्रमण न होने पाए। तदनुसार, सितम्बर, 1998 से नवम्बर, 1998 के बीच तथा पुन: सितंबर, 2002 में राज्य प्रशासन के विभिन्न स्टेशनों द्वारा स्थानीय डीवीसी प्रबंधन की सहायता से अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण को रोकने की प्रक्रिया जारी है।

(ख) कुल 160 दुकानदारों (बोकारो टीपीएस से संबंधित) को दुकानें आबंटित की गई हैं। 273 अनधिकृत अतिक्रमणकारियों (चन्द्रपुरा टीपीएस से संबंधित) में से 185 ने आवश्यक सिक्योरिटी धन जमा कर दिए हैं। 65 अतिक्रमणकर्ताओं के गामले में आबंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों का खोला जाना

2598. श्रीमती शीला गौतम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्र का निर्माण/इसे खोले जाने का कार्य अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् ही शुरू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा के टेरिटरी मैनेजर ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93 (आगरा-अलीगढ़) पर पेट्रोल-डीजल पंपों को खोले जाने के लिए स्थापित मानदंडों के विपरीत स्थलों का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा बीपीसीएल के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की गई है जिन्होंने सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अनुबंधित मानदंडों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान एनएच-93 (आगरा-अलीगढ़) पर तीन खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईरान से एलएनजी का आयात

2599. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते के अंतर्गत भारत ईरान से 25 वर्षों तक पांच मिलियन टन एलएनजी खरीदने के बदले में इरान में एक प्रोड्युसिंग और एक सेमी डिसकवर्ड आयल फील्ड को लेने के लिए बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं और एलएनजी की आपूर्ति के तौर तरीके क्या है;

(ग) क्या ईरान ने भारतीय कंपनियों के साथ शेयर-इक्विटी की पेशकश वाले इस समझौते के अंतर्गत पांच प्रोड्युसिंग और सेमी डिसकवर्ड ब्लाकों की सूची भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) भारत और ईरान ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 27.01.03 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। नई दिल्ली/तेहरान में मई 2003 को हुई इस संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक के दौरान, तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग का पैकेज तैयार करने पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति प्रकट की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 25 वर्षों के लिए ईरान से 5 मि.मी. टन प्रति वर्ष (मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष) एलएनजी का आयात, जिसे 2.5 मि.मी.ट. प्र. वर्ष प्रत्येक दो चरणों में किया जाएगा, तथा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जैसी किसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता की शर्त पर खोजे गए महत्वपूर्ण आकार के ईरानी तेल क्षेत्र तथा अर्ध खोजे गए ईरानी तेल क्षेत्र को सौंपना शामिल है।

उपरोक्त संयुक्त कार्य दल की बैठक के अनुसार ईरानी पक्ष की ओर से तेल क्षेत्रों की एक सूची भेजी गई है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) में ठेके पर कार्यरत इंजीनियर

2600. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा ठेके पर कार्यरत हजारों इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन ठेके पर कार्यरत इंजीनियरों को निलंबित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उपक्रमों को इन इंजीनियरों का विलय करने/पुनर्तैनाती के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) संविदागत इंजीनियरों की भर्ती लघु अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित अवधि के लिए की गई थी और उन्हें उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संविदा अवधि/बढ़ाई गई अवधि के पूरा होने या संविदा के पहले ही समाप्त कर दिए जाने पर मुक्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के परामर्श पर ईआईएल ने इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) और सात अन्य संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को

297 पूर्व-संविदागत इंजीनियरों के जीवनवृत्त इन पूर्व-संविदागत इंजीनियरों को नियुक्त करने पर विचार करने के लिए भेजे थे, बशर्ते वे आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हो। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से किसी भी पूर्व-संविदागत इंजीनियर को अब तक नियुक्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

2601. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जल विद्युत, ताप और परमाणु स्रोतों से हुए कुल विद्युत उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी की प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जल विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार चीन की तरह समुद्र से विद्युत उत्पादन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में थर्मल, न्यूक्लीयर और जल विद्युत स्टेशनों का योजनावार ऊर्जा उत्पादन निम्नानुसार है:

	7वीं योजना (1985-86 से 1989-90)	8वीं योजना (1992-93 से 1996-97)	9वीं योजना (1997-98 से 2001-02)
थर्मल	728301	1351874	1906679
न्यूक्लीयर	25479	34782	71572
हाइड्रो	271852	363850	386215
कुल	1025632	1750506	2364466

(ख) उत्पादन लागत स्टेशन-दर-स्टेशन भिन्न-भिन्न होती है। विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 की उत्पादन लागत कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए लगभग 115 से 350 पैसे/कि.वा.घं. तक, जल विद्युत के लिए 4.80 पैसे से 5.88 पैसे/कि.वा.घं. तक और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए 162 पैसे से 187 पैसे/कि.वा.घं. तक भिन्न-भिन्न थी। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के विभिन्न परमाणु विद्युत स्टेशनों से विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ में अंतर 82.36 से 295 पैसे/कि.वा.घं. तक था।

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) महासागर विकास विभाग, भारत सरकार के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टैक्नोलॉजी (एनओओटी) एक मेगावाट के ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटीईसी) प्लांट को शुरू किये जाने के अंतिम चरण में है। आरंभ होने पर यह विश्व में इस स्तर का प्रथम तैरता संयंत्र होगा। यह संयंत्र प्रदर्शन संयंत्र है और निष्पादन मूल्यांकन हेतु विभिन्न आंकड़े एकत्र किए जायेंगे। 1991 में विजिन्जिम में आसिलिटिंग वाटर कॉलम सिद्धांत पर आधारित लागू तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। संयंत्र की संस्थापित क्षमता 50 किलोवाट है। चूंकि तरंग ऊर्जा 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अंतर रखती है, प्राप्त की गयी विद्युत का उत्तम औसत 10 किलोवाट और अधिकतम 80 किलोवाट था।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार, वेस्ट बंगाल रिन्यूबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी (डब्ल्यूबीआरईडीए), पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24-परगना जिले में दुर्गादुयानी में लगभग 3.6 मेगावाट क्षमता वाली एक लघु ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कर रही है।

[अनुवाद]

बल्क पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन

2602. श्री भास्करराव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों ने बल्क पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की न्यूनतम व्यवहार्य दरों के बारे में कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रति किलोमीटर और प्रति किलोलीटर न्यूनतम व्यवहार्य दरें क्या है;

(ग) क्या हरियाणा में ये दरें उपर्युक्त व्यवहार्य दरों में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और हरियाणा में परिवहन की व्यवहार्य दरों के कम भुगतान के परिणामस्वरूप ट्रांसपोर्टरों द्वारा कदाचार किया जा रहा है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा दरों में विसंगतियां दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) परिवहन दरों के लिए विभागीय अनुमानों का परिकलन किया गया है, जो लोकेशनों/राज्यों के लिए अलग-अलग होते हैं।

(ग) और (घ) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार औद्योगिक सार्वजनिक निविदा पर परिवहन दरों को अंतिम रूप दिया गया है। परिवहन दरों और कदाचारों के बीच कोई विनिर्दिष्ट संबंध नहीं है।

(ङ) चूंकि बोलीदाताओं द्वारा दिए गए प्रस्तावों के प्रति औद्योगिक सार्वजनिक निविदा में परिवहन दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है, तेल विपणन कंपनियों ने ट्रांसपोर्टरों द्वारा स्वीकृत दरों को लागू कर दिया है।

[हिन्दी]

कोटा, राजस्थान में आरटीएसए की भर्ती

2603. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कोटा, राजस्थान में रेलवे ट्रैवलिंग सर्विस एजेंट (आरटीएसए) के पद पर भर्ती करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंटों को कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) कोटा में रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों (आरटीएसए) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। कुछ आवेदनकर्त्ताओं ने माननीय उच्च नययालय, जयपुर में याचिका दायर की है। यह मामला माननीय न्यायालय के निर्णय की घोषणा के पश्चात ही निर्धारित किया जा सकता है।

बिहार में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

2604. श्री राजो सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और इस पर परियोजनावार कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। बिहार में पूर्णतः या आंशिक तौर से होती हुई नई रेल लाइनें बिछाने से संबंधित पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों की सूची और परियोजना-वार उन पर उपगत व्यय नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	कुल किया गया खर्च (लाख रु. में)
1	2	3
1.	प्रतापगंज-भीमनगर-बथनाहा	5.06
2.	सोनबरसई के रास्ते सीतामढ़ी से जयनगर और मधुबनी के रास्ते जनकपुर से जयनगर	1.114
3.	त्रिवेनीगंज और रानीगंज के रास्ते सुपौल-अररिया	13.50

1	2	3
4.	बांका-नवादा	1.96
5.	बांका-बाराहाट	0.68
6.	सोनबरसारा-आलमनगर के रास्ते कोपरिया-बिहारीगंज	4.72
7.	डेहरी आन सोन से बंजारी	4.95
8.	कोडरमा-तिलैया	5.15

उपर्युक्त सर्वेक्षणों में से दो निर्माण कार्यों यथा ब ांका-बाराहाट और कोडरमा-तिलैया को स्वीकृत कर दिया गया है और कार्य शुरू हो गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इन दो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा, 2003-04 के दौरान बजट परिव्यय और इन्हें पूरा करने की लक्ष्य तारीख नीचे दी गई है:

परियोजना का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान परिव्यय (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति और पूरा करने की लक्ष्य तारीख
1. बांका से बाराहाट और बांका-भिटिया रोड के वस्तुपरक आशोधन सहित देवगढ़-सुल्तानगंज	9.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। बांका पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और स्टेशन इमारत का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा करने की लक्ष्य तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
2. कोडरमा-तिलैया	15.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इसे 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

एन.एच.पी.सी. के अधिकारियों द्वारा लिए गए भवन

2605. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में उन भवनों का ब्यौरा क्या है जहां नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय स्थापित किये गये हैं और उनका मासिक किराया कितना है;

(ख) क्या एन.एच.पी.सी. ने अप्रैल 2003 के बाद शिमला में कोई नया भवन किराए पर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मासिक किराया कितना है तथा किस आधार पर किराया तय किया था; और

(घ) एन.एच.पी.सी. द्वारा किराए पर लिये जाने से पूर्व इस भवन का किराया कितना था तथा भवन के स्वामी का नाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा शिमला में भवनों के किराये पर लिये जाने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(1) फोरेस्ट व्यू बिल्डिंग फोरेस्ट रोड, नव बिहार शिमला में अतिथि गृह 16,500 रुपये (नगर निगम कर सहित) मासिक किराये पर है।

(2) हीरा नगर, डाकघर टोटु, जिला शिमला में एनएचपीसी कार्यालय तथा ट्रांजिट कैम्प/फील्ड होस्टेल हेतु भवन 48,000 रुपये मासिक किराये पर है। इस भवन को अप्रैल, 2003 के बाद किराये पर लिया गया है।

(ग) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-I, II, III) बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना, और पार्वती जल विद्युत परियोजना (चरण II, III) जैसी विभिन्न परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये भवन किराये पर लिये गये, क्योंकि एनएचपीसी को अतिरिक्त जगह की जरूरत थी। इन भवनों का किराया उपयुक्तता के आधार पर तथा राज्य प्राधिकरण के निर्धारण के अनुसार तय किया गया था।

(घ) एनएचपीसी द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार हीरा नगर में भवन का मालिक ठाकुर कौल सिंह है। पहले के किराएदारों से इस भवन के लिए प्राप्त किराये की राशि के बारे में एनएचपीसी को कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

बीपीसीएल के टेरिटॉरी प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायतें

2606. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बीपीसीएल के टेरिटॉरी प्रबंधकों विशेषकर रेवाड़ी के टेरिटॉरी प्रबंधकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/बीपीसीएल ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) बीपीसीएल को प्रादेशिक प्रबंधक, रेवाड़ी के खिलाफ दिनांक 24.4.2003 को हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत में, उनकी सत्यनिष्ठा तथा निजी मामलों के संबंध में आरोप लगाये गये थे।

(ग) से (ङ) बीपीसीएल द्वारा उक्त शिकायत की जांच की गई थी और शिकायत का कोई आधार नहीं था।

अन्य देशों में एन.टी.पी.सी. का कारोबार

2607. **श्री परसुराम मांझी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने सुदूर पूर्व और पश्चिम एशियाई देशों में अपना कारोबार स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों में एन.टी.पी.सी. द्वारा शुरू किए गए कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने भी उन देशों में ऐसा ही कारोबार स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेल इंजनों को वातानुकूलित बनाना

2608. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालकों की सुविधा के लिए रेल इंजनों को वातानुकूलित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस निर्णय से किस हद तक यात्री सुरक्षा बढ़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) ड्राइबर की केबिन में परीक्षण के आधार पर वातानुकूल मुहैया कराने का सैद्धांतिक तौर पर निर्णय कर लिया गया है। कुछ रेल इंजनों में वातानुकूलन मुहैया कराए गए हैं।

(घ) केबिन को वातानुकूलित करने से बिना ठहराव के अधिक समय तक गाड़ी चलाने में थकावट कम होने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/छात्रावासों/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना और विस्तार किया जाना

2609. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री के. येरननायडू:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/छात्रावासों/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने और उनके विस्तार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित/जारी की गई;

(घ) केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में विशेषकर आंध्र प्रदेश से प्राप्त कितने प्रस्ताव लंबित है; और

(ङ) उनके लम्बित रहने के क्या कारण है और उन्हें कब तक स्वीकृत करने और अनुदान जारी किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (ङ) जी, हां। अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मिडिल स्कूल, हायर सैकण्डरी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I में है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के छात्रावास की योजना के अंतर्गत, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों को 50% तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है जहां अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी अधिक है किन्तु छात्रावासों की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इन छात्रावासों का निर्माण मिडिल, माध्यमिक, कालेज और विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले छात्रावासों में से, कम से कम एक तिहाई अनन्य रूप से लड़कियों के लिए निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई है तथा निधियां शीघ्र ही निर्गत की जाएंगी। हालांकि त्रिपुरा, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और बिहार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण की कमी के कारण लंबित हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों की राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत की गयी निर्मुक्तियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए				अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए			
		2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-04	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	462.83	42.67	शून्य	शून्य	505.50	505.50
2.	असम	शून्य	शून्य	9.00	शून्य	शून्य	शून्य	9.00	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	421.00	शून्य	शून्य	शून्य	54.00	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	77.00	शून्य	शून्य	शून्य	23.05	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	हरियाणा	शून्य	2.00	4.50	शून्य	140.04	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	60.13	शून्य	शून्य	67.30	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	24.97	शून्य	शून्य	शून्य	38.64	शून्य
8.	झारखण्ड	शून्य	245.80	शून्य	शून्य	शून्य	245.80	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	495.00	563.19	274.31	406.35	148.96	207.42	651.84	319.20
1.	केरल	शून्य	4.00	शून्य	शून्य	शून्य	45.50	79.50	शून्य
1	मध्य प्रदेश	764.95	284.375	344.67	999.425	437.51	665.74	शून्य	शून्य
1	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	65.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1	उड़ीसा	12.75	21.12	शून्य	21.04	12.75	25.00	शून्य	शून्य
1	पंजाब	शून्य	11.565	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48.00
1	तमिलनाडु	शून्य	182.59	89.41	204.75	258.34	43.50	61.50	378.00
1	त्रिपुरा	शून्य	18.58	शून्य	शून्य	22.05	9.485	शून्य	4.35
1	उत्तर प्रदेश	शून्य	155.64	71.08	74.065	शून्य	196.04	36.91	शून्य
1	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	4.48	शून्य	शून्य	शून्य	40.06	शून्य
2	चंडीगढ़	45.00	–	50.18	शून्य	शून्य	शून्य	35.42	शून्य
2	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50
	कुल	1317.70	1548.99	1899.18	1748.30	1086.95	1438.485	1535.42	1305.05

विवरण II

विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/छात्रावासों/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों को खोला जाना एवं विस्तार किया जाना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	2.00
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	188.74	210.00	शून्य
3.	बिहार	शून्य	149.58	शून्य	शून्य
4.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	108.27	83.16
5.	झारखंड	शून्य	147.28	शून्य	शून्य
6.	कर्नाटक	83.23	216.99	263.77	269.02

1	2	3	4	5	6
7.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	50.00	शून्य
8.	मणिपुर	46.91	शून्य	शून्य	शून्य
9.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	120.04	161.87
10.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	सिक्किम	शून्य	20.00	20.00	20.00
12.	तमिलनाडु	259.86	157.28	283.50	शून्य
13.	त्रिपुरा	10	शून्य	शून्य	शून्य
14.	उत्तर प्रदेश	शून्य	265.13	195.47	195.47
15.	प. बंगाल	शून्य	शून्य	68.95	शून्य
	कुल	500.00	1145.00	1320.00	731.52

[अनुवाद]

कचरा बीनने वालों के लिए कल्याणकारी उपाय

2610. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कचरा अलग करने में सहायता करने वाले सभी कचरा बीनने वालों को दस्ताने, मास्क और रबर के जूते देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार कचरे के निपटान की नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी कचरा बीनने वालों को किसी प्रकार की बीमा योजना प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो कचरा बीनने वालों की नागरिक सेवाओं में सहायता करने वाले कल्याणकारी उपाय के रूप में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कचरा बीनने वालों के लिए बीमा योजना प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कचरा बीनने वालों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, यह बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य निराश्रितता को रोकना तथा सड़कों पर के उनके जीवन से वापसी करना एवं राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनका स्थापन करना है। इस कार्यक्रम में आश्रय, पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बेसहारा बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान है तथा इसमें दुरुपयोग और शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा करने की अपेक्षा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत शामिल लाभार्थियों में कचरा बीनने वाले हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी को प्रारंभिक शिक्षा देने के प्रयास के रूप में सर्वशिक्षा अभियान नामक प्रयास की शुरुआत है। इस प्रयास के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ, यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे 2007 तक प्राइमरी शिक्षा के पांच वर्ष और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्ष पूरा करें। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, जिसमें लड़कियों, अनुसूचित जातियों और कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

राजनयिकों द्वारा अग्रिम क्षेत्रों का दौरा

2611. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में 19 देशों के राजनयिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जूझ रहे अग्रिम स्थानों को ले जाया गया और उन्हें उनके द्वारा प्रयुक्त हथियार दिखाये गये;

(ख) क्या उन्हें बारामूला जिले के उन अग्रिम क्षेत्रों में भी ले जाया गया जहां 15 आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की और उन्हें गोली से उड़ा दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) नई दिल्ली स्थित 19 देशों के रक्षा अताशों को 29 सितंबर, 2003 को जम्मू और कश्मीर राज्य के अग्रिम क्षेत्रों को ले जाया गया था। यद्यपि यह दल अपने इस दौरे के दौरान किसी भी गिरफ्तार आतंकवादी से नहीं मिला था और उन्हें आतंकवादियों से बरामद किये गये हथियार और उपस्कर दिखाये गये थे।

तथापि, 7 अक्तूबर, 2003 को लश्करे तैय्यबा नामक आतंकवादी संगठन के पाकिस्तानी राष्ट्र के पकड़े गए एक आतंकवादी मौहम्मद शहजाद को नई दिल्ली में रक्षा अताशों के समक्ष पेश किया गया था।

(ख) और (ग) कुछ चुनिंदा रक्षा अताशों को एक हेलिकाप्टर में ले जाया गया था जहां उन्हें ऊपर से बारामूला जिले में वह स्थल दिखाया गया था जहां सीमापार से किये गये एक बड़े घुसपैठ के प्रयास को भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने विफल कर दिया था।

नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन, इंडिया

2612. श्री सुरेश कुरूप: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन, इंडिया संविधान में यथा प्रदत्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुकरण कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन, इंडिया में कितने व्यक्ति कार्यरत है और उनके पदनाम क्या है;

(घ) क्या उन्हें स्थायी स्टाफ के रूप में या ठेके के आधार पर नियोजित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो कितना स्थायी और ठेका आधारित स्टाफ है और उनके भत्तों तथा परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ठेका आधारित स्टाफ बीमारी की छुट्टी, अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश हेतु हकदार हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन का स्टाफ, भारत सरकार के नियमों के अनुसार आकस्मिक, अर्जित और बीमारी की छुट्टियों के लिए हकदार है।

विवरण

नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन के स्टाफ का पदनामवार ब्यौरा

क्रमांक	पद का नाम	पदों की सं.	नियुक्ति का स्वरूप	स्थिति	मासिक पारिश्रमिक (समेकित)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य इनोवेशन अधिकारी	1	संविदा आधार	खाली	36,000 और 6,000 रु. तक किराया	2 वर्ष
2.	नेशनल कॉआर्डिनेटर	5	संविदा आधार	4 1	25,000 से 30,000 और 4,000 रु. तक किराया	2 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
3.	अकादमिक फैलो	3	संविदा आधार	भरी	रु. 15,000 से रु. 35,000	2 वर्ष
4.	अनुसंधानकर्ता	3	संविदा आधार	भरी	रु. 8,000 से रु. 14,000	1 वर्ष
5.	लेखा सहायक	1	संविदा आधार	भरी	रु. 7,200	छ: माह
6.	प्रशासन सहायक	1	संविदा आधार	भरी	रु. 5,600	1 वर्ष
7.	डीटीपी आपरेटर	1	संविदा आधार	भरी	रु. 6,000	1 वर्ष
8.	प्रशासन व वित्त अधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति	खाली	रु. 12,000-रु. 16,500 मूल वेतन के रूप में	-

विद्युत उत्पादन की सस्ती दर

2613. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री रामटहल चौधरी:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऐसे कई स्रोत हैं जिनके माध्यम से उचित प्रबंधन द्वारा सस्ती दर पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/क्षेत्रवार/संख्यावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन स्रोतों की अनदेखी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्युत उपभोग/निर्भरता में लगातार वृद्धि के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत औसतन कम लाभकारी और अधिक खर्चीले हैं। तथापि, अपारंपरिक ऊर्जा के अनुप्रयोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अधिक किफायती साबित हो सकते हैं, जहां ग्रिड बिजली के पहुंचने की संभावना नहीं है।

(ख) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) सरकार देश में सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए वित्तीय व राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से वर्ष 2007 तक सभी सुदूरवर्ती गांवों, जिनकी संख्या लगभग 18,000 है, का विद्युतीकरण और 2012 तक ऐसे गांवों के सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना अवधि के दौरान 3075 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन और विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु विभिन्न विकेन्द्रित/स्टैंड एलोन प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.3.2003 के अनुसार प्राप्त की गई राज्यवार संचयी उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत (किवा.पीक)	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली (मेगावाट)	बायोमास विद्युत (मेगावाट)	बायोमास गैसीफायर (किलोवाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	275	92.60	155.61	160.05	15384	11.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	32.10	0.00	180	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0	0.00	2.00	0.00	123	–
4.	बिहार	0	0.00	44.90	0.00	20	–
5.	छत्तीसगढ़			1.00	11.00	500	–
6.	गोवा	0	0.00	0.05	0.00	22	–
7.	गुजरात	0	173.10	7.00	0.50	11361	2.45
8.	हरियाणा	0	0.00	48.30	4.00	964	–
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	93.24	0.00	7	–
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0.00	102.24	0.00	120	–
11.	झारखंड			4.05	0.00	0	–
12.	कर्नाटक	30	124.30	182.38	109.38	4499	1.00
13.	केरल	25	2.00	69.52	0.00	725	–
14.	मध्य प्रदेश	339	22.60	38.96	20.00	4529	2.70
15.	महाराष्ट्र	185	401.20	206.33	24.50	3823	1.90
16.	मणिपुर	0	0.00	5.45	0.00	0	–
17.	मेगालय	0	0.00	30.71	0.00	0	–
18.	मिजोरम	0	0.00	14.76	0.00	200	–
19.	नागालैंड	0	0.00	20.47	0.00	0	–
20.	उड़ीसा	0	0.00	7.30	0.00	72	–
21.	पंजाब	250	0.00	107.40	22.00	700	0.75
22.	राजस्थान	50	60.70	23.85	0.00	218	–
23.	सिक्किम	0	0.00	35.60	0.00	0	–
24.	तमिलनाडु	211	990.30	76.40	106.00	2653	1.98
25.	त्रिपुरा	0	0.00	16.01	0.00	1000	–
26.	उत्तर प्रदेश	325	0.00	21.50	46.50	27.46	3.00
27.	उत्तरांचल			64.60	–	0	–
28.	पश्चिम बंगाल	50	1.10	92.28	0.00	2965	–
29.	अंडमान एवं निकोबार	50	0.00	5.25	0.00	167	–
30.	चंडीगढ़	50	0.00	0.00	0.00	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	–	
32.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00	0.00	0	–
33.	दिल्ली	0	0.00	0.00	0.00	74	–
34.	लक्षद्वीप	650	0.00	0.00	0.00	0	–
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0	–
36.	अन्य	0	1.60	0.00	0.00	318	–
	कुल	2490	1869.50	1509.24	483.93	53370	25.73

किवा. : किलोवाट पीक

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.3.2003 के अनुसार प्राप्त की गई राज्यवार संचयी उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	आईबीपी/ सीबीपी/एनबीपी (संख्या)	जल पंपन पवन चक्की (संख्या)	एरोजनरेटर हाइब्रिड प्रणाली (किलोवाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	354334	132	5	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1721	0	0	0
3.	असम	55769	2	3	6
4.	बिहार	123963	40	42	0
5.	छत्तीसगढ़	8078	8	–	–
6.	गोवा	3428	21	0	14.7
7.	गुजरात	359047	165	432	0
8.	हरियाणा	45414	59	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	44194	8	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	2013	4	0	0
11.	झारखंड	925	4	–	–
12.	कर्नाटक	365243	63	20	7.75
13.	केरल	90823	163	79	8

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	216970	120	0	0
15.	महाराष्ट्र	667657	484	26	123.14
16.	मणिपुर	2026	4	0	0
17.	मेघालय	2671	4	0	0
18.	मिजोरम	3015	0	0	0
19.	नागालैंड	1792	7	0	0
20.	उड़ीसा	198692	45	0	0
21.	पंजाब	72279	668	0	0
22.	राजस्थान	66735	71	222	4
23.	सिक्किम	4125	0	0	10
24.	तमिलनाडु	203808	289	52	24.5
25.	त्रिपुरा	2069	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	382784	1366	0	0
27.	उत्तरांचल	2912	49	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	220969	68	0	0
29.	अंडमान एवं निकोबार	137	0	2	0
30.	चंडीगढ़	97	0	0	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	169	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	676	56	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	573	1	0	5
36.	अन्य	0	0	0	0
	कुल	3523108	3901	883	219.09

आईबीपी/सीबीपी/एनबीपी-सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र; आईआरईपी-एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.3.2003 के अनुसार प्राप्त की गई राज्यवार संचयी उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर प्रकाशवोल्टीय 31.3.2003 के अनुसार				एसपीवी पंप	सौर कुकर
		एसएलएस	एचएलएस	एसएल	पीपी	(संख्या)	(संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3648	1161	32152	21.656	603	11985
2.	अरुणाचल प्रदेश	738	750	4937	7.0	0	530
3.	असम	98	2787	541	7.5	45	80
4.	बिहार	490	679	28275	0	128	450
5.	छत्तीसगढ़	1237	3612	3192	0	5	37000
6.	गोवा	69	51	443	1.72	15	1500
7.	गुजरात	1764	2552	31603	24.9	42	70410
8.	हरियाणा	612	9666	32727	24.2	270	20615
9.	हिमाचल प्रदेश	1494	11948	20697	1.5	6	27280
10.	जम्मू-कश्मीर	389	15317	9202	40	18	345
11.	झारखंड	135	102	16374	0	3	280
12.	कर्नाटक	1009	6135	7334	18.91	337	250
13.	केरल	1090	18679	39681	44.7	749	195
14.	मध्य प्रदेश	5714	159	8564	22.4	76	141600
15.	महाराष्ट्र	3388	721	8683	6.44	189	56635
16.	मणिपुर	370	650	3883	11	12	365
17.	मेघालय	593	540	4875	42	5	1165
18.	मिजोरम	315	1645	5812	0	37	110
19.	नागालैंड	271	143	95	6	0	0
20.	उड़ीसा	5665	2937	8795	36.52	4	3170
21.	पंजाब	1766	2870	14995	46	1580	22050
22.	राजस्थान	6473	34864	4716	25.8	268	36600
23.	सिक्किम	271	143	95	6	0	20
24.	तमिलनाडु	2272	471	12818	26	760	1355

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	760	2238	20805	24.57	10	80
26.	उत्तर प्रदेश	550	50938	52815	129.2	229	45310
27.	उत्तरांचल	250	322.04	27027	80.03	9	7090
28.	पश्चिम बंगाल	1461	26890	3662	475	48	7930
29.	अंडमान एवं निकोबार	358	405	796	167	25	60
30.	चंडीगढ़	0	275	1675	0	14	1525
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	1	80
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	301	0	4753	15	84	27990
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	85	0	0
35.	पांडिचेरी	62	13	637	0	21	90
36.	अन्य	0	3295	28197	0	18	16685
	कुल	43613	234840	440856	1396.946	5611	540830

एसएलएस - सड़क रोशनी प्रणाली; एचएलएस - घरेलू रोशनी प्रणाली; एसएल - सौर लालटेन;
पीपी - विद्युत संयंत्र; एसपीवी - सौर प्रकाशवोल्टीय; बीओवी - बैटरी चालित वाहन

विवरण II

10वीं योजना के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य

क. 10वीं योजना के दौरान अक्षय स्रोतों से विद्युत

स्रोत	लक्ष्य (मेगावाट)
पवन विद्युत	1500
लघु पनबिजली	600
बायोमास विद्युत/खोई सहउत्पादन	700
बायोमास गैसीकरण	50
अपशिष्ट से ऊर्जा	80
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	5
सौर तापीय विद्युत	140
कुल	3075

ख. 10वीं योजना के दौरान विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां

प्रणाली	लक्ष्य
बायोगैस संयंत्र (सं. लाख में)	10
सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं. लाख में)	2.5
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र/अन्य प्रणालियां (मेवा.)	4
सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (सं.)	8,000
सौर प्रकाशवोल्टीय जनरेटर (सं.)	10,000
पवन पंप (सं.)	800
हाइब्रिड प्रणालियां (किलोवाट)	800
सौर जल तापन प्रणालियां (वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र लाख में)	5
सौर वायु तापन प्रणालियां (वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र)	5,000
सौर कुकर (सं. लाख में)	2.05

ग. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण—सभी दूरस्थ बिना बिजली वाले गांवों का विद्युतीकरण

आई.एन.एस. तलवार की खरीद

2614. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने आई.एन.एस. तलवार नामक अदृश्य युद्ध प्रौद्योगिकीयुक्त अपना पहला स्टील्थ शिप प्राप्त कर लिया है जोकि 4000 युद्ध पोत वाली अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पोत का प्रथम परीक्षण हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किया गया है; और

(ग) इस युद्ध पोत की मुख्य विशेषताएं और लागत क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय नौसेना के लिए रूस से संशोधित 'क्रिवाक' श्रेणी के तीन पोतों की अधिप्राप्ति की जा रही है। नवीनतम स्टील्थ विशेषताओं के अलावा ये पोत आधुनिकतम पनडुब्बी रोधी, पोत रोधी, वायु रोधी क्षमताओं से युक्त हैं।

पानीपत में डीलरशिप के चयन हेतु साक्षात्कार

2615. डा. चरणदास महंत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईओसी के अधिकारियों की साक्षात्कार समिति ने पानीपत में हुए साक्षात्कार के दौरान पेट्रोल पंप डीलरों के चयन में संगत प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है और उन सभी उम्मीदवारों को अंक नहीं दिये जो मैट्रिक पास थे और 56 से 65 वर्ष के आयु समूह के थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन उम्मीदवारों का फिर से साक्षात्कार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या डीलरशिप लेने हेतु सम्मिलित होने वाले भू-स्वामी अथवा उसके नामित द्वारा 65 अंक में से कम से कम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करने का भी प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी तेल उपक्रमों में एक समान नीति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) डीलरों के चयन के लिए दिनांक 17/19 नवंबर, 2003 के दौरान पानीपत में हुए साक्षात्कारों में, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) की चयन समिति ने विभिन्न पैरामीटरों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया था जिनमें डीलरशिपों के चयन के लिए उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तथा आयु के संबंध में किया गया मूल्यांकन भी शामिल है।

(ग) से (ङ) दिनांक 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के नियंत्रणमुक्त होने के बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल पंप), एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के लिए उनके द्वारा अपनाये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को सलाह दी है कि वे दिशा-निर्देशों में बताए गए विस्तृत पैमानों का पालन करें। तदनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए तेल विपणन कंपनियों ने अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार किये हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के अलावा अन्य तीन तेल विपणन कंपनियां नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब भू-स्वामियों/उनके नामितों की डीलरशिपें दिए जाने के लिए विचार किया जाए, तो उन्हें भूमि, बुनियादी संरचना और सुविधाओं के अलावा, चयन समितियों द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कारों में प्राचलों के लिए 65 अंकों में से कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए।

इंडेन के वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक के विरुद्ध शिकायतें

2616. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और भारतीय रेल निगम लि. को खासकर करनाल के वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक, इंडेन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों का ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार/तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों ने इन अधिकारियों के पूर्व रिकार्ड को देखते हुए इनके विरुद्ध कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को सितम्बर, 2003 में वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक, करनाल के विरुद्ध छद्मनामी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध अनुपयुक्त आचरण के बारे में बताया गया था। शिकायत की जांच-पड़ताल से यह पता लगा है कि इसमें आगे की कार्रवाई/जांच-पड़ताल करने के लिए आधार नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में एन.टी.पी.सी. संयंत्र

2617. श्री राजो सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कार्यरत थर्मल पावर स्टेशनों की संख्या क्या है;

(ख) स्थान-वार उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) देश के कुल विद्युत उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है?

(घ) थर्मल पावर स्टेशनों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किये गए हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार कृषि, सिंचाई और घरेलू प्रयोग हेतु निर्धारित नवीनतम विद्युत शुल्क का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बिहार में चल रहे थर्मल पावर स्टेशनों के ब्यौरे वार इनकी क्षमता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	क्षेत्र	मानीटर की गई क्षमता (मे.वा.)
1.	बरौनी	राज्य	310
2.	मुजफ्फरपुर	राज्य	220
	बीएसईबी कुल		530
3.	कहलगांव (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	840
	बिहार कुल		1370

(ग) अप्रैल, 03 से नवम्बर, 03 के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) का हिस्सा 0.77% था।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बीएसईबी को 10वीं योजना के दौरान बरौनी और मुजफ्फरपुर के थर्मल पावर स्टेशनों में प्रचालन निष्पादन में सुधार के लिए व्यापक नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) स्कीम तैयार करने की सलाह दी है ताकि उन्हें भारत सरकार के त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा सके। विद्युत मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव किया है कि एनटीपीसी दीर्घावधिक आधार पर मुजफ्फरपुर

पावर स्टेशन को हाथ में ले ले और इसके नवीकरण और आधुनिकीकरण में निवेश के पश्चात इसके निष्पादन में सुधार करे।

(ङ) हाल ही में कृषि, सिंचाई तथा घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित पावर टैरिफ के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सेवा की श्रेणी	विद्युत टैरिफ	न्यूनतम वसूली
1	2	3
घरेलू सेवा (डीएस)	62 रु./माह/कनेक्शन	
डीएस-I-2 कि.वा. भार तक डीएस-II-ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र और 2 कि.वा. से अधिक भारत वाले क्षेत्रों के लिए भी।	कि.वा./माह पैसे/कि.वा. घंटे प्रथम 100 180 अन्य 200 225 सभी आधिक्य 280 विविध चार्ज सहित सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कनेक्शन/माह 25 रु. की दर से तीन फेज कनेक्शन के लिए 150 रु. की दर से कनेक्शन/माह	सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 40 यूनिट/कि.वा./माह और तीन फेज कनेक्शन के लिए 100 यूनिट/कि.वा./माह
डीएस-III-पंजीकृत सोसायटी अथवा रिहायशी यूनिटों के लिए	250 पैसे/कि.वा. घंटा विविध चार्ज सहित सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 1 कि.वा. भार के लिए 25 रु. की दर से/कनेक्शन/माह, सिंगल फेज कनेक्शन पर 1 कि.वा. भार से अधिक के लिए 50 रु. की दर से कनेक्शन/माह और तीन फेज कनेक्शन के लिए 150 रु. की दर से कनेक्शन/माह	100 यूनिट/कि.वा./माह
सिंचाई और कृषि (आईएएस) सेवा आईएएस-I निजी नलकूपों सहित सभी कृषि सेवाओं के लिए		
अमीटरीकृत आपूर्ति 10 एचपी क्षमता तक के मोटरों कर लिए	75 रु./एचपी/माह की निर्धारित दर	
10 एचपी क्षमता से अधिक के मोटरों के लिए	80 रु./एचपी/माह की निर्धारित दर	
मोटरों के लिए	70 पैसे/कि.वा. घंटा	50 रु./एचपी/माह

1	2	3
मीटरीकृत आपूर्ति ग्रामीण आधार पर निर्धारित विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के लिए		
शहरी आधार पर निर्धारित विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के लिए	290 पैसा/कि.वा. घंटा	90 रु. एचपी/माह
आईएएस-II-स्टेट ट्यूब वेल्स/स्टेट लिफ्ट इरीगेशन पंप/स्टेट इरीगेशन पंप, 100 एचपी तक		
अमीटरीकृत आपूर्ति	350 रु./एचपी/माह की निर्धारित दर	
मीटरीकृत आपूर्ति	100 पैसे/कि.वा. घं. सहित निर्धारित रूप में 100 रु./माह/ट्यूब वेल	
आईएएस-III-विश्व बैंक और विदेशों से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए, 100 एचपी से अधिक		
अमीटरीकृत आपूर्ति	490 रु./एचपी/माह निर्धारित दर, 100 पैसे/कि.वा. घंटा के साथ	
मीटरीकृत आपूर्ति	निर्धारित प्रभार 100 रु. सहित माह/ट्यूबवेल	

[अनुवाद]

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कार्य आदेश इन्कार करना

2618. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 15 सितम्बर, 2003 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार के अनुसार रेल विभाग ने निर्माण कार्य देते हुए रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के दावों की अनदेखी की गई है;

(ख) क्या रेलवे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करके स्वदेशी कंपनियों की अनदेखी कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं। जैसाकि 15 सितम्बर, 2003 के स्टेट्समैन में दावा किया गया था, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के दावे की अनदेखी करते हुए किसी विदेशी कंपनी को ठेका नहीं दिया गया था।

(ख) जी नहीं। स्वदेशी कंपनियां भी विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेती हैं और यदि उनकी निविदाएं प्रतियोगी, तकनीकी रूप से उपयुक्त और वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य पाई जाती है तो, उनके प्रस्ताव को अनदेखा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुत्पादक व्यय

2619. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा संपर्क मार्गों के निर्माण सुनिश्चित किए बिना सड़क उपरि पुलों के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय किया गया है;

(ख) क्या निर्माण कार्यों को वास्तविक अनुमानों में सम्मिलित नहीं किया जाता है बल्कि इन पर अलग से कार्य शुरू किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) जी नहीं। रेलें, व्यस्त समपारों के बदले सड़क उपरि/निचले पुलों का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कुछ प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत पूरा करते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लागत में उनकी भागीदारी, उपरि/निचले पुल के पूरा होने के बाद समपार को बंद करना इत्यादि शामिल हैं, प्रस्ताव प्रायोजित करने के बाद ही शुरू करती है। राज्य सरकार से पहुंच मार्गों की अनुमानित लागत प्राप्त होने पर कार्य स्वीकृत किया जाता है, तत्पश्चात् पुल के अनुमान (रेलपथ के ऊपर) और पहुंच मार्गों के अनुमान सहित विस्तृत अनुमान तैयार किया जाता है तथा राज्य प्राधिकारियों से अनुमोदित भी कराया जाता है। विस्तृत अनुमानों की स्वीकृति के बाद कार्य निष्पादित किया जाता है। रेलें पुल (रेलपथों के ऊपर) का कार्य निष्पादित करती हैं और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। रेलें, अपने हिस्से का कार्य तभी शुरू करती हैं जब राज्य सरकार अपने हिस्से का कार्य शुरू कर देती हैं और पहुंच मार्गों के कार्य सहित कार्य को एक साथ पूरा करने के सभी प्रयास किये जाते हैं। बहरहाल, आपवादिक मामलों को छोड़कर, कभी-कभी राज्य सरकारें पहुंच मार्गों के लिए भूमि के अधिग्रहण अथवा यातायात के मार्ग परिवर्तन इत्यादि में समस्या के कारण पिछड़ जाती है लेकिन रेलवे सड़क उपरि/निचले पुल को शीघ्र चालू करने के लिए पहुंच मार्गों को पूरा करने हेतु जोरदार प्रयास करती है।

पंजाब वक्फ बोर्ड का विभाजन

2620. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर राज्य पंजाब वक्फ बोर्ड को पृथक करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए पृथक राज्य वक्फ बोर्ड गठित करने की अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पृथक किये गये पंजीकृत वक्फ बोर्ड की परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह निर्णय करने से पूर्व केन्द्रीय वक्फ परिषद और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों से सलाह ली गई थी;

(ङ) क्या सरकार ने इस निर्णय की व्यापक सार्वजनिक आलोचना पर ध्यान दिया है और क्या उन्हें मुस्लिम संगठनों से से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(च) पंजाब वक्फ बोर्ड की वार्षिक आय और व्यय कितनी है और इसके द्वारा शुरू किये गये धार्मिक शैक्षिक और धर्मार्थ कार्यकलापों पर विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितना वास्तविक व्यय हुआ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) और (ख) सरकार ने पंजाब वक्फ बोर्ड के विभाजन की योजना की स्वीकृति का आदेश 29.7.2003 को जारी किया, जो इसने पंजाब वक्फ बोर्ड के परामर्श और पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की सहमति से तैयार किया था।

(ग) प्रत्येक राज्य में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों की संख्या इस प्रकार है:

पंजाब	22450
हरियाणा	10920
हिमाचल प्रदेश	546
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	11
	33,927

(घ) दिनांक 29.7.2003 का आदेश, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से, वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद 102 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। वक्फ अधिनियम, 1995 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऐसा आदेश जारी करने के पहले, केन्द्रीय वक्फ परिषद अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुस्लिम संगठनों से परामर्श किया जाए।

(ङ) जी, नहीं। सरकार को, इस निर्णय के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सार्वजनिक आलोचना की जानकारी नहीं है। तथापि, मुस्लिम संगठनों द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के विभाजन के पक्ष तथा विरोध दोनों में, कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) सूचना विवरण-I, II तथा III के रूप में संलग्न है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पंजाब वक्फ बोर्ड की राज्यवार आय को दर्शाता विवरण

वर्ष	सामान्य पूल	पंजाब	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़	कुल
2000-01	3,02,34,134.26	7,82,40,150.74	3,94,57,515.89	29,52,263.49	शून्य	15,08,84,054.48
2001-02	3,53,50,108.70	8,60,50,235.77	3,69,26,051.74	31,26,295.45	शून्य	16,14,52,691.66
2002-03	3,11,99,684.77	9,39,50,784.60	3,93,31,410.82	12,58,084.60	45,700.00	16,57,85,664.79

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पंजाब वक्फ बोर्ड का राज्यवार वार्षिक व्यय

(रुपये में)

वर्ष	सामान्य पूल	पंजाब	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	चण्डीगढ़	कुल
2000-01	2,79,83,998.18	3,14,65,121.25	2,76,67.593.10	34,87,114.80	9,59,446.00	9,15,63,273.33
2001-02	2,18,30,893.18	3,91,09,435.80	3,05,43,086.35	38,97,705.00	7,04,946.00	9,60,86,066.33
2002-03	1,91,08,825.82	4,09,51,985.39	3,47,80,259.10	36,64,746.50	6,43,663.00	9,91,49,479.81

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान धार्मिक, शैक्षिक तथा धर्मार्थ कार्यकलापों पर राज्यवार एवं वर्षवार व्यय

(रुपये में)

वर्ष	कार्यकलाप	सामान्य पूल	पंजाब	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़	योग
2000-01	धार्मिक	2,99,345	60,92,394	1,14,00,700	11,67,260	6,19,957	1,95,79,656
	शैक्षिक	2,55,655	92,74,197	29,49,117	3,43,421	7,100	1,28,29,490
	धर्मार्थ	12,600	14,000	88,500	शून्य	शून्य	1,15,100
2001-02	धार्मिक	1,11,342	61,29,587	1,20,03,861	15,80,881	4,09,342	2,02,35,013
	शैक्षिक	1,100	1,00,57,258	3,94,016	3,66,090	1,100	1,35,19,564
	धमार्थ	5,200	20,000	81,000	5,000	शून्य	1,11,200
2002-03	धार्मिक	1,19,813	1,30,000	2,09,850	शून्य	30,000	4,89,663
	शैक्षिक	96,744	1,04,32.306	31,77.537	3,96,135	शून्य	1,41,02,722
	धर्मार्थ	1,500	5,000	2,59,000	5,000	शून्य	2,70,500

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8390/2003]

(ख) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8391/2003]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8392/2003]

(घ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8393/2003]

(2) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिनदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8394/2003]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8395/2003]

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (अवांछित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम, 2003 जो दिनांक 8 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8396/2003]

(2) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) रेल दावा अधिकरण (वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां) संशोधन नियम, 2003 जो 1 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन, नियम, 2003 जो 1 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा.का.नि. 384 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8397/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8398/2003]

(ख) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8399/2003]

(4) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8400/2003]

(5) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फारमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फारमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8401/2003]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8402/2003]

(ख) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8403/2003]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8404/2003]

(घ) (एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8405/2003]

(ङ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8406/2003]

(च) (एक) नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8407/2003]

(छ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-03 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8408/2003]

(ज) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के प्रबंधन द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्तुत लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों/अभिमतों/उत्तरों के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8409/2003]

(झ) (एक) इंजीनियर्स प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8410/2003]

(ञ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उधगमंडलम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उधगममंडल का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8411/2003]

(ट) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8412/2003]

(ठ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8413/2003]

(2) (एक) फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड, के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड, के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8414/2003]

(3) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8415/2003]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8416/2003]

(ख) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8417/2003]

(ग) (एक) इंजीनियर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8418/2003]

(घ) (एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8419/2003]

(ङ) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8420/2003]

(च) (एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8421/2003]

(छ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8422/2003]

(ज) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8423/2003]

(झ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8424/2003]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) अधिसूचना संख्या पी-23015/1/2003-एमकेटी जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प संख्या 60 के अनुसार 'दूरस्थ क्षेत्र' को अधिसूचित किया गया है।

(दो) केरोसिन (प्रयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 2003 जो 8 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 931(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8425/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा(1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 जो 24 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 761(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी ससंस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8426/2003]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8427/2003]

(ख) (एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8428/2003]

(ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन; लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8429/2003]

(घ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमटेड, टिहरी का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8430/2003]

(ङ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमटेड, शिलांग के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमटेड, शिलांग का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8431/2003]

(च) (एक) रूरल इलेक्टिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8432/2003]

(3) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8433/2003]

(4) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8434/2003]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8435/2003]

(ख) (एक) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8436/2003]

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द मैंटली हैन्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द मैंटली हैन्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8437/2003]

(4) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8438/2003]

(5) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार द हियरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार द हियरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8439/2003]

(6) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8440/2003]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): महोदय, मैं श्री नागमणि की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8441/2003]

(2) भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के जुलाई 2000 से जून, 2001 की अवधि के लिए 39वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8442/2003]

याचिका समिति

छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति का 36वां और 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^1/_2$ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति के 9वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां से छब्बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004 के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन;

(2) ''खाद्यान्नों की खरीद, उनका भण्डारण और वितरण'' के बारे में 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन;

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन;

(4) ''संविधान (101वां संशोधन) विधेयक, 2003'' के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण नोटिस और शून्यकाल पर आने से पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे एक अनुरोध किया है। वह चाहती है कि मैं सभा से यह अनुरोध करूं कि उन्हें राज्य सभा में कुछ तत्काल काम है और वह वहां जाना चाहती हैं। इसलिए उनके अनुसार एक बहुत छोटा विधेयक विचारार्थ लाया जाए।

यदि सभा सहमत है तो मैं इसे शुरू करूं।

कुछ माननीय सदस्य: जी नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह छोटा विधेयक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जो मैं आपके माध्यम से सदन के साथियों के सामने निवेदन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सामान्यत: विधायी कार्य हम लोग दो बजे लेते हैं और वैसे भी नियमों के अनुसार जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी दिन की सूची में रखा हो तो सबसे पहले वही लिया जाता है लेकिन मेरी व्यक्तिगत डिफिकल्टी आज यह है कि राज्य सभा में 97वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लगा है जिस पर वोटिंग है। आज वहां पोटा भी लगा है जिस पर वोटिंग होनी है और उसके बाद सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लगा है। राज्य सभा में मुझे आज उन तीनों बिलों की वोटिंग के समय उपस्थित होना पड़ेगा और यह बिल चूंकि मेरा बिल है और अभी कोई साथी कह रहे हैं कि छोटा बिल नहीं है। बहुत छोटा सा बिल है। एक इतना सा संशोधन केवल एक शब्द का है। शायद लोग इसे एम.सी.आई. का अमेंडमेंट समझ रहे हैं। यह एम.सी.आई. का अमेंडमेंट नहीं है। यह आई.एम.सी.सी. एक्ट का अमेंडमेंट है और वह भी केवल एक शब्द का है जहां गलती से मेडिकल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है जबकि वहां मेडिकल कॉलेज लिखना चाहिए था। केवल इतना सा अमेंडमेंट है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ...*(व्यवधान)* अगर सदन स्वीकार करे तो मैं इसको करके चली जाऊं। उसके बाद फिर राज्य सभा में तीनों बिलों के लिए अनिश्चितता मेरे लिए नहीं बनी रहेगी। केवल इतना छोटा सा संशोधन है। यह एम.सी.आई. एक्ट का संशोधन नहीं है। आई.एम.सी.सी. एक्ट के लिए एक शब्द जो चूक से रह गया। सिर्फ इतनी अमेंडमेंट है। आप लोग मुझे इजाजत दे रहे हैं, अगर सदन इजाजत दे दे तो मैं यह करके चली जाऊं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा सहमत है तो मैं इस विधेयक पर चर्चा शुरू कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मंत्री जी ने जो कहा है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके मुताबिक जब एक बजता है तो लंच ऑवर हो जाता है। इसलिए कॉलिंग एटेंशन और जीरो ऑवर में बहुत से महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको इसके बाद लेना चाहिए और समय बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप लंच ऑवर लें इसलिए लंच ऑवर को एक्सटेंड कर दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जितना समय बिल को मिलेगा, उसके बाद पूरा समय उन विषयों को दिया जाएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): एटीआर आन जेपीसी पर बहस का भी समय बता दें।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या जीरो ऑवर होगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिल्कुल होगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने सद्दाम हुसैन के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, वह विषय भी मेरे ध्यान में है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों का काम है जिन्होंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिए थे और यदि वे सहयोग करें और इस विधेयक को सभा में शुरू कराने के लिए सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'शून्य काल' के नोटिस जो आज शुरू किए जाएंगे, वे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में है। मैं नहीं जानता कि आप इन्हें कैसे निपटाएंगे क्योंकि विद्युत (संशोधन) विधेयक जैसे अनेक कानून हैं जो आज के लिए निर्धारित है। यदि आप समय आवंटन के बारे में हमें सूचित करें तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त, संयुक्त संसदीय समिति के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में चर्चा आज शुरू की जाएगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक पर जो भी समय खर्च होगा उसे 'शून्य काल' के दौरान समायोजित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प है। अत: मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने का अवसर देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: एटीआर आन जेपीसी पर बहस कब होगी?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कब शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अगर सदन का समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो सब विषय लेने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कि मुझे क्या बिजनेस लेना है।

श्री राम विलास पासवान: इस बिल पर अगर बहस शुरू होगी, तब हम एग्री नहीं करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: बहस नहीं करनी है। बहस की बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: बहस नहीं होगी। इनका स्टेचुटरी रिजोल्यूशन है, यह दो मिनट तो बोलेंगे ही।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस बिल पर बोलने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं।

[अनुवाद]

मैं किसी विधेयक को पारित करने का यह उल्लेख करते हुए पूर्णरूपेण विरोध करता हूं कि यह छोटा विधेयक है। हम इसके लिए संसद में नहीं हैं। यह संशोधन न्यायोचित होना चाहिए और इसमें समय लगता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इसे न्यायोचित बनाऊंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप इसे न्यायोचित बना सकती हैं। तथापि, अपने तर्क देने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि इस पर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं हैं क्योंकि यह एक छोटा विधेयक है? संसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आप विधेयक पर चर्चा शुरू करें और मैं इसकी चिन्ता नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप पहले कह देते कि आपको इस पर आपत्ति है, तो मैं उनसे इसे जारी रखने के लिए न कहता। हम इसे अब भी बंद कर सकते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारी पार्टी ने इस विधेयक पर बोलने के लिए कुछ सदस्यों को चुना है जिसके लिए समय आवंटित किया गया है। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु जो मैं कह

रहा हूं वह यह कि उन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि यह विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक नहीं है और इसलिए हमें इसे बिना चर्चा के पारित कर देना चाहिए। काम करने का यह तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, हमने इसके लिए दो घंटे आवंटित किए हैं और सदस्यगण इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए उस आवंटित समय का फायदा उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आधा घंटा अलाट किया था। अभी कर लेते हैं, 15 मिनट का भी बिल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जल्दी क्या है, इस बिल को कल ले लिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं इस विधेयक को दो घंटे का समय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अपनी पार्टी की ओर से हमने उन सदस्यों का चयन किया है जो इस विधयेक पर बोलना चाहते हैं और हमने उनसे मध्याह्न भोजन के पश्चात तैयार होकर आने को कहा है क्योंकि हमने सोचा था कि शून्य काल और ध्यानाकर्षण नोटिस पहले शुरू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब इसे शुरू नहीं कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: दासमुंशी जी मान रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इसे अब शुरू नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन बहस दो घंटे के लिए होगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह दो घंटे का बिल ही नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बीएसी में इसके लिए दो घंटे निर्धारित हुए थे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: दो घंटे नहीं, आधा घंटा निर्धारित हुआ था।

श्री राम विलास पासवान: इस तरह से तो हमारे विषय की गम्भीरता खत्म हो जाएगी। यह आधे घंटे का विषय है, बिना चर्चा के ही कर दें। हमें इसे बिना चर्चा के पारित करने के लिए तैयार हैं। तथापि, यदि चर्चा होती है तो इसमें समय लगेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सारे हाउस ने अनुमति दी थी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सुझाव देना है। इसे मद को पहली मद के रूप में कल लिया जाए और तब हम इसे लगभग पैंतालीस मिनट में पूरा करेंगे। अपनी ओर से मैं वायदा करूंगा कि हम इस पर सहयोग करेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे क्या दिक्कत है। अब क्या गड़बड़ हो गयी। सारे सदन ने तो अनुमति दे दी, सबने हाथ उठाकर सहमति दी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर और अधिक समय लगाना नहीं चाहता। यदि इस मद को शुरू करने पर एक राय नहीं है तो मैं इसे शुरू नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: केवल मैडिकल इंस्टीट्यूशन की जगह मैडिकल कालेज लिखना है। इसमें और कुछ संशोधन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसे कल शुरू किया जाए। हम इसे पैंतालीस मिनट में पारित करेंगे।

एक माननीय सदस्य: अध्यादेश क्यों?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आर्डिनेंस के बारे में अभी बताती हूं कि अर्डिनेंस क्यों, क्योंकि 70 एप्लीकेशन्स थी, उनको प्रोसेस करना था और वे एक शब्द के कारण प्रोसेस नहीं हो पा रही थीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सुषमा जी, हम इसे कल शुरू करेंगे। यदि सभा इस पर एकमत नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? शुरु में वे एकमत थे किन्तु स्थिति बदल चुकी है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा कब होगी?

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक*— *पुर:स्थापित*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 14, विधेयक के पुर:स्थापन को लेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं शून्य काल शुरू होने पर इसकी अनुमति दूंगा, पर अभी नहीं। मैं नहीं जानता कि आप सभा का समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा का समय नष्ट न करें। आप जानते हैं कि पहली प्राथमिकता ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को दी जाती है। आपने नियम बनाए हैं और आपको उनका पालन करना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ नहीं। आपको ध्यानाकर्षण के बाद ही अनुमति दी जाएगी। सभा को नियमों की भली-भांति जानकारी है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[हिन्दी]

दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों और कतिपय अन्य पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने और उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान विलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

> "दलित मुसलमानों, दलित ईसाईयों और कतिपय अन्य पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और उन्हें आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं, अगर वे स्टेटमेंट सदन के पटल पर रख दें तो क्या चल जाएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: नहीं सर।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): नहीं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको जो बोलना है, बोलिये। माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यहां उपस्थित अपने कई मित्रों की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सभा में हमेशा मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ा जाता है। हम संसद के प्रत्येक रीति-रिवाज को विकृत करते जा रहे हैं। यह क्या है? वक्तव्य तो उन्हें ही पढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि सदस्य चाहते हैं तो वक्तव्य पढ़ा जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: केवल सदस्य ही नहीं, हम सभी चाहते हैं कि इसे पढ़ा जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप भी इसे कह सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सभा की सम्पत्ति है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, इसमें उग्र होने जैसी कोई चीज नहीं है। आप खड़े होकर यह कह सकते हैं कि वक्तव्य पढ़ा जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम जानना चाहते हैं कि वक्तव्य में क्या है।

अध्यक्ष महोदय: क्यों अनावश्यक व्यग्र हो रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा खड़े होकर इसे कह सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कृपया इसे फिर से कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

यदि एक सदस्य भी ऐसा चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी वक्तव्य को पढ़ें।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 366(24) के अनुसार, ''अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें वे यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुचछेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।''

संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) में यह उपबंध है कि ''राष्ट्रपति, किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।''

इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (2) में यह व्यवस्था है कि ''संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें से यूथ को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।''

अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए लागू कसौटी ''अत्यन्त सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है जो अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा के कारण होता है।''

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 में केवल हिन्दू, सिक्ख और बौद्ध धर्म शामिल हैं। इसके द्वारा इन धर्मों से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के पात्र हैं, यदि वे उक्त संवैधानिक आदेश में विहित शर्तें पूरी करते हों। राष्ट्रपतिय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 की वैधता पर उच्चतम न्यायालय में सूसई आदि बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (1983 की प्रकरण संख्या 9596) में विचार किया गया था, जिसमें शीर्ष न्यायालय के निर्णय के पैरा 7 में टिप्पणी की कि ''अब यह विवाद का विषय नहीं हो सकता कि जाति प्रथा हिन्दू सामाजिक संरचना की एक विशेषता है। यह एक सामाजिक घटना है, जो हिन्दू समाज के लिए अनूठी है। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के विभाजन का संदर्भ एक समय व्यावसायिक और कार्य संबंधी पेशे से दिया जाता था जिसे एक संरचनात्मक उत्तराधिकार में ढाल दिया गया जो शताब्दियों के बाद निश्चित रूप से एक ऐसे स्तर में ढाल दिया गया जहां कि व्यक्ति का निर्धारण जन्म से निर्धारित किया गया। जो सामाजिक सीढ़ी के निचले भाग पर थे, उनका अस्तित्व सभ्य समाज की परिधि से परे समझा गया, और वे यहां तक कि वास्तव में ''स्पृश्य'' भी नहीं थे। इस सामाजिक प्रवृत्ति ने उन जातियों को गम्भीर सामाजिक एवं आर्थिक असमर्थताओं तथा सांस्कृतिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के हवाले कर दिया।''

शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 8 में यह टिप्पणी की कि ''यह बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति जी के पास यह उल्लेख करने वाली वह सभी सामग्री थी कि हिन्दू और सिक्ख समुदायों के दलित वर्गों में इतनी मात्रा में आर्थिक और सामाजिक असमर्थता

एवं सांस्कृतिक व शैक्षिक पिछड़ापन है कि इन दो समुदायों में उन जातियों के लोगों ने अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधानों के संरक्षण की मांग की। यह स्पष्ट था कि उनकी दशा में सुधार लाने और उनकी उन्नति की व्यवस्था करने के लिए राज्य द्वारा अपने विधायी और कार्यकारिणी शक्तियों के माध्यम से हस्तक्षेप पर विचार करना आवश्यक समझा गया। इसे स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें अनुसूचित जातियों के व्यक्ति समझे जाने के लिए पैराग्राफ 3 में सम्मिलित की गई घोषणा ऐसी घोषणा थी जो संविधान के प्रयोजनों के लिए की गई थी। यह एक घोषणा थी जो संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) द्वारा लागू की गई।'' शीर्ष न्यायालय ने निर्णय के पैरा 8 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया ''इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 को अधिनियमित करने में अपने फैसले के प्रयोग में स्वेच्छा से काम किया।

ऐसा आरोप है कि 1935-50 के दौरान ''दलित मुस्लिम'' वे लाभ प्राप्त कर रहे थे, जो अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध हैं तथा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ने दलित मुस्लिमों को इन लाभों से वंचित कर दिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई उपलब्ध रिकार्ड नहीं है जो यह दर्शाता है कि दलित मुस्लिमों को 1935-50 की अवधि के दौरान वे लाभ मिल रहे थे जो अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन संबंधी सलाहकार समिति, भारत सरकार की रिपोर्ट में यह उल्लेख है, ''संगत रिकार्डज दर्शाता है कि अनुसूचित जातियों की सूची तैयार करने में इस्तेमाल की गई कसौटी अस्पृश्यता की ऐतिहासिक प्रथाओं से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है। 1950 में तैयार की गई अनुसूचित जातियों की सूची भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची की संशोधित पाठ थी, जो क्रमश: दलित वर्गों की पूर्ववर्ती सूची के क्रम में थी। यह ज्ञात है कि दलित वर्गों को भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा 1931 में सुव्यवस्थित तरीके से श्रेणीकृत किया गया, जिन्होंने श्रेणी के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए थे:

''मैंने दलित जातियों को उन जातियों के रूप में स्पष्ट किया है जिसके साथ सम्पर्क से ऊंची जातियों के लिए शुद्धकरण अपरिहार्य है ऐसा उद्देश्य नहीं है कि परिवर्तन का व्यवसाय से ऐसा कोई संबंध है किन्तु उन जातियों को, जिन्हें हिन्दू समाज में उनकी पारम्परिक स्थिति के कारणों से उदाहरण के लिए मन्दिरों में प्रवेश के लिए रोका जाता है अथवा अलग कुओं का प्रयोग करना होता है या स्कूल भवन के भीतर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है किन्तु बाहर रहना पड़ता है अथवा इसी प्रकार की असमर्थताओं का सामना करना पड़ता है।'' अत: यह स्पष्ट है कि दलित मुस्लिमों अथवा दलित ईसाईयों को 1935-50 के दौरान दलित वर्गों की सूची में शामिल नहीं किया गया।

अनुसूचित जातियों की सूची में ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों में शामिल करने के मुद्दे पर भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ परामर्श करके कार्रवाई की गई है। भारत के महारजिस्ट्रार ने विचार व्यक्त किया है कि जातियों के आधार पर ईसाईयों का स्तर विन्यास अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बन सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गलतफहमी हो सकती है कि कहीं भारत ईसाइयों में जाति प्रथा को तो नहीं थोप रहा है। अत: ऐसा आरक्षण न्यायोचित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने मत व्यक्त किया है कि आरक्षण के प्रयोजन में अनुसूचित जातियों की सूची में दलित ईसाईयों को सम्मिलित करना न तो वांछनीय है और न ही न्यायोचित है। इसी प्रकार, इस्लाम में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को सम्मिलित करने के मामले में भारत के महारजिस्ट्रार ने राय दी है कि यह गम्भीर विवाद और साथ ही मुस्लिमों में असंतोष का विषय होगा। यदि उनके समुदाय को अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा के कारण उत्पन्न, विशेषकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रयोजन के लिए पिछड़ेपन के आधार पर हिन्दू जातियों के अनुरूप मान्यता दी जाती है। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अभिमत व्यक्त किया है कि मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए धर्म के आधार पर कोई बाधा नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी गवर्नमैंट ऑफिसर का तैयार किया जवाब है जिसे उन्होंने सदन में पढ़ दिया। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन की चर्चा की। देश में चाहे जिस जाति के लोग हों चाहे वे ब्राह्मण हों, राजपूत हों, कायस्थ हों, भूमिहार हों, कुर्मी हों, कोली हों, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त ऐसे लोगो को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं लेकिन जो देश में सबसे ज्यादा कमजोर रहे उनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी ने उनकी अपने जवाब में चर्चा की कि छुआछूत के कारण, सामाजिक अव्यवस्था के कारण, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण, मंदिर में प्रवेश न करने के कारण, पानी के नजदीक न जाने के कारण, घर में प्रवेश न करने के कारण उनकी हालत और खराब होती चली गई। इन सब चीजों और सामाजिक अव्यवस्था के कारण हिन्दू दलितों को आरक्षण की सुविधा सबसे पहले दी गई। पता नहीं,

[श्री राजेश रंजन- उर्फ पप्पू यादव]

जटिया साहब को इसकी जानकारी है या नहीं? हमारे प्रदेश में पूरी आबादी का 80 से 85 प्रतिशत भाग दलित मुसलमानों का है। शायद इन्होंने इसे नहीं देखा। मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां के लोगों के पास पानी की कोई सुविधा नहीं है, उनके बदन पर कपड़े नहीं हैं। आप किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में जाकर उनकी स्थिति देख सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने इस बात की पहले ही चर्चा की है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट रूप से जानें कि आज भी मुसलमान अशिक्षित हैं। आपने लिखा है कि ''अज्ञानता, अशिक्षा और आर्थिक अव्यवस्था के कारण पांच प्रतिशत से कम देश के मुसलमान लोग पढ़े-लिखे हैं'' इनमें से दलित मुसलमानों की संख्या डेढ़ से दो प्रतिशत भी नहीं होगी। जितनी संख्या में हिन्दू के बाद मुसलमान देश में है, उसके मुताबिक उनकी सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है, यदि उसे देखेंगे तो उनकी सम्पूर्ण देश में भागीदारी एक-डेढ़ प्रतिशत के बीच है। आप सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। आप उस बात को याद करिए जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना एक्ट के तहत इस चर्चा को उठाया था, उन्होंने किसी जाति या धर्म को नहीं बांधा। उन्होंने डिप्रैस्ड क्लास, ऑप्रैस्ड क्लास और ऑस्टरसाइज्ड क्लास को आरक्षण देने की बात कही थी। आपने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ काम नहीं किया। 1932 में यह सवाल उठा था। 1935 में पूना एक्ट के तहत इसमें कामयाबी मिली। जब 1950 में धार्मिक पाबंदी लग गई तो आप कह रहे हैं कि हमें उसकी जानकारी नहीं है कि दलित मुस्लिम को किसी तरह का आरक्षण देने की बात थी या नहीं?

सरकार ने 1950 में धार्मिक पाबंदी लगाई लेकिन उसके बाद दोबार एक्ट में संशोधन किया गया। उसके बाद ही सिक्ख दलित को आरक्षण मिला। 1990 में श्री राम विलास पासवान ने बौद्ध दलितों को आरक्षण दिलाने का काम किया। आप पूर्वांचल राज्य में चले जाइए। केरल में चले जाइए जहां क्रिश्चियन दलितों को आरक्षण मिला हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भूमिहारों और राजपूतों को आरक्षण देने का काम किया गया है। जब दोनों मुख्य राजनैतिक दल इसके पक्षधर हैं और इसे करने का काम किया है, यह अच्छी बात है। यदि ब्राम्हण और राजपूत में गरीब लोग हैं तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मैं भी उनका पक्षधार हूं। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखकर उनके आरक्षण की वकालत पूरे देश में होनी चाहिए। क्या सरकार ने कभी यह सोचा कि इस देश में दलितों को आरक्षण मिला हुआ होने के बावजूद उनकी क्या स्थिति है? देश में दलित मुसलमानों की संख्या क्या है? इस सदन में कितने दलित मुसलमान हैं? पूरे देश में एक-दो दलित मुसलमानों के आई.ए.एस. आफिसर्स होंगे। जब संविधान की धारा 14 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कानून की नजर में सब धर्म बराबर हैं और संविधान की धारा-15 एवं 16 के अनुसार लिंग, धर्म, जाति, नस्ल या जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा तो क्या संविधान की इस धारा को दरकिनार कर दिया जायेगा? जब संविधान की धारा-25 में यह व्यवस्था की गई है कि सब को धार्मिक स्वतंत्रता है तो क्या बंजारा, धुनिया नाई, हज्जाम, जुलाहा, चूड़ीहार, लुहार, रंगरेज आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रहेंगे? इन्हीं जातियों के लोग आज हिन्दू समाज में पिछड़े हुए लोग हैं। ये लोग जो भी काम करते हं, वहीं काम दलित मुसलमान भी करते हैं। चाहे पाखाना उठाने का कार्य हो या कोई ऐसा कार्य हो, यही लोग ही करते हैं। क्या उन्हें बांटने का काम किया जायेगा? जब दलित मुसलमानों में काम करने की वही व्यवस्था है जो हिन्दू दलित काम करते हैं तो हम उन्हें बांटने का काम नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, अभी बिहार के सूरजपुरी लोगों के सवाल पर हल्ला किया गया। बिहार सरकार ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको नियम बता दूं कि कहीं कोई सदस्य यह सोचने लग जाये कि कालिंग अटैंशन के नाम पर उस पर मैं अन्याय कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। कालिंग अटेंशन का नियम यह है कि केवल प्रश्न पूछना होता है और मैंने सोचा चूंकि विषय इम्पार्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा भाषण करने की अनुमति दी लेकिन आप इतना लम्बा भाषण करेंगे तो अन्य सदस्यों को जीरो आवर का मौका नहीं मिलेगा। आप सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दो बातों को केन्द्र बिन्दु बनाया। इस देश में हिन्दू समाज में दलित कमजोर है। लेकिन उससे ज्यादा कमजोर मुस्लिम दलित हैं। देश में इतना गरीब और इतना दलित कोई नहीं जितना मुस्लिम दलित है। माननीय मंत्री जी ने छूआछूत की बात उठायी। सिक्ख दलित में छूआछूत की कोई बात नहीं थी लेकिन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में उसे आरक्षण दिया गया। इसी प्रकार ब्राम्मण और राजपूत में जो गरीब हैं, उनमें छूआछूत की कोई बात नहीं थी लेकिन मंदिर में जाने और पानी पीने के लिए कोई अस्पृश्यता की बात नहीं थी। क्या उन्हें आरक्षण देने के लिए बात की गई या नहीं? यदि आपने की है तो किस आधार पर उन्हें आरक्षण देना चाहते हैं? आप धार्मिक पाबंदी को खत्म करिये क्योंकि 1950 के बाद आपने लिख दिया है। मैं चाहता हूं कि यदि इस देश की एन.डी.ए. की सरकार निश्चित रूप से इस काम को करती है तो याद रखिए कांग्रेस ने आज तक 85-90 प्रतिशत दलित मुसलमानों के वोट लिये हैं, उनके दर्द पर कांग्रेस ने कभी मरहम नहीं लगाई, कभी उन लोगों की आत्मा की आवाज नहीं सुनी।

यदि कांग्रेस ने उनकी आवाज सुनी होती तो आज तक इन्होंने जो राज किया, इन्हें निश्चित रूप से सबसे पहला काम करना

चाहिए था तो दलित हिन्दुओं के बाद मुस्लिम दलितों के लिए काम करना चाहिए था। मैं एन.डी.ए. सरकार से आग्रह करूंगा कि आपको इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। हिन्दुस्तान का कोई मुसलमान इन चीजों के खिलाफ नहीं हैं और न ही ये किसी की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी करता है। यह उनका अधिकार है, उनका हक है, उनके सम्मान, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हैं। जब तक समाज में असंतुलन की व्यवस्था रहेगी, तब तक मैं आरक्षण का पक्षधर हूं। जिस दिन समाज में संतुलन स्थापित हो जायेगा, आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, मेरा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इन्हें संतुलित समाज में लाने के लिए आपको आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें धार्मिक भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं .इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। इन्हें आप सिर्फ यह कहकर मत टालिये कि कहीं न कहीं धार्मिक भावना इसमें होगी। आप सर्वे करा लीजिए, देश के सारे मुसलमान चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था निश्चित रूप से हम भी डेवलप करे और हमारे कमजोर लोगों भी डेवलप करें। मैं समझता हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे और मुस्लिम दलितों के लिए 341 एक्ट के तहत आरक्षण का प्रावधान करेंगे। ...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदयः इनका आगे का भाषण रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर कालिंग अटैंशन में मुझे बोलने का अवसर दिया। इसमें तीन शब्द हैं—प्रथम दलित मुसलमान, दूसरा दलित क्रिश्चियन और तीसरा शब्द है कि और भी अन्य समुदाय और अनुसूचित जातियों को शामिल नहीं किया गया है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें दो-तीन बातें कहीं हैं और वे बातें सही हैं। मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता। चूंकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं। अनुसूचित जातियों को कैसे जोड़ा जाता है, कहां से आता है, वह जानता हूं। इसमें मामला सीधा है, कि धर्म के आधार पर किसी के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई मुसलमान विदेशी नहीं है। कोई बाबर की संतान नहीं है, सब इसी देश के लोग हैं और यह भी सही है कि कोई क्रिश्चियन भी विदेशी नहीं है। कोई अंग्रेज या गोरा क्रिश्चियन नहीं है। सब इसी देश के लोग हैं। इस देश में जाति व्यवस्था रही है। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया होगा, वे किसी न किसी जाति से गये होंगे। इसी तरीके से यदि हम मुसलमानों में देखें तो शेख है, सैयद है, बक्को, धोबी, नट, दर्जी, पमरिया, बटियारा, भिश्ती, गुज्जर, गद्दी, मल्लाह, बकरवाल आदि जातियां है। इन्होंने जवाब में कहा कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन पहले से ही ये लोग मंडल कमीशन के तहत हैं। पहले से ही ये लोग पिछड़ी जातियों से हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि पिछड़ी जातियों से उन्हें अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए। मंत्री जी आप देखें, आपने जो 1935 का एक्ट का हवाला दिया है। महात्मा गांधी ने 1932 में जब आमरण अनशन किया था, उसके बाद पूना पैक्ट बना था। उसी के तहत यह 1935 का एक्ट बना लेकिन उसमें कोई रिलीजन का सवाल नहीं था। जो भी अछूत हैं, अनटचेबल हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया। यह बात सही है कि उसमें सारे धर्म के सदस्य थे। बाद में 1950 में सिर्फ हिन्दू दलित को जोड़ा गया। लेकिन जब हल्ला हुआ तो फिर 1956 में सिख दलित को जोड़ा गया। 1990 में हमने जोड़ने का काम किया। नवबौद्धों को अनुसूचित जाति में अब सिर्फ दो समुदाय के दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन बच गए हैं। चुंदूर में जो घटना घटी, वहां लोग मारे गये, वह बहुत दुखद घटना थी। हम लोग वहां से न्याय ज्योति लेकर चले थे। वे लोग दलित क्रिश्चियन थे। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता। सब कहते हैं कि दलित लोग मारे गये। इसलिए धर्म का तर्क देना ठीक नहीं है। श्री पी.एम. सईद, जो डिप्टी स्पीकर हैं, वह मुसलमान हैं। लेकिन उनकी कांस्टीटुएंटी ट्राइबल की है। इस तरीके से क्रिश्चियन ट्राइबल को रिजर्वेशन मिल सकता है। ट्राइबल क्रिश्चियन को आदिवासी माना जाता है तो ट्राइबल मुस्लिम को रिजर्वेशन मिल सकता है तो जो दलित क्रिश्चियन हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता? दलित मुसलमान को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। ...(*व्यवधान*)

उसी प्रकार से मुसलमानों में शेख हैं, सैयद हैं, हर जातियों की कैटागरी बनी हुई है और सारे के सारे दलित वर्ग के लोग वहां किसी सत्ता के लिए नहीं गए थे। वे इसलिए गए थे कि यहां धर्म में उनका जो अपमान हो रहा था, उससे बचने के लिए गए थे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ...(*व्यवधान*)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): वे लोग वहां जाकर भी वही काम करते हैं। अगर वहां जाकर भी वही काम कर रहे हैं तो धर्म बदलने की क्या जरूरत थी? ...(*व्यवधान*) जब ये सत्ता में थे पचास सालों तक, तब कुछ नहीं किया और आज बोल रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयः आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बीच में बोलने का कोई अधिकार आपको नहीं है। प्लीज बैठिए। आपका कोई मुद्दा हो तो जब चर्चा होती है, चर्चा में आसन की अनुमति से आप खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन जब एक सदस्य बोल रहा है तो उनको अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा अधिकार है। कृपया बैठिए।

---
*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, इनको मालूम नहीं है कि पिछले कुछ दिनों तक क्रिश्चियैनिटी में भी चर्च में बिशप और फादर बनने का उनको अधिकार नहीं था।

इसी प्रकार एक और जो तीसरा तबका है जो एक राज्य में अनुसूचित जाति में है लेकिन दूसरे राज्य में नहीं है। बिहार में पासवान शैडयूल्ड कास्ट में है लेकिन दिल्ली में वह अनुसूचित जाति में नहीं है। फिशरमैन पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में है लेकिन बिहार में अनुसूचित जाति में नहीं है। धोबी, फिशरमैन यहां अनुसूचित जाति में हैं लेकिन कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में अनुसूचित जाति में नहीं हैं। हम लोगों ने एक बिल अपने समय में तैयार किया था कि जो एक राज्य में अनुसूचित जाति में होगा, दूसरे राज्य में जाने पर उसकी जाति नहीं बदलती है इसलिए एक जाति यदि एक राज्य में अनुसूचित जाति में होगी तो वह देश में कहीं भी जाए, अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा उसे मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति का दर्जा सैन्ट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन राज्य सरकार में नहीं है। उसी तरीके से बिहार से हमारे शरद यादव आते हैं, जार्ज साहब आते हैं। वहां बहुत दिनों से मांग रही है कि गोड को शैडयूल्ड कास्ट्स में शामिल किया जाए।

उत्तरांचल में नमोशुद्रा है, पोद है, पांडु है, राजवंशी है, धुमाली है, पालिया है, मालो है, केवट है, जेले हैं, कोरी है और चमार इत्यादि सारी की सारी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से दिल्ली में पासवान है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर गंभीरता से विचार करे और सिर्फ यह बात कहना कि वह मुस्लिम हैं और वहां जाति-पाति नहीं है, क्रिश्चियन्स में जाति-पाति नहीं है और वहां से ऑब्जैक्शन आ रहा है। कहीं से ऑब्जैक्शन नहीं आ रहा है। सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है और इससे सामाजिक समरसता भी आएगी। धर्म के नाम पर भेदभाव भी खत्म होगा और आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य भी खत्म होगा, यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* यह सारे देश की भावना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने उन मित्रों की बातों से सहमत हूं जिन्होंने पहले ही यह विषय उठाया कि दलितों को उनके फर्म का ध्यान दिए बिना ही उन्हें आरक्षण का यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करे।

इसके अलावा, मैं कुछ नई बातें जोड़ना चाहता हूं। संथाल जाति के जनजातीय लोग बड़ी संख्या में हैं और ब्रिटिश राज के दौरान उनका पलायन छोटा नागपुर से देश के विभिन्न भागों में हुआ है।

संथाल समुदाय को बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है जबकि असम जैसे अन्य राज्यों में उन्हें जनजाति नहीं माना गया है। इसलिए संथाल समुदाय की एक बड़ी आबादी को जनजाति का लाभ नहीं मिल पाता है। इन सभी जनजातियों को पूरे देश में अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह कि विभाजन के समय बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। पाकिस्तान से लोगों का भारत में पलायन दो अवसरों पर हुआ। पहली बार वे लोग 1947 में विभाजन के पश्चात् आए और दूसरी बार वे 1971 के युद्ध के समय आए। वे लोग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बस्तर और उधम सिंह नगर जैसे भारत के कुछ अन्य हिस्सों में बस गए। इनमें से अधिकांश लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों की जाति चार से पांच उनपजातियों में बंटी हुई है। इनमें एक है नामशूद्र। इस उपजाति के लोग बड़ी संख्या में है और इनका पूर्वी पाकिस्तान से पलायन हुआ था। फिर, पोंडरा, पोंड और माझी उपजाति के भी लोग हैं। इन लोगों को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। किन्तु, इन्हें उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है।

महोदय, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कतिपय मानदंड के आधार पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय को इस तरह का दर्जा अचानक प्रदान कर दिया जाता है। अब चूंकि कतिपय मानदंड पर समुचित विचार-विमर्श के बाद ही किसी समुदाय को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, तो फिर उसी जाति के लोगों को दूसरे राज्यों में क्यों नहीं अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है? उधमसिंह नगर, नैनीताल और ऐसे ही अन्य जगहों में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति की मान्यता नहीं दी गई है। वे लोग पिछले सप्ताह दिल्ली आए थे और धरना पर बैठे थे। उन्हें उनके लाभ से वंचित रखा गया है।

[हिन्दी]

उसमें हम सब भी गए थे। वे लोग भी शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं।

[अनुवाद]

इसलिए इन लोगों को उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों और अन्य स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि असम में संथालों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसाकि श्रीराम विलास पासवान ने सुझाव दिया है कि किसी समुदाय को किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, तो उसे पूरे देश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। तभी उस समुदाय के लोगों को न्याय मिल सकेगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जितने भी माननीय सदस्य इस विषय पर अपना समर्थन देना चाहते हैं, उनके नाम एसोसिएट कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री रामचन्द्र पासवान इस विषय पर बोलने वाले अंतिम वक्ता हैं। उन्होंने सूचना दी है। बैलेट में उनका नाम आया है। अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि भारत में यदि एक समुदाय को किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो उस जाति को देश में हर जगह अनसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। उस फैसले पर समुचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए और उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, आज तक हमने सुना है और देखा है कि लोगों का नाम बदला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, इस मासले पर सदस्यों में आम राय है ...*(व्यवधान)* सभा में प्रत्येक तबके के लोगों की इस पर सहमति है ...*(व्यवधान)* आप कृपया कर सभा की राय जान सकते हैं और इस पर जवाब के लिए माननीय मंत्री से कह सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आप बोलिए।

श्री रामचन्द्र पासवान: अध्यक्ष जी, आज तक ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामचन्द्र पासवान जी, आप अपने बड़े भाई साहब की तरह बोलते रहिए।

श्री रामचन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय, एक रोज हमारा जीरो आवर में भी भाषण हुआ था, लेकिन हल्ला-गुल्ला होने के कारण हम अपनी बात पूरी नहीं कह पाए और बहुत कुछ बोलने से छूट गया और आज भी मुझे लग रहा है कि कहीं हमारा भाषण छूट न जाए। आपके आसन में होने के कारण ही हमें बोलने का अवसर मिल रहा है। आपने हमें बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सत्य है कि आपके आसन में होने के कारण यह सब्जैक्ट सदन में आया है, अन्यथा यह सदन में ही नहीं आता। ...*(व्यवधान)*

श्री रामचन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय, अभी तक लोगों का नाम बदला है, टाइटल बदला है, लेकिन जाति नहीं बदलती है।

आज पूरे देश में, चाहे किसी भी प्रदेश में लोग रहते हों, उनकी जाति एक ही रहनी चाहिए। आज मंत्री जी का जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, उसमें बहुत सी जातियां हैं, जो एक-दूसरे राज्य से भिन्न हैं, उनका दर्जा एक-दूसरे राज्य से अलग दिया गया है। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि एक जाति, जो एक राज्य में अनुसूचित जाति में है और दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में नहीं है, इसके लिए सरकार पूरे देश में सर्वे कराकर सदन में विधेयक क्यों नहीं लाती है? दूसरा, यह सरकार जो धीरे-धीरे एक-एक जाति को जोड़ने का काम कर रही है, इसके लिए व्यापक पैमाने पर क्यों नहीं सदन में चर्चा करा कर विधेयक लाने का काम करती है? हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए सरकार पूरे देश के प्रदेश के लोगों के लिए विधेयक लाना चाहती है? तीसरा, इसके लिए आज दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन मोर्चा के लिए हजारों-हजार की तादाद में लोग जेल जा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन हो रहा है। अभी परसों हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामविलास पासवान जी, कमाल असरफराइन जी, डा. हजाज अली जी थे और पप्पू यादव जी थे, जिन्होंने अभी सदन में चर्चा की है। हम देखते हैं कि हजारों-हजार लोगों ने परसों भी गिरफ्तारियां दी हैं।

[श्री रामचन्द्र पासवान]

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार क्यों नहीं इस विधेयक को यहां लाकर इन लोगों को अनुगृहीत कर रही है। इसके अलावा नौनिया जाति के लोग हैं, जुलाहा, मल्लाह, नमोशुद्र, पोद्रा, बौद्ध और मांझी हैं, जो इससे बिलकुल वंचित हैं। इसलिए इन कास्टों को भी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए, यह हमारी प्रमुख मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हम भी इस विषय पर दो मिनट बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, मैं उन सभी का नाम इस चर्चा में एसोसिएट कर दूंगा।

[अनुवाद]

मैं आप सबों के नामों को संबद्ध कर रहा हूं। जो लोग खड़े हैं, मैं उन सबों के नामों को इस चर्चा से संबद्ध कर रहा हूं। ये सभी नाम संबद्ध किए जाएंगे।

[हिन्दी]

लेकिन नियम के अनुसार दूसरे सदस्यों को बोलने की इजाजत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय को किसी अन्य माध्यम से उठा सकते हैं। इस तरह मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर ध्यानाकर्षण करने का काम हुआ है, उसमें राजेश रंजन जी ने जो विषय उठाया है, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री इजिलमलाई, मैंने आपका नाम संबद्ध कर दिया है। मैं श्री महेन्द्र सिंह पाल, श्रीमती हेमा गमांग और श्रीमती कांति सिंह के नामों को भी संबद्ध कर रहा हूं।

श्री दलित इजिलमलाई (तिरुचिरापल्ली): महोदय, नामों को संबद्ध करना ठीक है, किन्तु यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप फिर कभी रेज कर सकते हैं।

[अनुवाद]

आप इस विषय को फिर कभी सभा में किसी अन्य माध्यम से उठा सकते हैं। आप कार्यमंत्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा की मांग रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री दलित इजिलमलाई: महोदय, यह एक ऐसा मसला है जो इस देश की 35 फीसदी आबादी से जुड़ी हुई है *...(व्यवधान)*

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष जी, एक पक्ष की बात सुनी गई है, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदस्य 'शून्य काल' भी शुरू करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई: यह चिरस्थायी समस्या है *...(व्यवधान)* यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे इस विषय पर कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं कि सभा के अधिकांश माननीय सदस्य इस विषय से सहमत हैं और कुछ नहीं भी हैं। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए, प्रत्येक नियम की प्रक्रिया अतिविशिष्ट होती है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नियम स्पष्ट है। केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने सूचनाएं दी हैं। मैं इस सभा द्वारा निर्मित नियमों से बंधा हूं। मैं बनाए गए इन नियमों से बाहर नहीं जा सकता हूं। इसलिए, मैं ज्यादा लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

आपको एक बात जरूरत महसूस करनी चाहिए। एक बजे मुझे सदस्यों को मध्याह्न भोजन के लिए जाने की अनुमति प्रदान

करनी पड़ती है। उससे पहले 'शून्य काल' आरंभ किया जाता है क्योंकि मैंने स्वयं संबंधित मंत्री को हज समिति के मुद्दे पर उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया है जिस पर इस सभा में कल बहुत जोर-शोर से बहस हुई थी। क्या आप नहीं चाहते कि मैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा कराऊं?

मैं माननीय सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सकता हूं। 25 सदस्य ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं उन सभी को बोलने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता। अन्यथा, हज समिति के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पायेगी। आप यह जिद नहीं कर सकते कि हर मुद्दे पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। श्री दलित इजिलमलाई जी, कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपको अपना नाम शामिल करने की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): महोदय, आठवीं लोक सभा में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल दिया गया। उसका संबंध भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुद्दे से था। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसलिए, यहां भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह देखूंगा कि यह कार्य कैसे किया जा सकता है अगर इस पर कार्यमंत्रणा समिति सहमत होती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे किसी भी चर्चा पर जरा सी भी समस्या नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई: *...(व्यवधान)* लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची में दिये गये अन्य समुदायों के लिए आरक्षण वर्ष 1901, 1911 और 1931 की जनगणना आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप अपना उत्तर शुरू कीजिए। आपका उत्तर ही रिकार्ड में जायेगा।

[अनुवाद]

अब, कार्यवाही वृत्तांत में अन्य कोई बात सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री दलित इजिलमलाई जी, माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का भी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया उनके प्रश्न पर भी विचार कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री इजिलमलाई, मैं मंत्री जी से पहले ही आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह चुका हूं। आप पहले ही बोल चुके हैं और मैंने उनसे आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी कहा है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह रहा हूं कि मेरा नाम इसमें एसोसिएट किया जाये।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): جناب اسپیکر صاحب، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرا نام اس میں ایسوی ایٹ کیا جائے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला जी, आपका नाम शामिल किया जायेगा।

श्री जी.एम. बनातवाला: धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ का सम्मान करते हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद अनवारूल हक (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह रहा हूं कि मेरा नाम भी एसोसियेट किया जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी एसोसिएट हो जायेगा। आप भी बहुत अच्छे हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का काम श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री राम विलास पासवान, श्री हन्नान मोल्लाह और श्री रामचन्द्र पासवान जी ने किया। आप सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय है— जिसमें 15 परसेंट अनुसूचित जाति के लिए साढ़े सात परसेंट अनुसूचित जनजाति के लिए और 27 परसेंट पिछड़े वर्ग वालों के लिए आरक्षण दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री दलित इजिलमलाई: आज की तारीख में उनका प्रतिशत क्या है? क्या आज वह 15 परसेंट रह गया है। आज एस.सी. का प्रतिशत क्या है? ...*(व्यवधान)* आप यह क्यों नहीं कह रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, पप्पू जी ने जो कहा, आप स्लिप के तौर पर जवाब देंगे तो फंस जायेंगे। इनको मालूम नहीं है कि एस.सी.एस.टी. की पापुलेशन बढ़कर 26, साढ़े 26 परसेंट हो गयी है यदि 226 परसेंट हो गई है तो ...*(व्यवधान)* जो बैकवर्ड क्लास है, उनकी संख्या भी 26 परसेंट है। ...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: जो विद्यमान है, उसके बारे में बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: क्या यह जस्टीफाई करेंगे कि 50 परसेंट से ज्यादा नहीं जायेगा। यह आलरेडी 50 परसेंट से ज्यादा चली गयी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका उत्तर क्या होगा, यह एंटीसिपेट आप कैसे कर सकते हैं? उनके उत्तर को एंटीसिपेट करके आप कैसे बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री इजिलमलाई जी, अब आप कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने का पर्याप्त अवसर दे चुका हूं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मेरे पास इस विषय के विरोध में कुछ नहीं है। मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि सरकार क्या कहना चाहती है।

...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई: पिछले सत्र में भी, आपने इस मुद्दे को उठाने का समय दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक सदस्य यह जानने के लिए इच्छुक है कि सरकार को कहना क्या है। इसलिए, कृपया माननीय मंत्री जी को बोलने की अनुमति प्रदान कीजिए। कृपया अध्यक्षपीठ की बात मानिए।

श्री दलित एजिलमलाई: वह सच्चाई नहीं बता रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह जरा सा भी नहीं बोले हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह सच नहीं बोल रहे हैं?

श्री दलित एजिलमलाई: उन्होंने यह कहा है कि आज केवल 15 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान है। समुदाय की जनसंख्या के अनुसार, आरक्षण में वृद्धि की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। आप कृपया बैठ जाइए। इस व्यवहार से, आप दूसरे सदस्यों का नुकसान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष जी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया गया है और इस बात पर श्री राजेश रंजन जी ने कहा था कि मुस्लिमों में जो दलित हैं, जो उनके काम के प्रकार हैं, उसके आधार पर उनको दलित का दर्जा दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न है कि अनुसूचित जाति किसको कहा जाएगा, इसका उल्लेख नियमों में भी है। प्रावधान जो किये गये हैं, वे कानून में भी हैं और उसके अन्तर्गत जो कहा गया है, उसमें 11 बातें ऐसी दर्शाई गई हैं जिसमें अस्पृश्यता के आधार बताए गए हैं और अस्पृश्यता के आधार में जो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति का माना जाएगा जिसको सामाजिक रूप से किसी होटल में मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश करने से निषिद्ध या प्रतिषेध किया जाता हो या किसी धर्मशाला या सराय में जाने से निषिद्ध या प्रतिषेध किया जाता हो। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह यह कैसे कह सकते हैं कि इस देश में अस्पृश्यता नहीं है? वह कैसे कह सकते हैं कि अस्पृश्यता समाप्त हो गया है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः राम विलास जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप मंत्री भी रहे हैं।

डा. सत्यनारायण जटियाः मंत्री रहकर भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। आपको भी तो किसी दूसरे को सुनना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। जितना आप समझते हैं, उतना मैं भी समझता हूं। आपकी मर्यादा है, मेरी भी मर्यादा है। ऐसा मत बोलिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हर बात पर उनको आप रोकेंगे तो उत्तर कैसे पूरा होगा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी जो कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उनको निवेदन करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटियाः अध्यक्ष महोदय, चूंकि कॉलिंग अटैंशन एक निश्चित विषय है और इसमें कहा गया है कि मुस्लिम और ईसाई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटियाः अब जैसा मैंने पहले ही कहा ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी अभी बुद्धिस्ट बनने के बावजूद भी अनटचेबिलिटी है। गांव-गांव में धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वे लोग सोचते हैं कि हिन्दू ही हैं और अगर हिन्दू का बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन बन जाता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः रामदास जी को मैं नहीं रोक सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवलेः इस अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए सरकार के पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, आप बोलिए।

डा. सत्यनारायण जटियाः मैंने कहा है कि एक निश्चित दायरे का प्रश्न है जिसमें मांग की गई है कि अनुसूचित जाति की सूची में जो मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं जो अनुसूचित जाति के अन्य लोग भी ऐसे काम करते हैं और इसकी एक प्रक्रिया है। ...*(व्यवधान)* उस मान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत ही इन सारी बातों को करने के लिए राज्य सरकार, महारजिस्ट्रार, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग और उसके बाद मंत्रालय के बाद वे सारी बातें आने के बाद ही उनको विधेयक के माध्यम से स्थापित करने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की बात आज देश में कही जा रही है ...*(व्यवधान)* उन सबको करने के लिए एक प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए और राज्य सरकारों के माध्यम से महारजिस्ट्रार के पास अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के पास प्रस्ताव करके जो अनुसूचित रूप से आ जाएगा, उसको काम करने के लिए विधेयक रूप में लाकर उसे पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति को मानने के लिए जो मान्य प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के लिए यह बात की जाती है। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया से हम सब बंधे हुए हैं और यदि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई बात आती है तो उसको माने जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.59 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कोलकाता में बीएसएनएल के नाम के कथित दुरुपयोग के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह विषय तो पूरा हो गया। मैं जीरो ऑवर पूरे टाइम के लिए नहीं लेना चाहता हूं। जीरो ऑवर के लिए मेरे सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय रामजीलाल सुमन जी ने आज नोटिस दिया है। हम कमेटी के बारे में लोगों को प्रश्न की अर्जेंसी है और इसलिए वह प्रश्न मैं लेना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले केवल एक मिनट में दासमुंशी जी अपना प्रश्न पूरा करेंगे। अब मैं 'शून्य काल' आरंभ कर चुका हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान करने का वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को भी दो मिनट के लिए अवसर देने का वचन दिया था और आप उनके वक्तव्य के बाद बोल सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। भारत संचार निगम लिमिटेड भी बड़ा काम कर रही है और हमें बी.एस.एन.एल. पर गर्व है। लेकिन कुछ लोग कोलकाता में बी.एस.एन.एल. के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): कुछ लोग रोज बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को समय नहीं मिलता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम कुछ लोग नहीं हैं। मैं मुख्य विपक्षी दल का मुख्य सचेतक हूं। आपको यह बात समझनी चाहिए। समझ नहीं पाते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, बी.एस.एन.एल. हम सभी को गर्व है और मैं मंत्री जी को बी.एस.एन.एल. को बहुत दक्षतापूर्वक चलाने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन कोलकाता में एक समूह—पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले सभी इसे जानते हैं—पश्चिम बंगाल के नाम पर यू.आई. एस.टी.डी./आई.एस.डी. मालिकों की एसोसिएशन ने गत दो वर्षों से यह कहकर युवा लोगों से धन देना आरंभ कर दिया है कि वे उन्हें बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन बिल जमा करने की एजेन्सी प्रदान करेंगे। इसमें बड़ी मात्रा में राशि शामिल है और यह करोड़ों रुपये भी हो सकती है। उन्होंने लोगों को यह बताया कि यदि वे भा.ज.पा. को दान देंगे तो वे उन्हें एजेन्सी दिलाएंगे और समाचार-पत्रों में इस संबंध में कई बार भा.ज.पा. के बड़े कार्यकर्त्ताओं के नाम उछाले गये हैं।

पार्टी ने कहा कि वे इसकी जांच कर रहे हैं और एक नेता ने कहा कि श्री राहुल सिन्हा इसमें शामिल थे। उन्होंने श्री अमूल राय के साथ यह दावा किया कि उसने श्री अरुण शौरी को एक पत्र लिखा था और यह कहा कि उन्हें 3000 लोगों को रोजगार देने के लिए और सरकारी संगठनों के नामों की सिफारिश करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह समाचार 'द एशियन ऐज' अखबार में 24 नवम्बर को प्रकाशित हुआ था। मुझे यह बताया गया कि बी एस एन एल इस मामले में कार्यवाही कर रहा है और वह इसकी सी बी आई जांच कर रहा है।

महोदय, चूंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में हर व्यक्ति को दलगत नीति से ऊपर उठना चाहिए तो कोई दल उस मामले की जांच किस प्रकार करा सकता है जिसमें उसके पदाधिकारी संलिप्त हों और पैसा इकट्ठा करने की सभी रसीदें मौजूद हों। दल का सदस्य बनाने का अभियान इस प्रकार शुरू किया गया कि उससे हजारों लोगों से धोखा दिया गया। मैं प्रधान मंत्री से यह अपील करता हूं कि वे 24 नवम्बर के 'द एशियन ऐज' में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लें ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमारे दल के नेता का नाम लिया है किंतु उन्होंने किसी का नाम लेने का नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने श्री राहुल सिन्हा के नाम का उल्लेख किया है। उन्होंने भाजपा का नाम लिया है। यह सही नहीं है। इसलिए इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और मैं भाजपा के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्हें यह बात समझनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: नहीं, महोदय, उन्होंने श्री राहुल सिन्हा का नाम लिया है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करूंगा और यदि किसी के नाम का उल्लेख होगा तो मैं उसे वहां से निकाल दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपको अपनी बात दो मिनट में पूरी करनी होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं अपनी बात आधे मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं किसी दल के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। भाजपा अध्यक्ष एक अच्छे आदमी हैं। 24 नवम्बर के 'द एशियन एज' में प्रकाशित समाचार में यह बताया गया है कि श्री अमुल राय ने यह कहा कि वे कार्यवाही करेंगे और मामले की जांच करेंगे ...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें पहले मेरी बात सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि दल के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात होगी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैं पहले ही यह कह चुका हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस समाचार के अनुसार श्री अमुल राय का यह दावा है कि वे भाजपा के कार्यकर्त्ता हैं। यह सच भी हो सकता है या नहीं भी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। किंतु बीएसएनएल के नाम का दुरुपयोग करके पैसा इकट्ठा करने का गिरोह चलाने वाले इस समूह को ऐसा करने से रोका जाए ताकि बेरोजगार नौजवानों को बचाया जा सके जो धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे समाचार का संज्ञान लें, मामले की सीबीआई जांच कराएं और उन सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें जो इस रैकेट में शामिल हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा सभा के समक्ष लाया गया यह मामला काफी महत्वपूर्ण है।

यदि आप मुझे केवल दो मिनट दें तो मैं सभी तथ्यों का उल्लेख कर पाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के बीएसएनएल बिल इकट्ठा करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रस्ताव आए हैं। मुंबई से भी ऐसे प्रस्ताव आए हैं। महाराष्ट्र के बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रस्ताव आए थे। मैंने रिकार्ड में यह देखा है कि निजी व्यक्तियों के माध्यम से बीएसएनएल के बिल इकट्ठा करने के लिए मार्च, 2003 में राज्य मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा गया था। जुलाई में इसी प्रकार का एक पत्र मुझे भी भेजा गया था।

अब आपने श्री अमूल राय का नाम लिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री अमूल राय और श्री सिन्हा।

श्री अरुण शौरी: वास्तव में उन्हें एक पत्र भेजा गया था। ऐसा संयोगवश हुआ क्योंकि पत्र उनसे आया था। यह स्वयं बीएसएनएल से भेजा गया था। इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि:

> "क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् कोलकाता कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विचार करने के बाद प्रस्ताव की विस्तार से जांच की गई। इस संबंध में बीएसएनएल की नीति के अनुसार कूरियर एजेंसियों के सिवाय किसी निजी संगठन को बिल भेजने/इकट्ठा करने का काम नहीं दिया जा सकता है और यह भी खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा किया जाएगा।"

पत्र को स्पष्ट किया गया था।

दूसरी बात यह है कि बीएसएनएल ने प्रस्ताव बीएसएनएल को भेजा। उन्होंने मुझे अनेक कारण बताए जिसके कारण वे निजी पार्टियों को बिल इकट्ठा करने का कार्य नहीं देना चाहेंगे ...*(व्यवधान)* मैं जांच की बात पर आ रहा हूं।

इस प्रकार का प्रयोग हरियाणा सहित दो या तीन परिमंडलों में किया गया है। यह पाया गया है कि यह ठीक नहीं है क्योंकि फिर बीएसएनएल को उन निजी पार्टियों के पीछे-पीछे दौड़ना पड़ेगा जिन्होंने पैसा लिया है अथवा जो बिल एकत्र करने हेतु अधिकृत किए गए हैं। इस कारण और अन्य दूसरे कारणों से वे डाक विभाग, जो बिल एकत्र कर रहे हैं, से पूर्णतया संतुष्ट हैं। फिर, आंध्र प्रदेश जैसे अनेक स्थानों पर बिल के सीधे भुगतान के लिए 'ई-सेवा' के अंतर्गत काफी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अब बीएसएनएल और एमटीएनएल यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इंटरनेट अथवा बैंक या चैक डालने की सुविधा के माध्यम से सीधे बिलों का भुगतान कर सकें। अतः इस प्रस्ताव पर अब बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया तीन बातें स्पष्ट हो जानी चाहिएं। इसे निजी पार्टियों को नहीं दिया जा रहा है। दूसरे, किसी के भी द्वारा मेरे नाम या बीएसएनएल के नाम या किसी और से नाम पर पैसा इकट्ठा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो कोई भी इसके लिए पैसे दे रहा है वह बिल्कुल गलत कर रहा है।

तीसरे, क्योंकि आपने इस मामले की ओर मेरा ध्यान दिलाया है और क्योंकि अब बीएसएनएल कोलकाता ने मुझे सूचित किया है कि वहां से ई-मेल से और अन्य पार्टियों से भी यह पूछा गया है, मुझे कोलकाता में समाचार-पत्रों में यह घोषणा प्रकाशित करानी पड़ी कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

जहां तक जांच का प्रश्न है मुझे बीएसएनएल के कोलकाता कार्यालय से यह पता चला है कि वास्तव में एक सीबीआई अधिकारी आरंभिक जांच के लिए बीएसएनएल कार्यालय आया था। मैं सभा को यह यकीन दिलाता हूं कि हम सीबीआई की किसी भी प्रकार की जांच में हर प्रकार से सहायता देंगे ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.09 बजे

(दो) हज यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, मंत्री महोदय हज कमेटी के मुद्दे पर उत्तर देने के लिए आए हैं। अत: मैं इसे पहले लेता हूं। इसके बाद आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): इस पर मैंने तीन दिन लगातार नोटिस दिया है, इसलिए एक मिनट का समझ मुझे बोलने के लिए दें।

अध्यक्ष महोदय: यह बोलने का विषय नहीं है, केवल मंत्री जी का उत्तर चाहिए। इसलिए मैं सुमन जी को बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): मेरा नाम भी इससे सम्बद्ध कर लें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मेरा नाम भी इससे सम्बद्ध कर लें। हमने कालिंग अटेंशन भी इस पर दिया है।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): मेरा नाम भी सम्बद्ध कर लें।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी का नाम सम्बद्ध कर दूंगा, आप बैठ जाइए। मैंने मंत्री जी को उपस्थित होने के लिए कहा है, मैं उनका उत्तर सुनना चाहता हूं। आप लोग बैठ जाइए। सुमन जी, आप बोलें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, हज यात्रियों की परेशानी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। भारत सरकार ने सितम्बर के महीने में एक बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय यह लिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि कोई हज यात्री जो आयकर देता है वह तो यात्रा दिल्ली से करेगा।

उसके परिवार में उनकी मां, बहन और बूढ़ा बाप है, इनको उसके साथ यात्रा करने की सुविधा नहीं है। वे लखनऊ से यात्रा करेंगे। यह निर्णय अत्यधिक अव्यावहारिक है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं, हमने आपसे अनुरोध किया और संबंधित मंत्री यहां सदन में तशरीफ रखे हुए हैं, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि वे इस बारे में जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं इस मामले में एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं भी इस मामले में एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, महरम या गैर महरम, अगर पत्नी इनकम टैक्स नहीं देती है, तो वे दिल्ली से यात्रा नहीं कर सकती हैं। अरब की धरती पर उतर ही नहीं सकती हैं। इस तरह से उनकी हज की यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि यह व्यवस्था की जाए, इनकम टैक्स दें या न दें, पति या पत्नी या पिता व पुत्र को एक साथ जाने की इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मेरा सुझाव है कि इस मामले को एक साल के लिए डैफर कर दिया जाए।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदय, हज यात्रा के संदर्भ में माननीय सदस्यों ने विषय उठाया है। मैं जानता हूं कि सब लोग इस विषय से चिन्तित हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार हज यात्रियों के प्रति भावना रखती है और इसको पर्व के रूप में मानती है। यह सझना कि सरकार हज यात्रियों को सुविधा नहीं देना चाहती है, यह अनुचित होगा। जिन माननीय सदस्यों ने इस समस्या के बारे में वर्णन किया है, वह सरकार की नालैज में है। इस वर्ष के लिए हज यात्रा के लिए जो प्रस्ताव तय किए हैं, उसके तहत ऐफिडेविट दायर किये जाने थे, जो संभवत: इस अवधि में ऐफिडेविट जमा करने संभव नहीं है। इस विषय पर हज कमेटी के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया है और उन्होंने आग्रह किया है कि इस निर्णय को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए और अगले वर्ष से ऐफिडेविट की प्रक्रिया हो। इस प्रस्ताव को आज शाम को ही कैबिनेट के पास ले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनुरोध यह है कि इसे एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, इस 24 तारीख को पहला जहाज जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उसके पहले ही वे कैबिनेट के पास जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज ही इस विषय को लेकर मंत्री जी कैबिनेट के पास जा रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मंत्री जी ने कहा है कि कैबिनेट के सामने जाकर निर्णय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.12 बजे

(तीन) देश में सीमेंट की कीमतों में कथित वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में सीमेंट के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। निर्माण संबंधी कार्यकलापों के संबंध में विशेषकर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को भारी धक्का लगा है। चार महीने पहले सीमेंट का मूल्य 95 रुपये था और वर्तमान में यह 175 रुपये है। यह सब केवल चार महीने में ही हुआ है। आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में निर्माण संबधी कार्यकलाप ठप्प पड़े हुए हैं।

मैं आपसे ईमानदारीपूर्वक अपील करता हूं कि आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह वक्तव्य दे कि देश में ऐसा क्यों हुआ है। हर जगह सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में घोषणा करनी चाहिए क्योंकि इससे लोग विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोग प्रभावित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं वह आपकी भावना को संबंधित मंत्री तक पहुंचा देंगे।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं सरकार से इस संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। यदि 5 या 10 रुपये की वृद्धि हो तो मैं समझ सकता हूं लेकिन सीमेंट के मूल्यों में ऐसी अत्यधिक बढ़ोत्तरी क्यों हुई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा कि वे इस विषय में कुछ करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामविलास पासवान जी, विषय तो आपने बता दिया है, आप जल्दी से अपनी बात कहें, ताकि दो-तीन सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय से एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी इससे सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, धर्म के नाम पर इतने बड़े कुकर्म होते हैं, इसका एक उदाहरण झारखण्ड राज्य के भुरकुंडा क्षेत्र में देखने को लिया है। इस क्षेत्र में सीसीएल के एक कर्मचारी, श्री विजय पासवान के छः वर्षीय पुत्र मुन्ना पासवान का पहले अपहरण किया गया।

एक खेपा बाबा है। वहां इस तरह के पचास तरह के बाबा हैं। उन्होंने उसकी बलि चढ़ा दी। उसके पिताजी सीसीएल में एम्पलाई है। जब लोगों ने उसका विरोध किया तो गोली चला दी। इससे कालेज का एक लड़का मारा गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो लोग बीच में घुस गए। वहां कई मिलें हैं। ...*(व्यवधान)* इस तरह की चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह से जो बच्चे मारे जाते हैं, वे प्रायः गरीब, आदिवासी परिवार के हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात सब के सामने आ गई है। अब आप बैठिए। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि वह संबंधित मंत्री का इस तरह ध्यान आकर्षित करें। मैं हर विषय पर ज्यादा बोलने का समय नहीं दे रहा हूं। आपने दो बार यह विषय सदन में रखा है।

श्री राम विलास पासवान: आप इस पर मंत्री जी का स्टेटमेंट करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री जी को इस विषय में कह दिया है।

[अनुवाद]

अब श्रीमती रेणू कुमारी बोलेगी उनके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, सदन में बिहार की गिरती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कई बार चर्चा हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि जब न्यायालय के आदेश से बिहार के मुख्य सचिव की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि धवन को फोन पर धमकी देने का काम किया और जजमैंट को खारिज करने का काम किया है जो प्रजातंत्र में बहुत जघन्य अपराध है। *...(व्यवधान)* सत्ता में बैठे लोगों द्वारा न्यायालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

(एक) जबलपुर से विमान सेवा पुन: शुरू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जबलपुर नगर में नागर विमानन सेवा नागरिकों हेतु उपलब्ध थी। इस सेवा में बोइंग विमान चलते थे किन्तु सेवा में सवारियों की कमी बताकर इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप इस प्रसिद्ध व्यावसायिक, औद्योगिक तथा रक्षा विभाग नगर के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक हवाई अड्डे का प्रश्न है, यह अत्यंत सुगम व चालू हालत में है। अभी हाल के चुनावों में विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने वायुयानों के लिए हवाई अड्डे का प्रयोग किया था।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस नगर के हवाई सेवा चाहने वाले यात्रियों हेतु इस अड्डे को किसी अन्य प्रमुख हवाई अड्डे जैसे नागपुर, भोपाल, मुम्बई आदि से चलने वाली सेवा से जोड़कर यहां पुन: नागरिक वायु सेवा उपलब्ध कराकर जनता के साथ न्याय करें।

[अनुवाद]

(दो) गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): गुजरात सरकार ने 21.3.2003 को राज्य में पर्यटन परियोजनाओं हेतु केन्द्र से सहायता के लिए तीन प्रस्ताव भेजे थे।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि उन प्रस्तावों को शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी प्रदान करें।

(तीन) गुजरात में और देश के अन्य भागों में लघु इंजीनियरिंग फाउंड्री एककों के हितों की रक्षा की दृष्टि से कोयला और कास्ट ऑयरन की बढ़ती कीमतों को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): चूंकि सरकार ने इस्पात संयंत्रों पर से नियंत्रण उठा लिया है, इसलिए, पिग आयरन और कास्ट आयरन स्क्रैप का मूल्य देशभर में फैले लघु इंजीनियरिंग फाउन्ड्री एककों की पहुंच से बाहर चला गया है।

गत वर्ष की अवधि के दौरान आयरन के मूल्य 9,300 रुपये से बढ़कर 16,300 प्रति टन हो गया है और इसी प्रकार से कोयले का मूल्य 5,400 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गया है।

देश में, विशेषकर गुजरात में अनेक लघु इंजीनियरिंग फाउन्ड्री एकक बंद होने के कगार पर हैं। इसके परिणामस्वरूप लाखों श्रमिकों के सामने बेरोजगारी और भूख की समस्या आ गयी है और इससे कृषक भी प्रतिकूलत: प्रभावित हुए हैं क्योंकि कृषि उपकरण और महंगे हो जाएंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे तथा कास्ट आयरन, पिग आयरन और कोयले के मूल्य पर नियंत्रण करें।

(चार) केरल के कोल्लम जिले के पठानपुरम में एक रबड़ पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): जैसाकि आपको अवगत होगा कि अडूर एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और यह काफी पिछड़ा क्षेत्र भी है। यहां मुख्यत: रबड़ की खेती की जाती है। लघु और सीमांत किसान रबड़ के बगानों में कार्यरत हैं। यहां रबड़ का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी रबड़ आधारित उद्योग नहीं है। इसलिए, मैंने वाणिज्य मंत्रालय और रबड़ बोर्ड को अडूर में पथनपुरम में एक रबड़ पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। दोनों ही इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमत थे। लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय के पास लम्बित है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को देखें और उक्त प्रस्तावित रबड़ पार्क की स्थापना पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य आरम्भ करें।

(पांच) पश्चिमी घाट क्षेत्र में नेत्रावती नदी की धारा को बदलने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को छोड़ दिए जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): मैं सरकार और जल संसाधन मंत्री का ध्यान पश्चिमी घाट से निकलने वाली नेत्रावति नदी की धारा बदलने के लिए कर्नाटक सरकार की पहल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में परियोजना आरम्भ की है। समझा जाता है कि यह पहल केन्द्र सरकार और केरल सरकार के संज्ञान और अनुमति के बिना दी गई है। यदि परियोजना अस्तित्व में आती है तो इससे केरल के मालाबार क्षेत्र में बहने वाली अनेक नदियां प्रभावित होंगी, केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र में पहले ही सूखा पड़ा हुआ है और वहां पेयजल की कमी है। कर्नाटक सरकार की इस पहल से केरल का सीमावर्ती उत्तरी भाग में स्थिति और बदतर हो जाएगी। हजारों एकड़ बनों को हटाना होगा और नष्ट करना होगा। जंगली जानवर और दुर्लभ पौधे नष्ट हो जाएंगे। वर्तमान नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाएगी। केरल में बह रही चदरगिरी, तेजस्वमिनी, वलापटनम नदियां छोटी नदियां हैं और नेत्रवती नदी का हिस्सा है। इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति दुगनी हो जाएगी। इससे इस क्षेत्र की भू-आकृति और प्रकृति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

इन परिस्थितियों में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया, कर्नाटक सरकार को ऐसी पहल को रोकने का निर्देश दें और तत्काल परियोजना की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों को भेजा जाए।

(छह) आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में कार्यान्वित किए जा रहे सेक्टर रिफार्म्स पायलट प्रोजेक्ट के परिव्यय को बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव (गुन्टूर): महोदय, आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में दस प्रतिशत सामुदायिक भागीदारी सहित 40 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एक सेक्टर रिफार्म्स आरंभिक परियोजना स्वीकृत की गयी थी जिसको पूरा किए जाने की अवधि तीन वर्ष थी अर्थात, 1.4.2002 से 31.3.2005 तक। गुन्टूर जिले के लोगों ने सामुदायिक भागीदारी के तहत 6 करोड़ रु. दिए हैं। अब तक, 22.44 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और 19.05 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। शेष राशि से कार्य प्रगति पर है। गुन्टूर के कलेक्टर ने तीसरी किस्त जारी करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इस बीच, भारत सरकार के हाल के अनुदेश के अनुसार, जिस परियोजना को 31.3.2003 में पूरी होनी थी उसे अभी पूरा करना होगा और लेखा को 31.3.2004 तक अंतिम रूप देना है ताकि स्वजलधारा को 1.4.2004 से कार्यान्वित किया जा सके।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 15.8.2004 तक काम पूरा करके लेखा देने के लिए निर्धारित अवधि में छूट दें। चूंकि काम पूरी तेजी से चल रहा है अत: चालू कार्य को स्वजलधारा-2 में बदलने से समुदाय में निराशा होगी और कार्य विस्तार बाधित होगा। समुदाय के हित में और पेयजल योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह शीघ्र कार्य आरम्भ करने के लिए या तो स्वजलधारा-2 या सेक्टर रिफार्म्स में 45 गांवों में 40 परियोजनाओं के लिए शेष दस प्रतिशत राशि 15 करोड़ रु. का भुगतान करने का आश्वासन दें।

[हिन्दी]

(सात) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय क्षेत्र के सभी ताल्लुकों में मोबाइल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभणी में 11 तालुके हैं। इनमें से केवल तीन तालुकों में मोबाइल सेवा उपलब्ध है जबकि जिला परभणी के मानवत, जिंतूर, सोनपेठ, पालम, पूर्णा, पथरी और जिला जालना के परतुर और मंठा में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है। इस कारण आज की

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

दौड़भाग के समय में जनता को बहुत परेशानी हो रही है। यदि इन तालुकों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई गई तो आम जनता को सुविधा के साथ-साथ सरकार को भी जारी राजस्व मिलेगा।

अत: इस सदन के माध्यम से मेरा संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उल्लिखित आठ तालुकों में भी शीघ्र मोबाइल सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

(आठ) प्रत्येक वर्ष 17 सितम्बर को राष्ट्रीय मजदूर/ शिल्पकार दिवस मनाए जाने और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के सभी मजदूरों और शिल्पकारों की भावनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो भगवान विश्वकर्मा पूजा दिनांक 17 सितम्बर से जुड़ी है। प्रतिवर्ष देश के करोड़ों मजदूर और शिल्पकार कन्या संक्राति 17 सितम्बर को अपने आराध्य, निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई की भांति 17 सितम्बर को राष्ट्रीय मजदूर और शिल्पकार दिवस के रूप में विश्वकर्मा पूजा दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वर्षों से करोड़ों मजदूरों और शिल्पकारों द्वारा उठायी जाती रही है।

अत: सरकार से मेरी मांग है कि प्रतिवर्ष 17 सितम्बर को राष्ट्रीय मजदूर और शिल्पकार दिवस के रूप में विश्वकर्मा पूजा हेतु राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे।

(नौ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): महोदय, बिहार में अधिकांश सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कहा नहीं जा सकता है। राज्य में जो सड़क राष्ट्रीय उच्च पथ में ले ली गई है, उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। राज्य सरकार ऐसे राष्ट्रीय उच्च पथ में ली गई सड़कों को केन्द्र के नाम पर खोल रही है। केन्द्र सरकार इन सड़कों को उच्च पथ के रूप में निर्माण कराना तो दूर रहा, उनकी मरम्मत भी नहीं कर रही है।

अत: भूतल परिवहन विभाग से अनुरोध है कि बिहार में जो राष्ट्रीय उच्च पथ हैं और जिन सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथ में ले लिया गया है, उनकी मरम्मत शीघ्र कराकर यातायात के योग्य बनाकर लोगों की परेशानी को दूर करें।

(दस) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कारवी में भूमिगत रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में नवसृजित जिला चित्रकूट के हैडक्वार्टर करवी कस्बे का नया बाजार क्षेत्र एक प्रमुख बाजार और व्यावसायिक केन्द्र है और उसी क्षेत्र में जिले के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय एवं आवास अवस्थित हैं। जिले की न्यायपालिका और जजों के सभी कार्यालय और अदालतें भी वहां बनी हैं। इसी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन भी कार्यरत है जहां प्रतिदिन कई दर्जन ट्रेनों का आवागमन होता है। रेलवे क्रासिंग में (समपार) फाटक लगा है जो ट्रेनों के आवागमन के कारण अक्सर बन्द रहता है। जनता को आने जाने में बड़ी कठिनाई आती है। इसी कारण फाटक के दोनों ओर इकहरी संकरी सड़कों पर वाहन रुके रहते हैं तथा अक्सर जाम लगा रहता है। इस स्थिति से निपटने और जनता को निर्बाध परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एक वैकल्पिक रेल लाइन पर व्यवस्था होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि करवी कस्बे में पयस्वनी नदी के किनारे रेल लाइन काफी अधिक ऊंचाई से गुजरती है तथा वहां एक छोटे अंडरग्राउंड पुल से होकर सड़क आर-पार जाती है, उसी भूमिगत पार पुल के बगल में एक दूसरा बड़ा अंडरग्राउंड पुल बनाकर अपेक्षाकृत कम व्यय भार से यह समस्या हल हो सकती है। अत: उक्त स्थान पर अंडरग्राउंड रेल पार पुल और सड़क के निर्माण की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 16 और 17, सांविधिक संकल्प और विधेयक एक साथ लिए जाएंगे। माननीय सदस्य और माननीय मंत्री दोनों ही यहां नहीं हैं। अत: हम अगला मद लेते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं यहां हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, माननीय मंत्री ने सदन के समक्ष कहा है कि सदन इसे कल लेने का निर्णय ले सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे बताया गया था कि इसे कल लेने के बारे में पहले ही सहमति हो गयी है।

श्री बसुदेव आचार्य: हां, महोदय। हम इसे कल लेने सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: तो आपको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: सरकार की क्या राय है?

श्री ए. राजा: महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: तो, अब हम अगली मद लेंगे, मद सं. 18—माननीय मंत्री, श्री अनंत गंगाराम गीते विधेयक को विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय आवंटित है।

अपराह्न 2.17 बजे

विद्युत (संशोधन) विधेयक—*पारित*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत विधेयक, 2001, जिसे लोक सभा ने पारित किया और जिसे पारित करते समय स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों में से लगभग 80 प्रतिशत सिफारिशें हमने स्वीकार कीं। स्टेंडिंग कमेटी की कुछ सिफारिशें, हम जो विद्युत नीति बनाने जा रहे हैं और टैरिफ नीति बनाने जा रहे हैं, उसमें शामिल करने की बात आई है। हमने उस समय कहा था कि विद्युत विधेयक, 2001 को 126 संशोधनों के साथ लोक सभा ने पारित किया है और जब राज्य सभा में यह विधेयक चर्चा के लिए आया, तो उसे पारित करते समय राज्य सभा के माननीय सदस्यों ने उसमें कुछ और संशोधन लाने की मांग की। राज्य सभा में मुख्यत: चार संशोधनों को लाने की बात कही गई और कहा कि यदि सरकार इन चार संशोधनों को अगले सत्र में लाए, तो राज्य सभा में भी यह विधेयक पारित हो जाएगा। हमने राज्य सभा में आश्वासन दिया कि सरकार इन संशोधनों को करेगी, तब राज्य सभा ने भी विधेयक को पारित कर दिया। उस आश्वासन को पूरा करने के लिए, 8 दिसम्बर को विद्युत (संशोधन) विधेयक राज्य सभा ने पास किया और पारित किया, वही विधेयक चर्चा के लिए आज लोक सभा के समक्ष है। सर, मूल विधेयक पारित होने के बाद 10 जून, 2003 से विद्युत कानून, 2003 लागू हो गया है।

आज जो संशोधन विधेयक सदन के सामने चर्चा के लिए है, उसमें मुख्य संशोधन रेगुलेटरी ट्रिब्यूनल को लेकर है। उस ट्रिब्यूनल को जो मूल विधेयक में सुपरिटेंडेंस और गवर्नेंस के अधिकार दिए गए थे, उन पर राज्य सभा में आपत्ति उठाई गई कि ट्रिब्यूनल के सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल के अधिकार को हटाया जाए। इस प्रकार का उन्होंने संशोधन किया गया, जिसे हमने स्वीकृत किया और राज्य सभा ने उस संशोधन के साथ विधेयक को पारित किया। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर में हम जो ओपन एक्सेस देने जा रहे हैं, मूल विधेयक में यह प्रावधान था कि रेगुलेटरी कमीशन एक साल में इस पर विचार करके, ओपन एक्सेस किस प्रकार दिया जाए, उस पर पहल करे। कोई निश्चित समय-सीमा मूल विधेयक में नहीं थी। जब यह बिल राज्य सभा में विचार के लिए आया तो कई सदस्यों ने यह मांग की कि ओपन एक्सेस के लिए भी निश्चित समय-सीमा तय करने की आवश्यकता है और निश्चित समय-सीमा तय करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम यह संशोधन लाए, जो राज्य सभा में पारित हुआ तथा आज लोक सभा में चर्चा के लिए आया है।

इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं—यह एक है कि जब हम ओपन एक्सेस देने जा रहे हैं तो उसके लिए हम जो गाइडलाईन्स तय करते हैं, उनमें कोई इस प्रकार का प्रावधान न हो कि ओपन एक्सेस के लिए जो आएं उनके लिए दिक्कत हो। इसके लिए स्पेसीफाइ किया जाए कि कौन सी कंडीशंस पर उन्हें यह कार्य दिया जाए। उसमें यह संशोधन यह है कि मूल विधेयक में चोरी को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों में कुछ सख्त प्रावधान थे। उसके तहत जब राज्य सभा में यह विधेयक चर्चा के लिए आया तभी आशंकाएं जताई गई कि अब बड़ी मात्रा में हम डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एक्सेस देने जा रहे हैं, इसका मतलब वितरण के क्षेत्र में कई प्लेयर्स आएंगे। इसमें निजी क्षेत्र के भी काफी लोग आएंगे और यदि निजी क्षेत्र इसमें आता है तो इस प्रकार के जो सख्त कानून हैं, उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इसलिए केवल किसी पर यदि आशंका या डाउट है तो उसके आधार पर न किसी के दफ्तर या मकान का ताला तोड़ा जाए, यह अधिकार यदि दिया जाता है तो निश्चित रूप से उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए चोरी को रोकने के जो प्रावधान हैं, उनमें इस प्रकार के प्रावधानों को हटाया जाए। ये चार महत्वपूर्ण बिन्दु थे, जिन पर संशोधन की मांग हुई।

महोदय, हमने राज्य सभा में जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन को पूरा करते हुए राज्य सभा में हमने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया और उन्होंने इसे पारित किया। राज्य सभा द्वारा यथापारित यह विद्युत संशोधन विधेयक, 2003 आज लोक सभा में पारित और विचार करने के लिए यहां रखा है। मेरी प्रार्थना है कि लोक सभा ने मूल विधेयक को ही पारित किया है और उस पर लोक सभा एवं स्टैंडिंग कमेटी में काफी चर्चा हुई है। इस विधेयक को बनाते समय एवं पारित करते समय स्टैंडिंग कमेटी और दोनों सदनों के साथ-साथ देश भर के सभी राज्यों, राज्य विद्युत बोर्डों

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

या ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सैक्टर के लोगों से चर्चा एवं विचार-विमर्श करने के बाद ही यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ है। इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 एक स्वागतयोग्य पहलू है किन्तु साथ ही मैं इस बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब विद्युत विधेयक पारित हुआ था और विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सरकार जब अनुवर्ती कदम उठा रही थी तब हम बहुत चिन्तत थे और कई अपेक्षाएं थीं।

हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, जिससे देश का नक्शा बदल जाएगा। राज्य विद्युत बोर्ड वित्तीय रूप से पहले ही निर्जीव हो चुके हैं। इस अधिनियम के बाद कई राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन स्थापित करने के लिए बाध्य थे। कई राज्य विद्युत बोर्ड ऋण जाल से बाहर नहीं आ सके। वे अपने सारे बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं। आम कृषक, छोटे परिवारों, बिजली की कम खपत करने वाले लोगों पर अब अधिक भार डाला जा रहा है। इसकी वजह से लोग कष्ट उठा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य विधान सभा के कई चुनावों में परिणाम उपभोक्ताओं पर इस प्रकार बिजली का बोझ डाले जाने के कारण प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति में राज्य सरकार की किसी भी तरह से मदद करने के स्थान पर केन्द्र सरकार क्यों राज्य सरकार पर बोझ डालना चाहती है।

दूसरी तरफ, विद्युत बोर्ड जाल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु वे उपभोक्ताओं की मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सूखे की स्थिति में, कृषि के लिए वे अब केवल पंपसेट पर निर्भर कर रहे हैं। उन्हें बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में वे 25,000 रु. देने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में वे इसके लिए धनराशि जमा करने की मांग कर रहे हैं। किन्तु कृषकों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है।

एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ कृषक एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग खेती करते हुए जो उनका पुराना पेशा है, अपने गांव में ही रहना चाहते हैं। वे लोग उसके साथ रहना चाहते हैं लेकिन उनको संरक्षण नहीं मिला। केन्द्र सरकार से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है वे प्रत्येक क्षेत्र में सुधार चाहते हैं।

केन्द्र सरकार किसानों, ग्रामीण गरीबों तथा शहरी मध्यम वर्ग तथा निचले तबके के लोग जिन्हें बिजली की आवश्यकता है, की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या करने जा रही हैं? बिना बिजली की जिंदगी कहीं की नहीं है। भारत सरकार को इस पहलू का भी समाधान करना चाहिए। उपभोक्ताओं के ऐसे कर्जों अथवा उन पर पड़ने वाले बोझ की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता करने हेतु धन प्राप्त करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं सुधारों पर जोर देना चाहूंगा। वास्तव में उनकी जरूरत है लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह दूसरे प्रकार की लाल-फीताशाही तो नहीं बनने जा रहा है। जहां नौकरशाही यह देखने के लिए अडंगा लगाने जा रही है कि निजी क्षेत्र उपभोक्ताओं की जरूरतों की आपूर्ति स्वयं नहीं कर रही है।

उदाहरण के लिए, अब संशोधन "पूंजी की पर्याप्तता, विश्वसनीयता, या आचार संहिता" शब्दों को "पूंजी की पर्याप्तता, विश्वसनीयता या आचार संहिता से संबंधित" शब्दों को बदलने के लिए किया जा रहा है।

अभी भी नौकरशाही को यह देखने का अधिकार है कि क्या एक क्षेत्र विशेष में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा की अनुमति है अथवा नहीं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है—जो पहले से ही उस क्षेत्र में है—तो वह इस विशेष खंड का इस्तेमाल करना चाहेगा और यह देखना चाहेगा कि पूंजी की पर्याप्तता नही है यहां कोई विश्वसनीयता नहीं है तथा दूसरे प्रतिस्पर्धी द्वारा आचार संहिता का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। आप इस समस्या से कैसे निपटने जा रहे हैं? क्या बहुत सख्त उपाय होने जा रहा है या अथवा आप प्रतिस्पर्धा के बाद कम मूल्य और अधिक सुविधा तथा उपभोक्ता प्रणाली को और सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या निजी क्षेत्र की इस सोच पर नौकरशाहों द्वारा दिमाग लगाया जा रहा है जबकि वे इस विशेष खंड को लागू कर रहे हैं तो भी पूरी नौकरशाही की मानसिकता को बदलना होगा।

हम पहले ही विश्व अर्थव्यवस्था की पश्चिमी तौर-तरीके का उदाहरण देख चुके हैं। जब हम विश्व-अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो नौकरशाही की सोच भी केवल उसी तरह की होनी चाहिए। यहां और अधिक पर्यवेक्षण नहीं होना चाहिए तथा और यहां ज्यादा नियमितीकरण आदि नहीं होना चाहिए। इसकी अनुमति केवल प्रतिस्पर्धियों के लिए होनी चाहिए। उन्हें अपना रास्ता स्वयं निकालना

होगा ताकि सरकार द्वारा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विनियमित किए जाने की अनुमति होनी चाहिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं।

इसी तरह मैं अगले संशोधन के बारे में भी सोचता हूं। इसमें कहा गया है:

''बशर्ते कि राज्य आयोग, पांच वर्षों से अधिक समय के बाद नहीं.......', उन्हें उनको इतना अधिक समय क्यों दिया जा रहा है हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। यहां प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लोगों को अपने उत्पादन के साथ आना चाहिए—चाहे वह पन बिजली के माध्यम से बिजली बना रहा हो या अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन का रहा हो और उस तरीके से विद्युत उत्पादन करके यह देखना चाहिए कि उत्पादन तत्काल बिना किसी विलम्ब के उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

तथापि, हम उन्हें पांच वर्ष का लम्बा समय दे रहे हैं जो बहुत अधिक है। यह तत्काल किया जाना चाहिए। जब आप एक राज्य आयोग को सभी उपभोक्ताओं को इसकी ऐसी खुली पहुंच की अनुमति दे रहे हों तो फिर आप उनकी सोच को क्यों नहीं बदलते ताकि वे इसे छ: माह या एक वर्ष के भीतर उपलब्ध करा सकें। जब यहां बिजली की मांग बहुत अधिक है और उत्पादन हो रहा है तो यदि आप इसे पांच वर्ष के लिए बंद कर रहे हैं तो वे लोग इन खामियों का फायदा उठाएंगे और वे कहेंगे कि ''हमारे पास पर्याप्त समय है। आप बाद में आए, हम इसे एक वर्ष बाद लेंगे या आप छोटी-मोटी शर्तों को पूरा करें।'' जब आप नियम बनाते हैं तो कृपया इन बातों पर ध्यान दें। नियमों की संख्या कम होनी चाहिए और लोगों तक पहुंच अधिक होनी चाहिए। तभी उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा।

धारा 121 का कुछ और बातों के साथ विस्तार किया गया है। आप अब सुनी-सुनाई बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं अर्थात आप एक पक्ष को या उपयुक्त कमीशन या अन्य इच्छुक पक्षों को सुन रहे हैं। यह स्वागतयोग्य कदम है। इस तरह उपयुक्त कमीशन को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जाकर स्वत: आदेश पारित करने को रोका जा सकता है। इस तरह इच्छुक पक्ष को भी सुना जाता है। यह एक प्रशंसनीय कदम है। इसे एक समय-सीमा के भीतर उपयुक्त रूप में लागू किया जाना चाहिए ताकि चीजों को उपभोक्ताओं तक सही ढंग से समय-सीमा के भीतर पहुंचाया जा सके।

धारा 139 और 140 में सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने से संबंधित है। यदि क्षति, चोट या टूट-फूट अधिक हो तो क्या होगा? इसलिए, इसमें लचीलापन होना चाहिए। इसे न्यायालय या किसी मध्यस्थ के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि कितना जुर्माना लगाया जाए। मैं यह कह रहा हूं कि सजा संबंधित विद्युत बोर्ड को हुई क्षति के अनुपात में होनी चाहिए।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि सरकार बहुत अल्प समय में यह संशोधन लाई है। साथ ही केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अधिनियम को शक्ति से लागू करे ताकि लाभ लोगों तक यथाशीघ्र पहुंच सके।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (संसोधन) विधेयक, 2003 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इस विधेयक में प्रस्तावित सभी संशोधन का स्वागत करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं विद्युत मंत्री को विद्युत क्षेत्र में लगातार सुधार के प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र में विगत की सारी असफलताएं हमें ऐसा दिखने को मजबूत करती हैं मानो हम तृतीय विश्व के देश हैं और ये शानदार और महत्वपूर्ण उपलब्धियों जिनका उल्लेख अन्य क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है का आपके विद्युत क्षेत्र में अभाव है।

महोदय, विद्युत क्षेत्र और विद्युत देश में सभी प्रकार के विकास तथा सुधार के लिए महत्वपूर्ण संघटक है। हमें सुधारों को सही दिशा में ले जाने में तेजी लानी होगी।

एक कहावत है, 'दूध का जला छांछ फूंक कर पीता है', इसलिए विद्युत क्षेत्र में सुधारों के बारे में मुझे अत्यंत संदेह बना हुआ है।

विद्युत विधेयक, 2003 मई, 2003 में पारित हुआ था और 10 जून, 2003 को यह अधिनियम बना अर्थात, अब से छ: माह पूर्व। तथापि, मैं समझता हूं कि इस अधिनियम का प्रभाव वास्तव में बहुत कम ही दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले छ: महीनों में कितनी उपलब्धि हुई है हमें इसकी रिपोर्ट दें। हम काफी समय से सुधारों की बात कर रहे हैं। हम एक व्यापक विधेयक की मांग करते रहे हैं जो उन तीनों विधेयकों का स्थान लेगा जो इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसलिए, मुझे उनसे पूछने दे कि इन पिछले छ: महीनों में सरकार की क्या उपलब्धि रही है और वे इसका आकलन करने में वास्तव में कितने सक्षम रहे हैं।

अब मैं विशिष्ट बिंदु पर आता हूं और आपको कुछ उदाहरण देता हूं। इस विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति लानी पड़ी थी। यह तभी हो जाना चाहिए था जब हम इस पर सभा में चर्चा कर रहे थे और जब यह विधेयक राज्य सभा को गया था। सरकार के पास काफी समय था और इसे समय से किया जाना चाहिए था। छ: माह बीत गए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि इन नियमों और नीतियों में काफी बातें शामिल की जाएंगी। नियम और नीतियां कहां हैं? प्रशुल्क नीति कहां है? यह क्यों नहीं बनाई गई?

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमें भी इसके बारे में जानने दिया जाए।

इसी प्रकार, कई राज्यों को अभी नियामक आयोग गठित करना है। छः माह बीत चुके हैं। राज्यों में जिन नियामक आयोगों का गठन किया जाना था वे कहां हैं। क्या सरकार ने इसका अनुपालन किया है। उसकी स्थिति क्या है? क्या मंत्री जी इस पर हमें कोई रिपोर्ट दे सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। कुल मिलाकर क्रियान्वयन की प्रगति बहुत खराब है। मंत्री जी को इसकी ओर इसके कारणों की तत्काल जांच करनी चाहिए।

अब हम प्रस्तावित संशोधनों पर आते हैं। आपको यह याद होगा कि 9 अप्रैल को सभा में विद्युत विधेयक पर वाद-विवाद हो रहा था। पर बोलते समय मैंने कई मुद्दे उठाए थे जिन पर स्थायी समिति की सर्वसम्मत सिफारिशें ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उस पर सर्व सहमति नहीं थी। मैं असहमत था।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: लेकिन महोदय, आपने लिखित में नहीं दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, मैंने इसे लिखित रूप में दिया था। शायद आपने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: ठीक है। अब कृपया मेरी बात सुनें। मैं उस सर्वसम्मत भाग की बात कर रहा हूं जिस पर आप हमारे साथ थे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सिंह, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। सभा में द्विपक्षीय चर्चा की अनुमति नहीं है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, कृपया वे मुझे बोलने दें। कई सर्वसम्मत निर्णय लिए गए थे। वे सभी सर्वसम्मति से नहीं लिए गए थे। हमने लगभग 126 सिफारिशें की थी। अब वे कहें कि सभी 126 सिफारिशें सही नहीं थी और उनमें से अधिकांश का उन्होंने विरोध किया था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सिंह, आपके बाद श्री आचार्य जी बोलेंगे। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: इसलिए, उनको अब मुझे बोलने देना चाहिए।

मैं सर्वसम्मत निर्णयों के बारे में चर्चा करूंगा, जो सर्वसम्मति से लिए गए थे। उस दिन जब सर्वसम्मति से हमने इसे पारित किया था तब वे उपस्थित नहीं थे। यही कारण है कि वे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं उपस्थित था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें सभा को भ्रमित नहीं करना चाहिए। यह सर्वसम्मति से नहीं हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो इस बात को उठा सकते हैं लेकिन जब आपकी बारी आए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, मैं इस संदर्भ में राज्य सभा में मंत्री जी के आश्वासन से मुझे राहत मिली। उन्होंने यहां कोई आश्वासन नहीं दिया। यह आश्वासन 5 मई, 2003 को दिया गया था। इसमें कहा गया है, 'सरकार एक संशोधन लाएगी जिसमें स्थायी समिति द्वारा रखी गई सिफारिशों के मुद्दों का समाधान होगा। जिसे सरकार ने पहले ही कर लिया है। दुर्भाग्य से, स्थायी समिति की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों का प्रस्तावित संशोधन में कोई उल्लेख नहीं है।

महोदय, राज्य सभा में 5 मई, 2003 को विद्युत विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय विद्युत मंत्री ने कहा था जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

[हिन्दी]

> ''ये संशोधन सरकार की ओर से लाए जायेंगे और स्थायी समिति ने जो सुधार और सिफारिशें दी हैं, विशेषकर आम सहमति के साथ जो सुझाव दिए हैं, जिनका जिक्र यहां पर सदस्यों ने भी किया है, उन सारे संशोधनों को लाने का आश्वासन मैं सरकार की ओर से यहां सदन को देता हूं।''

[अनुवाद]

माननीय मंत्री ने कहा था कि वे स्थायी समिति की सभी सिफारिशों की जांच करेंगे।

मुझे एक बार पुनः उन बिंदुओं को दोहराने दीजिए जिनका मैंने 9 अप्रैल, 2003 को पहले ही सभा में उल्लेख किया था। ये सारी बातें स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित थीं—और मैं पुनः सर्वसम्मति की बात कहता हूं और उनकी अनदेखी की गई है।

विकास में नियामक आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 13.47 और 13.48 में उन पर विधायी निरीक्षण की सिफारिश की थी। माननीय मंत्री उनसे सहमत थे।

पैरा 13.46 में समिति ने सिफारिश की थी कि नियामक आयोग के पास विधायी नियंत्रण जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बाहर स्वतंत्र कोष नहीं होने चाहिए और उनके द्वारा निधियां संचित निधि से निकाली जानी चाहिए जैसाकि 1998 के मूल ईआरसी अधिनियम तथा अनेक अन्य राज्य कानूनों में दी गई है। लेकिन उनकी अनदेखी की गई है।

इसी प्रकार रिपोर्ट के पैरा 13.36 में समिति ने सिफारिश की थी कि आयोग तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों को दोबारा चुने जाने की अर्हता नहीं होनी चाहिए ताकि उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्ता बनी रही। इस बात को भी नजरअंदाज किया गया है।

पुनः पैरा 1.22 और 1038 में, यह सिफारिश की गई थी कि आयोग एक वर्ष में सारे विनियम बना लेगा जिससे विवेकाधिकारों के उपयोग से बचा जा सके और विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिले।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विद्युत उत्पादन और वितरण में निजी पारेषण कम्पनियों के स्वामित्व को रोका जाना चाहिए क्योंकि यह उनके हितों में टकराव तथा निजी एकाधिकार बनाने से रोकने के लिए आवश्यक था। इन संशोधनों में इन बातों का भी उल्लेख नहीं है।

इन सबसे ऊपर समिति ने खुली पहुंच की भूमि पर अधिक जोर दिया है और बार-बार इसे शुरू किए जाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा की सिफारिश की थी। यह पूरी सुधार प्रक्रिया का केन्द्र बिंदु अथवा नियंत्रक समझा गया था।

अब इस संशोधन विधेयक में इस संशोधन विधेयक की तिथि से 5 वर्ष का समय विनिर्दिष्ट किया गया है जिसका मतलब है कि वर्ष 2009 में किसी समय इसे किया जाना है।

सन 2009 बहुत दूर है। यह 2009 क्यों होना चाहिए? यह 2005 हो सकता है या 2006 हो सकता है। वे पांच वर्ष का समय क्यों दे रहे हैं? हम नहीं जानते कि पांच वर्षों में क्या होने जा रहा है।

महोदय, राज्य सभा में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि वे स्थायी समिति की इन सिफारिशों जो सर्वसम्मत है, पर विचार करें। दूसरे पक्ष के हमारे मित्र चाहे जो कहें लेकिन ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, मैं अंतर्मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, जैसा कि मैंने विद्युत विधेयक, 2003 का विरोध किया था, मैं विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 का भी विरोध करता हूं।

मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि स्थायी समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थी। मैंने असहमति की चार पृष्ठों की टिप्पण दिया था। मेरे मित्र ने शायद स्थायी समिति के प्रतिवेदन को नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने मेरी असहमति टिप्पण पढ़ा होता तो वे ऐसा नहीं कहते कि यह प्रतिवेदन सर्वसम्मत तथा स्थायी समिति का प्रतिवेदन सर्वसम्मत नहीं था।

मैं सुधारों तथा सुधारों के लिए अपनाए जा रहे तरीकों का विरोध क्यों कर रहा हूं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बदनोर, अब आप उन्हें व्यवधान क्यों पहुंचा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, उन्होंने मुझे बाधित किया था और मुझे उनको बाधित करने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे पास तीन अधिनियम थे-1910 का विद्युत अधिनियम, 1948 का विद्युत आपूर्ति अधिनियम तथा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998। एकमात्र अधिनियम द्वारा इन सभी तीन अधिनियमों को प्रतिस्थापन किया गया था। मेरा प्रश्न है कि क्या एक नया अधिनियम लाने की कोई आवश्यकता थी? कौन विफल हुआ है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि विद्युत अधिनियम विफल हुआ है अथवा हम विफल हुए हैं।

वर्ष 1947 में, हम विद्युत उत्पादन किया करते थे। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, अब हमें अधिनियम पर नहीं बल्कि अधिनियम के संशोधनों पर चर्चा करनी है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने अधिनियम का भी उल्लेख किया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, यह बात छह महीने पहले हुई थी और वह अधिनियम के बारे में अब बात कर रहे हैं। उन्हें इन सभी चीजों के बारे में अधिनियम पारित होने के समय बात करनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, जब वह बोल रहे थे तो आप व्यवधान पहुंचा रहे थे और अब जब आप बोल रहे हैं तो वह आपकी बात में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं इस अधिनियम की आलोचना कर रहा हूं। वह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि स्थायी समिति का प्रतिवेदन सर्वसम्मत थी। परन्तु यह सर्वसम्मत नहीं था। श्री राघवन और मैं-हम दोनों ने एक असहमति टिप्पण भेजा था। ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, उन्हें अब संशोधनों पर चर्चा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: वे अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, हम संशोधनों पर बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, कृपया बैठ जाइए। उन्होंने प्रतिवेदन से अपनी असहमति जतायी है। उन्हें बोलने दीजिए। इस विधेयक हेतु आवंटित समय एक घण्टा है। हम इस चर्चा को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पांच लाख गांवों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि इस नए अधिनियम की क्या जरूरत थी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, वे क्या अब अनावश्यक मुद्दा उठा रहे हैं? वह स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्हें अब यहां पर इन बातों को बोलने से क्या फायदा? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य की बातों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: वर्तमान तीनों अधिनियमों को प्रतिस्थापन करने हेतु क्या कारण बताए गए थे?

दसवीं पंचवर्षीय योजना और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग और आपूर्ति में 15 प्रतिशत तक का अंतर होगा। इसलिए खुले प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विद्युत उत्पादन क्षेत्र में, निजी क्षेत्र को काफी पहले ही अनुमति दे दी गयी है और हमें एनरॉन का अनुभव था। आज सरकार ने अनुमति का पिटारा खोल दिया है। यह देश शहरी भारत और ग्रामीण भारत में बंट जाएगा। कोई भी निजी क्षेत्र ग्रामीण भारत की ओर रुख नहीं करेगा। भारत में अभी भी 85,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। बिहार में अब तक मात्र 15 प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण हो सका है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस नए अधिनियम को लाने और निजी क्षेत्र को सिर्फ विद्युत उत्पादन में ही नहीं बल्कि पारेषण और वितरण कार्य की अनुमति देने के पश्चात् क्या निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे आएगा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी क्षेत्र के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यह लक्ष्य 18,000 मेगावाट का था। उपलब्धि क्या रही? यह मात्र 2,000 मेगावाट थी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह स्थिति उस समय विद्यमान अधिनियम के कारण थी? क्या हमें सुधारों के नाम पर निजी क्षेत्र के लिए सब कुछ खोल देना चाहिए?

राज्य विद्युत बोर्डों को विघटित कर दिया गया। उन राज्यों के अनुभव क्या हैं जिन्होने विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू किये थे। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पी.एल.एफ. घटा है तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उठाए जा रहे घाटे कम हुए हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बल्कि स्थितियां और बदतर हुई हैं। हमें अधिनियम को मजबूत करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है जिसने बिजली की चोरी रोकने हेतु कार्रवाई की है।

यह पहला राज्य है जिसने एक कठोर और निवारक अधिनियम को कार्यान्वित किया है, जिसके परिणामस्वरूप डेढ़ वर्षों में काफी उपलब्धियां रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड इस अधिनियम को मजबूत बनाकर अब मुश्किल हालात से उबर रहा है न कि वह इस हालात से उबरने के लिए सब कुछ निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है और बिना मानवीय पक्ष के सुधार ला रहा है।

इस संशोधन को लाने का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन अधिक से अधिक उदारीकरण करना है। सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 को संशोधित क्यों करना चाहती है? इसमें कहा गया है:

> ''परन्तु यह भी समुचित आयोग, एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को, इन शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा कि एक ही क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अन्य शर्तों और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना, उन अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगा (जिनके अंतर्गत पूंजी की पर्याप्तता, उधारपात्रता या अन्य आचार-संहिता भी है) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और ऐसे किसी आवेदक को, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है इस आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसी प्रयोजन के लिए उसी क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्तिधारी पहले से ही विद्यमान है।''

शब्द 'सहित' को 'से संबंधित' द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसको और अधिक उदार बनाने हेतु किया जा रहा है ताकि निजी क्षेत्र को और अधिक सुविधाएं दी जा सकें।

इसके अस्तित्व में आने के छह माह के दौरान हमारा क्या अनुभव रहा है? कितने निजी क्षेत्रों ने सामने आकर जलविद्युत उत्पादन में अपनी रुचि दिखायी है। इस अधिनियम के अधिनियम से पूर्व, निजी क्षेत्र के लिए जल विद्युत क्षेत्र में भागीदारी करने में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखायी है? महोदय, मुझे इसमें संदेह हैं तथा भविष्य यह बताएगा कि क्या यह अधिनियम हमारी वर्तमान समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगा अथवा नहीं।

हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2007 तक शत-प्रतिशत गांवों तथा 2012 तक सभी घरों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां गांवों को शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, बिजली की पहुंच मात्र 50 प्रतिशत है। पचास प्रतिशत घरों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। इस अधिनियम के अधिनियम से, हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। बल्कि, क्या घटित होगा? सरकार कतिपय समय-सीमा रखना चाहती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं यही कह रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार प्रति राजसहायता के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करना चाहती है। आज गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे निर्धन लोग तथा मध्यम वर्ग के लोग सस्ती दर पर बिजली प्राप्त कर रहे हैं। यदि प्रति राजसहायता को समाप्त कर दिया जाता है। जैसाकि अधिनियम में प्रस्तावित है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने दल के लिए आवंटित समय से दुगुना समय पहले ही ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें, अन्यथा, मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए पुकारूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा है। भारत दो भागों में बंट जाएगा। गरीब तबके के लोगों को उच्च दरों पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा है। अपेक्षाकृत अधिक गरीब तबके के लोगों के हितों की रक्षार्थ कतिपय संशोधन करने के बजाय निजी क्षेत्र के हितों की रक्षा करने हेतु एक संशोधन लाया गया है। मैं सिर्फ संशोधनों का ही नहीं बल्कि विद्युत अधिनियम, 2003 का भी विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बिल का शिवसेना की ओर से समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पावर मिनिस्टर श्री अनन्तराम गीते जी ने राज्य सभा में कुछ आश्वासन दिया है और वहां आश्वासन देने के बाद इस अमैन्डमैन्ट को वह इस ऑगस्ट हाउस में लाये हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अगर मुझसे पूछा जाए तो कोई मंत्री और नेता के ऊपर भरोसा नहीं करता, ये लोग आश्वासन दे देते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए इस आश्वासन के बारे में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जो इस प्रकार है–

एक सांसद थे। चुनाव आया तो पांच साल के बाद वह एक गांव में गये। सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों ने देखा कि पांच साल के बाद संसद सदस्य गांव में आ रहे हैं। एक आदमी ने खड़े होकर पूछा कि सांसद महोदय चुनाव होने वाला है, लेकिन हमारे यहां पीने का पानी नहीं है। वह सांसद मेरे जैसे होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगा कि मैं चुनाव के लिए आया हूं। मैं यहां चुनाव के लिए नहीं आया हूं। आपके पास पीने का पानी नहीं है, मैं आपको पीने का पानी देने के लिए आया हूं। लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद दूसरा आदमी खड़ा होकर बोला–सांसद महोदय आप पीने का पानी देते हैं, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे पास खेती के लिए पानी नहीं है। सांसद ने कहा मैं खेती के लिए भी पानी देता हूं। इसके बाद तीसरा आदमी खड़ा होकर बोला कि आप पीने के लिए पानी देते हैं, उसके लिए आपका आभार, खेती के लिए पानी देते हैं, उसके लिए आपका आभार, लेकिन आप हमें एक बांध दे दीजिए। सांसद बोले हमारे पास एम.पी. लैड स्कीम हैं, मैं आपको बांध देता हूं। लोगों को अच्छा लगा। वहां पर माननीय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा एक आदमी था, उसने देखा कि सासंद बहत चालाक लगते हैं। वह खड़ा होकर बोला कि सांसद महोदय, आप पीने के लिए पानी देते हैं, खेती के लिए पानी देते हैं, हमारे यहां बांध देते हैं, इन सबके लिए आपका बहुत आभार, लेकिन इन सबके लिए यहां एक नदी की जरूरत होगी, सांसद बोले मैं नदी भी देता हूं।

[श्री उत्तमराव ढिकले]

इसलिए मैं समझता हूं कि जितने बड़े नेता हैं, उनके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते। मैं वर्ष 1961 में पोलिटिक्स में आया। मैं अंडर ग्रेजुएट था, तब मैं काउंसिलर बना। 42 सालों से मैं देख रहा हूं कि चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, कोई आदमी इन पर भरोसा नहीं करता। लेकिन गीते जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो आश्वासन दिया, आप उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं चुनाव में खुद नहीं खड़ा होऊंगा, मैं कंटैस्ट नहीं करूंगा, यह मेरा काम नहीं है, लोग उन्हें चुनकर भेजेंगे। मैं खुद रहने वाला नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के चारों मुद्दे बहुत अच्छे हैं। मंत्री जी वर्ष 2007 तक देश के सभी गांवों में बिजली देने जा रहे हैं। वर्ष 2012 तक देश के हर घर में बिजली देने जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी का यह सपना पूरा हो जाए। मैंने जब बिजली के बारे में पढ़ा कि हमारे देश में 1950 में 1362 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी और वर्ष 2002 तक एक लाख पांच हजार मेगावाट बिजली हमारे पास है। मुझे इस बात की खुशी है कि और एक लाख मेगावाट बिजली मंत्री जी जनरेट करने जा रहे हैं। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी यह बिजली जनरेट हो जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

मैंने यह भी चर्चा सुनी है कि इस बिल ने ऊर्जा क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह पैदा किया है, लोगों में विश्वास भी पैदा किया है। इस संशोधन से यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में किसी की मोनोपली नहीं रहेगी-न सरकार की रहेगी और न निजी क्षेत्र की रहेगी। यह खुशी की बात है। इस संशोधन से इस क्षेत्र में स्पर्धा अच्छी होगी, कंपीटीशन होगा, ओपन एक्सैस होगा, कंज्यूमर्स को कम दाम में बिजली मिलेगी। इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश होना भी जरूरी है।

महोदय, बिजली का मुद्दा हमारे देश में अहम मुद्दा है। इस मुद्दे से हमारे देश के सभी लोग जुड़े हुए हैं-किसान जुड़े हुए हैं, खेत मजदूर जुड़े हुए हैं, छोटे उद्योग वाले जुड़े हुए हैं, व्यापारी और उद्योगपति जुड़े हुए हैं और इसीलिए इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे हो, विकास कैसे हो, यही काम चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तमराव जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री उत्तमराव ढिकले: कभी-कभी तो बोलने का मौका मिलता है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, फिर मुझे आना भी नहीं है, आप यह भी ध्यान में रखें। मैंने गीते जी को कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं आना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में निवेश ज्यादा होना चाहिए चाहे वह सैन्टर से हो या निजी क्षेत्र में हो। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे जनरेशन के लिए डीलाइसेंस किया गया, उसी प्रकार डिस्ट्रिब्यूशन को भी डीलाइसेन्स किया, यह अच्छी बात है। एक बात और जो मुझे अच्छी लगी वह यह कि जहां ऊर्जा जनरेट होगी, वहां वितरण भी होगा। जो लाइसेंसी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है और जो इसे पूरा नहीं करेंगे, उनको दंडित करने का प्रावधान भी इसमें है। यह खुशी की बात है। किन्तु मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे डर है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो बहुत तकलीफ होगी और निजी क्षेत्र वाले लोग प्रॉफिट बनाते जाएंगे यह भी डर है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बारे में भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के बारे में एक मिनट बात करके मैं बैठ जाऊंगा।

चुनाव के समय मैंने पढ़ा कि बीएसपी का मतलब बिजली, सड़क और पानी है। ...*(व्यवधान)* शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप भी हैं यहां?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): हां, पानी भी है।

श्री उत्तमराव ढिकले: ऐसा मैं पढ़ता था। कई राज्यों में और हमारे महाराष्ट्र में सब जगह अच्छी बारिश नहीं है। किसी कुएं में पानी है और किसी में नहीं है। मैं हर शनिवार और रविवार को अपने फार्म में जाता हूं-पिकनिक के लिए नहीं, खेती करने के लिए जाता हूं। मैं सांसद होते हुए भी अभी भी खेती करता हूं। मैंने अपना फार्म हाउस में एक बल्ब लगाकर रखा है जो 24 घंटे ऑन रहता है क्योंकि बिजली आती है और बिना बताए चली जाती है। ...*(व्यवधान)* जब बिजली आती है तो बल्ब जलता है और नौकरों को पता चलता है कि अब मोटर का बटन दबाओ तो पानी शुरू हो जाएगा। मैं मुंशी जी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 1800 से 2000 मेगावाट तक बिजली की कमी है और बिजली का बहुत संकट है। बिजली आती नहीं, लोड नहीं आता, यह हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि मैंने बहुत मोर्चे निकाले, बहुत लोगों को बोला कि देखो ये बिजली नहीं देते तो इनको घर भेजो और लोग इसी मूड में हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका मन से आभारी हूं और हमारे मंत्री जी गीते जी अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। विद्युत विधेयक, 2003 अधिनियमित किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के 10 जून, 2003 से लागू कर

दिया गया है। पहले से दस प्रारूप तैयार किये जा चुके हैं और इस विधान पर व्यापक चर्चा की गई है।

इस अवसर पर, मैं सभा के समक्ष अपना विचार रखना चाहूंगा। मूल अधिनियम की प्रमुख बातें राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने के लिए थी। राज्य बिजली विनियामक आयोग की स्थापना को आवश्यक बना दिया गया है। उन बिजली बोर्डों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कुछ प्रोत्साहन भी दिए हैं। ताप विद्युत उत्पादन पर से लाइसेंस हटा दिया गया है और व्यापार (ट्रेडिंग) को विशिष्ट गतिविधि के रूप में मान्यता दे दी गई है। श्रमिक तरीके से प्रति-राजसहायता को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए, राजसहायता का दौर जिसका सुख निर्धन ग्रामीण लोगों द्वारा, विशेषकर निर्धन किसानों और सीमांत किसानों द्वारा उठाया गया है, उसे विधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण मीटर लगाना अनिवार्य करने और राज्य बिजली बोर्डों के निगमीकरण का भी प्रस्ताव किया गया था।

जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत देश के आर्थिक विकास का द्योतक है। उचित लागत पर बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता आर्थिक विकास का निर्धारक है। संबंधित मंत्री महोदय जो महाराष्ट्र के ही हैं, जिनको एनरान और दाभोल परियोजना के कुख्यात निजीकरण का अनुभव है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जूता कहां चुभता है।

अंततोगत्वा, राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय निराशा में धकेल दिया गया है। इन राज्य बिजली बोर्डों के पुनरुद्धार का कोई रास्ता नहीं है। राज्य सरकारों के राजस्व घाटे का 55 प्रतिशत घाटा सी.पी.एस.यू. के कारण है।

मूल विधेयक में राज्य बिजली बोर्डों को कुछ प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। मैं इस बात को मानता हूं। हालांकि, सभी राज्यों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए, वे गैर-निष्पादक राज्य हमारे कोष के संचयी घाटे के लिए पुन: उत्तरदायी होंगे। मैं अपने राज्य, पश्चिम बंगाल में बिजली की दुर्दशा को जानता हूं। हमारे कम्यूनिस्ट मित्र, जो कुछ संशोधनों या प्रस्तावों की दलील दे रहे हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में अपने कार्यनिष्पादन पर विचार करना पड़ेगा। जब हम जल निकाय के विकास या इसकी सुंदरता के लिए बिजली बोर्ड से प्रस्ताव करते हैं, तो पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड हमसे ट्रांसफॉर्मर की कीमत का भुगतान करने के लिए कहता है।

क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? पहले, हमें ट्रांसफॉर्मर की कीमत का भुगतान करना होगा और तब बिजली प्रदान की जाएगी। यहां तक कि एक गांव में बिना बिजली ट्रांसमीशन के एक बिजली का खंभा भी गाड़ दिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे विद्युतीकृत गांव घोषित कर दिया जाता है। समस्याएं बहुत हैं।

सबसे पहले, जहां तक सी.पी.एस.यू. का संबंध है, मंत्री महोदय, को यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि बिजली की उच्च्व लागत के कारण, वास्तविक उपभोक्ता स्वयं विद्युत उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। रक्षित विद्युत उत्पादन का एक नया विचार है विभिन्न उद्योग और यहां तक कि संबंधित सरकारें भी अपना संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। माननीय रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। रेलवे सघन ऊर्जा उद्योग है। वे अब स्वयं विद्युत उत्पादन के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं क्योंकि बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। बिजली की खराब गुणवत्ता और बिजली की लगातार कमी के कारण, यहां तक कि विदेशी निवेशक अब भारत में अपने-अपने उद्यम बंद कर रहे हैं।

अब, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। अभी तक कितने राज्य बिजली विनियामक आयोग गठित किए गए हैं? उन विनियामक आयोगों को कितनी स्वायत्तता दी गई है? सबसे पहले, पूरी कार्यप्रक्रिया उपभोक्ताओं के लाभ के लिए की जानी चाहिए। कोई विधेयक लाने या कोई सफल प्रयास करने के पूर्व उपभोक्ताओं को अवश्य विश्वास में लेना चाहिए।

विद्युत विनियामक आयोग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिना किसी अधिवक्ता के गरीब उपभोक्ता विनियामक आयोग के समक्ष अपनी बात रखने में समर्थ हैं। नहीं। इसलिए, उपभोक्ता और विनियामक आयोग के कार्यनिष्पादन के बीच कोई मेल नहीं है। स्वयं विनियामक आयोग के पास कोई वित्तीय स्वायत्तता नहीं है। इसलिए, सरकार विशेष रूप से उन संगठनों से जो बिजली उत्पादन, वितरण और पारेषण में शामिल हैं, पर उपकर लगाने का प्रस्ताव कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नौवीं योजना में क्षमता उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है या नहीं। यदि नहीं, तो अब तक किन कारणों का पता लगाया गया है।

नौवीं योजना के टर्मिनल वर्ष में उपभोग के लिए 606.7 बिलियन इकाई के सकल ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 515.3 बिलियन इकाई है। नौवीं योजना के आरंभ में उपयोगिता की अखिल भारतीय स्थापित उत्पादन क्षमता 84893 मेगावाट थी, नौवीं योजना में 40245 मेगावाट उत्पादन क्षमता का विचार किया गया था। नौवीं योजनावधि के दौरान वास्तविक अतिरिक्त क्षमता 19015 मेगावाट थी। यह लक्ष्य से 47 प्रतिशत कम है।

महोदय, यह हमारे विद्युत क्षेत्र का कार्यनिष्पादन है। इसलिए, मैं, सरकार से विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र में शामिल सभी

[श्री अधीर चौधरी]
लोगों को संगठित करने का निवेदन करता हूं ताकि ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक व्यापक निकाय बनाया जा सके अन्यथा हमारे देश की ऊर्जा समस्या का समाधान सिर्फ एक विधान बनाने से नहीं हो सकता।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं जो स्थायी समिति द्वारा जांच किये जाने के बाद यहां प्रस्तुत किया गया है। संशोधन करने वाला यह विधेयक उत्पादन और वितरण के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाला है।

महोदय, देश के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराना, दिनांक 11.12.2003 के तारांकित प्रश्न का जवाब देते समय माननीय मंत्री ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 एक विकासात्मक अधिनियम है जिसमें बिजली उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों के लिए बिजली की आपूर्ति करने, बिजली शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, राजसहायता, सक्षम और पर्यावरण अनुकूल नीतियों आदि को प्रोत्साहित करने संबंधी पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने हेतु अनुकूल उपायों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि विधेयक में अन्य विकासात्मक विशेषताओं के साथ-साथ रक्षित उत्पादन की मुक्त अनुमति और प्रभार का बिना भुगतान किए ग्रिड के माध्यम से गैर-विभेदकारी खुली पहुंच का अधिकार रखने और एक ही आपूर्ति क्षेत्र में एक से अधिक वितरण लाइसेंस का भी प्रावधान है।

महोदय, वर्तमान स्वरूप में, प्रगतिशील होने की बजाय कुछ मामलों में यह विधेयक अवनतिकारी है। हमारा कर्तव्य उचित मूल्य पर बिजली प्रदान करना है। लेकिन यदि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वित किया जाता है तो इससे राज्य बिजली बोर्ड अव्यवहार्य हो जाएंगे क्योंकि उत्पादन बिना लाइसेंस के होगा और कोई भी अब विद्युत का उत्पादन कर सकेगा। उद्योग राज्य बिजली बोर्डों और निगमों को ज्यादा शुल्क का भुगतान करते हैं और उसका प्रयोग उपयोगिता सेवाओं और समाज के कमजोर तबकों के प्रति-प्रति राजसहायता के लिए किया जाता है।

महोदय, इस संबंध में, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडु ने सरकार से इस विधेयक को पारित करने के पूर्व सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। इससे सभा के समक्ष लाने के पूर्व विधेयक पर व्यापक चर्चा करने का बेहतर अवसर मिलता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस विधेयक को सीधे स्थायी समिति के समक्ष भेज दिया गया। अब, स्थायी समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को स्वीकार करने के बाद विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, यदि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में कार्यान्वित किया जाता है, तो इससे आम आदमी पर भारी बोझ पड़ेगा। जिन लोगों को अधिक शुल्क का भुगतान करना है और जिसका उपयोग अंततः प्रति राजसहायता के लिए किया जा सकता है, को प्रभार भुगतान के दायरे से बाहर रखा गया है। वे बिजली का उत्पादन स्वयं कर सकते हैं और वे इसका उपयोग राज्य बिजली बोर्डों से और निगमों से बिजली खरीदे बिना अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। इससे आम आदमी पर बोझ पड़ेगा क्योंकि प्रति-राजसहायता को हटा लिया गया है। तो उपभोक्ता को अधिक शुल्क के भुगतान का बोझ वहन करना है या राज्य सरकार को लागत वहन करना है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

अब, जब भी राज्य बिजली विनियामक प्राधिकरण शुल्क बढ़ाता है तो हमारी राज्य सरकारों को बोझ का वहन करना पड़ता है क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसानों को आंध्र में तेलंगाना और रायलसीमा जैसे क्षेत्रों और राजस्थान जैसे राज्य में भी जहां बहुत कम वर्षा होती है, नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में, किसानों को सिंचाई के लिए नलकूपों के माध्यम से भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि उद्योगों और अन्य क्षेत्रों से प्रभार हटा लिया जाता है तो इससे किसानों और वंचित लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस पक्ष पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

उन्हें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों की बैठक बुलाकर एक निगरानी प्रणाली बनानी चाहिए ताकि आम आदमी पर बोझ पड़ने के पूर्व इसे कार्यान्वित किया जा सके।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रभार माफ होने की सुविधा उनको नहीं दी जानी चाहिए जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।

अंत में, मैं एक बार फिर इस मामले पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए राज्य के बिजली मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने की अपील करता हूं। उनकी सिफारिशों के आधार पर, विधेयक को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

मैं स्वयं द्वारा दिए गए सुझावों के साथ ही, विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): महोदय, धन्यवाद, विधेयक पहले ही पारित हो गया है। माननीय मंत्री जी अब कुछ नये संशोधन लाए गये हैं। इन संशोधनों में, मुक्त पहुंच प्रणाली (ओपन एक्सेस सिस्टम) महत्वपूर्ण है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ने बिजली

पारेषण का कार्य किया है। अब इसका निजीकरण किया जा रहा है। पारेषण प्रणाली के निजीकरण से, मैं नहीं समझता हूं कि निर्धन और आम नागरिक को कोई मदद मिलेगी। यदि विद्युत मंत्रालय विद्युत का उत्पादन करता है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस निजीकरण से अधिकांश गांवों को बिजली नहीं मिलेगी। उन्हें पहले ही टेलीफोनिक प्रणाली का अनुभव है। जब अधिकांश टेलीफोन कंपनियों ने निजीकरण के क्षेत्र में प्रवेश करने का विकल्प चुना है, तो उन्होंने कहा है कि वे अपने लाभ के 5 प्रतिशत में से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करेंगी। उन्होंने अपना कितना वचन निभाया? जब आप उस पर नजर डालेंगे, तो परिणाम "शून्य" है। इसी तरह से जब हम इस संशोधन विधेयक को पारित करते हैं तो हमें पारेषण प्रणाली के संबंध में एक शर्त भी रखनी चाहिए कि उन्हें अपने लाभ की कम से कम 10 से 20 प्रतिशत राशि का उपयोग बिजली उपलब्ध कराने में करना चाहिए। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे समाज को लाभ होगा।

अभी केवल पारेषण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। मैंने तमिलनाडु और अपने देश के अन्य भागों में विद्युत उत्पादन वाली परियोजनाओं का ब्यौरा देखा है। सरकारी क्षेत्र की अधिकांश विद्युत परियोजना कंपनियां अच्छा कार्य कर रही हैं। जब हमारे नेता डा. कैलंगनार, तमिलनाडु में सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने गरीब किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान की। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार बोझ को विनियामक आयोग पर थोप रही है। बिजली सामाजिक जिम्मेदारियों में से एक है। यह लाभप्रद व्यापार नहीं है। जब यह सामाजिक जिम्मेदारी है तो सरकार को निर्धन और ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। लेकिन अब सारे अधिकार और शक्तियां विनियामक आयोग के पास हैं। मैं उस विनियामक आयोग के विरुद्ध हूं। इसे राज्य बिजली बोर्ड के पास रहना चाहिए। तभी, हम अपनी बात रख सकते हैं और मतदाताओं के समक्ष किए अपने वायदे पूरा कर सकते हैं। मैं पहुंच प्रणाली (एक्सेस सिस्टम) के निजीकरण के विरुद्ध हूं।

मैं कार्य को लापरवाही से रोकने या बाधा पहुंचाने और जानबूझकर कार्य को बाधित करने हेतु दंड के प्रावधान के बारे में किए जा रहे संशोधनों का स्वागत करता हूं। जो भी बिजली आपूर्ति में जानबूझकर कटौती करता है या किसी बिजली आपूर्ति लाइन को काटता है या कार्य में बाधा पहुंचाता है वह 10,000 रुपए तक के दंड का भागीदार होगा। मैं इस संशोधन की प्रशंसा करता हूं। हम तमिलनाडु में विपक्ष में हैं। हम जब भी बैठक करते हैं, उस राज्य का सत्ताधारी दल हमारी बिजली कटवा देता है। इसलिए, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। मैं इस पहुंच प्रणाली (एक्सेस सिस्टम) के निजीकरण का समर्थक नहीं हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, उन्होंने जो कहा है, वह विधेयक के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। जब बिजली कटती है, तो हमें उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। वह इसके लिए राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं कार्यवाही-वृत्तांत को देखूंगा। यदि कोई आपत्तिजनक चीज होगी, तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मंत्री जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। बिजली विभाग से हमारा बड़ा भारी लगाव है। इलैक्ट्रीसिटी विधेयक हमने हाल ही में पारित किया था जो राज्य सभा में गया था। मंत्री जी ने दावा किया है कि राज्य सभा में जो बहस उठाई गई और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, आशंका व्यक्त की, उन आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए वह संशोधन विधेयक लाए हैं। इसमें इन्होंने चार संशोधनों का दावा किया है, जिसमें एक में शब्द का उलटफेर है और कुछ नहीं है, पूंजी की उपलब्धता और उधार लेने की क्षमता दो-तीन शब्द हैं, उनको ऐसी उन उपेक्षाओं के बाद, जो शब्द कोष्ठ में था, कोष्ठ हटाने के बाद, सारी बातों को लेते हुए उन अपेक्षाओं की आपूर्ति करने के लिए साधारण संशोधन उसमें किए हैं। लेकिन उसके बाद राज्य आयोग हेतु समय सीमा का कुछ प्रावधान नहीं है। वह किसी मामले को लेकर बैठ जाए और जल्दी निर्णय नहीं करे। इसलिए लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। समय सीमा का निर्धारण करने के लिए मंत्री जी संशोधन लाए हैं।

तीसरा संशोधन जो अपील आयोग सैंट्रलाईज्ड था, उसकी पावर को सीमित करने के लिए है। सजा देने का जो प्रावधान है, उसमें संभावना पर पनिशमैंट की गुंजाइश की गई थी। कानूनी राय ली गई होगी। संभावना शब्द को इन्होंने हटा दिया। कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। पहले उसमें यह था कि दुरुपयोग किया जा रहा है, नुकसान हो रहा है और अब उसकी संभावना को हटा दिया। लेकिन उसे हटाने से कानून कमजोर होगा। संभावना से भी लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टैक्नीकलर बात है। यह विधेयक चार बातों के लिए है। लेकिन मूल विधेयक में है डीवीसी के लिए उनको अनुज्ञप्ति लेने की जरूरत नहीं होगी। हम चाहते हैं कि किसी तरह लोगों की कठिनाई हल हो और जो उपभोक्ता बिजली लेना चाहते हैं, उनको बढ़िया और सस्ती दर पर बिजली मिले। अगर आप एक ही क्षेत्र में तीन-चार अनुज्ञप्तिधारियों को काम दे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

देंगे तो इससे कम्पटिशन होगा और उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। बिजली की दर में भी सहूलियत हो सकती है, बिजली देने में भी सहूलियत हो सकती है। इसलिए हम इसे ठीक मानते हैं, यह अच्छा है। लेकिन जब डीवीसी का गठन हुआ था तो उनको 50 करोड़ रुपये की पूंजी बिहार से दी गई। बाद में बिहार का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से डीवीसी का कार्य क्षेत्र झारखंड में चला गया और बंगाल में पहले से था। भारत सरकार ने डीवीसी को ऐसा बांटा कि सारे डीवीसी का मालिक झारखंड हो गया। बंगाल की पहले से हिस्सेदारी है। लेकिन संयुक्त बिहार की उसमें 50 करोड़ रुपये पूंजी लगी है तो हमारी हिस्देदारी कम क्यों हुई, मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं। बिहार में डीवीसी का कार्य क्षेत्र नहीं है। डीवीसी का अगर बंटवारा होगा तो उसमें हमारी पूंजी लगी है। भारत सरकार से पूंजी का निवेश हुआ, उसमें हमारी हिस्संदारी है या नहीं। मैं मंत्री जी से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि डीवीसी में जितना पूंजी निवेश हुआ, आपने वह बंटवारे में दे दिया क्योंकि हिस्सेदारी बढ़ गई। भौगोलिक दृष्टि से सब झारखंड में चला गया। उसमें जितना पूंजी निवेश हुआ, उतना बिहार में होना चाहिए या नहीं। यह न्याय सिद्धांत क्या कहता है जबकि बंटवारे के समय में, विभाजन के समय में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जो क्षति होगी, इसकी हम भरपाई करेंगे। विद्युत बोर्ड भी बंटा, उसकी सम्पत्ति बंटी, उसके कर्मचारी, अधिकारी बंट रहे हैं लेकिन भूगोल के हिसाब से बंटा। तेनूघाट बिजली परियोजना उसकी एक रजिस्टर्ड कंपनी बिहार में है। पटना में भी रजिस्टर्ड है, उसका ऑफिस अभी तक बरकरार है। भारत सरकार ने बंटवारा करके झारखंड को दे दिया। तीसरे, जो बंटवारा हुआ, उसमें 840 मेगावॉट पर थर्मल झारखंड के हिस्से में पड़ गया। भूगोल में उनका पड़ गया, ठीक है लेकिन हमारा बरौनी 320 मेगावॉट देश भर में सबसे पुरानी जर्जर यूनिट है तथा मुजफ्फरपुर काठी थर्मल पॉवर 220 मेगावाट पुरानी जर्जर यूनिट है, ये बिहार में पड़ गई और बिजली के बिना कैसे होगा?

माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि बड़ा भारी बिहार को पैकेज दे रहे हैं। कोई पैकेज नहीं है। राष्ट्रीय संविकास योजना जो हुई, वह देश भर के लिए है और बिहार में भी लागू है, उड़ीसा में लागू है और देश के जो सौ पिछड़े जिले चुने गए हैं, उसमें लागू है जिसमें बिहार का एक भी नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की और बिजली के लिए बार थर्मल पॉवर का उल्लेख किया। बार थर्मल पॉवर का काम 1999 में शुरु हुआ। 1999 में प्रधान मंत्री ने शिलान्यास किया। 1999, 2000, 2001, 2002 और 2003, पांच वर्ष हो गए। कितने वर्षों की योजना है? कितने वर्षों में बिजली का उत्पादन होगा? यह मैं जानना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोगों को बरगलाने का काम किया कि बड़ा भारी थर्मल पॉवर स्टेशन दे दिया जो बिजली की आपूर्ति के लिए वहां है। 1999 में शिलान्यास हुआ। पांच वर्षों में अभी तक उसका स्थापन, निर्माण क्यों नहीं हुआ और उसमें से कब बिजली निकलेगी? फिर उन्होंने सब जोड़कर ऐसा रूप बताया कि बिहार के प्रति जो माननीय सांसद सहानुभूति रखते हैं, उनको बताया कि प्रधान मंत्री जी ने बहुत दे दिया, बहुत दे दिया। खाली भूसा फटकने से दाना नहीं निकल रहा है। खाली बयान है। बिहार के साथ धोखाधड़ी हो रही है। माननीय मंत्री जी इंसाफ करने वाले हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने दावा किया कि ट्रांसमिशन में हमने 365 करोड़ दे दिया। 365 करोड़ क्या है, यह जान लीजिए। 335 करोड़ का प्रोजेक्ट पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का संस्थान है। उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत मैं करने का खर्चा लूंगा, नाम है बिहार को दिया और उसको करने का खर्चा 15 प्रतिशत भारत सरकार की एजेंसी ले रही है और उसका 140 प्रतिशत का टेंडर होगा और बिहार के नाम पर सब खाता जुड़ेगा। यह भारत सरकार की चालाकी है, यह भारत सरकार की ओर से धोखाधड़ी है, बिहार की जनता के साथ छल है, बिहार की जनता का शोषण है और बिहार की जनता को बरगलानें का काम हो रहा है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलैक्ट्रिफिकेशन ये चार बिजली के पार्ट होते हैं और यह देश और दुनिया का मान्य फार्मूला है। 365 करोड़ मैं मान लेता हूं 365 करोड़ आपने ट्रांसमिशन में दिया तो जनरेशन में उसका दुगना हमें मिलना चाहिए था। 750 करोड़ रुपया हमें जनरेशन में मिलना चाहिए था। पैकेज ही सही लेकिन जनरेशन में हमें 750 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था जिससे हम बरौनी थर्मल पॉवर का रिनोवेशन, मॉडरनाइजेशन कर सकते। एक करोड़ रुपया प्रति मेगावाट साधारण फार्मूला है और 220 मेगावाट मुजफ्फरपुर का एक करोड़ रुपया प्रति मेगावॉट, 540 करोड़ रुपया हमें रिनोवेशन, मॉडरनाइजेशन के लिए मिलना चाहिए क्योंकि सब ट्रांसमिशन में दे दिया। आपने दावा किया कि हम बिजली का सुधार कर रहे हैं लेकिन जनरेशन में जब तक विद्युत का उत्पादन नहीं होगा तो क्या हम लोग खाली तारें दिखाएंगे? तार से क्या हम टेलीफोन करेंगे। तार से बिजली दौड़ेगी। जब तक बिजली नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं होगा। बिना बिजली के रेलगाड़ी भी नहीं चलेगी, नहीं दौड़ेगी। पन-बिजली सस्ती बिजली होती है और साथ ही उससे धुआं नहीं होता, वातावरण भी खराब नहीं होता जबकि थर्मल पावर से वातावरण दूषित होता है। शुरू में पन-बिजली महंगी पड़ती है लेकिन बाद में बहुत सस्ती पड़ती है। हम पन-बिजली की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए सारे विकास को रोककर हमें पन-बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे कोई जानकार हो, योजनाकार हो, अर्थशास्त्री हो या कोई वैज्ञानिक हो, बिना

बिजली के किसी का भी कोई काम नहीं हो सकता है। पन-बिजली नार्थ-ईस्ट से लेकर पहाड़ों में बहुतायत में पैदा हो सकती है, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। भारत सरकार से बिहार राज्य को एक मैगावाट भी बिजली नहीं मिली है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बहुद्देशीय योजना है जिसमें सिंचाई के काम के साथ-साथ 450 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। यह योजना भारत सरकार में लम्बित पड़ी हुई है। बिहार सरकार ने कहा है कि इसे लागू करवाइये। जब देश में हर जगह पन-बिजली बन रही है तो बिहार में पन-बिजली क्यों नहीं बन रही है। कई राज्यों से इस पर सहमति लेने के बाद अब भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रोजैक्ट को शीघ्र पूरा करे। दो राज्यों से अब इसमें सहमति लेनी है। कैमूर में 2580 मैगावाट पम्प स्टोरेज प्रोजैक्ट का अनुसंधान हो चुका है। बिहार सरकार ने कहा है कि इसको पूरा कर दें। इसके लिए पूंजी-निवेश की क्षमता भारत सरकार में है बिहार सरकार में पूंजी निवेश की क्षमता नहीं है। भारत सरकार के पास एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसे संस्थान हैं। कैमूर पम्प स्टोरेज प्रोजैक्ट पूर्वांचल में है। उससे पीक आवर में बिजली की आपूर्ति की जा सकती है और उसका इंतजाम हो सकता है। लेकिन वह कार्य करने से ही होगा। इसलिए थर्मल पावर का आधुनिकीकरण और पन-बिजली दोनों की मांग मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करता हूं। कटिहार वाला, बीहटा वाला काम लम्बित है। पटना में बिजली वाला काम भारत सरकार के पास लम्बित है, उसका कार्यान्वयन कैसे होगा? ये सारे सवाल मैं उठाना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि बिना बिजली के काम नहीं हो सकता है। जैसे बिना सांस के जिंदगी नहीं चल सकती है उसी तरह से बिना बिजली के देश नहीं चल सकता है और कोई काम नहीं हो सकता है। हमारा डीवीसी वाला हिस्सा कहां गया। माननीय मंत्री जी, इन सभी बातों का सम्यक उत्तर दें और विधेयक पास कराएं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय विद्युत मंत्री को एक बड़े काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने किया है। उनका विश्वास था कि मंत्री के रूप में वाद विवाद के दौरान आए संसद सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का उत्तर देना है। अपने आश्वासन को पूरा करने और एक सभा में माननीय संसद सदस्यों के सुझावों के प्रत्युत्तर में वह विद्युत (संसोधन) विधेयक लाए हैं। माननीय मंत्री संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए सभा के सभी वर्गों की प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए मैं पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं एक पहलू पर माननीय विद्युत मंत्री के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री को सम्बोधित करना चाहता हूं। हम एक बार यह निर्णय लें कि हम किसी भी मोर्चे पर राजनीति कर सकते हैं किन्तु कुछ क्षेत्रों में हम राजनीति नहीं करेंगे और ऐसा एक क्षेत्र है विद्युत। मैं किसी राजनीतिक दल की सदाशयता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर न तो आरोप लगा रहा हूं और न ही उनके बुराई कर रहा हूं। अब समय आ गया है कि हम शेष विश्व के आर्थिक विकास में शामिल हो जाएं और भारत को एक असाधारण गुण सम्पन्न देश बनाएं।

माननीय प्रधान मंत्री लगभग आठ प्रतिशत विकास प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि, उद्योग और अन्य सभी क्षेत्रों को अपना समर्थन देकर राष्ट्र को उस शिखर तक ले जा सकता है। इसी कारण मैंने कहा था कि मैं माननीय प्रधान मंत्री को सम्बोधित करना चाहता हूं। मेरा माननीय विद्युत मंत्री से अनुरोध है कि वह सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करें। हम इस पर एक बार निर्णय लें। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार के लोकप्रिय नारों का उपयोग किया जाता है। हम विद्युत क्षेत्र का प्रयोग वोट बैंक के लिए न करें। वोट एकत्र करने के लिए प्रशुल्क से छूट अथवा निशुल्क बिजली के लिए नहीं कहना चाहिए। इससे राष्ट्र बीस वर्ष पीछे चला जाएगा।

मैं नहीं समझता कि जापान एक असाधारण देश है किन्तु आज तक एशिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। हमारे पास जापान से अधिक क्षमता है। हमारे पास प्रचुर संसाधन हैं। हमारे पास नदियां, पवन, कुशल कारीगर और कोयला है। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि हम अधिक प्रगति कैसे नहीं कर पाए। समय समय पर मैं रिपोर्टें पढ़ता रहता हूं कि राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण प्रभावित करने हेतु राजनीति आ जाती है और चुनाव समय के दौरान छूट की मांग की जाती है। इस प्रकार की चीजें सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र को कठिनाई में डाल देती हैं।

मैं एन.टी.पी.सी., पावर ग्रिड कार्पोरेशन, एन.एच.पी.सी. के अभियंताओं की गुणवत्ता की प्रशंसा करता हूं। वे पूर्ण अर्हता प्राप्त हैं और जब प्रतिभा की बात आती है तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका और देश के अन्य विकसित देशों के अभियंताओं से कोई कम नहीं है। फिर भी हमारी राजनीतिक इच्छा स्पष्ट नहीं है और इसीलिए हम हर साल देश को पीछे ले जा रहे हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सीमांत किसानों और गरीब किसानों की हमें समस्याएं हैं। माननीय प्रधान मंत्री को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करनी है और यह निर्धारित करने हेतु मानदंड का निर्णय करें कि यह राजसहायता प्रदान करने के उद्देश्य

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

से गरीब किसान कौन हैं? यह स्थिति सभी राज्यों में समान है, चाहे यह हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार अथवा कोई अन्य राज्य हो। हम एक बार यह निर्णय लें कि हमें क्या देना चाहिए और यह किसे देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसानों के बारे में बात कर रहा है। मैं किसानों के विरुद्ध नहीं हूं कि इस बात का पता लगाने के लिए परिभाषा का पता लगाया जाए कि सम्पन्न किसान कौन हैं, कौन गरीब किसान है और जमींदार कौन है।

यदि हमें आठ प्रतिशत के विकास के लक्ष्य तक पुहंचना है। प्रधान मंत्री सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए और बताएं कि यद्यपि हम प्रत्येक मामले में राजनीति करते हैं फिर भी हमें विद्युत उत्पादन के मुद्दे पर राजनति नहीं करनी चाहिए। जो भी पार्टी सरकार में रहे किन्तु देश को आगे बढ़ना चाहिए।

मैं अपने राज्य में कुछ रिकार्डों का अध्ययन कर रहा था। संथालपुर में कोयला संभलाई में विलम्ब के कारण कोयला माफिया में अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले को रोक दिया और कोयले में राख की मात्रा बढ़ा दी। इसके परिणामस्वरूप संयंत्र को नुकसान हुआ और अभियंताओं को भी नुकसान हुआ है। दिन की समाप्ति पर सम्पूर्ण संयंत्र प्लान्ट लोड फैक्टर को नहीं ले पाया। जब अभियंता ने रिपोर्ट दी कि कुछ गलत काम हुआ है, माफिया ने उसके जीवन को नरक बना दिया है। यही देश में हो रहा है। जब हो रहा है, वह यह है कि इस सभा में अथवा अन्य सभा में अथवा किसी विधान सभा में खड़ा होगा और मंत्री से तर्क करेगा और मंत्री बदले में कहेगा कि उसे भी चुनाव लड़ना है।

यही वह स्थिति है जो सम्पूर्ण प्रणाली को पूर्ण रूप से गलत शकल दे रही है। मुझे एक मामले की जानकारी है जहां कुछ दिन पूर्व कोयला क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। मैं समझ सकता हूं कि नौकरशाही उनके लिए लड़ रही है। मैं इस बात को समझ सकता हूं। किन्तु राजनीतिज्ञों को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए। इस विद्युत क्षेत्र में ही देश में इस प्रकार का वातावरण चल रहा है। अनेक अच्छी कंपनियां विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में भारत में निवेश हेतु प्रतीक्षा कर रही है। हम बैठक के बाद माननीय प्रधान मंत्री से सहमत हो सकते हैं कि यदि विदेशी कंपनियों को विद्युत उत्पादन के लिए आना है तो वह लघु औद्योगिक इकाईयों से इतना प्रशुल्क लेगी और यदि कोई कम्पनी सीमा पार करती है तो उसे सरकार की, अपीलीय आयोग की अनुमति लेनी होगी अर्थात बड़े उद्योगों को यह कार्य करना है, गरीब किसानों को यह कार्य करना है आदि। मैं इन सब बातों को समझ सकता हूं। यही वे मामले हैं जिन पर हम पूर्णरूपेण चर्चा कर सकते हैं। किन्तु निवेश का माहौल तभी तैयार किया जा सकता है यदि विद्युत की चोरी रोकने के लिए राज्यों में सशक्त प्रबंध हो। विद्युत की चोरी के बारे में भी जब अधिकारी जाते हैं तो स्थानीय गैंग (गिरोह) उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। मुझे यह मालूम है।

इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह सोचने का समय आ गया है कि क्या विद्युत उत्पादन कार्यक्रम और नियोजन के बेस नियंत्रण का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। रक्षा का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। दूरसंचार का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, राजस्व का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। यह हो सकता है कि विद्युत उत्पादन नियोजन और कार्यक्रम में, केन्द्रीय तंत्र को एक ठोस शक्ति दी जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप विद्युत विषय पर पूर्ण कब्जा कर लें। राज्य सरकार के मेरे मित्र मुझसे अप्रसन्न होंगे। जैसे ही आप इसे राज्य के लिए छोड़ते हैं तो राजनीतिक ऐसे ढंग से आ जाती है कि उससे विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक सांसद सदस्य के रूप में अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में से गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 3 करोड़ रुपये दिए थे। इन पैसों का जो हुआ उसे जानकर आपको हैरानी होगी। मेरा दावा है क्रि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मेरे राज्य में इस योजना के तहत व्यय की गई राशि के बारे प्रकाशित सूची में मैं प्रथम स्थान पर था। मैंने विद्युत क्षेत्र को 3 करोड़ रुपए दिए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें से अब तक तीन चौथाई राशि खर्च ही नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ केन्द्रीय मदें उपलब्ध नहीं है और इसका कारण यह है कि प्राधिकरण के कर्ज में डूबे होने के कारण उन्हें सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनके पास मेरा पैसा है। हम ऐसे में क्या करें। यदि एक दिन एक व्यक्ति कार्य करता है तो दूसरा व्यक्ति उस दिन कार्य नहीं करता है। सम्पूर्ण विद्युत प्रबंध तंत्र में इसी प्रकार की बातें हो रही हैं।

मेरा यह दृढ़ विचार है और माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी है कि वे इस सत्र में नहीं तो कम से कम अगले सत्र में एक श्वेत पत्र तैयार करके संसद में लेकर आएं जिसमें राज्यों में पूंजी निवेश, उपयोग, संयंत्र भार कारक, विद्युत उत्पादन कार्यक्रम की अनुकुलतम सीमा और तत्संबंधी समस्याओं के बारे में ब्यौरे हों। मैं किसी दल अथवा राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। आप, इस श्वेत पत्र को तैयार करने के पश्चात, कृपया यह सूचना उपलब्ध कराएं कि किस राज्य ने छठी पंचवर्षीय योजना में अच्छा निष्पादन किया और कौन सा राज्य बुरी तरह विफल रहा और इसी तरह सातवीं, आठवीं तथा नौवीं योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसमें हमारी सरकार अथवा वाम दलों या जो भी दल हों, उनके बारे में विवरण दिए जा सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसके पश्चात, इस बात के

लिए सम्मेलन बुलाया जाए कि 8 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए। यह स्थायी समिति द्वारा किए गए गहन अध्ययन के पश्चात इस संसद द्वारा पारित विद्युत विधेयक और इस बारे में लाए गए संशोधनों के अनुरूप हो सकता है।

आप प्रभावशाली ढंग से विद्युत का उपयोग करें। मेरे विचार से विद्युत के प्रभावशाली ढंग से उपयोग के लिए एक समाधान यह है कि प्रत्येक दल इस हेतु प्रतिबद्ध होगा और यह प्रतिज्ञा करेगा कि इस क्षेत्र में कोई राजनीति नहीं करेंगे।

अब मैं सौर ऊर्जा की बात करता हूं। यह आपके अधीन नहीं है परन्तु मेरा आपसे एक अनुरोध है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से ही सौर ऊर्जा एक उद्देश्य रहा है ताकि ऐसे निर्धनतम व्यक्ति भी जो समुद्री तटों अथवा द्वीपों पर रहते हैं और अन्य असहाय व्यक्तियों को विद्युत उपलब्ध कराई जा सके जहां परम्परागत विद्युत पारेषण संभव नहीं है। इसमें राजसहायता का प्रावधान है। मुझे इसकी जानकारी है। लेकिन मुझे इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि गांवों के अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति राजसहायता की इस राशि को हासिल कर पाने में असमर्थ हैं। मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है। सरकार को प्रतिष्ठापन लागत वहन करनी चाहिए, इसके पश्चात व्यक्तियों से शुल्क के रूप में बहुत कम राशि लेनी चाहिए। वे इससे अधिक वहन नहीं कर सकते हैं।

मैं आपको यह बताऊंगा कि घटनाएं किस प्रकार घट रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मुझे आशा है कि मेरे पश्चिम बंगाल के मित्र इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। मुझे एक लम्बे संघर्ष के पश्चात मेरे संसद क्षेत्र के एक द्वीप पर बिजली ले जाने हेतु योजना आयोग से एक करोड़ से अधिक की राशि मिली थी। आप वहां आसानी से नहीं जा सकते हैं। मैं वहां नाव से जाता हूं। इस क्षेत्र में 20,000 मतदाता हैं। यह क्षेत्र दोनों ओर दो नदियों से घिरा है।

उन्हें केवल बिजली चाहिए। वे और कुछ नहीं चाहते। उनका कहना है कि वे भूखे रह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए दो वर्ष पहले धन आबंटित किया गया था। वहां पिछले 10 वर्षों से खम्भे बुतों की तरह खड़े हैं। लेकिन माल्दा जिले के रतुआ और बिलैमारी महंदा टोला में आज तक कुछ नहीं किया गया। मैं जब अभी वहां जाता हूं, तो वे कहते हैं आप तो प्रसिद्ध संसद सदस्य हैं, लेकिन हमारी बिजली का क्या हुआ?'' उन्हें धन मिल गया है परन्तु किसी अन्य प्रयोजन में यह धन उपयोग किया जा रहा है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं–उनकी प्राथमिकताएं अन्य हो सकती है–संयंत्रों में कोयले का स्थान और उसकी गुणवत्ता–यह बढ़िया गुणवत्ता का है अथवा घटिया इस बात का विशेष महत्व है। अधिक राख वाला कोयला समय पर धोवनशालाओं में नहीं जाता है। कोयला माफिया धोवनशाला में कोयला जाने से पूर्व ही ले जाते हैं। मैं राजनैतिक रूप से पोटा का समर्थन नहीं करता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास पोटा से अधिक कोई शक्ति है, तो आप सबसे पहले कोयला माफियों को पकड़ें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें गोली मारने हेतु विधि बनाएं। बिजली संयंत्रों को इसके पश्चात ही कोयला मिलेगा और हम गांवों का विद्युतीकरण करने में समर्थ हो जाएंगे।

अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे एक श्वेत पत्र लाएं और प्रधान मंत्री से अनुरोध करें कि वे राजनैतिक दलों की एक गंभीर बैठक बुलाएं। हमें ऊर्जा क्षेत्र में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि यदि मैं मुख्य मंत्री बनना चाहूं, तो मैं वहां जाऊंगा और कहूंगा।

[हिन्दी]

हमें मत दे दो, हम माफ कर देंगे लेकिन देश हमें माफ नहीं करता, दुनिया हमें माफ नहीं करती।

[अनुवाद]

अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 4.12.2003 को तारांकित प्रश्न के बारे में दिए गए उत्तर की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम शुरु किया है और इस कार्यक्रम के दो घटक है।'' महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पूंजीनिवेश घटक तथा प्रोत्साहन घटक शामिल हैं। पूंजी निवेश घटक के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 50 : 50 भागीदारी है। हम सबको यह जानकारी है कि देश के सभी राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय हालत पतली है। इसीलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारों का अंश 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत और भारत सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर देना चाहिए। इसी के साथ विशेष श्रेणी के राज्यों–जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए आपने 10 प्रतिशत ऋण और 90 प्रतिशत अंश उपलब्ध कराया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र सरकार की भागीदारी को शत प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार करें।

[डा. वी. सरोजा]

मैं ऊर्जा क्षेत्र की बात करती हूं यद्यपि हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है तथापि मुझे पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाने में शंका है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध और करता हूं कि हमें हमारी उपलब्धियों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए ताकि हम अपने कार्यों की गुणवत्ता, कार्य की मात्रा में सुधार करने और विद्युत उत्पादन और वितरण तंत्र को प्रभावी बनाने में समर्थ हो सके।

महोदय, मुझे आशंका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से परियोजनाओं में विशेषकर मेरे क्षेत्र की परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। मंत्री महोदय को मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ली पहाड़ी जल-विद्युत परियोजना, जिमसें 220 मेगावाट की दो इकाई हैं की जानकारी है। इसे 6 महीने पहले ही वन और पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिली है।

उन्होंने राज्य बिजली बोर्ड से चर्चा के दौरान जो उत्तर दिया था, वह स्तब्ध कर देने वाला है। उन्होंने कहा था .... ''राज्य बिजली बोर्ड को वन और पर्यावरण मंत्रालय से परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए 47.50 लाख रु. और देने हैं।''

हम माननीय उच्चतम न्यायालय के 1.8.2003 के निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं। इसमें कहा गया कि 'प्रयोक्ता अभिकरण का वनीकरण कार्यक्रम हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य/राशि जमा करनी है।' मैंने मंत्री महोदय से इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार सम्पूर्ण देश की ओर से अपील कर सकती है।

आपने एक अन्य तारांकित प्रश्न के उत्तर में एक दिन यह बताया था कि 163 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.11.2002 के निर्णय की निर्धारित तिथि के पश्चात इन सभी 163 परियोजनाओं को अनुमति दी गई। इसीलिए मैं मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर एक श्वेत पत्र रखे जाने की अपेक्षा करता हूं तभी सभा के सदस्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के प्रभावों की जानकारी होगी। हम यह भी जानते हैं कि हम इसे किस प्रकार लागू करने वाले हैं और राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय समस्या को कैसे दूर किया जाए।

महोदय, दूसरी समस्या कोली पहाड़ी परियोजना और पेरकुड जनजातीय लोगों की है। मंत्री महोदय इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि हम और तमिलनाडु सरकार विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में सौर प्रणाली के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने सभी आदिवासी क्षेत्रों की बिजली आवश्यकता की पूर्ति सौर प्रणाली से पूरी करने का प्रस्ताव भेजा है। इसीलिए, मैं मंत्री महोदय से अपने राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, कितने वक्ता और शेष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: दो वक्ता और हैं। प्रत्येक वक्ता को मात्र दो-दो मिनट दिए जाएंगे क्योंकि इसके पश्चात हमें अगली मद को विचारार्थ लेना है।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय गीते जी जो बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बिजली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से बिजली के क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। अगर हम अपने देश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो एक मोटे अनुमान के अनुसार हमें दसवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 5 लाख 66 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। एक रिसर्च के हिसाब से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में कोयला केवल 200 वर्षों के लिए उपलब्ध है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी देखना और सोचना है। इसलिए ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। आज हमारे देश में हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए डेढ़ लाख मेगावाट की कैपेसिटी है। लेकिन इस कैपेसिटी का हम केवल 225 प्रतिशत ही यूज कर रहे हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से 15 हजार करोड़ रुपये का अनुमान ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने के लिए लगाया गया है। 43 हजार करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और 12200 करोड़ रुपये का प्रावधान पुराने ट्रांसफॉर्मर्स को ठीक करने के लिए किया गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

आज जिस तरह से हमारे राज्यों के बिजली बोर्ड 27000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं और अगर विद्युत मंत्रालय का जो

सुधार कार्यक्रम है, उसे उन बिजली बोर्डों ने शुरू नहीं किया तो आने वाले पांच सालों में यह घाटा बढ़कर 40000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन या बिजली बोर्ड बने हैं, 18 राज्यों ने अपने यहां बनाए हैं, लेकिन जिन राज्यों ने नहीं बनाए हैं, आज उन राज्यों को ये बिजली बोर्ड बनाने होंगे। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा ने जो बिजली बोर्ड बनाया और उसमें जो सुधार किया, उससे 10 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत की जो योजना इनसैन्टिव की बनाई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रत्येक सदस्य को दो मिनट का समय देने का निर्णय किया गया था और अब आपका समय समाप्त हो गया है। अकेले इस विधेयक पर ही अब दो घंटे का समय खर्च हो गया है।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: कल भी आपने मुझे दो मिनट दिये थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रतन लाल कटारिया जो कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप बहुत अधिक समय बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति जी, आज भारत सरकार ने 2007 तक देश के हर व्यक्ति के घर में दीया जलाने का संकल्प लिया है, बल्ब जलाने का संकल्प लिया है, आज उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें तेजी से कार्य करना होगा।

आदरणीय सभापति जी, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के मेरे लोक सभा क्षेत्र के यमुनानगर में पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंहराव जी ने हमारे साथ एक क्रूर मजाक किया है कि 1991 में उन्होंने यमुनानगर में दिल्ली के पास फरीदाबाद से रिमोट कंट्रोल से एक बड़े बिजलीघर और थर्मल पावर स्टेशन का एलान किया लेकिन आज तक उसका एक प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हो सका। वहां 1400 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। किसानों की जमीन चली गई लेकिन आज तक उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह काम करना है तो इसे आप प्रायॉरिटी पर लें और अगर राज्य सरकार को यह काम करना है तो राज्य सरकार को कहें कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यहां पीठासीन अधिकारी की क्या आवश्यकता है?

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: आज चीन ने 13 सालों में अपने यहां 2 लाख मैगावाट की कैपेसिटी प्राप्त कर ली है तो भारत क्यों नहीं अपनी बिजली की कैपेसिटी बढ़ा सकता? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यहां पर पीठासीन अधिकारी की क्या आवश्यकता है। कृपया अपने स्थान पर बैठे। इसके पश्चात कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब बोलने की क्या उपयोगिता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महाले के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, बिजली सिर्फ प्रकाश देने वाली चीज नहीं है। यह आदमी के लिए और देश के लिए उजाला देने वाली चीज है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बिजली मंत्री गीते जी हैं जो महाराष्ट्र के ही निवासी हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

मान्यवर, पिछड़ी जाति का आदमी जिन्दगी की दौड़ में सबसे पीछे हैं। आरोग्य के मामले में पीछे है, आर्थिक सम्पन्नता के मामले में पीछे है और राजकार्यों में भी बहुत पीछे हैं, बिजली के मामले में भी पीछे है।

सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का डोंगरी हिस्सा आदिमजाति बहुल है। वहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। वहां बिजली नहीं पहुंचाने के लिए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

सरकार दोषी है, यह मैं नहीं कहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने एनरान कंपनी के साथ करार करके गलत काम किया था। सत्ताधारी दल के लोग हमेशा कहते थे कि एनरान कंपनी का बोरिया-बिस्तर बांध देंगे, उसे समुद्र में डुबो देंगे, लेकिन जब यह सरकार सत्ता में आई, तो केवल 13 दिन में चाय पीते-पीते उसके साथ करार कर दिया, जैसे लोक सभा और राष्ट्रपति भवन को सरकार ने गिरवी रख दिया हो। इतने बड़े-बड़े काम इस सरकार ने इतनी जल्दी-जल्दी किए, जो ठीक नहीं है।

महोदय, कोयले से बनने वाली बिजली का एक थर्मल पावर स्टेशन हमारे क्षेत्र में है, लेकिन वह एक महीने में तीन-तीन दिन बंद हो जाता है जिससे बहुत सारी बिजली नष्ट हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि महाराष्ट्र को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि इसमें सुधार लाया जाए और नई-नई सामग्री, नई-नई तकनीक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पॉवर उत्पादन में किया जाए।

महोदय, हमारे बिजली मंत्री श्री गीते साहब को मालूम है कि बिजली पैदा करने वाला महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र है, लेकिन आज उसी की स्थिति यह है कि वहां कभी-कभी आठ-आठ दिन बिजली नहीं रहती है। इसके कारण न केवल महाराष्ट्र का वह क्षेत्र बल्कि गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र भी अंधेरे में डूब जाता है। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति में भी सुधार लाया जाना चाहिए।

महोदय, दीव और दमन के बिजली बोर्ड में जो पहले ओवरसीयर हुआ करता था, आज वही चीफ इंजीनियर है। इसका परिणाम यह है कि आज दमन एवं दीव का बिजली बोर्ड 75 करोड़ रुपये नफे में चल रहा है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी श्री रतन लाल कटारिया जी कह रहे थे कि हरियाणा बिजली बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और वह मुनाफे में चल रहा है। इसका कारण यह है कि आधुनिक तकनीक और लगातार विद्युत उत्पादन के कारण बिजली बोर्ड नफे में आते हैं, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर बिजली बोर्डों में क्षमता से 40 प्रतिशत बिजली का कम उत्पादन होता है और पुरानी तकनीक तथा पुरानी सामग्री के कारण वे घाटे में जाते हैं।

महोदय, अभी डॉ. वी. सरोजा ने जैसा कहा, वैसे बिजली उत्पादन में नई तकनीक और उच्च श्रेणी की सामग्री का यदि इस्तेमाल किया जाए, तो बिजली का संकट दूर हो सकता है। बिजली के क्षेत्र में नए-नए शोध करने चाहिए और देश में बिजली के उत्पादन हेतु अन्य स्रोतों को भी बढ़ावा देना चाहिए देश में बिजली सप्लाई में सुधार करना चाहिए। जो आदिमजाति क्षेत्र हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचानी चाहिए, मेरी आपसे यह विनती है।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए दूरगामी योजनाएं बनाई हैं।

वर्ष 2012 तक एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य हमने तैयार किया है, निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे।

महोदय, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली भारत की राजधानी है। बिजली का संबंध कई चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बिजली जाने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। अगर बिजली चली जाती है तो सुरक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। दिल्ली के अंदर अभी-अभी मैं जो रिपोर्ट लेकर आया हूं, यहां 2824 मेगावाट की जरूरत है। मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जब भी बिजली की समस्या के लिए, बिजली की कमी के बारे में हमारे केन्द्रीय नेताओं से बातचीत की तो बिजली की पूरी आपूर्ति की गई। आज दिल्ली में जितनी बिजली चाहिए, भारत सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की आबादी इस समय लगभग डेढ़ करोड़ के करीब है। एक-चौथाई आबादी यहां ऐसी है, जहां अभी विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। इसका आज सारा डिस्ट्रीब्यूशन टाटा और रिलायंस को दे दिया गया है। हमने कहा कि अगर मुंबई जैसे शहर में प्राइवेटाइजेशन करने से दिल्ली की आपूर्ति में सुधार हो सकता है और दिल्ली में अगर इसे किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है।

महोदय, हम एक बार मुंबई गए, वहां हमने लोगों से पूछा कि आपके यहां लाइट कब जाती है तो उन्होंने कहा कि हम वह समय देखते हैं कि हमारे यहां कभी लाइट जाए और हम देखें। हम दिल्ली वाले ऐसे अभागे हैं कि हम वह समय देखते हैं कि लाइट कब आए और कब न आए। ऐसी हालत में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां झुग्गी-झोपड़ी में, अनआथोराइज्ड कालोनियों में लोग रहते हैं, जहां बिजली के स्थाई कनैक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव से पहले जिन कम्पनियों से एग्रीमेंट किया गया तो सारी झुग्गी-बस्तियों को कहा गया कि आपको पूरी लाइट दी जाएगी, लेकिन उन्हें जो लाइट दी गई वह ठेकेदारों के जरिए दी गई। उस समय उन्हें कहा गया कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी और कोई कंनेक्शन काटा नहीं जाएगा।

महोदय, अभी मुंशी जी कह रहे थे कि बिजली आपूर्ति के अंदर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस दिन चुनाव हुए, उस

दिन के बाद से दिल्ली में सभी गरीब बस्तियों में बिजली के कनेक्शन दिल्ली सरकार ने काट दिए हैं। आज वहां लोग त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में बिजली की आपूर्ति और व्यवस्था में सुधार कराएं। यहां जो हमारी बिजली पैदा होती है, वह मुश्किल से एक हजार मेगावाट होती है और विभिन्न राज्यों से नार्दन ग्रिड से यहां पर बिजली आती है। आप दिल्ली में बिजली के उत्पादन के लिए कोई नयी व्यवस्थाएं बनाएं। हम चाहते हैं कि दिल्ली बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होनी चाहिए। दूसरे राज्यों में कई बार दिक्कतें आ जाएं तो दिल्ली अंधेरी नहीं रहनी चाहिए। दिल्ली में बिजली की खपत केवल घरों के लिए नहीं है। हम जिस फ्लेट में रहते हैं, वहां आप देखें कि कई बार घंटों-घंटों तक बिजली नहीं आती है और बिजली न आने के कारण पीने का पानी नहीं होता है तथा इस कारण दिल्ली में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। दिल्ली में जो बिजली के मीटर प्राईवेट कम्पनियों ने लगाए हैं, वे मीटर ठीक से काम नहीं करते हैं। वे मीटर तेज चलते हैं, उनमें पांच-पांच गुना बिजली का बिल आ रहा है। अगर वहां बिजली के बिल जमा कराने की बात की जाती है, लाखों के बिल लोगों के आ जाते हैं, जिसका बिल 500 रुपए आना चाहिए, उसका 25-25, 50-50 हजार रुपये का आता है। अगर उन्हें कहा जाता है कि आप पहले मीटर को ठीक करिए, फिर हम बिल जमा कराएंगे तो कहते हैं कि पहले आप रुपए जमा करिए, बाद में हम ठीक करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना मकान भी बेचे तब भी एक गरीब आदमी अपना बिल जमा नहीं करा सकता है। दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां बिजली की आपूर्ति के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम लोग कह सकें कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और यहां बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से है। आपके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर यह विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम जब भी आपसे मिलते हैं तो सुधार की बात करते हैं।

महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

जहां आप पूरे देश को देख रहे हैं, अन्य राज्यों को देख रहे हैं, वहां दिल्ली की तरफ विशेष ध्यान दें ताकि हम इसे बिजली के मामले में आदर्श शहर बना सकें।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, इस संशोधन विधेयक पर 13 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

जो चार संशोधन हमने सदन के सामने रखे हैं, सभी सदस्यों ने उनका समर्थन किया है और समर्थन करते हुए जो देश में बिजली की स्थिति है, हमें उस स्थिति से अवगत कराने का काम किया है। जब इस चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सदस्यों ने की, तब उन्होने वितरण के क्षेत्र में जो ओपन एक्सेस का प्रावधान है, जिसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं, उसके बारे में दो प्रश्न उन्होंने यहां पर उठाये। उन्हें इस बात की आशंका है कि कानून में यह प्रावधान तो किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्षेत्र में स्पर्धा हो और वहीं एक के बदले दो, तीन या चार प्लेयर्स हों, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स इसमें बाधा बन सकते हैं या बाधा बनेंगे। दूसरी आशंका उन्होंने यह जताई कि इस संशोधन में हमने जो पांच साल की समय सीमा दी है तो पांच साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं, तुरन्त इसे लागू करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को और सारे सदन को आश्वस्त कराना चाहूंगा कि जो वितरण के मामले में लाइसेंस इश्यू किए जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी स्टेट रैगुलेटरी कमीशन के ऊपर सौंपी है और स्टेट रेगुलेटरी कमीशन हों या सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन हों, उन्हें कानूनन अधिकार दिये गये हैं और उनके काम में न राज्य सरकार हस्तक्षेप करती हैं और न केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करती है। इसलिए जो चिन्ता आपने जताई है, निश्चित रूप से यदि वितरण के क्षेत्र में, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में यदि कोई नये प्लेयर्स आना चाहें तो उसमें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेट रैगुलेटरी कमीशन के माध्यम से निश्चित रूप से उन्हें अवसर मिल सकते हैं और जो समय हमने पांच का दिया है, जो मूल विधेयक में नहीं था। मूल विधेयक में यह प्रावधान था कि स्टेट रैगुलेटरी कमीशंस या रैगुलेटरी कमीशन एक साल में इस पर विचार करके तय करे कि किस प्रकार से वितरण के क्षेत्र में स्पर्धा लाई जाये, अधिक लाइसेंस किस प्रकार से दिये जायें लेकिन उसमें कोई समय सीमा नहीं थी। इसलिए इस प्रकार की मांग राज्य सभा में आ गई कि इसमें कुछ समय सीमा तय करने की आवश्यकता है। हमने जो समय सीमा तय की है, यह अधिकतम पांच साल की है। इसका मतलब यह नहीं है कि पांच साल तक रुकने की आवश्यकता है। यदि स्टेट रैगुलेटरी कमीशन चाहे तो किसी भी समय से लाइसेंस इश्यू कर सकते हैं। उसके लिए कोई पाबन्दी नहीं है, लेकिन पांच साल की अधिकतम समय सीमा है। इसलिए इस संशोधन के पारित होने के बाद निश्चित रूप में वितरण के क्षेत्र में स्पर्धा होगी।

एक आशंका यहां पर लगभग सभी माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है कि नया कानून 10 जून, 2003 से लागू हो गया, विद्युत कानून, 2003 को बने आज 6 महीने हो गये हैं, क्या इन 6 महीनों में इस कानून के लागू होने के बाद बिजली के क्षेत्र में कुछ सुधार आये हैं?

इस प्रकार की आशंकाएं यहां जताई गयीं। निश्चित रूप से विद्युत कानून, 2003 के लागू होने के बाद बिजली क्षेत्र में काफी

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

सुधार आने लगे हैं। न केवल सुधार ही बल्कि उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

सभापति महोदय, राज्य विद्युत कानून, 2003 में चोरी को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। यह कानून सभी राज्यों के लिए बाध्य है। अब हर राज्य में बिजली की चोरी को रोकने के लिए कानून बनाये जा रहे हैं। कानून बनाने के साथ-साथ लागू किये जा रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम हमें दिखाई देने लगे हैं। आज कई राज्यों में चोरी के प्रमाण में कमी आयी है। जब चोरी के प्रमाण में कमी आती है तो निश्चित रूप से राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार आयेगा। उसका प्रभाव हमें दिखाई देगा।

विद्युत कानून, 2003 में यह प्रावधान था कि सभी राज्यों में राज्य विनियामक आयोगों का गठन करने की आवश्यकता है और करना चाहिए। सभी राज्यों को स्टेट रेगुलेटरी कमीशन्स बनाने हैं। यह प्रावधान कानून में है। आज लगभग देश के सभी राज्यों में इस प्रकार के कानून, इस प्रकार से कमीशन गठित किये गये हैं। उन कमीशन्स को क्रियान्वित किया गया है। उनका कार्य शुरू हो चुका है। कुछ उत्तरी पूर्व के राज्य हैं, जहां अभी राज्य विनियामक आयोगों का गठन होना बाकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): वे कौन से राज्य हैं जिनमें यह लागू नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते: लगभग सभी राज्यों में है लेकिन एक राज्य-झारखंड में नहीं है। उत्तर पूर्व के छोटे-छोटे राज्यों में राज्य विनियामक आयोगों का गठन करने में, उनके चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, उसके लिए उन राज्यों में कोई प्रावधान नहीं होता। इसलिए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक नहीं कि हर राज्य में अलग आयोग हो। दो या तीन राज्य मिलकर, ज्वाइंटली भी राज्य विनियामक आयोगों का गठन कर सकते हैं। इस मामले में उत्तरी पूर्व के राज्य भी हमसे सहमत हैं। उनकी ओर से भी प्रयास होने लगे हैं। इसलिए जब राज्य विनियामक आयोगों का गठन हुआ है, तो बिजली को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, आम उपभोक्ता से लेकर सरकार के अपने नीति नियामकों तक सब मगमलों पर राज्य विनियामक आयोग निर्णय करते हैं। उसका असर भी आज निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है।

जेनरेशन के क्षेत्र में भी अब लोग काफी गहरी रुचि लगे हैं। यहां पर मुख्यत: कैपटिव जनरेशन के संदर्भ में आशंकाएं जतायी गयीं और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू जी का उल्लेख किया गया। श्री मन्दा जगन्नाथ जी ने यहां पर प्रश्न उपस्थित किया कि विद्युत कानून, 2003 कैपटिव जनरेशन को सारी बाधाओं से मुक्ति दिलाये है। यह मुक्ति इसलिए दिलाता है कि आज जो हमारे उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री सैक्टर है, वे आज दिन-ब-दिन पिछड़ते जा रहे हैं। उसी कारण सारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। नये रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे। इस सैक्टर को बचाने के लिए यदि उद्योग स्वयं अपनी जरूरत के लिए बिजली का निर्माण करता है तो उसे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलना चाहिए। वह उसके लिए आजाद हो, इस प्रकार के प्रावधान इस कानून में किये गये हैं।

इसी वजह से एक डर या एक आशंका जताई जाती है कि आज हमारे यहां जो बिजली वितरण का मामला है, उसमें अलग-अलग दर पर बिजली का वितरण करते हैं। खास तौर पर हमारे देश में इंडस्ट्री को जो बिजली दी जाती है, वह सबसे अधिकतम दर पर दी जाती है। व्यापारियों को जो बिजली दी जाती है, उसकी दर भी कुछ ज्यादा है। किसानों को, आम उपभोक्ता को या जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको जो सहूलियत दी जाती है, उनके लिए जो सबसिडी दी जाती है, वह सबसिडी जहां पर ज्यादा दर से बिजली दी जाती है, उनसे जो कुछ धन आता है, उसमें से गरीबों को सस्ती दर पर बिजली देने का प्रावधान है।

इसमें यह आशंका जताई गई कि यदि अनुज्ञप्तिधारियों को आजादी देने के कारण सारा उद्योग क्षेत्र राज्य विद्युत बोर्डों से अलग हो जाता है, वे अपनी जरूरत को स्वयं पूरा करते हैं, तो इस सबसिडी को किस तरह पूरा किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के जवाव के बाद ही मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: कुछ हद तक इस चिन्ता के संदर्भ में आज यह अनुभव होता है, लेकिन जब हमने कानून बनाया, कानून लागू हुआ है तो उसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। उन परिणामों को देखते हुए मैं आज सदन को आश्वस्त कराना चाहूंगा। हमने चार संशोधनों को लेकर राज्य सभा में आश्वासन दिया था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब लोक सभा में हमने इस विधेयक को पारित किया, तब हमने जैसा कहा था, मैं उसे आज दोहराना चाहूंगा कि राष्ट्र हित में, जनता के हित में इस कानून के लागू होने पर यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार किसी प्रकार का संशोधन लाने के लिए तैयार रहेगी। इसलिए मैं

सारे सदन से प्रार्थना करूंगा कि हमने एक अच्छे कानून का निर्माण किया है, और उसे लागू भी कर दिया है। जो संशोधन आवश्यक था, खास तौर पर वितरण के क्षेत्र में स्पर्धा के लिए हम इस संशोधन लाए हैं। ऐपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में एक संशोधन आवश्यक लगा कि इतने बड़े क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के पास न हो, इसलिए सुप्रीटैंडैंस और कंट्रोल को लेकर मूल विधेयक में जो प्रावधान था, उसे हटाने की बात जब राज्य सभा में आई, हम उस संशोधन को लाए। राज्य सभा ने उसे पारित कर दिया, अब यह लोक सभा में है। जब हम इसे पारित करेंगे तो निश्चित रूप से कम्प्रीहैनसिव कानून ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन और क्रान्ति लाने के लिए उपयोगी होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस संशोधन विधेयक को पारित करें।

श्रीमती आभा महतो: मेरा एक छोटा सा सुझाव है जिसका जिक्र मंत्री महोदय ने किया है कि झारखंड नया राज्य बना है, वहां झारखंड विद्युत बोर्ड का गठन नहीं हुआ। रघुवंश जी ने भी कहा कि हमारी हिस्सेदारी झारखंड को चली गई। मैं चाहती हूं कि इसका गठन जल्द किया जाए और बिहार के हिस्से में जो आता है, उनको देकर झारखंड के लिए अलग आयोग का गठन करें ताकि हम बिजली का काम कर पाएं। इसका गठन नहीं होने से हमारे यहां बिजली का काम ठप्प पड़ा हुआ है। मेरा मंत्री जी से यही आग्रह है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैंने अभी कहा कि झारखंड ने राज्य विनियामक आयोग का गठन नहीं किया है, यह सत्य नहीं है। झारखंड ने राज्य विनियामक आयोग का गठन किया है लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो ट्राईपार्टाइट ऐग्रीमैंट होना चाहिए, वह अभी तक झारखंड ने नहीं किया। राज्य विनियामक आयोग का गठन झारखंड में भी हुआ है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है, विद्युत अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में पारित करने का मूल विचार इस देश की विद्युत संरचना में सुधार करना है।

महोदय, मैं देर से आया था और इसलिए मैं इस चर्चा में भाग नहीं ले सका। अब चूंकि मुझे मौका मिला है। इसलिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि विद्युत मंत्रालय तब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि सरकार के अन्य विभाग विद्युत मंत्रालय के सात सहयोग नहीं करेंगे। इनमें एक है कोयला विभाग। फिलहाल कोयला क्षेत्र में खेल बिगाड़ने की नीति चल रही है।

कोयला विभाग में कई आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। वह कैप्टिव माइन्स को निजी क्षेत्र में देने से इसलिए मना कर रहा है कि वह इसमें सुधार की कोशिश करेगा। यदि आप रिकार्डों पर निगाह डालेंगे, तो आप पाएंगे कि पिछले बीस वर्षों से उसके पास लगभग पचास या साठ ब्लॉक है। उसके पास कोष नहीं है। भारत सरकार उससे कह रही है कि वह स्वयं अपने कोष से करें और वह कोई बजटीय समर्थन नहीं दे सकती है। यहां, आपको कुछ करना होगा। अन्यथा, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लिए गए महत्वाकांक्षी निर्णय का कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

सभापति महोदय: यह भाषण नहीं है। आप स्पष्टीकरण की बात करें। आप निवेदन कर रहे हैं। आप अनुरोध कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव: इस विधेयक का आधार क्या है?

सभापति महोदय: आपको अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में बात करें या वे इस पर बोलें। आप केवल स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। आप नए सिरे से भाषण नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको प्रक्रिया मालूम है।

श्री संतोष मोहन देव: यह पूर्वोत्तर की समस्या है। आप सभी पूर्वोत्तर की उपेक्षा करते हैं।

सभापति महोदय: यह मौका केवल स्पष्टीकरण के लिए है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आमतौर पर, केवल वे ही सदस्य स्पष्टीकरण मांगने के हकदार हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। हर सदस्य स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: पूर्वोत्तर से अधिक से अधिक पन बिजली मिल सकती है, किंतु भारत सरकार द्वारा उसका दोहन नहीं किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* आपको मंत्रिमंडल में यह बात रखनी चाहिए और तिपाई मुख डैम के लिए कुछ करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह केवल एक सुझाव है, न कि स्पष्टीकरण।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): मेरा सुझाव है कि मध्य प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब है। इसलिए वहां पर इसका विशेष ध्यान रखा जाए और जो रेगुलेटरी बोर्ड बने हैं, हमारा देश किसानों का देश है। सिंचाई के लिए खेतों को बिजली जाती है लेकिन इन रेगुलेटरी बोर्डों में किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है और सबसे कम बिजली किसानों को जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी: विद्युत उत्पादन संबंधी निजीकरण नीति के अनुसार, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एन्नौर के निकट जब श्री सुरेश प्रभु विद्युत मंत्री थे, उन्होंने 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली परियोजना आरंभ करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। गैर सरकारी क्षेत्र विडियोकोन द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य परियोजना को आरंभ किया जाना था। मैं इन दोनों परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानता हूं।

सभापति महोदय: चर्चा में भाग लेते हुए क्या आपने यह बात रखी थी?

श्री ए. कृष्णास्वामी: जी नहीं।

सभापति महोदय: जब आप बोल रहे थे, आप विषय से भटक गये थे। बोलते समय आपको यह बात भी कहनी चाहिए थी।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: संतोष मोहन देव जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्य हैं, उनको भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती कान्ति सिंह, आपने अपनी बात नहीं रखी है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: जो परियोजना की बात आपने यहां पर रखी है, उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती कान्ति सिंह, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। आपने चर्चा में भाग नहीं लिया है। सामान्यतः वे ही सदस्य स्पष्टीकरण मांगने के हकदार होते हैं। जिन्होंने चर्चा में भाग लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: जो यहां माननीय सदस्य उपस्थित हैं और मुझसे क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, ये लगभग सभी के अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े हैं। इसलिए प्रार्थना करूंगा कि मेरे कार्यालय में आइए, मैं निश्चित रूप से उन्हें सहयोग करूंगा।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ओपन एक्सेस को पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जायेगा। इसे पांच वर्षों में कार्यान्वित करने का कार्य राज्य आयोगों पर छोड़ दिया गया है। पांच वर्ष अधिकतम अवधि है। क्या यह सच नहीं है कि यदि एक राज्य आयोग नहीं करता तो आप ओपन एक्सेस का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते? मान लीजिए, हरियाणा यह करता है तथा पंजाब और राजस्थान यह नहीं करते तो ओपन एक्सेस का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। पांच वर्ष की अवधि को कम करके तीन वर्ष कर देना चाहिए। अन्यथा, यह व्यर्थ है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं। हाइड्रो-इलैक्ट्रिक के माध्यम से जैसी कि जानकारी प्राप्त हुई है कि पहाड़ी एरियाज के बारे में आप सब्सिडी दे रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि पहाड़ी एरिया के अलावा क्या अन्य स्थानों पर भी सब्सिडी देना चाहेंगे? चूंकि हमारे यहां नहरों की बहुत सारी सुविधाएं हैं। उनके तहत हाइड्रो इलैक्ट्रिक की बहुत सम्भावनाएं हैं। ऐसी हालत में क्या केन्द्र सरकार सबसिडी देगी ताकि हमारे यहां विद्युत का निर्माण हो सके।

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़): सभापति महोदय, हमारे यहां हरदुआगंज पावर स्टेशन है जिसमें पांच यूनिट्स हैं। उनमें एक यूनिट काम करती है और बाकी चार यूनिट्स हमेशा खराब रहती है। आपसे अनुरोध है कि उनकी मरम्मत के लिए राशि दी जाए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति महोदय, माननीय सदस्या कांति जी ने सबसिडी की बात कही है। सबसिडी देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो छोटी-छोटी 25 मेगावाट से कम जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, उन सभी को अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय देखता है और उनकी ओर से यह सब्सिडी दी जाती है। पिछले बजट में इस प्रकार के प्रावधान भी किए गए थे जिससे जल विद्युत को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। जिस परियोजना की बात माननीय सदस्य ने कही है, यदि कोई स्पैसिफिक परियोजना उनके क्षेत्र में हो तो निश्चित रूप से मुझे बताएं। उन्हें इसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.38 बजे

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003–विचाराधीन

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए, आपकी अनुमति से मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आई.एम.ओ.) का सक्रिय और प्रमुख सदस्य है। आई.एम.ओ. संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट निकाय है जो समुद्री पोत परिवहन में विश्व मानकों को स्थापित करने और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख पोत परिवहन वाले देश के रूप में और विश्व पोत परिवहन उद्योग के लिए अधिकारियों के बड़े आपूर्तिकर्त्ता के रूप में हमारा काफी नाम है।

भारत पर पोत परिवहन की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने का अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। पोत परिवहन और समुद्री मामलों से संबंधित विधियों का सार्वभौमिक महत्व है। हमारे पोत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं और विदेशी पत्तनों पर उनका यह निरीक्षण किया जा सकता है कि वे आई.एम.ओ. परिवर्तनशील संधियों और समझौतों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह विदेशी ध्वजों वाले पोत भारतीय पत्तनों में प्रवेश करते हैं तो हमारे समुद्रों को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से उनका निरीक्षण किया जा सकता है। उन संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए जिन पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं भारत की इन संधियों और समझौतों के प्रावधानों को हमारे देश के पोत परिवहन कानून में सम्मिलित करना होता है। हमें आवश्यकता और समय के अनुसार सक्रिय और जागरूक होना होगा और भारत द्वारा स्वीकृत इन संधियों और समझौतों के प्रावधान को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में सम्मिलित करना ही वर्तमान प्रयास है। प्रस्तावित संशोधनों को संसद द्वारा एक बार अनुमोदित किये जाने के बाद भारत अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो जायेगा।

[श्री शत्रुघ्न सिन्हा]

अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आई.एम.ओ.) ने वर्ष 1973 में इंटरनेशनल कान्वेन्शन फॉर प्रिवेन्शन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स (एम.ए.आर.पी.ओ.एल. 1973) स्वीकृत किया था जिसे वर्ष 1978 में एम.ए.आर.पी.ओ.एल., 1978 द्वारा संशोधित किया गया। एम.ए.आर.पी.ओ.एल. 1973 और वर्ष 1978 के समझौता, ये दोनों एम.ए.आर.पी.ओ.एल. 73/78 के नाम से जाने जाते हैं, समुद्री पर्यावरण में प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे इस लक्ष्य को समुद्र में जल-मल और कूड़े-करकट को डालने के संबंध में डिजाइन, निर्माण, सर्वेक्षण और प्रमाणन मानदंडों का एक पैकेज निर्धारित करके तथा तेल और अन्य हानिकारक पदार्थों और ऐसे पदार्थों के गलती से प्रवाहित होने की घटनाओं को कम-से-कम करके प्राप्त करना चाहते हैं।

एम.ए.आर.पी.ओ.एल. 73/78 के छह परिशिष्ट है जिनमें समुद्र में पाए जाने वाले जीव जन्तुओं की सुरक्षा और पोतों से फैलने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु पोतों द्वारा अपनायी जाने वाली तकनीकी आवश्यकताएं दी गयी हैं। एम.ए.आर.पी.ओ.एल. 1973 के अनुच्छेद 14 और 1978 समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार, 1 और 2 के प्रावधान संविदाकारी राज्यों के लिए अनिवार्य हैं जबकि परिशिष्ट 3, 4 और 5 का कार्यान्वयन वैकल्पिक था। भारत वर्ष 1978 के समझौते द्वारा संशोधित रूप में, परिशिष्ट 1 और 2 के साथ-साथ एम.ए.आर.पी.ओ.एल. पर सहमत हो गया और दिनांक 24 सितम्बर 1986 को अधिमिलन पत्र जमा करा दिया। भारत द्वारा जमा किये गये अधिमिलन पत्र में एक घोषणा शामिल थी ''कि भारतीय गणराज्य की सरकार उक्त संधि के परिशिष्ट 3, 4 और 5 के प्रावधानों से बाध्य नहीं होगी।'' इन परिशिष्टों को स्वीकृति न देने का निर्णय लिया गया क्योंकि उस समय तक बड़े समुद्रतटीय राज्य इन तीन वैकल्पिक परिशिष्टों पर सहमत नहीं हुए थे। यह निर्णय लिया गया कि पहले इन परिशिष्टों में शामिल प्रावधानों के निहितार्थों को समझा जाये। तत्पश्चात्, अब तो परिशिष्ट, अर्थात् 3, 4 और 5 पर भारत सहमत हो गया है।

संधि का अनुच्छेद 15(2), वर्ष 1978 के समझौते द्वारा यथासंशोधित रूप में यह निर्धारित करता है कि 12 महीने बाद उस तिथि को वैकल्पिक परिशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय रूप से लागू होंगे। जब कम से कम 15 राज्य, जिनके संयुक्त वाणिज्य बेड़े विश्व के वाणिज्य पोतों के सकल टन भार के 50 प्रतिशत से कम न हो, जो इस संधि में सम्मिलित हो चुके होंगे। 30 नवम्बर, 2002 के अनुसार 3, 4 और 5 परिशिष्टों को क्रमश: 105, 89 और 110 राष्ट्रों के द्वारा संशोधित/स्वीकार किया गया। इन वैकल्पिक परिशिष्टों में शामिल होने वाले राष्ट्रों का संयुक्त वाणिज्यिक पोत प्रतिशत क्रमश: लगभग 83, 51 और 89 है। परिशिष्ट 3 और 5 अन्तर्राष्ट्रीय रूप से क्रमश: 1 जुलाई, 1992 और 31 दिसम्बर, 1988 को लागू हुए। परिशिष्ट 4, 27 सितम्बर, 2003 से लागू हो चुका है।

इन परिशिष्टों को संशोधित करने का मुख्य लाभ यह हुआ कि विश्वभर में ओवरसीज व्यापार करने के काम में लगे हुए भारतीय और विदेशी पोत इस संबंध में सार्वभौमिक मानदंडों का स्वत: ही अनुसरण करेंगे। इन परिशिष्टों को स्वीकार करने के बाद पत्तन, जहां पोत बुलाए जाएंगे, इन परिशिष्टों में अन्तर्विष्ट आतिथ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। इससे हमें भारतीय पत्तनों पर अन्यत्र उपलब्ध मानदंडों के समतुल्य सेवा सुविधा विकसित करने में सहायता मिलेगी। (एक) समुद्र द्वारा पैक रूप में लाए गए हानिकारक पदार्थों; (दो) शिप से सीवेज द्वारा तथा शिप द्वारा पत्तन में कचरे के निपटान हेतु अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन आदि प्रदूषण की रोकथाम संबंधी प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाए ताकि पानी का साफ रहना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन परिशिष्टों में संशोधन से संसार में कहीं भी भारतीय शिप द्वारा किसी अतार्किक कठोर पत्तन राज्य नियंत्रण लागू करने से बचा जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे भारतीय समुद्री सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

अब भारत सरकार ने वैकल्पिक परिशिष्टों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है क्योंकि एम ए आर पी ओ एल 1973 और 1978 का इसका प्रोटोकोल शिप का उपयुक्त डिजाइन और संरचनात्मक पहलुओं का लागू करके ऐसे प्रदूषणरोधी उपायों को मजबूत करता है ताकि समुद्र में तेल रिसाव (क) पैक रूप में ले जाए जा रहे हानिकारक पदार्थों, माल भाड़ा कंटेनरों, ले जाने योग्य टैंकरों और सड़क या रेल टैंक वैगन; (ख) भारी मात्रा में विषाक्त तरल पदार्थों; (ग) सिप के सीवेज और (घ) शिप कचरे से समुद्र में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

उक्त अभिसमय और प्रोटोकोल के उपबंधों को लागू करने के लिए वर्तमान विधेयक में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 11-क के अंतर्गत धारा 356-क से 356ण तक 12 धाराओं में संशोधन अंतर्विष्ट हैं।

एमएआरपीओएल 73/78 के परिशिष्ट एक से पांच में कई तकनीकी ब्यौरे और संचालनात्मक मामले अंतर्विष्ट हैं जो प्राय: प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों के क्षेत्र में हुई प्रगति से बदलते रहते हैं। अत: वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में ऐसे ब्यौरे देना वांछनीय नहीं है चूंकि इससे एमएआरपीओएल 73/78 को परिशिष्ट-एक से पांच के उपबंधों में होने वाले जल्दी-जल्दी परिवर्तनों के कारण अधिनियम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए यह प्रस्ताव है कि धारा 356ङ और 356ण में संशोधन किया जाए ताकि केन्द्रीय सरकार को एमएआरपीओएल 73/78 द्वारा विनिर्दिष्ट इन तकनीकी और संचालनात्मक जरूरतों को और समय-समय पर यथासंशोधित इसके अनुबंधों को विनिर्दिष्ट करने हेतु कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की जा सके।

प्रस्तावित संशोधनों से भारत न केवल एमएआरपीओएल 73/78 के परिशिष्ट 3, 4 और 5 को स्वीकार करने से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा कर सकेगा अपितु वह अन्य उन्नत सामुद्रिक देशों की प्रणाली और आवश्यकताओं के बराबर बन जाएगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार करें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को इस सम्माननीय सभा में कई बार संशोधित किया गया है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में मूलत: अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए काफी परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं ताकि उन प्रोटोकोलों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों को स्वीकार किया जा सके जिन्हें विभिन्न सदस्य देशों ने स्वीकार किया है। इसके फलस्वरूप इस विधेयक में काफी परिवर्तन किए गए हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरी इस बात पर विचार करेंगे कि इस देश में एक व्यापक पोत परिवहन अधिनियम लाने का समय आ गया है। 1958 में इस सम्माननीय सभा द्वारा इस अधिनियम को पारित करने के बाद कई बातें सामने आई हैं। सारा संसार बदल गया है, समुद्री कानूनों में परिवर्तन किया गया है और सदस्य देशों द्वारा कई अभिसमयों और प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का एक बहुत ही सक्रिय और प्रमुख सदस्य है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकोलों, संधियों और अभिसमयों का अनुसरण करना पड़ता है। किंतु पोत परिवहन मंत्रालय या माननीय पोत परिवहन मंत्री को इस पहलू को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब एक व्यापक विधेयक या एक व्यापक अधिनियम लाने का समय आ गया है।

जैसाकि सही कहा गया है कि शिप से प्रदूषण होना रोकने के लिए इस अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय अर्थात् एमएआरपीओएल 73/78 को अस्तित्व में आए काफी वर्ष बीत गए हैं। अब, हम एक विधेयक लाए हैं और मुझे खेद है कि अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन में एक सक्रिय और प्रमुख सदस्य ने काफी लंबे समय से इस प्रक्रिया को रोक रखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 हेतु संशोधन को पारित करने में इतना असामान्य विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

महोदय, एशिया प्रशांत समुद्र में तीन बड़े समुद्र क्षेत्र अर्थात् दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशान्त द्वीप हैं। दक्षिण समुद्र एशियाई क्षेत्र में बंगलादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ-साथ पड़ोसी देश म्यांमार शामिल हैं। विशेष तौर पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण एक मुख्य मुद्दा है। जब हम इस समुद्री और तटीय वातावरण के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। महोदय, क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या तट के आसपास रहती है और विश्व के 75 बड़े शहरों का एक चौथाई भाग क्षेत्र की तटीय सीमा के पास या उस पर रहता है। तटीय जनसंख्या की विकास दर भी बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप, तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है।

अन्य संबंधित मुद्दे भी हैं। समुद्र प्रदूषण में दिन प्रतिदिन खतरनाक अनुपात में वृद्धि हो रही है। महोदय, यह क्षेत्र इन अधिकांश देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में विश्व का 47 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन होता है।

महोदय, इस क्षेत्र में तटीय समुद्री जल प्रदूषण मुख्यत: नदियों की गंदगी, पत्तन क्षेत्रों से सतही तथा ड्रेनेज निकासी, नदी के मुहानों से घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के बहाव और शिपों के विभिन्न अपशिष्टों से होता है। इस क्षेत्र में नदियां सामान्यतया निगम के सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और तलछटी से काफी संदूषित है। कुल तलछटी भार का लगभग 50 प्रतिशत भाग भारतीय एशियाई नदियों में है। प्रशान्त महासागर में 70 प्रतिशत अपशिष्ट बिना किसी उपचार के छोड़े जाते हैं। क्षेत्र में 40 प्रतिशत समुद्री प्रदूषण धरातली कार्यकलापों से होता है और समुद्री परिवहन से 12 प्रतिशत प्रदूषण होता है।

महोदय, जहां तक भारत का संबंध है, यहां पर अपवादस्वरूप काफी अधिक खनिज अर्थात् सीसा और कैडमियम है। मुंबई तट पर थाणे की संकरी खाड़ी और क्षेत्र के अन्य भागों में पारे की अधिक मात्रा पायी गयी है। इन क्षेत्रों में समुद्र तक जाने वाली मार्ग पर धातु की अधिक मात्रा होना भी प्रदूषण की एक प्रमुख समस्या है। हम समुद्री प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं और यह विधेयक प्रत्यक्ष रूप से समुद्री प्रदूषण से संबंधित है। अत: समुद्री प्रदूषण वाणिज्य पोत परिवहन और अपतटीय खनिज दोहन और उत्पादन कार्यकलापों सहित समुद्र में तट से दूर किए गए कार्यकलापों से भी उत्पन्न होता है।

महोदय, जब हम इस पहलू पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें पूरी दुनिया में व्याप्त स्थिति के बारे में सोचना होगा। महोदय, टैंकरों

[श्री रमेश चेन्नितला]

से गंभीर खतरा है। इसे ''टैंकर्स थ्रेट'' कहा जाता है। टैंकरों के लिए सर्वाधिक कठोर विनियम आवश्यक हैं। पूरी दुनिया में, इस प्रकार के टैंकरों के विरुद्ध एक आन्दोलन शुरू हो रहा है। भारी पारिस्थितिकीय विनाश के कारण लोग अधिक जागरूक हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। समकालीन 'डबल-हल्ड' पोतों के संचालन तक ही इसे सीमित करने का एक अभियान चल रहा है जो तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित हैं। हमने ऐसे टैंकर भी देखे हैं जो पुराने हैं, जो बहुत प्राचीन हैं तथा जिन्हें ''जंग लगे डिब्बे'' और ''तैरता कूड़ेदान'' कहा जाता है। ऐसे टैंकर जोकि जंग लगे डिब्बे और तैरते कूड़ेदान हैं समुद्र में पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तीसरी दुनिया का देश होने के नाते भारत को अधिक सतर्क रहना चाहिए। हमारे तटरक्षकों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए क्योंकि समुद्री मार्ग से गुजरने वाले टैंकरों में से 52 प्रतिशत एकल पेटा वाले (सिंगल हल्ड) हैं। वर्तमान कानून के अनुसार विश्व में एकल पेटा वाले टैंकर सन 2015 तक चलाए जा सकते हैं।

अत: यह वैध गतिविधि है। कानून उन्हें समुद्री मार्गों पर चलने की अनुमति देता है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का 70 प्रतिशत आयात करता है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख आयातक देश है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद ही अधिकांश समुद्री मार्ग से आता है। अत: टैंकर परिवहन की मात्रा अधिक बढ़ी है। अतएव खतरे की संभावना अधिक है।

खाड़ी देशों से पेट्रोलियम उत्पादों को पूरी दुनिया में आपूर्ति करने के लिए अरब सागर का मार्ग सस्ता है। अत: इस मामले में भारत के लिए अधिक खतरा है। टैंकरों का खतरा भारत तथा पड़ोसी देशों को अधिक है। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने इस कार्य का दायित्व तटरक्षक को सौंपा है। हमें इसकी जांच करनी है कि क्या हमारे तटरक्षक सक्षम हैं या उचित उपकरणों से लैस हैं या इस प्रकार के टैंकरों के आवागमन और प्रदूषण को रोकने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है या उचित सुविधाएं दी गयी हैं।

यदि मैं उन पोटों के ब्यौरे में जाऊं जो यहां आ रहे हैं और वो पोत जो दुनिया के अन्य हिस्सों में चल रहे हैं तो मुझे अफसोस है कि हमारे तटरक्षकों को उचित सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हमारे तटरक्षकों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसके परिणामत:, जहां तक भारत का प्रश्न है। इसके सामने गंभीर खतरा है। तटरक्षक अधिक विशिष्ट पोतों की मांग कर रहे हैं। अब तक हम उन्हें विशिष्ट पोत देने की स्थिति में नहीं हैं जिससे हमारे भारतीय समुद्र में विभिन्न गतिविधियों को रोक सकें। उन्हें अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। साथ ही, उन्हें अधिक सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। अन्यथा आप तटरक्षक को भंग कर दें और इस उद्देश्य विशेष के लिए एक संगठन बनाने की सोचें जो आज की चुनौतियों का सामना कर सके। चूंकि टैंकरों का खतरा भारत तथा आईएमओ में अन्य सदस्य देशों के समक्ष एक बड़ा मुद्दा है, अत: मेरे ख्याल से हमें इस विषय से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक नए संगठन के गठन पर अत्यन्त गंभीरता से विचार करना है।

सभापति महोदय, मैं तटीय प्रदूषण के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप भी इन तथ्यों से परिचित हैं क्योंकि आप एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तटीय क्षेत्र में हैं। तटीय प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। अधिक मत्स्य निग्रहण भी एक बड़ा विषय है। पर्यटन तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के नाम पर तटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। इन सब कारणों से अब समुद्र में अधिक प्रदूषण हो रहा है। अत: भारत सरकार द्वारा इन सब बातों पर अत्यन्त गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे पास एक समाचार पत्र की कतरन है। इसका शीर्षक है, ''ऑयल स्पील स्केयर आन गोवा कोस्टलाइन''। गोवा में बेहतरीन समुद्रतट हैं। श्री शत्रुघ्न सिन्हा यह बात जानते हैं। हमने आपकी कई फिल्में देखी हैं जिसमें आप गोवा तट पर नाच रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं। किन्तु ये समाचार वहां के स्थानीय प्रेस में है। हाल ही में, स्थानीय प्रेस ने इस खबर को अधिक महत्व दिया था कि तेल बिखराव के कारण प्रदूषण से तीन प्रमुख समुद्रतट काले हो गए हैं। ये तीन समुद्रतट हैं-कालानगुटे-जो समुद्रतट की रानी है, कान्डोलिन और दक्षिण गोवा/दो तेल रिसाव के कारण काले हो गए हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

यह अत्यन्त गंभीर मामला है। तेल टैंकर और अन्य प्रदूषकों से उत्पन्न खतरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। अत: भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सदन के समक्ष यह संशोधन कानून को और कठोर बनाने के सीमित उद्देश्य से लाया गया है। मेरा कहना है कि यह विधेयक प्रदूषण नियंत्रित करने में हमारी सहायता नहीं करेगा। यह तेल टैंकर से होने वाले खतरे को रोकने में पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक से उद्देश्यपूर्ति नहीं होगी। अत: इन सब मुद्दों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने तथा नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की गहन जांच की जानी चाहिए और माननीय मंत्री को सदन के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि आईएमओ के सदस्य देश के रूप में भारत को आईएमओ के हस्ताक्षरित नए अभिसमयों तथा

प्रोटोकाल का अनुपालन करना है। यह ठीक है। अधिनियम के कुछ, प्रावधान हैं जो पुराने पड़ गए हैं जिनका आज के हालात में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अत: वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, जो आज लागू है, में आमूलचूल परिवर्तन हेतु गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन अन्य पहलुओं पर गभीरता से विचार करेंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है तथा एक व्यापक विधेयक लाएंगे।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं यहां वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, आप, श्री रमेश चेन्नितला और मैं, भारत के समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों से आते हैं। आप जानते हैं कि गत 50 वर्षों के दौरान समुद्र में भारी परिवर्तन आया है और यह अधिकांशत: प्रदूषकों के कारण है क्योंकि इन्होंने न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी कई समस्याएं पैदा की हैं।

श्री रमेश चेन्नितला तीन क्षेत्रों के बारे में बोल रहे थे: पूर्व एशिया क्षेत्र, दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र और दक्षिण एशिया क्षेत्र। हम दक्षिण एशिया क्षेत्र के विषय में अधिक चिन्तित हैं। मैं कहूंगा कि समुद्र में समस्या खड़ी करने वाले प्रदूषकों में से बारह प्रतिशत पोत परिवहन गतिविधियों के कारण है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अपनी समझ से अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ने पोत परिवहन पर प्रतिबंध, डिजाइन और विनिर्माण पर प्रतिबंध और प्रमाणन की आवश्यकता वाले कतिपय कारकों पर विचार किया था। इन सब पहलुओं पर अभिसमय द्वारा ध्यान दिया गया है। हमने इस मामले को उठाया है।

जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा था, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के पांच खंड हैं जिसमें से दो का अनुपालन किया गया है और तीन अनुपालन के विभिन्न चरण में हैं। जिस अभिसमय पर हम सहमत हुए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधन की शीघ्र आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री को स्मरण करना चाहूंगा कि कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर बड़ी संख्या में टैंकर आ रहे हैं। अब केवल एकल-पेटा वाले परिवहन टैंकर इस्तेमाल किये जा रहे हैं। भारत आने वाले टैंकरों में से लगभग 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत एकल पेटा वाले परिवहन टैंकर हैं। अब यह पाया गया है कि दुर्घटना और तेल बिखराव का खतरा हमेशा बने रहने के कारण ये टैंकर अच्छे नहीं माने जाते हैं। मैं सूचित करना चाहूंगा कि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलाक्का जलडमरुमध्य में, जो एक व्यस्त जलडमरुमध्य है, चार वर्ष के भीतर विभिन्न पोतों की 460 दुर्घटनाएं हुई हैं।

उनमें से कई तेल के टैंकर थे। चिरगांव बंदरगाह में 6000 टन कच्चे तेल से भरा एक टेंकर डूब गया था। अब, इन मामलों पर विचार किया जाना है। सभापति महोदय, आपने देखा है और माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नितला ने भी देखा होगा कि तेल रिसाव के निशान तट तक आ गए है। ये यहां कैसे आए? वे उपयोग में लाए जा रहे त्रटिपूर्ण टैंकरों के कारण आए हैं। सभा उन टैंकरों के अभिकल्पन (डिजाइन) के मामले की जांच कर रही है जिनका उपयोग किया जा रहा है और इन चीजों के विनिर्माण में सुधार हो रहा है। जब आप डिजाइन के बारे में सोचते हैं तब ही उसके पश्चात प्रयुक्त होने वाले इन टैंकरों और पोतों के विनिर्माण और जांच की बात आती है। यह बहुत जरूरी है। टैंकरशिप्स दोहरी परत के होने चाहिए।

जहां तक जांच का संबंध है, इसके सर्वेक्षण के भाग को 356(छ) संबंधी संशोधन प्रावधान में इंगित किया गया है। लेकिन, मुझे इसमें सन्देह हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को स्पष्ट करने का अनुरोध कर सकता हूं? मैं, धारा 356(छ) के पहले दो वाक्य पढ़ता हूं: ''इस संबंध में सर्वेक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त समय में जा सकता है....''

मैं अन्य बातों को नहीं पढ़ रहा हूं। जब हम उचित समय के बारे में विचार कर रहे हैं तो उचित समय पर कहने के बजाय 'सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जांच करना' कहना उपयुक्त होना चाहिए था। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि इस संशोधन के बाद के चरण में या जब नियम बनाए जा रहे हों तो उन्हें कहना चाहिए कि एक सर्वेक्षक को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जांच करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां तक संशोधन का संबंध है सर्वेक्षण का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

हम पोतों और अन्य सभी बातों के कारण 12 प्रतिशत संदूषकों की बात करते हैं। हम वाणिज्यिक पोतों की बात करते हैं। लेकिन हमें अमेरिका से गोवा तट, मुम्बई तट और कभी-कभार केरल तट में आने वाले लोगों से भरे लक्जरी लाइनर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। यह पाया गया है कि ये लक्जरी लाइनर्स समुद्र में 60 टन कचरा, 250 गेलन जलमल और लाखों टन ग्रे-वाटर समद्र में छोड़ते हैं। आपको यह जानकारी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका

[श्री अनादि साहू]

प्रदूषकों के बारे में काफी आडम्बरप्रिय है। यह प्राय: होता है कि ये बातें भारत या भारत के भू-क्षेत्र के आस-पास आते हैं और समुद्र में ऐसे प्रदूषकों को छोड़ देते हैं। हमें अर्धोपाय तलाश करने होंगे, जैसाकि माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नितला ने कहा है कि तटरक्षक बल को बहुत कारगर ढंग से कार्य करना होगा। हमें इस बात का पता लगाने के लिए साधन तलाशने होंगे कि क्या इस क्षेत्र में पोत विहार हेतु आने वाले लक्जरी लाइनर्स पर उपयुक्त रूप से निगरानी रखनी होगी और यह भी देखना होगा कि क्या वे समुद्र में और भारत के आस-पास जलमल को छोड़ते हैं या नहीं। अन्यथा, चाहे हम कैसा भी संशोधन लाएं वह तब तक हमारे किसी काम का नहीं होगा जब तक कि हम पूर्णत: जागरूक नहीं हो जाते हैं।

जब हम वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो यहां आ रही अन्य पर्यावरणीय कठिनाइयों के बारे में बात करना भी प्रासंगिक होगा। तटीय लाइन लगभग पूरी तरह प्रदूषित है। वहां पर प्रजनन केन्द्र बनने लगे हैं। वहां झींगा मछलियों के तालाब बन गए हैं। झींगा मछलियों के तालाबों में भारी वृद्धि हुई है। हर जगह प्रजनन केन्द्र पनप रहे हैं नदी और समुद्र के बीच नदी मुहाना क्षेत्र प्रदूषित होते जा रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने वालों के उन्मत्त प्रयासों से वहां प्रदूषण बढ़ रहा है।

जैसाकि मैंने पहले कहा था कि 12 प्रतिशत प्रदूषक पोतों से आ रहे हैं। अन्य 88 प्रतिशत समुद्र के आसपास की विभिन्न गतिविधियों से आते हैं। अब, समुद्र से खनिज निकाले जा रहे हैं। समुद्र से खनिज निकालने वाले लोगों पर हम किस प्रकार का प्रतिबंध लगायेंगे? वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम में इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय को इस पर विचार करना है। पोत परिवहन, पर्यावरण और अन्य मंत्रालय जो इस प्रकार का गतिविधियों में संलिप्त है, को ही इनकी जांच करनी पड़ेगी। तत्पश्चात, कच्छ वनस्पति आती है। सुन्दरबन क्षेत्र सिकुड़ रहा है।

उड़ीसा के मेरे क्षेत्र में भी मैनग्रोव वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी मैनग्रोव वन क्षेत्र का छोटा सा भाग है वह भी सिकुड़ रहा है। श्री रमेश चेन्नितला इस बारे में बेहतर जानते हैं कि केरल में भी मैनग्रोव वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है और कुछ मैनग्रोव वन क्षेत्र तो पूर्णत: समाप्त हो गए हैं क्या हमें मैनग्रोव के वनों की चिंता है? हमें इन वनों के बारे में सोचना होगा। जब हम समुद्र में प्रदूषकों के बारे में विचार करते हैं तो हमें मैनग्रोव वन क्षेत्र की बढ़ोत्तरी पर पर्याप्त विचार करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैनग्रोव वन क्षेत्र यू ही समाप्त न हो जाएं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने के बारे में विचार करना चाहिए।

मैं पोत भंजकों के बारे में अंतिम बात कहूंगा। गुजरात के तट पर हमारे कई उद्योग हैं जो मंजक के काम में लगे हुए हैं। वे समुद्र तट में हानिकर पदार्थ छोड़ते हैं लेकिन वह हमारे लिए भी समस्याएं पैदा कर रहा है। हमें यह देखने के लिए कि पोत भंजन का कार्य कतिपय क्षेत्रों तक सीमित रहे और वे सख्त मानदंडों का अनुपालन करें। सख्त कानून के बारे में सोचना होगा। मेरे राज्य से लोग गुजरात जाते रहे हैं और पोत भंजन का कार्य करते रहे हैं। जब वे वापस आए तो वे कई प्रकार के रोगों जैसे क्षयरोग, चर्मरोग और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो गए क्योंकि वहां पोत भंजन से हानिकरक पदार्थ पैदा होते हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना होगा।

महोदय, बदलते विश्व के मद्देनजर मुख्य अधिनियम की धारा 356(ण) में विभिन्न प्रावधानों, अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और बनाए जाने वाले नियमों पर ध्यान दिया गया है। हम नियमों द्वारा ऐसे कठोर उपाय नहीं कर सकते जो लम्बे समय तक अर्थात 10, 15 अथवा 25 वर्षों तक अपनाए जाते रहें क्योंकि विभिन्न नई प्रथाएं अस्तित्व में आ सकती हैं और किए जाने वाले शोध कार्यों से अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस दृष्टि से धारा 356(ण) के खण्ड 6 में दिए गए उपबंध प्रशंसनीय है और बाद में जो भी प्रथाएं अस्तित्व में आएंगी उन पर विचार किया जाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्तमान वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम का कार्यान्वनय ठीक ढंग से नहीं किया गया है। महानिदेशक (पोत परिवहन) का कार्यालय कानूनों के घोर उल्लंघन के समय मूक दर्शक बना रहता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस 100 करोड़ रुपये के कर्मचारी भविष्य निधि घोटाले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत महानिदेशालय (पोत परिवहन) में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कामगारों की भविष्य निधि को लूटा गया है और दोषियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। उप-महानिदेशक (पोत परिवहन) भी इस अपराध में शामिल था। कामगारों के धन का उपयोग अवैध रूप से तथा महानिदेशालय (पोत परिवहन) के नियंत्रण के बिना शेयर बाजार कार्यों में किया गया और सारा पैसा चला गया। किसी भी सीमैन को उनका पैसा वापस नहीं मिला और वे इस पूरे प्रकरण के बारे में काफी चिंतित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से 100 करोड़ रुपये के सीमैन भविष्य निधि की वापसी के लिए उचित योजना बनाने का अनुरोध करता हूं। इसे सीमैन द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, आवास,

बच्चों के विवाह और शिक्षा के लिए जमा कराया गया था, इस संबंध में भारत सरकार का उत्तरदायित्व स्पष्ट है क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही भविष्य निधि आयुक्त को नामनिर्दिष्ट किया गया था। वह अपराधी है, इसलिए, भारत सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह सीमैन का भविष्य निधि को मेहनत की कमाई धन की वापसी हेतु उपाय करे।

मैं सरकार से महानिदेशालय (पोत परिवहन) के कार्यालय के प्रशासन में सुधार किए जाने का अनुरोध करता हूं, अन्यथा कानून का प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। महानिदेशक (पोत परिवहन) के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के कारण अधिनियम का कार्यान्वयन मजाक बन गया है। यदि महानिदेशक (पोत परिवहन) के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी पोत परिवहन कंपनियों से मिलें हों तो कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने के बारे में आप कैसे आशा कर सकते हैं?

सरकार द्वारा पोत परिवहन उद्योग की घोर उपेक्षा के कारण हमारे पोत परिवहन उद्योग का टनेज भी स्थिर रहा है। गत तीन वर्षों में योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किए गए हैं। पोत पुराने पड़ गए हैं। जब तक इस संबंध में शीघ्र कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आगामी वर्षों में हमारे पोतों के टनेज में कमी हो जाएगी।

भारत में अनेक प्रशिक्षण केन्द्र हैं परन्तु अधिकारियों की भारी कमी है। हमारे प्रशिक्षित अधिकारी विदेशी पोतों पर नौकरी करने को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि उन्हें विदेशी पोतों पर नौकरी करने से प्राप्त आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है।

सरकार विदेशी यात्राओं पर आयकर लगा रही है जिससे अधिकारियों की कमी हो रही है। हमारे सीमेन्स यूनियन ने मांग की है कि उनकी विदेश यात्राओं से प्राप्त आय को निर्यात आय समझा जाना चाहिए और उन्हें आयकर के भुगतान के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। परन्तु वित्त मंत्री इस जायज मांग की अनसुनी कर रहे हैं जिसकी वजह से यह मुद्दा और भी जटिल होता जा रहा है।

नेशनल शिपिंग बोर्ड वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। परन्तु इस निकाय को सिफारिशों भूतल परिवहन मंत्रालय में वर्षों से लागू नहीं की जा रही हैं। सरकार इस महत्वपूर्ण कम्पनी को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके परिणामस्वरूप इसके कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि नेशनल शिपिंग बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थिति रहते हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर, मुझे संदेह है कि क्या इस विधेयक में उपबंधित संशोधनों को सही अर्थ में कार्यान्वित किया जाएगा।

धारा 97(1) के संशोधन में कठोर शर्तें हैं जो यूनियन सहित किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी अथवा संगठन को किसी नाविक या नाविक के रूप में रोजगार के इच्छुक व्यक्ति अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत शुल्क के अलावा किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक अथवा चन्दा अथवा शुल्क अथवा बाध्यकारी अंशदान की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षतः मांग करने या प्राप्त करने से प्रतिषेध करता है। सच्चाई यह है कि प्रत्येक नाविक से एक नौकरी के लिए हजारों रुपये और कभी-कभी लाखों रुपये वसूले जाते हैं। नाविकों से इस प्रकार से धन उगाही किये जाने के अनेक प्रमाण है।

तथापि, महानिदेशक (पोत परिवहन) इन धांधलियों के प्रति आंख मूंदे हुए हैं। शिपिंग कम्पनियों से 300 अमरीकी डालर वसूले जा रहे है तथा ऐसी चीजें निर्बाध रूप से चल रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि महानिदेशशक (पोत परिवहन) के कार्यालय में इस धांधली को रोकने के लिए क्या तंत्र है। पोत परिवहन महानिदेशालय के अधिकारी इस धांधली से लाभ उठाने वाले लोग हैं। मैं धांधली की जांच की मांग करता हूं ताकि विधेयक की इस धारा को व्यवहारत कार्यान्वित किया जा सके।

पोत परिवहन मंत्री नेशनल शिपिंग बोर्ड की बैठकों के माध्यम से की गई आलोचना पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भर्ती करने वाले अनेक संगठन और यूनियन अवैध रोजगार में संलिप्त है जिसकी पूरी जानकारी पोत परिवहन महानिदेशालय को है। अप्रशिक्षित नाविक दुर्घटना का शिकार होते हैं, परन्तु यह स्थिति जारी है। अनेक नाविकों को दुबई और मध्य-पूर्व के अन्य हिस्सों में ले जाया जाता है और उन्हें नौकरियां दी जाती हैं। बाद में वे पर्यटक के रूप में भारत लौटते हैं, परन्तु भारत सरकार इस दस्तूर को इस तर्क पर जारी रखे हुए है कि हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही है।

पोत परिवहन (महानिदेशालय) ने ऐसे एक लाख से अधिक लोगों को कन्टीन्युअस डिसचार्ज सर्टिफिकेट दिया है जिन्होंने समुचित प्रशिक्षण नहीं लिया है। तथापि, भारतीय शिपिंग कम्पनियों में नौकरियां नहीं है, परिणामस्वरूप बेरोजगार नाविकों की संख्या बढ़ रही है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, अगर इनके भाषण को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दें तो इससे सदन का समय बचेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन: इससे पोत परिवहन उद्योग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कम्पनियों के रोस्टर में पंजीकृत नाविकों को समय पर नौकरी नहीं मिलती। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नाविकों की रोजगार स्थिति की पुनरीक्षा की जाए। नाविक नियोजन कार्यालय के कार्यकरण में समुचित रूप से सुधार किया जाना चाहिए ताकि भारत में नाविकों को नौकरियां देने में समुचित मानदंड का पालन हो सके।

भारतीय पोतों के सुरक्षा मानदंड निर्धारित मानकों से कम हैं। विधेयक में सुरक्षा मानदंडों में कुछ सुधार का उपबंध किया गया है ताकि भारतीय पोतों की समुचित रूप से जांच की जा सके। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा, मात्र अधिनियम में संशोधन से स्थिति में सुधार नहीं होगा। नाविकों को विभिन्न वातावरण में कार्य करना पड़ता है और उनका जीवन काफी जोखिम भरा होता है। उन्हें ओवरटाइम ड्यूटी करनी पड़ती है तथा अनेक घंटों तक कार्य पर लगातार रहना पड़ता है। इससे नाविकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। भारतीय पोतों हेतु पेशागत रोगों की समुचित रूप से पहचान नहीं की गयी है तथा नाविकों को पेशागत जोखिमों से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है।

मैं सरकार से विधेयक के उन प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने का अनुरोध करता हूं जिनका उद्देश्य पोतों की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी आई.एम.ओ. अधिनियम को कार्यान्वित करना है। चूंकि हम इंटरनेशनल मेरिटाइम आर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य हैं, हमसे यह आशा की जाती है कि हम उनके द्वारा अपनाए गए अभिसमय और प्रोटोकॉल को समंजित करें। एम.ए.आर.पी.ओ.एल. 73/78 तेल और अन्य हानिकारक पदार्थों द्वारा हो रहे समुद्री प्रदूषण को पूरो तरह समाप्त करने के प्रयोजनार्थ हमारी सोच को महत्व देता है। नाविक इन पोतों पर कार्य करते हैं तथा वे भी इसकी वजह से प्रभावित होते हैं। इस विधेयक में समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपाय स्वागत योग्य है।

इसलिए, मैंने इस विधेयक का समर्थन करते हुए, रोजगार सुरक्षा और पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को सुधारने हेतु कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं ताकि पोतों पर कार्यरत नाविकों के जीवन की गुणवत्ता में समुचित सुधार हो सके।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003 स्वागत योग्य है। इस विधेयक को काफी विलम्ब से लाया गया है क्योंकि हम इस अभिसमय के 30 वर्षों से भी अधिक समय के बाद यह संशोधन कर रहे हैं। यह संशोधन विधेयक प्रदूषण रोकने के प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देता है, जिसका मूल अधिनियम में प्रावधान नहीं था। साथ ही साथ, जब हम इसके खण्डों, परिभाषाओं और अन्य चीजों पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि कुछ कमियां है तथा हमें यह पता नहीं है कि क्या ये हमारे पक्ष में होंगे अथवा समुद्री जल प्रदूषण को रोक पाएंगे।

उदाहरण के लिए नये खण्ड 356(1)(क) में कुल 150 या अधिक टन वाले तेल टैंकर, कुल 400 या अधिक टन वाले अन्य पोत तथा अपतटीय प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया गया है। जहां तक 'अन्य पोतों' का प्रश्न है, इनकी माल ढुलाई क्षमता कुल 500 या अधिक टन थी, आपने इसे घटाकर कुल 400 या अधिक टन कर दी है। आजकल पोतों का आकार तेल और अन्य रसायनों के परिवहन के लिए बड़ा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार माल ढुलाई क्षमता क्यों घटा रही है। इस संशोधन में, माल ढुलाई की क्षमता को घटाने का प्रयोजन क्या है?

दूसरी बात यह है कि सरकारी पोत, लड़ाकू पोत और गैर वाणिज्यिक पोतों को भी इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे भी प्रदूषण हो सकता है। तथापि, आपने यहां उन्हें इससे छूट दे रखी है। क्या ऐसा कोई अधिनियम है जो सरकारी पोतों, लड़ाकू पोतों और अन्य गैर वाणिज्यिक पोतों को शासित करता हो? खण्ड 356(2)(क) में यह उल्लेख किया गया है कि "यह भाग सरकार के स्वामित्व वाले अथवा सरकार द्वारा प्रचालित किसी युद्धपोत अथवा अन्य पोतों तथ्य सरकार द्वारा समय विशेष हेतु गैर वाणिज्यिक सेवाओं हेतु प्रयुक्त पोतों के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।" इसका अर्थ यह है कि आप कतिपय श्रेणी के पोतों को समुद्री जल प्रदूषित करने की अनुमति दे रहे हैं। सरकार इसकी अनुमति क्यों दे रही है? आप यह छूट क्यों दे रहे हैं? आप यह सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि पोतों का रखरखाव समुचित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कन्वैन्शन के अनुरूप हो। यदि हम सरकारी पोतों को ऐसे ढुलमुल रवैये से चलने देंगे तो इससे देश और प्रकृति दोनों को नुकसान होगा। इसलिए, इस पर गौर किया जाना चाहिए।

परिभाषाओं पर आते हुए, (ञ) में तेल की परिभाषा से अभिप्रेत है किसी भी रूप में कच्चा तेल, ईंधन तेल, गन्दा तेल अपशिष्ट और अपरिष्कृत उत्पाद सहित किसी भी रूप में पेट्रोलियम है तथा इसमें अनेक अन्य चीजें भी सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्व अधिनियम में पहले से परिभाषित किया गया है। अब, हम परिष्कृत उत्पादों तक सीमित हो गए हैं। यदि यह कच्चे तेल का उत्पाद है, तो क्या होगा? इस परिभाषा में अन्य उत्पादों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया?

इसी प्रकार, उपखंड (1) में तेल टैंकर की परिभाषा दी गई है। पूर्व अधिनियम में, जिसे अब संशोधित किया जा रहा है, उसमें

'टैंकर' का सामान्य वर्गीकरण है। अब, हम इसे 'तेल टैंकर' तक सीमित करना चाहते हैं। केवल इस मामले में ही सीमा क्यों है? यदि अन्य टैंक समुद्र के पानी को दूषित करते हैं, तो स्थिति क्या होगी?

यह विस्तृत परिभाषा है। यह परिभाषा कहती है:

".... "तेल टैंकर" से ऐसा पोत अभिप्रेत है जिसमें उसके स्थोरा स्थानों का अधिकतर भाग थोक में तेल ले जाने के लिए बनाया गया है या अनुकूलित किया गया है और इसके अंतर्गत कोई समुच्चय वाहन या कोई रसायन टैंकर है जब यह थोक में तेल के किसी स्थोरा या स्थोरा भाग को वहन कर रहा है...."

इसका अर्थ है कि केवल तेल टैंकरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यदि एक सामान्य श्रेणी का पोत प्रदूषण फैलाता है, तो क्या होगा? क्या वे इस वर्ग के पोतों को छूट देंगे?

तत्पश्चात मैं अभिग्रहण सुविधाओं पर आता हूं। यहां 'तेल' शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है। पूर्व अधिनियम में तेल अभिग्रहण सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां पत्तन के संबंध में अभिग्रहण सुविधाओं का अर्थ है:

"पत्तन के संबंध में "ग्रहण सुविधाओं" से अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पत्तन का प्रयोग करने वाले टैंकरों या पोतों को किसी पदार्थ के अपशिष्टों का निस्सारण करने के लिए या जमा करने या सम्मिश्रण करने में उसे समर्थ बनाने वाली सुविधाएं अभिप्रेत हैं ...."

सामान्य पहलुओं को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए, यदि सामान्य श्रेणी के पोत अभिग्रहण सुविधाओं के लिए आते हैं और यदि वे प्रदूषण फैलाते हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी?

जहां तक प्रमाणन की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय पोतों का भारत सरकार द्वारा प्रमाणन किया जाता है। हमें इस अभिसमय के द्वारा अधिक शक्तियां मिल रही है। धारा 356ग की उप-धारा (4) में, हम यह उपबंध कर रहे हैं कि हम अन्य देश के पोतों का भी प्रमाणन कर सके। जब हमारे पास अन्य देश के पोतों के प्रमाणन की भी व्यापक शक्तियां हैं, तो हमें हमारे पास पोतों की अधिक श्रेणियां होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा प्रदूषण को भी रोकना सुनिश्चित करने के लिए न केवल तेल टैंकरों बल्कि सामान्य श्रेणी के पोतों को प्रमाणित किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन की देश में लागू उपबंधों के अनुसार जांच की जानी आवश्यक है।

धारा 356ज के अंतर्गत महानिदेशक को वे शक्तियां प्रदान की गई हैं जो पहले केन्द्र के पास थीं। यहां दो वर्ग दिए गए हैं।

"यदि, धारा 356छ के अधीन किसी तेल टैंकर या अन्य पोत के निरीक्षण करने की सर्वेक्षक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति की रिपोर्ट पर, महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे तेल टैंकर या अन्य पोत द्वारा तटीय सागर खंड के भीतर अभिसमय के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है तो महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,–"

इसका अर्थ यह है कि काफी विलंब होगा। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हमारी विलंब करने वाली युक्तियों पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं। जब कोई पोत हमारे तटों पर आता है, तो हम उन्हें आस्थगित रखते हैं और उनके कार्य में विलंब करते हैं।

सभापति महोदय: आपके दल से एक वक्ता और हैं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: मैं समय सीमा का पालन करूंगा।

हम विलंब करने वाली युक्तियों का सहारा ले रहे हैं जो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। अन्य देशों के पोत हमारे देश नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें नौकरशाही तंत्र की वजह से यहां आना महंगा पड़ रहा है। हर रोज का विलंब उन्हें काफी महंगा पड़ रहा है। नियम बनाते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समय सीमा भी लागू की जानी चाहिए।

खंड ख कहता है:

"..... प्रदूषण नुकसान, यदि कोई हो, की लागत और प्रदूषण नुकसान के निवारण और ऐसे प्रदूषण को साफ करने की लागत की वसूली के लिए ऐसे तेल टैंकर या अन्य पोत के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। ...."

यह अति महत्वपूर्ण है। हमारे यहां प्रदूषण के कारण हुई क्षति के कई उदाहरण हैं। गुजरात सरकार के पास तेल रिसाव (स्लिक्स) संबंधी एक आकस्मिक योजना है। गल्फ आफ मन्नार में नेशनल मरीन पार्क है। इसी प्रकार तमिलनाडु तट के पास सुरक्षोपाय किए गए हैं। घटित हो चुकी अनेक घटनाएं भली-भांति दर्शाती हैं कि तट के पास समुद्र में जीव-जन्तुओं को काफी क्षति हुई है। पास के गांवों में, विदेशी मूल के इस प्रकार के पोतों से मत्स्य उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गया है जो कि सिर्फ अपना तेल उड़ेलते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें नुकसान हुआ है।

सरकार वर्ष भर को आजीविका के लिए अपने पेशे पर निर्भर रहने वाले मछुआरों की क्षतिपूर्ति कैसे करेगी? उन्हें इस क्षति की

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

लागत का भुगतान किया जाना चाहिए। हमें अपने पत्तनों की भली प्रकार से संरक्षा करनी चाहिए। हमें दुर्घटनाओं के कारण नहीं देने चाहिए। अपने नौवहन की भी उचित देखभाल की जानी चाहिए। हमारे पास सभी पुराने पोत हैं। उनकी देखभाल की जानी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण उन पर भी लागू होता है। मात्र प्रमाण-पत्र जारी करना पर्याप्त नहीं है। इसी समय हमें यह देखना होगा कि हमारे पुराने वाणिज्यिक पोतों का रख-रखाव भी उचित प्रकार से किया जाए।

महोदय, विशाखापटना में केवल एक पोत निर्माण इकाई भारतीय समुद्र और हिंद महासागर की संभाव्यता वाले अति विशाल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती।

हम भलीभांति जानते हैं कि माननीय मंत्री गोवा के लिए नृत्य नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने कौतुक भी किया है। मंत्री महोदय ही वह व्यक्ति हैं तो पोत परिवहन उद्योग में भी नई नई चीजें ला सकते हैं।

महोदय मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि विलम्ब करने की नीति का मात्र पालन करने से ही कम नहीं चलेगा। हमें अपने आपको भी साधन संपन्न करना चाहिए; और हमारे तंत्र को भी आधुनिकता के लिए सुसज्जित करना चाहिए ताकि समस्त अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन भारत पर ही ध्यान केन्द्रित करें और विश्व के सभी राष्ट्र भारत पर ध्यान केन्द्रित करें। हमें पोत परिवहन उद्योग का पुनरुद्धार करना चाहिए जो कि काफी प्राचीन है। तमिल संस्कृति का कहना है कि 3000 वर्षों पूर्व भी हमारे यहां से विश्व भर के लिए पोत परिवहन व्यवस्था थी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर कल प्रश्न काल में सुना था इसलिए उस दिन के उत्तर के बाद हम आज कम प्रश्न उठाएंगे। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को अवगत कराया है कि इस विधेयक के लाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघ से एक समझौता हुआ था। इससे पहले 1973 और 1978 में संशोधन हुआ था। उसे लागू करने के लिए संविधान की धारा 356 जो एक खतरनाक धारा है लेकिन इसमें 356 के ''क'' से ''ज'' तक यह संशोधन करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इससे पहले 1973 और 1978 में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। भारत इसका मजबूत सदस्य है। 1973 से 1978 तक 33 बरसों में संशोधन के बिना ही काम चल रहा था या अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन हो रहा था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते को लागू करने में वित्तीय कठिनाई थी? यह सवाल इससे उठता है। शुरु में माननीय मंत्री जी को बता देना चाहिए था कि इसमें 30 बरसों का विलम्ब किस कारण हुआ? इस संशोधन की अनुपस्थिति में सरकार ने कैसे काम चलाया?

पहले 500 टन के वजन से अधिक के पोत पर यह लागू था। उसे घटा कर 400 टन किया गया। हमें लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में 500 टन से 400 टन घटाने के लिए इनको कहा गया होगा। हम नहीं जानते कि इसमें क्या है? हम जानना चाहते हैं कि समुद्र में प्रदूषण न हो क्या इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में कोई बात है? कूड़ा, कचरा, गन्दगी समुद्र में न डाला जाए, क्या उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है? उसमें मछलियां, शंख, रंग-बिरंगे जन्तु जो रहते हैं उनके ऊपर कुप्रभाव न पड़े और मनुष्य को हानि न हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या यह समझौता हुआ? अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की बाध्यता के कारण आप यह विधेयक लाए हैं। देश में साढ़े सात हजार किलोमीटर में तीन तरफ से समुद्र घिरा हुआ है।

हलदिया से पटना और इलाहाबाद तक जलमार्ग है। उसी तरह केरल में काफी लम्बा जल मार्ग है। माननीय मंत्री जी एक प्रश्न के उत्तर में बता रहे थे कि इस जलमार्ग का 1.5 प्रतिशत इस्तेमाल हो रहा है। यह देश के हित के खिलाफ है। देश का छोटा-बड़ा 11 राज्य मिलाकर 7500 किलोमीटर का जलमार्ग है। प. बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार सब जल से संबंधित हैं। हमारे हिन्दुस्तान के पास बहुत बड़ी संभावनायें हैं। पोत परिवहन का विकास करके इससे काफी लाभ उठाया जा सकता है। हम विश्व पर्यावरण के लिए चिन्तित हैं कि ओ जोन की परत खराब हो रही है। इसलिए इन सब का विकास होना चाहिए।

सभापति महोदय, कुछ समय पहले मैं स्पीकर साहब के साथ फिनलैंड गया था। जहां दिसम्बर में दो महीने की रात और जून में 2 महीने का दिन होता है। वे लोग हिन्दुस्तान में आने के लिए छटपटाते रहते हैं। फिनलैंड की आबादी 92 लाख है। वे सन वाच के लिए हिन्दुस्तान आना चाहते हैं लेकिन यहां के बीचेज पर कूड़ा-कचरा भरा रहता है। इससे हिन्दुस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। क्या सरकार ने इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की है या किसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है ताकि समुद्र के प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। अब तक कोई उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं? सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बाध्यता के तहत यह कानून बनाने जा रही है लेकिन हमारे देश में अपने देश के लिए कोई कानून है या नहीं? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। 'निर्माण से समुद्री जीवन को खतरा'। उसमें कहा गया है।

[अनुवाद]

''दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार की आलोचना की है ....''

आगे कहा गया है कि

''.... खतरनाक सामग्री के भंडारण और निर्माण कार्यों की अनुमति देने वाले तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में संशोधन के संबंध में। इन संशोधनों द्वारा सरकार कुछ निहित स्वार्थों के दबाव में आ गई प्रतीत होती है।''

[हिन्दी]

सरकार पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है? सब जगह इस बात की चिन्ता है कि पोत परिवहन की यहां बहुतायत है और वे पानी में खड़े हुए हैं। पानी के किनारे मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई हैं जहां से व्यापार हुआ करता था, इसलिए वे ज्यादा विकसित हो गये हैं। उन दिनों हवाई मार्ग नहीं था। चूंकि हमारा इलाका पानी से दूर था, इसलिए हम पीछे रह गये। अब 11 राज्य जल मार्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। क्या सरकार ने पोत परिवहन के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है? हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल समुद्र से काफी दूर है। जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो बात करते हैं कि पानी के जहाज का लाभ होना चाहिए।

अब कलकत्ता के समुद्र से और कोसी से होकर नेपाल को भी पानी के जहाज से लाभ हो सकता है। यह भारत और नेपाल के साथ समझौता है, वह हमारा पड़ौसी देश है, उससे समझौते का मामला बराबर उठता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई योजना है, क्या इस बारे में कोई अनुसंधान हुआ है या कोई विचार-विमर्श हुआ है, ताकि कलकत्ता से नेपाल के लिए जलमार्ग से जलयान से लाभ हो। उसके भी सामान की आवाजाही यहां से वहां हो।

सभापति महोदय, गोवा में वास्को पोर्ट है, हमने वहां देखा कि अपने यहां के लोहे के जहाज धुआं उड़ाते हुए चले जा रहे हैं और वहां प्रदूषण फैला रहे हैं। वास्को डि गामा नाव के बेड़े से आया तो उसे हिन्दुस्तान का पता चला। कोलम्बस अपने बेड़े से हिन्दुस्तान को खोजने चला तो अमरीका पहुंच गया और उसे अमरीका का पता चला। अमरीका आज एक विकसित देश है। लेकिन वह हिन्दुस्तान का पता लगाने के लिए चला था तो उसे अमरीका मिल गया। अमरीका 250-300 वर्षों का देश है। जबकि हमारा लाख वर्ष का इतिहास है तथा पुरानी संस्कृति है। कोचीन सी-पोर्ट में जहां-तहां कमर्शियल पोत बनाने के इनके शिपयार्ड हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके शिपयार्ड की कितनी क्षमता है और उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

श्री रमेश चेन्नितला: यह उसे बेच रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। दुनिया भर के जितने सी-पोर्ट्स हैं, उनमें कोचीन के बारे में सब लोगों ने बताया है कि प्रकृति के दृष्टिकोण से वह आइडियल है। लेकिन उसे बेचने की बात हो रही है। इस तरह से हमारी प्राकृतिक सम्पदा, प्रकृति-प्रदत्त चीजों को सरकार कौड़ी के भाव बेचने जा रही है। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। कलकत्ता से लेकर विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, गोवा और मुम्बई ये सब समुद्र के किनारे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, तूतीकोरीन नामक एक बड़ा पत्तन है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: तूतीकोरिन भी है। इन सभी बंदरगाहों का विकास होना चाहिए। इनके विकास की क्या योजना है। इस बिल के जरिए मैं जानना चाहता हूं। मैं भी वह भावी सपना देखता हूं। दुनिया का कोई भी मुल्क जितना जलयान और पोत परिवहन का इस्तेमाल करता है, हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे और वह दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के पोत परिवहन की जो क्षमता है और जो दूरियां हैं और जिस तरह से चारों तरफ से हम घिरे हैं, उसमें हिन्दुस्तान दुनिया के मुल्कों में आगे होगा और इसका पूर्ण इस्तेमाल करेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मुझे बोलने के लिए यह अवसर देने पर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम पोत परिवहन से संबधित मामलों और इसके विकास के लिए, तथा भारतीय व्यापारी बेड़े के कुशल अनुरक्षण के लिए वर्ष 1958 में अधिनियमित किया गया था। भारत ने इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्गेनाइजेशन का सक्रिय सदस्य होने के नाते अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और प्रोटोकोल जिसे वर्ष 1973 में अपनाया गया था को स्वीकार कर लिया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री को बधाई

[श्री पी.एस. गढ़वी]

देता हूं जिन्होंने ऐसा विधेयक लाने का ध्यान रखा है। जैसाकि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह अभी बता रहे थे, कि गत 30 वर्षों से किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारी राजग सरकार के सक्रिय मंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। यह अति आवश्यक विधेयक है। जैसाकि आप जानते हैं, बड़े तेल टैंकर पत्तनों पर आते हैं और यदि समुद्र तट पर तेल का रिसाव होता है तो उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मेरे कच्छ क्षेत्र में, 400 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। इस क्षेत्र में भरपूर मैनग्रोव (गरान) होती हैं। जब कभी वहां सूखा पड़ता है, तो ये वनस्पति, जिनमें पोषक तत्व भरे हुए हैं, वे पशुओं के लिए अति उपयोगी होती हैं। पहले भी अनेकों बार ऐसा हो चुका है कि तेल रिसाव के कारण, ये वनस्पति क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मेरे जिले में, गत पचास वर्षों में, 32 से अधिक बार अकाल पड़ा है। वहां के लोग कहीं नहीं जा सकते। हमारे पशु भी इस वनस्पति पर निर्भर हैं। इस प्रकार के तेल रिसावों के कारण, यह नुकसान होते हैं। इससे भारी नुकसान होता है। इसलिए, इस कानून को अधिनियमित करना अति आवश्यक था।

दूसरे, गुजरात के अलंग में पोत भंजन यार्ड है। अनेक बड़े पोत, टूटे-फूटे पोत और तेल टैंक की पोत भंजन प्रयोजनों के लिए वहां लाए जाते हैं। अनेकों बार ऐसा होता है कि वे पोत कई प्रकार के प्रदूषित पदार्थ लाते हैं। यदि वहां यह नियंत्रण नहीं होगा, तो इसमें उन समुद्र तट और तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता है जहां पर मछलियां हैं। जैसाकि डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया है, वहां पर अनेक जीव-जंतु हैं। उन जीव-जंतुओं को क्षति पहुंचती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए, माननीय मंत्री द्वारा यह विधेयक लाया गया है। यह एक बहुत अच्छा विधेयक हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक के संशोधन पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक विलंब से लाया गया है। फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं।

हम जानना चाहते हैं कि इन अधिनियमों को करने में सरकार ने इतना लंबा समय क्यों लिया है। यदि हम संविधान का अनुच्छेद 53 देखें तो इसमें सरकार के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों का सम्मान करना अनिवार्य है। जब इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो केन्द्रीय सरकारें अंतरराष्ट्रीय संधियों, प्रसंविदाओं और प्रोटोकाल को कार्यान्वित करने में इतना समय क्यों लगाती है।

सभापति महोदय, जैसाकि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक मानवतावादी विधियों का अधिनियमन किया है जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है अथवा उन्हें नगरपालिका विधियों तक कम कर दिया है जैसाकि आज हमारे पोत परिवहन मंत्री कर रहे हैं।

मैं इस सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि यह विधेयक अति केन्द्रित हैं। सभी शक्तियां केन्द्र सरकार के पास ही हैं। भारत एक बड़ा प्रायद्वीप है और इसका हजारों मील लंबा समुद्रतट है। मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि इनमें से अधिकांश शक्तियां राज्यों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इन पर केन्द्र सरकार को ही अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि इन उपबंधों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को भी संबद्ध किया जाता है तो विधेयक को प्रस्तुत करने के प्रयोजन को उचित और सफलतापूर्वक ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है।

माननीय मंत्री जी ने हमें इस विधेयक के दंड संबंधी उपबंधों की जानकारी नहीं दी है। यदि कोई इस विधेयक का उल्लंघन करता है तो दंड संबंधी उपबंध क्या होंगे? मामला कहां दर्ज किया जाएगा? इसकी जांच कौन करेगा?

मेरे विचार से यह भार नौसेना और तटरक्षक संगठन पर होगा। मेरे विचार से ये विशिष्ट बल है। एक बल देश की रक्षा के लिए है और दूसरा अन्य गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए है। मैं यह सिफारिश करूंगा कि पोत परिवहन मंत्रालय को तट और पत्तनों पर होने वाले प्रदूषण का ध्यान रखने के लिए अपना समुद्री बेड़ा तैयार करना चाहिए।

मैं उड़ीसा के माननीय सदस्य श्री साहू कि इस बात से सहमत हूं कि पर्यावरण मंत्रालय को हमारे तट, समुद्र तट और तटीय जल को बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जो नदियों और अन्य तरीकों से समुद्र में शामिल होता है। हमारे तटीय क्षेत्रों के समुद्री जीवन को बचाने के लिए उपबंध होना अनिवार्य है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे अनेक अधिकारी है जिनकी अंतरराष्ट्रीय नौसेनाओं, वाणिज्य नौसेनाओं में जरूरत है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि अधिकारियों और सीमैन को प्रशिक्षण देने के लिए सभी केन्द्र देश के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। पंजाब जैसे स्थल रुद्ध राज्य में अधिकारियों अथवा सीमैन को प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय या महाविद्यालय नहीं है। अत:, मैं माननीय मंत्री से पंजाब जैसे राज्य में ऐसी संस्था बनाने का पुरजोर प्रस्ताव करता हूं ताकि हम भी इस देश के तटीय पोत परिवहन और समुद्री जीवन में रुचि ले सकें।

[सरदार सिमरनजीत सिंह मान]

महोदय, मैरीन पुलिस की स्थापना करनी है, तो मेरे विचार से वित्त मंत्रालय को भी इसमें सहयोग देना चाहिए क्योंकि अनेक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क निरीक्षण किए जाने हैं। अतः मैं पोत परिवहन मंत्रालय के लिए समुद्र पुलिस की स्थापना का पुरजोर समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि पंजाब जैसे स्थलरुद्ध राज्य में विद्यालय शुरु करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक के प्रावधानों का समर्थन करता हूं। परन्तु, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि मूल अधिनियम पुराना हो गया है। यह आज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यह पुराना अधिनियम है तथा समुद्री गतिविधियों में विद्यमान वर्तमान परिस्थितियों से असंगत है। इसके अलावा, यह भी बताना उचित है कि मात्र ऊपरी परिवर्तन से प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय पुराने अधिनियम में दिखावटी परिवर्तन कर रहे है परन्तु इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मुझे ऐसा कहते हुए खेद है।

प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। यह सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी विद्यमान है। आज समुद्र सिर्फ पोतों से ही प्रदूषित नहीं हो रहे हैं। प्रदूषण देश के आंतरिक हिस्सों से आ रहा है। हम सभी को पता है कि अनेक राज्य अपना सम्पूर्ण कूड़ा-करकट फेंकने हेतु समुद्र को कूड़ेदान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि गन्दे पानी को भी समुद्र में छोड़ा जा रहा है जिससे मछलियां भी काफी प्रभावित हो रही हैं। इसका मछलियों पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। हम काफी मात्रा में मर रही मछलियों के बारे में सुनते हैं जो समुद्र के तटवर्ती इलाकों में बहकर आ जाती है और उनसे वहां भी प्रदूषण फैलता है। इस प्रकार, यह एक दोधारी हथियार है। निस्संदेह, पोत भी समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। हमें समुद्र को प्रदूषित करने वाले पोतों के बारे निश्चित तौर पर सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। परन्तु, साथ ही साथ एक ऐसा भी कानून होना चाहिए जो जमीन से हो रहे सामुद्रिक प्रदूषण को रोक सके। बड़े नगरों में स्थापित बड़े उद्योग समुद्र को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस तथ्य पर गौर करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। ..

अन्य कठिनाई भी होगी क्योंकि विदेशी पोत आएंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार, अब हमें कार्रवाई करनी होगी। एकमात्र कार्रवाई अन्य कुछ नहीं बल्कि पोत को जब्त करना होगा। दोषी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की स्थिति में कौन-सी एजेन्सी कार्रवाई करेगी? कौन-सा न्यायाधिकरण इन सभी संगठनों को सबक सिखाएगा तथा अपराध करने का दोषी पाए गए लोगों को दंडित करेगा। इस पहलू के मद्देनजर, यह कानून स्पष्ट नहीं है। हम परेशानी का सामना करते रहेंगे।

भविष्य में भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अधिनियम में इसका कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। सक्षम प्राधिकारी कौन है? महानिदेशक रिपोर्ट तैयार कर सकता है। लाइसेंस जारी करने के मामले में, उसे इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। यह संशोधन कानून है। परन्तु सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। कार्रवाई कौन करेगा? महानिदेशक लाइसेंस को निरस्त कर सकता है अथवा वह लाइसेंस देने से मना कर सकता है अथवा वह प्रदूषण प्रमाण-पत्र देने से मना कर सकता है ताकि वे किसी विदेशी बंदरगाह पर यह न दिखा सकें कि उनके पास भारत सरकार से प्राप्त इस अथवा उस प्रकार का प्रदूषण प्रमाण-पत्र है। अन्य देशों की सरकारों को भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा भारत सरकार को अन्य देशों द्वारा जारी प्रमाणपत्र को स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय राज्य सभा के सदस्य हैं। उन्हें आज राज्य सभा में मतदान करने की पूर्व-व्यस्तता है। मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि वहां उनकी व्यस्तता जायज है। इसलिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वाद-विवाद को तब तक जारी रखा जाए जब तक कि अंतिम वक्ता अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेता। ...*(व्यवधान)*

मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं। अन्य मंत्री अपने विचारार्थ इस पर ध्यान दे सकते हैं।

सभापति महोदयः श्री राधाकृष्णन, आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णनः अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, मैं सभा का ध्यान प्रस्तावित संशोधन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

> ''356ग. (1) कोई भी भारतीय तेल टैंकर या अन्य भारतीय पोत तब तक समुद्र में नहीं जाएगा जब तक उस पोत की बाबत अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र के नाम से ज्ञात केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं; जारी प्रमाणपत्र प्रवर्तन में न हो।''

इस बात की क्या गारंटी है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले पोत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे? वह जा सकता है। ऐसी बाध्यता क्या है कि उसे विदेशों में जाने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। इस कार्य को

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करके ही किया जा सकता है। यह कार्य करने का प्रभावी तरीका नहीं है। इसे प्रभावी बनाने हेतु, किसी पोत का लाइसेंस जारी करते समय यह पूर्व शर्त होनी चाहिए कि उस पोत हेतु आवश्यक रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। इस प्रमाण पत्र का प्रावधान संविधि में धारा 356ग में किया गया है। यदि आप धारा 356ग को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो आपको किसी पोत को चलाए जाने की अनुमति देते समय इसे एक पूर्व शर्त बनानी होगी। इस पोत को अनुमति देने के पहले की एक आवश्यक शर्त बनानी होगी। कोई भी पोत कहीं जा सकता है। इस बात का जिक्र कहां है कि यह प्रमाण-पत्र लिया जाना बाध्यकारी है। आप प्रमाण-पत्र लेने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं।

इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन यही है। कतिपय अंतर्निहित कठिनाइयां है जिनका वर्तमान कानून में सहजता से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। यह संशोधन कानून है यही वजह है कि मैंने शुरू में ही कहा है कि मूल कानून पुराना हो गया है। यह मात्र दिखावे का परिवर्तन है। इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जैसाकि मंत्री महोदय समझते हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप एक व्यापक कानून लाएं तथा इन सभी प्रावधानों को लागू करने योग्य बनाएं। इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु, आपके पास भारत में स्पष्ट कानून और अधिकार होना चाहिए। इसके लिए एक कानून आवश्यक है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे अधिनियम का गहन अध्ययन करें तथा इसे बिल्कुल स्पष्ट बनायें ताकि इन प्रावधानों को बिना विलम्ब के लागू किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 6.00 बजे

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं तथा उन अन्य सदस्यों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं जिन्होने इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है कि यह विधेयक काफी विलम्ब से लाया गया है। इस पूरे प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने के लगभग 30 वर्षों के बाद हम यह विधेयक, सभी कन्वैंशनों और अन्य सभी बातों के अनुमोदनार्थ लेकर आए हैं।

मैं अपने मित्र, विपक्षी सदस्य, श्री गढ़वी द्वारा व्यक्त भावनाओं से भी अपने को सम्बद्ध करता हूं जिन्होंने तटवर्ती और समुद्री पार्कों तथा अलग के बारे में बात की है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विशेषकर वाहकों से होने वाले तेल-रिसाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा का यह विचार है कि सभा का समय श्री मधुसूदन मिस्त्री का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: इस पर हम कल चर्चा जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय: बिल्कुल ठीक है। हम इस चर्चा को कल जारी रखेंगे।

अब सभा कल 19 दिसम्बर, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2003/28 अग्रहायण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.38.13/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।